खण्ड-358, अंक-8
सोमवार, 8 भाद्रपद, शक संवत् 1904
(30 अगस्त, 1982 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 358 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	..	1231–1235
सदन में मन्त्रियों की अनुपस्थिति पर आपत्ति	..	1237
प्रश्नोत्तर	..	1237–1330
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	1330
सरकारी चीनी मिल धुंधली जनपद, गौरखपुर के रिसीवर द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1331
जनपद गोंडा में सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1331
खटीमा जिला नैनीताल के विधायक, श्री बिहारी लाल के ऊपर प्राणघातक हमले में तस्करों, परगनाधिकारी, श्री पद्म सिंह तथा थानाध्यक्ष, श्री रणवीर सिंह की साजिश होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1332
जनपद नैनीताल में बाढ़ से क्षति तथा जिला प्रशासन की उदासीनता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1333
सीतापुर कोतवाली क्षेत्र में शांति व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1334
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के परिक्षेत्र में कृषकों की भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों को अनुदान तथा नौकरी आदि की सुविधायें न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1334
सिंचाई विभाग में शासन के आदेशों के विपरीत किये जाने वाले स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1335
बांदा एवं हमीरपुर जिलों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.	1336
जनपद जौनपुर में शारदा नहर की मडियाहू केराकत शाखा के सीपेज व जलप्लावन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1336
इटावा जनपद में सार्वजनिक निर्माण विभाग की औरैया—बेला सड़क के दिवियापुर कस्बे से गुजरने वाले हिस्से के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1337
पन्नी जी शुगर मिल बुलन्दशहर के अधिकारियों के भ्रष्टाचार एव श्रमिकों को वेतन न मिलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1338

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद गोरखपुर के फरेंदा क्षेत्र में सीलिंग से निकली भूमि पर जमींदारों के अवैध कब्जे के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1338
स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ के प्रधानाचार्य द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1339
दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ यू0 पी0 लिमिटेड, कानपुर की वार्षिक रिपोर्ट 1976-77 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	1340
नियम 301 की सूचना के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	1340
नारायणपुर (देवरिया) जांच आयोग की रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	1341
आपाद तिरेक जांच अधिकरण, उत्तर प्रदेश की अंतिम रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	1341
आपाद तिरेक जांच अधिकरण रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने पर आपत्ति ..	1341--1342
बिक्रीकर के सम्बन्ध में सरकारी विज्ञप्ति (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	1343
उत्तर प्रदेश पंचायती-राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के पंचम वार्षिक प्रतिवेदन एवं सम्प्रेक्षित लेखे 1977-78 (सदन के पटल पर रखे गये) ..	1344
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1981 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	1344
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, 1981 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	1344
आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड, आगरा की पंचम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण, 1980-81 (सदन के पटल पर खा गया) ..	1344
उत्तर प्रदेश बुन्देल खड विकास निगम लिमिटेड का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन, 1976-77 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	1345
श्रीराम आसरे वर्मा व श्री माता प्रसाद पांडेय द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को लिये जाने की मांग ..	1345--1346
भूतपूर्व कृषि मंत्री, श्री भानु प्रताप सिंह के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	1347--1348
जिला बस्ती के नौगढ़ तहसील के तहसीलदार, श्री के0 एन0 दूबे तथा अन्य अधिकारियों एव कर्मचारियों के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	1349--1350
थानेदार घुघली एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	1351

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री शंकर सिंह द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना पर निर्णय होने में विलम्ब पर आपत्ति ..	1352
विगत सत्र में श्री मोहन सिंह द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय न दिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	1353-1354
विशेषाधिकार समिति में लम्बित कतिपय मामलों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	1355
उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1981 (वापस लिया गया) ..	1356
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	1356
प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा की मांग ..	1357-1363
प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु सदन की समिति गठित किये जाने का प्रस्ताव (अस्वीकृत) ..	1364–1391
कुर्मिन पुरवा, गोण्डा के दूधनाथ गोसांई नामांक अपराधी द्वारा श्री शारदा के घर में डकैती डालने के सम्बन्ध में वक्तव्य एवं उस पर चर्चा ..	1392–1398
कानपुर देहात के दस्तमपुर ग्राम में डकैती एवं हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य एवं चर्चा ..	1399–1412
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	1413
संविधान (छियालिसवां संशोधन) विधेयक, 1982 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	1414
उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (निरसन) विधेयक, 1982 (विधान परिषद से वापसी की सूचना) ..	1414
उत्तर प्रदेश अधाधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1982 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	1414
अफीम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	1415
बांदा जिले के अधिशाषी अभियन्ता के दुर्व्यवहार के फलस्वरूप अवर अभियन्ताओं द्वारा हड़ताल किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	1415–1418
धान खरीद 1980-81 के घोटाले के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	1419–1422
खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के अध्यक्ष पद पर नियुक्त श्री जगदीश मिश्र उर्फ बाल्टी बाबा के विरुद्ध लगाये गये अरोपों के विषय में दिनांक 26 अगस्त, 1982 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 8 (नत्थी क) के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा ..	1423–1431

विषय	पृष्ठ संख्या
गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था के प्रशासनिक बोर्ड में सदस्यों के निर्वाचन कार्य-क्रम को निरस्त किए जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	1432
कानपुर जनपद के थाना चौबेपुर के ग्राम मनुटला में भीषण वर्षा से क्षति तथा 70 व्यक्तियों की मृत्यु व प्रदेश के विभिन्न भागों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	143-3-1443
उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1982 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	1444
सदन के अनिश्चित काल के स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	1444
नत्थियां ..	1445--1470

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

— — —

सोमवार, दिनांक 30 अगस्त, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

(उपस्थित सदस्य 380)

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुत्तन भैय्या) (खीरी)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री नाम निर्देशित (आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल, महेन्द्र, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुंवर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)

गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0 (बांदा)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारू चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छदी लाल, श्री (गोण्डा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशकर सिंह, (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह गौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
त्रिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जानपुर)
थमम्न सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफफरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
धुपराय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफफरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, (उर्फ लाल बाबू), श्री (बलिया)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)

प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रूखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा0 (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (गाजियाबाद)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मगरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)

महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा (आगरा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह (उर्फ लल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रूखाबाद)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राम किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)

राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0 (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम नरायन एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान, किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह,(उर्फ मणि जी)(इलाहाबाद)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरीगढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा0 (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ीगढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)

शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सुल्तानपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरि किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सदन में मंत्रियों की अनुपस्थिति पर आपत्ति

श्री हुक्म सिंह —

माननीय मंत्रियों की फौज कहां चली गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

यह देखिए, है तो ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 30 अगस्त, 1982 ई0

तारांकित प्रश्न

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*1—श्री गोपी नाथ वर्मा —

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 6 जुलाई, 1981 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या शिकायती पत्र में लगाए गए आरोपों की जांच करायी गयी ? जांच के दौरान कितने आरोप सही पाए गए ? क्या सही पाये गये आरोपों के आधार पर सम्बन्धित अधिकारी को दंडित करने की कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री—(श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

जी हां ।

शिकायती पत्र में लगाये गये आरोपों के जांच के आदेश शासन के पत्र संख्या ज0 प्र0 236/15-1-/10/13/81 दिनांक 31 जुलाई, 1981 के द्वारा दिये गये हैं ।

जांच की कार्यवाही अभी चल रही है ।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जांच के निर्देश जो आप द्वारा 21 जुलाई 1981 को दे दिए गये हैं तो इतनी विलम्ब से कार्यवाही पूरी न किए जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी

मान्यवर, अभी जांच चल रही है विलम्ब अवश्य हुआ है । जब रिपोर्ट आ जायेगी तब उसी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

नोटः –[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी इसी सत्र में मैंने एक प्रश्न इसी अधिकारी को लेकर किया था और उसमें यह आया था कि सूचना मंगायी जा रही है। तब से अभी तक सूचना नहीं आयी है। मान्यवर, इस अधिकारी के खिलाफ वहां के शिक्षकों की समिति ने कोई आरोप निश्चित रूप से लगाये है तो वह क्या हैं और क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अध्यक्ष —

आपको गलत फहमी है। मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं। इसमें कहां लिखा हुआ है कि सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मेरा भी एक प्रश्न है, इसी अधिकारी के मसले को लेकर..

श्री अध्यक्ष—

जिस प्रश्न का आप जिक्र कर रहे हैं वह नहीं है। आप प्रश्न संख्या 1 को देखें।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मैंने देखा है, उसी अधिकारी के खिलाफ है। इन्हीं आरोपों को लेकर दिया था तो जवाब मिला कि सूचना एकत्र की जा रही है। मैं जानना चाहूंगा कि जो आरोप लगाये गये हैं वह क्या है, जांच किस अधिकारी द्वारा कराई जा रही है और कब तक हो जायेगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह बहुत व्यापक है।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, जिस अधिकारी के सम्बन्ध में प्रश्न है वह जुलाई, 81 का आरोप पत्र है और आप ने कह दिया कि जांच चल रही है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जांच कभी कम्पलीट ही नहीं होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कौन-अधिकारी जांच कर रहा है और आप क्या ऐसे निर्देश देंगे कि 15 दिन या एक महीने के अन्दर यह जांच पूर्ण हो जाये ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, जांच जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की जा रही है। आज ही वह मेरे दफ्तर में आये और मैंने उनको निर्देश दे दिए हैं कि इसको वह शीघ्र पूरा कर रिपोर्ट दें।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

माननीय मंत्री जी इस मसले को बुरी तरह से दबाना चाहती हैं। जेटली साहेब ने क्वेश्चन किया था और मैंने किया है। जान बूझकर माननीय मंत्री जी इस को दबाना चाहती हैं। माननीय मंत्री जी इस प्रकार के आदेश दें कि इसे एक सप्ताह अथवा 15 दिन में पूरा किया जाये ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, इस मसले को दबाने का कोई प्रश्न नहीं उठता और न मैंने कभी इस तरह के भ्रष्टाचार के कोई कार्य दबाने की कोशिश की है। मेरा यह दावा है कि इस मसले की भी पूरी तरह से छानबीन करके जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसके विरुद्ध उचित तथा न्यायपूर्ण कार्यवाही अवश्य की जायेगी।

श्री इन्द्रजीत—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह की शिकायत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद की है उसी तरह की शिकायतें अन्य जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों के सम्बन्ध में भी है। क्या मंत्री जी इसके बारे में कोई ठोस उपायों पर विचार कर रही हैं जिससे यह शिकायतें दूर हो सके ?

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आपने इस प्रश्न को पूरा प्रदेश का प्रश्न बना दिया।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जांच जो बी0 एस0 ए0 के खिलाफ हो रही है उसे डी0 आई0 ओ0 एस0 कर रहे हैं जबकि दोनों का एक ही स्तर होता है। मैं मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस बेसिक शिक्षा अधिकारी के सम्बन्ध में किसी उच्च अधिकारी अथवा डी0 डी0 आर0 से जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, हमने अभी तो डी0 आई0 ओ0 एस0 को यह जांच सुपुर्द की है और उनसे कहा गया है कि वे जल्दी ही अपनी आख्या दें और अगर उसके आने के बाद वह असन्तोषजनक होगी तो उस पर अवश्य विचार किया जायेगा।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मैं माननीय शिक्षा मंत्री से जानना चाहता हूं कि जो विद्यालय निरीक्षक से जांच करायी जा रही है क्या ये वही जिला विद्यालय निरीक्षक हैं जिनके खिलाफ जनपद के अधिकांश विधायकों ने अभी दस दिन पहले उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लगाकर आपको लिखकर दिया है ? क्या ये वही अधिकारी हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, इसके लिये वे अलग से प्रश्न पूछने के सक्षम है।•• (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं दो बिन्दुओं पर सवाल पूछना चाहता हूं एक तो यह जो आरोप-पत्र आपको मिला 6 जुलाई, 1981 को, उसकी जांच के आदेश आपने कब किये और दूसरी बात यह है कि जो बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ शिकायतें हैं उसमें कुछ शिकायतें अध्यापकों के चयन और ट्रांसफर से सम्बन्धित हैं जिसके अध्यक्ष स्वयं जिला विद्यालय निरीक्षक होते हैं ? आरोप जिला विद्यालय निरीक्षक के ऊपर भी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किस सिद्धान्त के आधार पर किसी अधिकारी के सम्बन्ध में जो आरोप लगाये गये हैं उसकी जांच उसी के समकक्ष अधिकारी द्वारा कराई जा रही है ? यानी एक ही पद पर रहते हुए अपने समानार्थक पद पर रहने वाले दूसरे अधिकारी की जांच का क्या आधार है ? इसलिये क्या आप तत्काल उनसे जांच लेकर किसी दूसरे उच्च अधिकारी या उप निदेशक से करवाने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, जो शिकायतें हैं वे बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ हैं और उनकी जांच करने के आदेश डी0 आई0 ओ0 एस0 को दिये गये हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा सवाल साफ नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष—

आप कई सवाल पूछते हैं, इसलिये निश्चयपूर्वक एक ही सवाल करे?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने कहा था कि क्या मेरी इस सूचना को सही मानकर कि जो शिकायतें की गई हैं वह अध्यापकों के चयन और ट्रांसफर से सम्बन्धित हैं। ये दोनों काम वहां एक कमेटी करती है जिसके अधयक्ष डी0 आई0 ओ0 एस0 होते हैं इसलिए उसके प्रति भी शिकायतें हैं। इसलिये जिनके ऊपर शिकायतें हैं उन्हीं से शिकायतों की जांच कराने का क्या कारण है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

माननीय, शिकायत बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध है न कि समिति के अध्यक्ष डी0 आइ0 ओ0 एस0 के विरुद्ध।

जनता इन्टर कालेज, अहिरौला, आजमगढ़ के अध्यापको के प्राविडेन्ट फण्ड आदि का गबन का मामला

*2—श्री पंचनान राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जनता इंटर कालेज, अहिरौला, आजमगढ़ में अध्यापकों के वेतन से काटी गयी जी0 पी0 एफ0 की लगभग तेईस हजार सात सौ पैंसठ रुपये की धनराशि राजकीय कोषागार में जमा नहीं है? इसके अतिरिक्त जी0 पी0 एफ0, वेतन भुगतान, शुल्काय आदि में भी भारी गोलमाल के सम्बन्ध में विद्यालय को अध्यापकों द्वारा 1 जनवरी 1982 को कोई मांग पत्र शासन तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिया गया तथा सोलह जनवरी से सत्ताइस जनवरी तक कलम बन्द हड़ताल जारी रखी गयी? यदि हां तो प्रमुख मांगें क्या है? इसकी जांच किस अधिकारी से करायी गयी? जांच के क्या परिणाम निकले हैं तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मामला गबन का है और उसी से सूचना मंगाई जा रही है जो इसमें इनवाल्व है यानी एसोसियेटेड इंस्पैक्टर आफ स्कूल्स। एक साल पहले से यह सूचना मगाई जा रही है जो अभी तक आई नहीं है। मेरे जितने सवाल होते हैं उनका उत्तर यही होता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है पिछले हाऊस में 70 सवालों की सूचना एकत्रित की

जा रही थी इस साल 40 सवालों में सूचना एकत्रित की जा रही है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि क्या शिक्षा मंत्री सूचना मंगाने का कोई तरीका अपनायेंगी ताकि आवश्यक सूचना उपलब्ध हो सके ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

माननीय, उपलब्ध सूचना अपूर्ण है। मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि जो उपलब्ध सूचना है उसके अनुसार उक्त विद्यालय में गबन की आशंका है, प्रावीडेंट फंड से काफी पैसे का गबन किया है ऐसा मालूम होता है।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब प्रावीडेंट फंड में गबन है और पिछले तीन साल से एसोसियेट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स मैनेजमेंट कर रहे हैं। वही गबन के लिए उत्तरदायी हैं तो उनको निलम्बित क्यों नहीं किया गया है ? उन्होंने प्रिंसपल को निलम्बित किया और फिर उसे हाईकोर्ट में भेज दिया जो वहां से स्टेट ले आये। इस गबन के लिए एसोसियेट इंस्पेक्टर आफ स्कूल जिम्मेदार हैं तो उनको निलम्बित करने के लिए क्या शिक्षा मंत्री विचार करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, जब इस विषय में सूचना मंगाई गयी तो उसमें प्राविडेंट फंड के गबन की आशंका हुई तो उस पर जो प्रबन्ध नियंत्रक थे उन्होने एफ0 आई0 आर0 लीज कराई प्रधानाचार्य को निलम्बित किया गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जब माननीय शिक्षा मंत्री आपने यह कहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है तो फिर सूचनायें कैसे पढ़ रही हैं क्या सूचना आई है ?

श्री हुकम सिंह —

यह सदन के अवमान का प्रश्न है मान्यवर, सारी सूचना पत्रावली में उपलब्ध है इसके बावजूद अपनी तरफ से उत्तर आपको भी दे दिया और हमें भी इस प्रकार सदन को गुमराह किया जा रहा है इनके उपर ऐक्शन होना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

जानबूझ कर गुमराह किया जा रहा है इनके पास सूचना उपलब्ध है।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा है कि अधूरी सूचना है और जितनी सूचना है उसको मैं दे रही हूं इसलिए गुमराह नहीं किया गया है।

हुकम सिंह—

मान्यवर, इनकी अधूरी सूचना पर में पूरक प्रश्न करना चाहता हूं इन्होंने कहा है कि प्राविडेंट फड में घोटाले की सूचना है तो प्रागदर्शन में यह बहुत बड़ा केस बनता है जिसकी गंभीरता को देखते हुए आपने कंट्रोलर को बैठाया तो उसमें उसने एफ0 आई0 आर0 क्यों नहीं दर्ज कराया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मैंने अभी निवेदन किया कि मेरे पास अपूर्ण सूचना है जो आपने पूछा है उसके विषय में तुरंत आपको जानकारी दे दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

यदि यह उत्तर दिया जाता है कि सूचना एकत्र की जा रही है, तो यह प्रश्न फिर आगे आएगा, उस वक्त आप पूछ सकेंगे। इसलिए अब तीसरा सवाल ले रहा हूं।

इण्टर कालेजों में नामिका निरीक्षण

*3 श्री प्रभूनरायण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि इण्टर कालेजों में कराये जाने वाले नामिका निरीक्षण मात्र परम्परा बनकर रह गए हैं और इस व्यवस्था से शिक्षा में वांछित गुणात्मक सुधार नहीं हो पा रहा है? क्या सरकार इस परम्परा को बन्द कराकर विषय विशेषज्ञों की निरीक्षण हेतु स्थायी समिति नियुक्त करेगी? यदि नहीं तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

यह कहना ठीक नहीं है कि नामिका निरीक्षण परम्परा बन कर रह गये हैं और इस व्यवस्था से शिक्षा में गुणात्मक सुधार नहीं हो रहा है नामिका निरीक्षणों द्वारा शैक्षिक व सहपाठ्यक्रमीण क्रियाकलापों का सम्यक परिवीक्षण कर विद्यालयों के स्तरोन्नयन हेतु यथोचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, जो इनका मुख्य उद्देश्य है।

श्री प्रभुनारायण सिंह—

देश को आजाद हुए इतने दिन हो गये, आजतक इस व्यवस्था में एक भी कामा और फुलस्टाप का अन्तर नहीं आया, पैनेल इंस्पेक्शन—नामिका निरीक्षण प्रारम्भ से कराया जाता था, जो व्यवस्था थी सड़ी गली, वही व्यवस्था आज भी चली आ रही है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसमें परिवर्तन करके जितने भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं—चाहे इन्टर कालेज स्तर के हों या हाईस्कूल स्तर के, सबमें आप नामिका निरीक्षण कराने की व्यवस्था करेंगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी—

मान्यवर, अगर पैनल इंस्पेक्शन बहुत पुराने हैं, 1947 से आज तक, तो हमारे विद्यालय भी 47 से आज तक पुराने हैं। हमारे ज्ञान व विज्ञान की धारा उपनिषद् और तुलसीदास से लेकर आजतक वह भी प्रवाहित चली आ रही है और हमेशा प्रवाहित होती चली जाएगी। ज्ञान की धारा को कोई बन्द नही कर पायेगा। तो हमारे विद्यालयों के ज्ञान की धारा और निरीक्षण की परम्परा भी चली आ रही है।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, जब यह परम्परा बनी, तब एक जिले में 10 इन्टर कालेज होते थे और उस समय डी0 आई0 ओ0 से अपेक्षा की जाती थी कि वह एक स्कूल में तीन दिन रहेंगे। अब तो ऐसी बात नहीं है, अब तो ऐसे भी जिले हैं जहां 300 इन्टर कालेज हैं, तो क्या मंत्री जी अब भी वही व्यवस्था रखेंगी? कुल 220 दिन स्कूल चलेंगे, उसमें परीक्षाए

और प्रवेश भी होंगे और 14 दिन की तैयारी छुट्टी भी होगी, तो डेढ़ सौ स्कूल में यदि तीन दिन जिला विद्यालय निरीक्षक रुकता है, तो ऐसी हालत में क्या यह प्रश्न बिलकुल सही नहीं है कि आजकल नामिका निरीक्षण बिलकुल परम्परा और कागजी बनकर रह गये हैं ? तीन दिन रहे तो उसे साढ़े चार सौ दिन चाहिए ? तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या तीन दिन जिला विद्यालय निरीक्षक पैनेल निरीक्षण के समय विद्यालय में उपस्थित रहते हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमरी बख्शी—

पवित्र परम्पराओं के अनुसार गुरुजनों की कृपा से असम्भव कार्य भी सम्भव हो सकता है ।

श्री प्रभूनारायण सिंह—

मेरे मूल प्रश्न में यह था कि नामिका निरीक्षण का जो लक्ष्य था वह प्राप्त नहीं हो रहा है, उससे विद्यालयों में जो गुणात्यक सुधार की अपेक्षा की जाती है, वह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए मैं चाहता था कि विषय विशेषज्ञों की ऐसी स्थायी समितियां बना दी जायं, जो नामिका निरीक्षण का ही कार्य विभिन्न विद्यालयों में करें ? तो क्या मंत्री जी इसके लिए स्पष्ट आश्वासन देने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

हमें इस बात का गर्व है कि हमारे प्रदेश का सन् 47 के बाद से विकास निरन्तर होता चला आ रहा है । जो विज्ञान की धारा यहां गंगा की धारा की तरह आगे बढ़ती ही चली जा रही है..

(व्यवधान)

विज्ञान का स्तर उत्तरोत्तर उठता ही जा रहा है और निरीक्षण में आप लोग ही साथ देने वाले हैं ।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न किया जाता है केवल उसका ही उत्तर आप दें, इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए ।

आर्य कन्या जूनियर हाई स्कूल, डोईवाला, देहरादून को क्षति पूर्ति अनुदान का भुगतान

*4 श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आर्य कन्या जूनियर हाई स्कूल डोई वाला (देहरादून) जो शिक्षा विभाग द्वारा स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल है को वर्ष 1979-80 के अन्तिम त्रैमास से अब तक कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की कक्षाओं के लिए क्षतिपूर्ति अनुदान नहीं मिला है जिसके कारण अध्यापिकाओं को गत चार मास से वेतन का भुगतान नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्रा जी अविलम्ब अवशेष क्षतिपूर्ति अनुदान का भुगतान कराने का आश्वासन देंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मेरा प्रश्न बहुत आसान था और इसे मैंने 5 मई, 1982 को अर्थात् लगभग 3 माह पूर्व दिया था पर मंत्री जी अभी भी कह रहीं है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट आश्वासन देने की कृपा करेंगीं कि किस अवधि तक सूचना एकत्रित कर लेंगीं और उनके भुगतान का अतिम आदेश निर्गत कराने की कृपा करेंगीं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से शीघ्र ही यह कार्य सम्पन्न किया जायेगा।

मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया की आडिट रिपोर्ट में श्री जगन्नाथ प्रसाद सचिव के विरुद्ध अरोपों के सम्बन्ध में कार्यवाही

*5—श्री गौरी शंकर भैया (अनुपस्थित)

क्या शिक्षा मंत्री को इस बात की जानकारी है कि मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया कि मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया की आडिट परीक्षा फरवरी, 1981 में हुई थी जिसमें लेखा परीक्षक ने वर्ष 1977 से 1980 में छात्र विकास अनुरक्षण एवं अन्य कोषों में भारी धनराशि के गोलमाल तथा कोष के दुरुपयोग करने की बात का आरोप प्रबन्ध तंत्र के सचिव श्री जगन्नाथ प्रसाद के विरुद्ध सत्य पाया था ? यदि हां तो इस प्रबन्ध तंत्र को बरखास्त कर साधिकार नियंत्रक नियुक्त कर महाविद्यालय के धन अपहरण कर्त्ताओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

इस कालेज का अडिट जनवरी/फरवरी 1981 में कराया गया था अडिट रिपोर्ट पर अनुपालन आख्या प्रबन्धक प्राचार्य से मंडलीय उप शिक्षा निदेशक वाराणसी के माध्यम से मांगी गई है जिसके प्राप्त होने पर ही आरोपों की सत्यता के सम्बन्ध में कहा जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री गौरी शंकर भैया का नाम पुकारे जाने पर और उनके उपस्थित न होने पर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, इसमें हमारी दिलचस्पी है ?

श्रीराम गोविन्द—

मान्यवर, इसमें हमारी दिलचस्पी है।

श्री अध्यक्ष—

समय मिला तो देखा जायेगा।

नरेन्द्र देव इण्टर कालेज, जलालपुर, फैजाबाद को हरिजन रिअम्बर्समेंट स्वरूप मिला धन

*6 श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्ष में जिला फैजाबाद की जलालपुर स्थिति नरेन्द्र देव इण्टर कालेज को किन-किन वर्षों में कितना-कितना धन हरिजन रिअम्बर्समेंट स्वरूप मिला है और गत पांच वर्षों में वर्ष अनुसार कितना-कितना धन वेतन एकाउन्ट एवं प्रबन्धक एकाउन्ट में जमा हुआ है? क्या यह सही है कि उपरोक्त प्राप्त धन नियमानुसार सम्बन्धित खाता में जमा नहीं किया गया है? यदि हां तो इसके लिए कौन-कौन दोषी है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है? यदि नहीं तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही।

श्री नन्द किशोर सिंह—

मान्यवर, शिक्षा विभाग से सम्बन्धित यह चौथा प्रश्न है और इसमें भी उत्तर दिया जा रहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है। 13 मई 1982 को मैंने यह प्रश्न किया था किन-किन वर्षों में कितना-कितना धन हरिजन रिअम्बर्समेंट स्वरूप मिला और गत पांच वर्षों में वर्षानुसार कितना-कितना धन वेतन एकाउन्ट और प्रबन्धक एकाउन्ट में जमा हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह सारी सूचना कब तक प्राप्त हो सकेगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यर, 5 वर्षों की सूचना माननीय सदस्य ने मांगी है, उसमें कुछ समय लगेगा।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, इस विद्यालय से सम्बन्धित 5 सवाल हैं, 4 अतारांकित और 1 तारांकित। वहां पर इतनी अधिक अव्यवस्था है कि जिसको लेकर पूरा फैजाबाद जिला उद्वेलित है। इस बात का मेरा आरोप है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी जानबूझकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इस स्कूल में 10 लाख रुपये का गबन है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कब तक नियमानुसार इस विद्यालय के सम्बन्ध में कार्यवाही सम्पादित कराई जायेगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, नियमानुसार कार्यवाही इस विद्यालय के सम्बन्ध में शीघ्र ही सम्पन्न कराई जायेगी।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, इस विद्यालय से सम्बन्धित और भी प्रश्न हैं और सारे सवालों के उत्तर में यही कहा गया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। मान्यवर, मेरा स्पष्ट आरोप है कि इस इन्टर कालेज में इतना भष्टाचार व्याप्त है कि पूरा जनपद त्रस्त हो चुका है और इस विद्यालय के केस को योजना बद्ध तरीके से दबाने की कार्यवाही कर रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगीं कि कोई विशेष समिति अथवा विशेष अधिकारी द्वारा इस मामले की जांच कराने की कृपा करेंगीं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, ऐसा नहीं है, मैंने आपसे निवेदन किया कि शीघ्र ही उचित कार्यवाही को जायगी।

श्री अध्यक्ष—

शिक्षा मंत्री जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 15 दिन के अन्दर आपकी सूचना पूरे तरीके से, जो-जो उसके नियम बने हुए हैं, वह प्राप्त हो जानी चाहिए। लेकिन दो-दो, तीन-तीन महीने बीत जाने पर भी सूचना नहीं प्राप्त होती है। भविष्य में यह आप ध्यान रखें कि इतना विलम्ब नहीं होना चाहिए।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

*7—श्री राम आसरे वर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*8—श्री शरीयतुल्ला —

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया]

*9—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

श्री शहजाद सिंह, उप कृषि निदेशक, गोरखपुर मण्डल के विरुद्ध विधायकों का शिकायती-पत्र तथा जांच

*10—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसूफ—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने श्री शहजाद सिंह, उप कृषि निदेशक, गोरखपुर मण्डल गोरखपुर के विरुद्ध 44 आरोपों से युक्त 15 विधायकों से हस्ताक्षरित एक प्रार्थना-पत्र संलग्न करके दिनांक 8-12-81 को मुख्य मंत्री एवं आपको भेजा है? यदि हां, तो आरोप क्या है और सरकार ने इस पर अब तक क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि मन्त्री (श्री यशपाल सिंह)—

जी हां।

आरोपों का विवरण संलग्न है। शिकायतों-की विभागीय जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 1455 पर।)

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 15 माननीय विधायकों ने, गोरखपुर के डिप्टी डायरेक्टर, एग्रिकल्चर, श्री शहजाद सिंह के विरुद्ध, अनियमितता के सम्बन्ध में 44 आरोप लगाये हैं। क्या इन आरोपों को देखते हुए, इसकी जांच विभाग के अधिकारियों से न करा कर विजीलेंस से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह —

मान्यवर, जो शिकायतें हैं 44, उनके नेचर तो हैं बहुत गम्भीर, लेकिन उसको अगर सम्मानित सदस्य गम्भीरतापूर्वक जांच करवा दें, तो जिस प्रकार की वह जांच चाहते हैं अवश्य करा दी जायगी। मान्यवर, जांच अधिकारी वहां पर गये, सम्मानित विधायक से वह सम्पर्क स्थापित करना चाहे, लेकिन सम्पर्क स्थापित नहीं हो सका।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, उन्होंने स्वयं सम्पर्क नहीं स्थापित किया।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, माननीय विधायकों के पास उनके प्रोग्राम की कौन सी सूचना है, ताकि वह वहां पर खड़े रहें ? क्या जांच अधिकारी ने कोई माननीय सदस्य को सूचना दी कि अमुक दिन वह जांच करने के लिए जा रहे हैं ? मान्यवर, 44 गम्भीर आरोप हैं, जिसमें लाखों रुपये की अनियमितता के सम्बन्ध में 15 माननीय विधायकों ने शिकायत दिया है। अभी तक वह अधिकारी भी वहां पर मौजूद है, और जांच भी विभागीय अधिकारी द्वारा ही कराई जा रही है, जिससे किसी निष्पक्ष जांच की सम्भावना नहीं है। ऐसी स्थिति में उस अधिकारी को वहां से हटाकर निष्पक्ष जांच कराने की कृपा करेंगे, ताकि सही जांच हो सके ?

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, जांच अधिकारी वहां पर गये, उन्होंने लिखित तो कोई सम्मानित सदस्यों की सूचना नहीं दी, लेकिन इतना सत्य है कि उन्होंने सम्मानित सदस्यों से सम्पर्क स्थापित करना चाहा, अपने अधिकारियों के जरिये से उनको बुलाना चाहा, लेकिन वह नहीं मिले। तो मान्यवर, जब तक सम्मानित सदस्य से हमारे अधिकारी ग्र0 प0 सम्पर्क स्थापित न कर लें, तो उस समय तक तो जांच अधूरी रहेगी। तो जब सम्मानित सदस्य स्वयं थोड़ी गम्भीरता देखेंगें उन आरोपों के सम्बन्ध में तो निश्चित ही जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, कार्यवाही की जायगी।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सम्मानित सदन में स्वीकार किया कि जांच अधिकारी जांच करने गये, लेकिन जिन सम्मानित सदस्यों ने वह कम्प्लेंट दिया था, उनको कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। मान्यवर, सम्मानित सदस्यों को या तो अधिकारी रद्दी की टोकरी में पड़ा हुआ या सड़क पर घूमता हुआ व्यक्ति समझता है। मान्यवर, वह अधिकारी अगर ऐसा समझता है, तो सम्मानित सदस्यों की यह अवमानना है।

मैं जानना चाहता हूं कि जब उन्होंने शासन को बताया कि वे गये और उन्होंने लिखित सूचना नहीं दी तो उस अधिकारी से शासन इस बात का क्या जवाब तलब करेगा कि उन्होंने जाने से पूर्व सूचना क्यों नहीं दी कौन से कारण हैं ? या यह सोचकर गये थे कि माननीय सदस्य सड़क पर मिल जायेंगे और कौन से साधन थे जिनके द्वारा उन्होंने माननीय सदस्य से सम्पर्क करने का प्रयास किया ?

श्री यशपाल सिंह—

सम्मानित सदस्य को माननीय सदस्यों के सम्मान की जितनी चिन्ता है उससे कम निश्चित रूप से मुझे नहीं है। जब मेरे सामने अन्तरिम रिपोर्ट आयी 44 आरोपों में से 40 के सम्बन्ध में आया कि कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो मैंने उनसे निश्चित प्रश्न किया कि सम्मानित सदस्यों से सम्पर्क स्थापित किया गया तो उन्होंने बताया कि लिखित तो नहीं लेकिन मैंने प्रयास किया था सम्मानित सदस्यों से सम्पर्क स्थापित करने का मैंने आदेश दिया है कि सम्मानित सदस्यों को लिखित रूप में समय दिया जाय और वहां जाकर बातचीत करने के बाद जो आरोप सिद्ध हो उसकी कार्यवाही की जाय।

श्री भीखा लाल—

मैं यह जानना चाहता हूं कि शिकायती-पत्र 15 विधायकों ने दिसम्बर 1981 में दिया था। मैं जानना चाहता हूं कि शिकायती-पत्र देने के फौरन बाद जांच के आदेश दिये गये या प्रश्न करने के बाद आदेश दिये और किस तारीख को दिये गये ?

श्री यशपाल सिंह—

11 जनवरी, 1982 को शासन के आदेश हुये तुरन्त जांच के और मई 1982 में जांच अधिकारी मुकर्रर कर दिये गये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, इस अधिकारी के सम्बन्ध में जानना चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं कि इसके ऊपर 44 आरोपों के पहले जब यह बनारस में थे तो वहां इनके विरुद्ध फाइल चल रही है। देवरिया में थे वहाँ फाइल चल रही है। 18 लाख रुपया मरम्मत के लिये दिया वह सारा पैसा यह हड़प गया और फर्जी बाउचर बनाकर भुगतान करवा दिया। यह क्लास (1) के अधिकरी है। शासन की नीति के अनुसार ऐसे अधिकारी को अपने जनपद या डिवीजन में नहीं रहना चाहिए। हरिकृष्ण नाम के कोई अधिकारी हैं डायरेक्ट्रेट में जिनके यहां पत्रावलियां दबाई गई हैं। क्या माननीय मंत्री जी शासन की नीति को ध्यान में रखते हुए इन्हें तुरन्त वहां से हटाने का आश्वासन दें और जो 18 लाख रुपये का मामला इन अरोपों के अतिरिक्त है वे सारे कागजात सील करवाकर 6 महीने के अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह—

इस समय मेरे सामने 44 आरोप हैं। उसके पहले क्या आरोप है सम्मानित सदस्य को कष्ट तो होगा ही वे मेरे कमरे में आकर उन तफसीलों को बता दें उनको देखकर जो सख्त से सख्त कार्यवाही होगी, की जायेगी।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, यह देखते हुए कि दिसम्बर, 1981 में माननीय 15 विधायकों ने इस सम्बन्ध में शिकायत की। शासन ने जनवरी में मामले की इन्क्वायरी करने का आदेश दे दिया। परन्तु उसके बाद भी 5 महीने शासन के आदेशों की अवहेलना होती रही। तो यह जो 5 महीने की डिले हुई इसके लिए जो अधिकारी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह—

जो भी अधिकारी जिस स्टेज पर दोषी पाया जायगा उसके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्यवाही की जायगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि 44 आरोपों में से 40 आरोप सही नहीं पाये गये और 4 आरोप सही पाये गये । तो जो आरोप सही साबित पाये गये उस सम्बन्ध में अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? दूसरी बात यह है कि शासन के स्पष्ट आदेश हैं कि माननीय सदस्य से सम्पर्क किया जाय लेकिन जांचकर्त्ता ने माननीय सदस्यों से सम्पर्क स्थापित नहीं किया । तो मैं जानना चाहता हूं कि जांचकर्त्ता के खिलाफ इस आदेश की अवहेलना करने के लिये क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, संभवतः सम्मानित सदस्य मेरे उत्तर को सुनने में भ्रम कर गये हैं। मैंने यह नहीं कहा कि आरोप सिद्ध हो गए हैं। मैंने कहा कि 44 आरोप हैं और जो अन्तरिम रिपोर्ट आयी है उसके आधार पर 40 आरोप निराधार पाये गये हैं। चार आरोपों के बारे में जांच जारी है। दूसरी चीज जो माननीय सदस्य ने सम्पर्क स्थापित करने के सम्बन्ध में कही तो जिस समय भी मुझको मालूम हो जायगा कि जान-बूझकर मेरे अधिकारी ने माननीय सदस्य की अवहेलना की है तो तुरन्त कार्यवाही की जायगी । अभी इस तरह की बात नहीं है उनको आदेश दिया गया है कि सम्मानित सदस्य को निश्चित तारीख दें और संम्पर्क स्थापित करें ।

(श्री माधव प्रसाद का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । जिस अधिकारी के खिलाफ यहां पर चर्चा चल रही हो वह अधिकारी क्या दीर्घा में बैठ सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं । प्रश्नों में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता ।

श्री जसवंत सिंह विष्ट—

मान्यवर, क्या वहां का अधिकारी यहां पर बैठ सकता है जिसके बारे में यहां पर चर्चा हो रही है ?

श्री अध्यक्ष—

आपको मैंने आज्ञा नहीं दी है । आप बैठें ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, इस सिलसिले में व्यवस्था दी जा चुकी है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें ।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय, जिस व्यक्ति के खिलाफ यहां चर्चा हो रही है क्या उस अधिकारी को यहां पर बैठने की अनुमति दी जा सकती है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(शोर)

श्री प्रियदर्शी जेतली—

माननीय, यह गम्भीर बात है ।

श्री अध्यक्ष—

कृपया बैठें । जब अध्यक्ष खड़े हों तो कृपापूर्वक आप लोगों को बैठ जाना चाहिए और जहां तक प्रश्न के सम्बन्ध में चर्चा का सवाल है, उसमें किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं होती है ।

श्री माधव प्रसाद—

माननीय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन सम्मानित 15 विधायकों ने 44 आरोप उक्त अधिकारी के खिलाफ लगाये हैं, तो उन 44 आरोपों में से मुख्य-मुख्य आरोप क्या हैं, क्या माननीय मन्त्री जी उन आरोपों को सदन के समक्ष पढ़ने की कृपा करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

माननीय, अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि बनारस और देवरिया के मामले क्या हैं ? तो मैं बताना चाहूंगा कि उन 44 आरोपों में वह सब कुछ मौजूद है, हमने उन सबका जिक्र किया है और वह फाइल माननीय मन्त्री जी के पास उपलब्ध है । वाराणसी, मिर्जापुर और देवरिया में क्या-क्या हुआ, सबका उल्लेख है । इसके अलावा 18 लाख रु0 जो सरकार की ओर से दिया गया था, उसका भी उसमें उल्लेख है और विशेषकर इस मामले में वहां के तमाम कर्मचारी गवाहान हैं, तो माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या उस डिप्टी डायरेक्टर को जो वहां पर ढाई तीन साल से हैं और उनके वहां पर रहने से जांच प्रभावित होगी, तो जांच की गम्भीरता को देखते हुए क्या उनको वहां से हटाकर जांच निष्पक्ष रूप से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह—

माननीय, माननीय सदस्य ने जैसा कि इस पक्ष में कहा मैं उनका आह्वान कर रहा हूं, हमारे अधिकारी तारीख सुनिश्चित करेंगे और उस तारीख को वहां पर माननीय सदस्यगण मिलें, तब सारी... ..।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके बैठें, अभी माननीय मंत्री जी का उत्तर समाप्त नहीं हुआ है, क्यों शोर मचाते हैं आप लोग ।

श्री यशपाल सिंह—

माननीय सदस्य ने जो मौलिक प्रश्न उठाया है, इस सम्बन्ध में शासन के रूल्स क्या हैं कि उस डिवीजन में सम्बन्धित अधिकारी रह सकते हैं या नहीं इसको दिखवा लेंगे, यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से कल ही उनके आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जांच अधिकारी का पद और नाम क्या है और कब से उन्होंने जांच को गति दी है ?

श्री यशपाल सिंह—

जांच अधिकारी ने जांच मई 1982 में शुरू की और मई 1982 में ही यह मामला उनको सुपुर्द हुआ था। उनका नाम श्री हरीकृष्ण है और यह ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। यह सूचना मैं सदन को पहले भी दे चुका हूं।

शिक्षा संस्था में कार्यरत प्रधानाचार्य, प्रवक्ता या अध्यापक के विधायक निर्वाचित होने या मंत्री होने, पर वेतन दिए जाने सम्बन्धी नियम

*11—श्री मित्रसेन—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगें कि माननीय विधायकों, मंत्रियों को जो किसी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्था उत्तर प्रदेश में प्रधानाचार्य या प्रवक्ता व अध्यापक के पद पर कार्यरत रहे हैं को दोहरा वेतन देने का सिद्धान्त लागू किया गया है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैंने अपने प्रश्न के माध्यम से यह जानना चाहा था माननीय मंत्री और विधायक, जो किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रवक्ता हैं, क्या उनको दोहरा वेतन-मान लागू किया गया है ? यदि किया है तो इसका औचित्य क्या है ? माननीया मंत्री जी ने उत्तर दिया कि इसका प्रश्न नहीं उठता, उन्होंने "औचित्य" के लिये भी कह दिया कि इसका प्रश्न नहीं उठता। कई माननीय मंत्री और विधायक ऐसे हैं जो सदन के चलते यहां का भत्ता और वेतन भी ग्राह्य करते हैं और वहां का भी भत्ता और वेतन ग्राह्य करते हैं.....।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

(श्री हुकम सिंह का नाम पुकारे जाने पर।)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

हम तो भूतपूर्व हो गये, इसलिये डबल भत्ते का सवाल ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष—

शिक्षा मंत्री जी, आप क्यों बोलती हैं, जब मैंने उनका नाम ले दिया।

श्री हुकम सिंह—

मैं आपका ध्यान मूल प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसे स्वीकार किया है और निदेश दिया है सरकार को उत्तर देने का। इसमें लिखा है कि क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माननीय विधायकों, मंत्रियों को जो किसी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्था उत्तर प्रदेश में प्रधानाचार्य या प्रवक्ता व अध्यापक के पद पर कार्यरत रहे हैं को दोहरा वेतन देने का सिद्धान्त लागू किया गया है? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है? इसमें दो प्रश्न उठते हैं, प्रथम तो यह कि क्या दोहरा वेतनमान देने का सिद्धान्त लागू किया है या नहीं?

श्री अध्यक्ष—

जो आप कह रहे हैं, वह तो लिखा ही है, आप प्रश्न करें।

श्री हुकम सिंह—

मेरा प्रश्न यह है कि क्या कुछ विधायक या मंत्री ऐसे हैं या नहीं जो कि अध्यापक भी हैं, प्रधानाचार्य भी हैं और यहां भी वेतन ले रहे हैं और वहां से भी वेतन ले रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

इसका कोई सवाल नहीं उठता, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

(घोर व्यवधान)

श्री हुकम सिंह—

सवाल उठता है, मान्यवर।

(घोर व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप इस बात पर विचार करेंगीं कि क्या शिक्षा के नियमों में इस तरह के भी नियम हैं कि अगर एक प्रधानाचार्य या कोई प्रोफेसर या कोई लेक्चरार अपनी सेवा की अवधि में एम0 एल0 ए0 इलेक्ट हो जाय या मंत्री परिषद् में चला जाय तो उसके बावजूद भी उसको दोनों जगहों का भत्ता व वेतन मिलता रहेगा? यदि ऐसा कोई नियम है तो उसको परिवर्तन करने की कृपा करेंगी जिससे कि वह दो जगह से भत्ता व वेतन न ले?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, हमारे रियासत हुसैन भाई के पास एक इक्का है तो मेरे पास तीन इक्के हैं। आपके प्रश्न का पहिले ही हम लोग हल निकाल चुके हैं, मेरे कहने का तात्पर्य यह है।

श्री अध्यक्ष—

माननीया शिक्षा मंत्री, आप प्रश्न का उत्तर ठीक प्रकार से दें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

माननीय रियासत हुसैन के प्रश्न के उत्तर में पहिले ही हमारी एक विज्ञप्ति 26 अप्रैल, 1982 को निकल चुकी है, कृपा करके आप उस पर गौर फरमायें।

श्री रियासत हुसैन —

(संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपको नहीं माननीय रियासत हुसैन को बुलाया है।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का आशय यदि इन मन्त्री जी की समझ में आ गया है तो फिर यह जवाब दे दें।

श्री अम्मार रिजवी --

मान्यवर, जो प्रश्न माननीय रियासत भाई ने पूछा है, उसके दो भाग हैं। पहला यह कि जो विधायक यहां पर विधायक की हैसियत से कार्य कर रहा है और साथ ही साथ वह अपने पद अध्यापक की हैसियत से वह तनख्वाह ले रहा है तो उसके सम्बन्ध में मौजूदा स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नियम बना दिया है कि वह तनख्वाह सिर्फ एक जगह से ले सकता है चाहे यहां ले ले या वहां ले।

दूसरी चीज जो है वह प्रधानाचार्य के सम्बन्ध में है। उसके लिये पहले भी प्राविधान था कि यदि वह मन्त्रिपरिषद् में है तो तनख्वाह उसे यहां से मिलेगी परन्तु प्रधानाचार्य के पद पर वह वह कार्य कर सकता है परन्तु वहां से किसी प्रकार का भत्ता या तनख्वाह नहीं ले सकता है।

*12—श्री भीखा लाल—

[11वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री जय पाल सिंह, प्रधानाचार्य महात्मा गांधी स्मारक इण्टर कालेज, स्पेख, मथुरा का प्रबन्ध समिति द्वारा निलम्बन

*13—श्री बदन सिंह —

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि (श्री जयपाल सिंह) महात्मा गांधी स्मार इण्टर कालेज, स्पेख, जनपद मथुरा को वहां के मैनेजर प्रबन्ध समिति द्वारा सन 1976 में निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो उस निलम्बन का आधार क्या था ? क्या यह सही है कि उक्त निलम्बन के विरुद्ध प्रधानाचार्य ने 1978-79 में शिक्षा उप निदेशक आगरा मण्डल के यहां अपील की है ? उस पर अभी तक निर्णय न होने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

–जी हां, श्री जयपाल सिंह प्रधानाचार्य को प्रबन्ध समिति द्वारा अप्रैल 1976 में निलम्बित किया गया था। निलम्बन का आधार मुख्यतः विद्यालय की निधियों के दुरुपयोग एवं गबन आदि के आरोप थे। यह सही नहीं है कि निलम्बन के विरुद्ध 1978-79 में प्रधानाचार्य ने उप शिक्षा निदेशक, आगरा मण्डल के यहां अपील की थी। वस्तुतः उन्होंने अपनी सेवा समाप्ति सम्बन्धी जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा के आदेश के विरुद्ध अपील की थी जिस पर दिनांक 23-8-82 को निर्णय दे दिया गया है।

श्री बदन सिंह—

उन सम्बन्धित प्रधानाचार्य ने किन-किन निधियों का दुरुपयोग किया था और गबन की धनराशि क्या है जिसके विरुद्ध उनका निलम्बन किया गया है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी –

मान्यवर, उनके ऊपर आरोप था, यह मैंने नहीं कहा कि उन्होंने गबन किया है। उनके ऊपर गबन का आरोप था और इसलिये प्रबन्ध समिति ने उनको आरोप-पत्र दिया था।

श्री पंचानन राय

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगी कि जब जिला विद्यालय निरीक्षक को ही इस पर निर्णय देने का अधिकार है तो उप शिक्षा निदेशक को अपील करने का उनकी सुनवाई करने का क्या प्रश्न है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

इसके विरुद्ध अपील की थी डाइरेक्टर के यहाँ। उप शिक्षा निदेशक को अपील सुनने का अधिकार दिया गया था।

श्री भीखा लाल—

शासन का ऐसा सामान्य नियम है कि अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी का निलम्बन किया जाय तो अग्रिम कार्यवाही 6 महीने में पूरी कर ली जाय अन्यथा वह निलम्बन स्वतः समाप्त हो जाता है और वह सामान्य नियम अर्द्धसरकारी और सरकार से मान्यता प्राप्त सभी संस्थाओं पर लागू होता है तो 1976 से 1982 तक क्यों नहीं इस नियम के अनुसार कार्य किया गया?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

इसके लिये क्या नियमावली है अगर आप अलग से प्रश्न पूछें तो उचित उत्तर मिलेगा।

यू० पी० जिला बोर्ड अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों का, जिला परिषद्, बाराबंकी के डाक बंगलों में रहने वालों के साथ पालन

*14—श्री श्यामलाल बाजपेयी—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री प्रथम सत्र 1982 के लिए निर्धारित प्रथम सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या–20 के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 जिला बोर्ड

अधिनियम, 1922 की धारा 174 के तहत जिला परिषद् बाराबंकी के बने नियमों का पालन बाराबंकी जिला परिषद् डाक बंगले में रहने वालों के साथ किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां।

उत्तर प्रदेश जिला बोर्ड अधिनियम 1922 की धारा 174 की उप धारा–2 के तहत बनायी गयी उप विधियों की धारा–7(एक)के तहत नियमों का पालन जिला परिषद् द्वारा डाक बंगलों में रहने वालों के साथ किया जा रहा है।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

माननीय मंत्री जी के विभाग के अधिकारियों द्वारा जिस चीज का निर्णय लिया जा चुका है ? क्या उनके विभाग वाले विधान सभा के साथ मजाक ही करते रहेंगे? मान्यवर, मैं बाराबंकी का विधायक हूं और मेरी निश्चित जानकारी है कि 12-13 वर्षों से जिला परिषद के अधिकारियों ने अपना अड्डा जमा रखा है। जिस नियम का हवाला दिया गया है.. ।

श्री अध्यक्ष—

आप कहना क्या चाहते हैं।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

मेरे कहने का मतलब यह है कि उनके अधिकारियों ने जो कहा है वह बिलकुल गलत कहा है।

नियमों के अनुसार केवल जिला परिषद् का अध्यक्ष हर से हर 15 दिन की अनुमति दे सकता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो लोग 12-13 वर्षों से रह रहे हैं, नियमों को पुनः देखते हुए क्या उनको हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, नियमों को पुनः दिखवा लिया जाएगा और अगर हमारे अधिकारियों की तरफ के नियमों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो निश्चित ही कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष—

तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 14 के बाद तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

प्रदेश में छात्रों से लिये जाने वाले शिक्षा शुल्क में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में जानकारी

*15--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में विभिन्न स्तर के छात्रों से लिए जाने वाले शिक्षा शुल्क में बढ़ोत्तरी करने पर विचार कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं।

बलवन्त विद्यापीठ रूरल इन्स्टीट्यूट, विचपुरी, आगरा की आडिट

*16-श्री रियासत हुसैन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा इलाहाबाद के आदेशानुसार बलवन्त विद्यापीठ रूरल इंस्टीट्यूट विचपुरी, आगरा का आडिट जुलाई 1981 में किया गया था जिसमें अनेक अनियमितताएं पायी गयी थीं ? यदि हां, तो वे अनियमितताएं क्या थीं ? तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां। मुख्य आपत्तियों का संक्षिप्त विवरण संलग्न है। आपत्तियों के सम्बन्ध में प्राचार्य तथा प्रबन्धक से अनुपालन आख्या मांगी गई है जो अभी प्राप्त नहीं हुई है।

उक्त आडिट आंशिक रूप से सम्पन्न किया जा सका था। अतः उच्च शिक्षा निदेशक ने अवशेष लेखों के जाँच के आदेश दिये हैं।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 1548 पर)

ग्राम सभाओं के चुनाव में मतदाता की अंगुली में स्याही लगाने का प्रस्ताव

*17-श्री राजकुमार राय --

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिस प्रकार चुनाव आयोग द्वारा किए गये चुनावों में मतदाता की अंगुली में स्याही लगाने का प्राविधान है उसी प्रकार 1982 के ग्राम सभाओं के चुनाव में स्याही का प्रयोग क्यों नहीं किया गया ? क्या सरकार इन चुनावों में भी उपर्युक्त प्रक्रिया अपनाने पर विचार करेगी ?

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

विधान सभा और लोक सभा चुनावों से सम्बन्धित विधि में अमिट स्याही के प्रयोग का प्राविधान है, परन्तु ऐसा कोई प्राविधान गांव पंचायतों के निर्वाचन से सम्बन्धित अधिनियम अथवा नियमों में नहीं है।

आगामी सामान्य निर्वाचन के लिये इस सम्बन्ध में यथा समय विचार कर लिया जाएगा।

*18—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[5 वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

लखनऊ जनपद के राजकीय कृषि रक्षा भण्डारों के अभिलेखों का दायित्व

*19—श्री खैरुल बशर —

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के समस्त राजकीय कृषि रक्षा भण्डारों पर कृषि रक्षा सम्बन्धी रसायनों एवं मशीनों केअतिरिक्त उनके लेखा-जोखा सम्बन्धी अभिलेख रखे जाते हैं ? यदि हां, तो लखनऊ जनपद के राजकीय कृषि रक्षा भण्डारों पर रखे जा रहे उन अभिलेखों के निरीक्षण का दायित्व किसको सौंपा गया है ?

श्री यशपालसिंह—

जी हां।

लखनऊ जनपद के राजकीय कृषि रक्षा भण्डारों पर रखे जा रहे अभिलेखों के निरीक्षण का सीधा दायित्व कृषि रक्षा अधिकारी लखनऊ का है।

जालौन जिला परिषद्, (उरई) कार्यालय में अग्नि कांड

*20—श्री दलगंजन सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि माह मई, 1982 में जालौन जिला परिषद् स्थान उरई के कार्यालय में आग लगने से सैकड़ों फाइलें जलगयी थीं? यदि हां, तो आग लगने के क्या कारण थे ? क्या उक्त फाइलें एकीकृत ग्राम विकास स्पेशल हरिजन कम्पोनेंट सरकारी ऋण व अनुदानों से सम्बन्धित थीं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। आग माह मई में नहीं बल्कि 26 अप्रैल, 1982 की रात्रि में लगी थी जिसकी सूचना उसी समय पुलिस में दर्ज कराई गई है। पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। जांच पूर्ण होने पर ही कारणों का पता लगेगा।

आग से नष्ट हुई फाइलें एकीकृत ग्राम विकास एवं स्पेशल हरिजन कम्पोनेन्ट योजना से सम्बन्धित नहीं थी बल्कि अन्त्योदय/स्थानीय विकास योजना एवं कांजी हाउसों के अभिलेख से सम्बन्धित थी।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में फसल बीमा योजना लागू किए जाने पर विचार

** 1—श्री मित्रसेन तथा श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में फसल बीमा योजना अंतिम रूप से कब तक लागू कर दी जायेगी और इसकी रूप रेखा क्या होगी ?

श्री यशपाल सिंह—

अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि फसल बीमा योजना प्रदेश में कब से लागू कर दी जायेगी क्योंकि इसकी रूप रेखा के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मंत्री जी ने तो यह अनिश्चित कर दिया। विगत सत्र में यह स्वीकार किया गया था और अखबारों में भी घोषणा की गई थी कि जल्दी से जल्दी फसल बीमा योजना लागू कर दी जाएगी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस योजना पर विगत कितने दिनों से विचार किया जा रहा है और अभी कितने दिनों तक विचार किया जाएगा ? अन्तिम रूप से शासन इस योजना को कब तक लागू करेगा ?

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, जिस घोषणा का सम्मानित सदस्य ने जिक्र किया, वही मैं भी कह रहा हूं। बहुत जल्दी ही इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। इस योजना के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है और सम्मानित सदस्य यदि उस संबंध में अपने कुछ विचार देना चाहें तो एक सप्ताह के अन्दर दे दें ताकि उनके ऊपर भी विचार कर लिया जाए और तदुपरान्त शासन उसको शीघ्रता से लागू कर देगा।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में सरकार कब से विचार कर रही है और अन्तिम निर्णय सरकार कब तक ले लेगी ?

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, निश्चित तिथि से अवगत कराना तो संभव नहीं है। इतना ही कहा जा सकता है कि शीघ्रातिशीघ्र इसको लागू कर दिया जाएगा।

श्री शम्भूनाथ—

चूंकि फसल बीमा योजना किसानों के हित के लिए है, इसलिये क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितने महीने में इसको लागू कर दिया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं देता हूं, इसका उत्तर उन्होंने दे दिया है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि योजना के जिन पहलुओं पर विचार किया जा रहा है, वे कौन से पहलू हैं ?

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, यदि सम्मानित सदस्य हमारे पहलुओं को न सुनकर अपने पहलू दे दें तो हमको आसानी हो जाएगी।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मेरा सवाल यह है कि मंत्री जी ने कहा कि इस योजना के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है, तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह विभिन्न पहलू कौन से हैं ? उन्होंने यह भी कहा है कि सदस्यगण अपने विचार देना चाहें तो दे दें। तो पहले वे यह तो बता दें कि विभिन्न पहलू कौन से हैं ?

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, विशेष तौर से मैं सम्मानित सदस्य के सामने 2-3 बिन्दु लाना चाहता हूं। पहला यह कि क्या इसको प्रदेश में स्वेच्छा से प्रारम्भ किया जाए ? किसानों की स्वेच्छा पर रख दिया जाये या लाजमी कर दिया जाये, पूरे प्रदेश में लागू किया जाये या कहीं कहीं लागू किया जाये, जो व्यक्तिगत लास हो उसकी जांच के लिये कौन सी एजेन्सी हो, इसी प्रकार के प्रश्न विचाराधीन हैं।

श्री रियासत हुसैन—

यह तो माननीय मंत्री जी ने विचार के बिन्दु बताये, मेरा प्रश्न यह है कि सन् 1978 के सैलाब और 1979 के सूखे के बाद जनता पार्टी की सरकार ने भी इसकी घोषणा की थी और माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने भी यह घोषणा की थी कि फसल का बीमा किया जायेगा, यह स्कीम लागू की जायेगी, तो क्या-क्या कठिनाइयां हैं जिनके कारण आप पंजाब और हरियाणा की तरह इसे लागू नहीं कर पा रहे हैं ?

श्री यशपाल सिंह—

जब कई तरह के विचार आते हैं तो यह तय करना पड़ता है कि किसे स्वीकार किया जाये, जब अंतिम रूप से निश्चित हो जायेगा, इसे लागू कर दिया जायेगा। जो माननीय सदस्यों को चिन्ता है उसको ध्यान में रखते हुये मैं इतना आश्वासन देना चाहता हूं कि इसमें जितना विलम्ब वे समझ रहे हैं, उतना विलम्ब नहीं होगा, जल्दी ही इसे लागू कर दिया जायेगा। अगर सम्मानित सदस्यों के भी विचार हमारे सामने आ जायें तो हमें मदद मिलेगी।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मैं यह जानना चाहता हूं कि किन किन बिन्दुओं पर विचार हो रहा है और कितने बिन्दुओं पर विचार पूरा हो गया है और वे कौन कौन से बिन्दु हैं ?

श्री अध्यक्ष —

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं, यह व्यापक है।

श्री मित्रसेन—

इस बीमा योजना में किन-किन फसलों को सम्मिलित किया जायेगा, क्या पहाड़ी फलों की फसलों को भी इसमें सम्मिलित करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह—

इन सभी बिन्दुओं पर तो विचार कर रहे हैं।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पहाड़ों पर सेव, नीबू आदि के फल हैं, क्या उनको भी इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित कर रहे हैं, यदि नहीं तो क्या सम्मिलित करने की कृपा करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह—

मैं एक बार माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं। हमारे जो विरोधी दल के नेता हैं, वह कोई तारीख 15 तारीख के लगभग निश्चित कर लें, 14 तक मुझे अवकाश नहीं है। उस मीटिंग में मैं विरोधी दल के सम्मानित सदस्यों की राय इस पहलू पर जान लूंगा और तब अपना निर्णय लूंगा।

श्री छत्तर सिंह—

फसल बीमा योजना पर विचार किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसमें किस स्तर के अधिकारी हैं ? क्या उसमें विधायक भी हैं ?

श्री हुकम सिंह—

मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी कोई पिटारा रख कर आये हैं और हमारे बोलने का इन्तजार कर रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पड़ोसी प्रदेशों में यह योजना वर्षों से लागू है। यदि सरकार ने वहां की योजना का अध्ययन किया है तो क्या आपकी योजना में कोई मौलिक मतभेद है या उसी आधार पर लागू करने जा रहे हैं ?

श्री यशपाल सिंह—

इससे इनकार नहीं है।

रामगंगा परियोजना के अन्तर्गत पक्की गूलों पर किये गये व्यय की वसूली

*2—श्री बदन सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि रामगंगा परियोजना के अन्तर्गत बनाई जाने वाली पक्की नहरी गूलों (नालियों) पर किया जाने वाला व्यय प्रदेश के किसानों से वसूलने का निर्णय शासन ने अभी हाल में लिया है ? यदि हां तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

रामगंगा परियोजना के अन्तर्गत बनाई जाने वाली पक्की गूलों (नालियों) पर किये जाने वाले व्यय के सम्बन्ध में ऐसा कोई निर्णय शासन ने अभी हाल में नहीं लिया है।

श्री बदन सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि गूलों पर किए जाने वाले व्यय की वसूलयाबी का निर्णय हाल ही में लिया गया है या कुछ समय पूर्व लिया जा चुका है ?

श्री यशपाल सिंह—

अभी तो पहले का ही निर्णय जारी है। नया निर्णय तो लिया गया नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब किसान अपने खेतों को पानी ले जाता है तो उससे सिंचाई टैक्स लिया जाता है। खेतों तक पानी पहुँचाने की जिम्मेदारी उस एजेन्सी की है तो पानी खेत तक पहुंचाने के साधन हैं तो उनका देय किसानों पर कैसे आता है ?

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, प्रश्न यह है कि पानी देने की जिम्मेदारी किसकी है। जिम्मेदारी शासन की है, कितनी जिम्मेदारी है, मान्यवर कुलाबे तक। कुलाबे से आगे किसानों की जिम्मेदारी हो जाती, है कि वह पानी अपने खेतों में ले जाये। किसानों की हालत को ध्यान में रख कर ही निर्णय लिया गया कि कच्ची गूलों को सरकार बना दे।

और मान्यवर, जो भी प्रोवीजन है वह उस कमान्ड एरिया के कृषकों से सम्पर्क करके ही नहीं बल्कि उनकी राय के आधार पर हुआ है।

श्री धनीराम वर्मा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि गूलों के बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि नहर का पानी बरबाद न हो और जो कट जाता है या जिसे जमीन सोख लेती है जिससे अधिक पानी बढ़ सके और अधिक सिंचाई हो सके और अतिरिक्त पैसा वसूल हो सके।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें, आप तो सुझाव दे रहे हैं।

श्री धनीराम वर्मा—

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि जो अतिरिक्त बढ़े हुये पानी से अतिरिक्त सिंचाई की वसूली की जाती है तो फिर किसानों से गूलों का निर्माण खर्च लिये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, जितनी भी नीतियां चल रही हैं, वह कृषकों के हित में चल रही हैं। 1979-80 के बाद 1980-81 से जो व्यय इस प्रकार का गूलों में आता है उसका 50 प्रतिशत सरकार वहन कर रही है सेन्ट्रल गवर्नमेंट करती है। जो शेष 50 प्रतिशत हैं उसके लिये जाने का प्रावीजन है और उसमें भी जो हमारे स्माल और माध्यमिक फार्मर्स हैं उनके लिये छूट है। 25 प्रतिशत स्माल फार्मर्स के लिये और 33 प्रतिशत मार्जिनल फार्मर्स के लिये छूट है।

श्री किरनपाल सिंह—

माान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि जो नालियां बन रही हैं ये बिना सीमेन्ट के बनायी जाती हैं और तब 50 प्रतिशत खर्चा किसानों से वसूल किया जा रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इनके रख रखाव की किसके ऊपर जिम्मेदारी है? क्या माननीय मंत्री जी इनके मैन्टीनेन्स की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने का आश्वासन देंगे?

श्री यशपाल सिंह—

माान्यवर, आश्वासन तो नहीं, लेकिन विचार कर लिया जायेगा।

श्री बदन सिंह—

जो नहरें गूल तक पक्की करवाई जा रही हैं, उनका एलाइन्मेंट गलत है। अब नीचे स्थानों पर गूलें बनाई जा रही हैं। पहले किसान ऊचे स्थान पर गूल बनाता था और सब जगह पानी पहुंच जाता था। तो क्या अब माननीय मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि नहर विभाग में उचित एलाइनमेंट करने के लिए रामगंगा वालों को साथ में रखेंगे?

दूसरा प्रश्न ...

श्री अध्यक्ष—

एक बार में एक ही सवाल हो सकता है।

श्री यशपाल सिंह—

माान्यवर, एलाइनमेंट का जहां तक सवाल है वह बहुत सोच समझ कर रखा जाता है और यदि कहीं पर शिकायत मिलती है कि एलाइनमेंट गलत हुआ है तो उसको सही करा दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

(अतारांकित प्रश्न)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) वेतनक्रम में अनुसूचित जाति का कोटा

*2—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन स्तर पर शिक्षा (2) अनुभाग तथा विभाग स्तर पर शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

वेतनमान में अनुसूचित जाति का निर्धारित कोटा पूर्ति हेतु शासनादेश संख्या 5-एस0-सी0/-2बी0/303-64, दिनांक 19 मार्च, 1964 के अनुच्छेद 2 के अनुसार क्या-क्या प्रयास किए हैं और अपने प्रयासों से उन्होंने 25 सितम्बर, 1981 से कितना कोटा बढ़ाया है ? तथा शासन स्तर पर तथा निदेशालय स्तर पर उक्त वेतनमान के समस्त कार्यों को देखने वाले कितने-कितने अधिकारी और कर्मचारी अनुसूचित जाति के कार्यरत हैं और नहीं तो इसका क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

शासनादेश संख्या 5-एस0 सी0/2-बी-303-64, दिनांक 19 मार्च, 1964 के अनुच्छेद 2 के निर्देशों के अनुसार अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) वेतनक्रम में अनुसूचित जाति का निर्धारित कोटा पूर्ति हेतु शासन द्वारा समय समय पर आदेश जारी किये गये। फरवरी 1981 में शासन द्वारा अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को यह दायित्व सौंपा गया कि वह अधीनस्थ शिक्षा/एल0टी0 के वेतनमान के पदों [जिससे अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) के पदों पर प्रोन्नति की जाती है] पर कार्यरत कर्मचारियों के स्थाईकरण के मामले को देखें ताकि अस्थाई पदधारकों को शीघ्र स्थाई करके उनकी प्रोन्नति की जा सके। फलस्वरूप 2 प्रतिशत कोटा अध्यापन शाखा (पुरुष) में बढ़ा। शासन स्तर तथा निदेशालय स्तर पर इस हेतु कोई अनुसूचित जाति का अधिकारी कर्मचारी कार्यरत इस समय नहीं है। अनुसूचित जाति का कोटा संपूर्ण निदेशालय में प्रथम नियुक्ति/प्रोन्नति पर सामान्य रूप से लागू होता है। वितरण अनुभाग के अनुसार नहीं होता है।

देव दरबार आश्रम इण्टर कालेज, संडीला, हरदोई में वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति के विरुद्ध कार्यवाही

*3—श्री हरीशंकर—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 3रे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-97 के सन्दर्भ में शिक्षा मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या 16 ध के अन्तर्गत नोटिस की तामील हो गयी है ? और प्रबन्ध समिति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी --

सूचना एकत्र की जा रही है।

हरदोई जनपद के ग्राम दहेलिया में पशु सेवा केन्द्र का निर्माण

*4— श्री हरीशंकर—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, हरदोई द्वारा ग्राम दहेलिया ब्लाक हरपालपुर में पशु सेवा केन्द्र का निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव —

पशुपालन विभाग द्वारा उक्त कार्य हेतु भूमि, उपलब्ध न कराये जाने के कारण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

श्री जफर हुसैन के अंक-पत्र भेजने के सन्दर्भ में अतिरिक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद (व्यक्तिगत) को पत्र

*5—श्री हरी शंकर—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जफर हुसैन आदि के अंक पत्र भेजने के सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता का रजिस्टर्ड पत्र अतिरिक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् (व्यक्तिगत) को दिनांक 13-3-82 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गढ़वाल मण्डल के राजकीय हाई स्कूलों व इण्टर कालेजों के अध्यापकों का स्थायीकरण

*6—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल के राजकीय हाई स्कूलों एवं इण्टर कालेजों में कितने अध्यापकों को विभिन्न संवर्गों से अनुमोदन और स्थायीकरण के अभाव में अग्रेतर अराजपत्रित तथा राजपत्रित पदों में पदोन्नति से वंचित वर्ष 1981 में किया गया है और इन अध्यापकों को कब तक स्थायी किया जा रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री सुनहरी लाल प्रधान अध्यापक तथा श्री राम आसरे सहायक अध्यापक प्राइमरी पाठशाला गोहाना मैनपुरी का स्थानान्तरण

*7—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी को प्रश्नकर्ता का मांग-पत्र दिनांक मार्च 18, 1982 का एक प्रार्थना-पत्र श्री सुनहरी लाल, प्र0अ0 व राम आसरे स0 अ0 प्रा0 पा0 गोहाना, वि0 क्षेत्र एका जनपद मैनपुरी के स्थानान्तरण के लिए पंचायत मंत्री उत्तर प्रदेश के माध्यम से दिनांक 18-3-82 का उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अब तक स्थानान्तरण न करने के क्या कारण हैं ? क्या शासन द्वारा सुरक्षा की गर्ज से स्थानान्तरण किए जावेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स व प कुमारी बख्शी—

श्री सुनहरी लाल, प्रधान अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला गोड़ा ना धारा 302 के आरोप में जेल में बन्द रहे जिसके कारण वे निलम्बित चल रहे हैं इसलिये उनका स्थानान्तरण किया जाना संभव नहीं है। जहाँ तक श्री राम आसरे सहायक अध्यापक का संबंध है उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में असुरक्षा की कोई बात नहीं कही है तथा उक्त विद्यालय में श्री राम आसरे ही एक मात्र अध्यापक थे अतः उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया ।

*8—श्री राम आसरे वर्मा—

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 128 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ की प्रबन्ध समित के चुनाव के सम्बन्ध में कार्यवाही

*9--श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के द्वितीय मंगलवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-3 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ द्वारा प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज को पत्र लिखने के उपरान्त भी प्रबन्धक से कोई सूचना प्राप्त न होने की दिशा में सरकार ने उक्त स्कूल के विरुद्ध उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट, 1921 के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कृषि विभाग अभियन्त्रण शाखा के श्रेणी-१ तथा श्रेणी-२ के पदों के वर्गीकरण सम्बन्धी शासनादेश को समादेश क्षेत्र में लागू किया जाना

*10—श्री हरिवंश सहाय—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि अभियन्त्रण शाखा के श्रेणी-1 व श्रेणी-2 में पदों को सेक्शन 'डी0' में रखने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 7905/12/1/80-409/-78, दिनांक 24 फरवरी, 1981 को कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के नाम जारी हुआ है ? यदि हां, तो इस शासनादेश को समादेश क्षेत्रों के श्रेणी-1 तथा श्रेणी-2 के पदों में क्यों नहीं लागू किया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कृषि निदेशक से श्रेणी-1 के 19 पदों को सेक्शन 'डी' में वर्गीकृत करने का कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हाँ !

समादेश क्षेत्रों में जो कृषि विभाग के पद स्थानान्तरित हुये हैं उन पर लागू होता है। जो पद क्षेत्रीय विकास विधान द्वारा सृजित कराये गये हैं वे कृषि विभाग के कैडर में सम्मिलित नहीं हैं अतः आदेश उन पर लागू नहीं होता।

उपरोक्त स्थिति में प्रस्ताव का प्रश्न नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश कृषि सेवा नियमावली के सम्बन्ध में सुझावों पर विचार

*11— श्री हरिवंश सहाय—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश कृषि सेवा नियमावली से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-3-82 को मंत्री एवं सचिव कृषि विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां।

उक्त पत्र में दिये गये सुझावों पर कृषि निदेशक की आख्या मांगी गयी है।

उत्तर प्रदेश कृषि सेवा नियमावली में संशोधन तथा लोक सेवा आयोग का अनुमोदन

*12—श्री हरिवंश सहाय—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि विभाग में नई उत्तर प्रदेश कृषि सेवा नियमावली बनाने हेतु लोक सेवा आयोग को जनवरी, 1982 में अनुमोदन हेतु भेजा गया है ? यदि हां, तो किन कारणों से पुरानी नियमावली बदली जा रही है ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां। नई उत्तर प्रदेश कृषि सेवा नियमावली 1982 बनाकर लोक सेवा आयोग को 25-11-1981 को उनके अनुमोदन हेतु भेजी गयी है।

चूंकि वर्ष 1934 में बनी पुरानी नियमावलियों के अधिकांश अंश असंगत एवं अव्यवहारिक हो गये थे एवं कालान्तर में कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर, गन्ना विभाग पशुपालन विभाग, उद्यान विभाग तथा अन्य शोध संस्थायें विभाजित होकर स्वतन्त्र इकाइयां बन गयी थी और उक्त इकाइयों के पद पुरानी नियमावली में बने रहने के कारण विधिक कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से नयी नियमावली का बनाया जाना आवश्यक हो गया

अंग्रेजी माध्यम से चल रहे विद्यालयों को आई०सी०एस० ई० बोर्ड नई दिल्ली से मान्यता के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र

*13— श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम से चल रहे बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों को आई0सी0 एस0 ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से मान्यता दिए जाने अथवा सम्बद्ध किए जाने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने के सम्बन्ध में कोई नियम बनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों और कब ? क्या सरकार इस

सम्बन्ध में बनाए गये नियमों की प्रति सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो 31 मार्च, 1982 से अब तक (उत्तर की तिथि तक) कितने विद्यालयों के आवेदन-पत्र इस सम्बन्ध में प्राप्त हुए हैं और इनमें से किन-किन विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र शासन द्वारा जारी किए गये हैं और किन नियमों के अनुसार ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

31 मार्च, 1982 से अब तक निम्नलिखित विद्यालयों से प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं:—

1–सेंट कोनार्ड स्कूल आगरा ।

2–असीसी कान्वेंट स्कूल, एटा ।

3–के0पी0 मांटेसरी, खुर्जा ।

4–गुरु तेजबहादुर पब्लिक स्कूल, हलद्वानी ।

अभी किसी विद्यालय को अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं जारी किया गया है ।

*14—श्री गोपीनाथ वर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

गोरखपुर के ग्राम विशुनपुरा मटियरा के अपूर्ण हरिजन पेयजल कूप का निरीक्षण

*15—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद —

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के ग्राम विशुनपुर मटियरा (ब्लाक बरहपुर अन्तर्गत) के अपूर्ण हरिजन पेयजल कूप के निरीक्षणार्थ दिनांक 22-4-1982 को मुख्य विकास अधिकारी श्री एन0एन0 उपाध्याय अपने अन्य सहयोगी अधिकारियों के साथ मौके पर गये थे और कूप को अपूर्ण अवस्था में पाए ? यदि हां, तो इस कूप को कब तक पूर्ण रूप से पूरा करा दिया जायगा ? यदि ऐसा नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

जी हां । निरीक्षण के समय मौके पर 6 फीट व्यास का लगभग 27 फीट गहरा कूप जिसमें 5 फीट गहरा पानी उपलब्ध था, निर्मित पाया गया । जगत निर्माण के अवशेष कार्य को मौके पर उपलब्ध बालू तथा ईटों का उपयोग करते हुए लाभार्थियों को अपने सहयोग से पूरा करने हेतु परामर्श दिया गया है ।

*16—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*17—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*18—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद गोरखपुर के कतिपय विकास खण्डों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत सड़कों तथा पुलियों का निर्माण

*19—श्रीमती गौरी देबी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 व 1981-82 में गोरखपुर जनपद के बांसगांव, खजनी, कौड़ीराम, खोराबार, पिपरौली सहित 31 विकास खण्डों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कितने कि0मी0 सड़कें तथा कितनी पुलियों का निर्माण किया गया ? क्या यह सच है कि जनपद गोरखपुर के कुछ विकास खण्डों में कोई कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

उपलब्ध सूचना के अनुसार गोरखपुर जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड बांसगांव तथा कौड़ीराम सहित कुल 19 विकास खण्डों में 26·35 कि0मी0 सम्पर्क मार्ग 9·9 कि0मी0 खड़न्जा तथा 3·675 कि0मी0 बन्धा का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। वर्ष 1981-82 में विकास खण्ड बांसगांव, खजनी तथा पिपरौली सहित कुल 27 विकास खण्डों में 47.6 कि0मी0 सम्पर्क मार्ग, 3 पुलिया, हरिजन पेयकूप तथा एक सामाजिक बानिकी प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया है। विकास खण्ड कौड़ीराम, खोराबार गगहा, एवं ब्रम्हपुर में 1981-82 में हुए कार्य की प्रगति एकत्र की जा रही है। कौड़ीराम गगहा एवं ब्रम्हपुर में वर्ष 80-81 में योजनान्तर्गत निर्माण कार्य हुआ है। निर्माण कार्य न होने के सम्बन्ध में यदि सूचना प्राप्त होती है तो आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जिला परिषदों के अतिरिक्त मुख्य अधिकारियों के पद के सम्बन्ध में पत्र

*20—श्री राज कुमार राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 1-3-82 जिला परिषदों के अतिरिक्त मुख्य अधिकारियों के पद समाप्त न किए जाने के विषय में मिला था ? यदि हां, तो शासन ने उसमें क्या निर्णय लिया ?

श्री बलराम सिंह यादव

जी हां।

प्रश्नगत मामला अभी शासन के विचाराधीन है।

जूनियर हाई स्कूल मधुवन, आजमगढ़ में चपरासी की नियुक्ति

*21--श्री राज कुमार राय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-2-82 जूनियर हाई स्कूल, मधुवन, जनपद आजमगढ़ में एक चपरासी की नियुक्ति करने के बारे में मिला था ? यदि हां, तो 600 छात्रों पर एक भी चपरासी न देने का क्या कारण हैं ? चपरासी की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

जूनियर हाई स्कूल मधुवन, जनपद आजमगढ़ में छात्र संख्या 568 है। जनपद में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की संख्या फालतू होने के कारण नवीन नियुक्ति नहीं की जा रही है। किन्तु वर्तमान में उक्त विद्यालय में एक चपरासी की तैनाती समायोजन के द्वारा की गई है।

प्राइमरी पाठशाला गोहाना, मैनपुरी का भवन

*22--श्री बाबू सिंह यादव—

क्या शिक्षा मंत्री को विदित है कि जनपद मैनपुरी को बेसिक शिक्षा परिषद् की प्रा0 पाठशाला गोहाना, वि0 क्षेत्र एका का भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में है ? यदि हां, तो शासन द्वारा पाठशाला भवन का कब तक निर्माण कराया जावेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं। प्राइमरी पाठशाला गोहाना विकास क्षेत्र एका का अपना भवन ही नहीं है। ग्राम के पंचायत घर में विद्यालय संचालित है। शासन के पास ज्यों-ज्यों साधन उपलब्ध होते रहते हैं तदनुसार शासन की ओर से भवन होना विद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाता है। निर्मित होने वाले भवनों का चयन जिला शिक्षा परामशेदाओं समिति द्वारा किया जाता है। अतः शासन द्वारा किसी अवधि विशेष का बताना संभव नहीं है।

राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुग्रह पेंशन सम्बन्धी शासनादेश

*23—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या 1 अक्तूबर, 1964 से पूर्व सेवा निवृत्त राज सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को 1-11-1972 से अनुग्रह पेंशन

शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त पेंशन की दर, शर्तें व शासना देश के पूर्ण विवरण क्या हैं ? क्या कर्मचारी के मृत्योपरान्त उसके आश्रित को भी उक्त पेंशन देने की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां। सम्बन्धित शासनादेश सं0 9/1747/पन्द्रह/2007(8)/1972 दिनांक 28-4-1973 की प्रति संलग्न है।

मृत्योपरान्त कर्मचारियों के आश्रितों को पेंशन दिये जाने की व्यवस्था नहीं है।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 1555 पर)

वाराणसी मण्डल में खण्ड विकास अधिकारियों के पद पर पदोन्नति

*24—श्री रामचरण सिंह --

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने का काष्ट करेंगे कि संयुक्त विकास आयुक्त वाराणसी मण्डल, वाराणसी जो वर्ष 1981 में खण्ड विकास अधिकारियों के पद पर पदोन्नतियां की हैं, उनमें वरिष्ठ एवं चरित्रवान उत्तम सहायक विकास अधिकारी की उपेक्षा करके कनिष्ठ सहायक विकास अधिकारियों जिनकी आचरण पुस्तिका एवं पृष्ठ-भूमि अति निम्न स्तर की हैं, पदोन्नतियां कर दी हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

वाराणसी मण्डल में खण्ड विकास अधिकारियों के रिक्त पदों पर मई 1981 में स्थानापन्न नियुक्तियां की गई थी। उपरोक्त व्यवस्था सहायक विकास अधिकारिकों की ज्येष्ठता (अनुपयुक्त सहायक विकास अधिकारियों को छोड़ते हुए) के आधार पर ही की गई थी। यह कहना सही नहीं है कि वरिष्ठ एवं चरित्रवान सहायक विकास अधिकारियों की उपेक्षा करके कनिष्ट सहायक विकास अधिकारियों, जिनकी आचरण पुस्तिका एवं पृष्ठ भूमि अति निम्नस्तर की है पदोन्नति कर दी गई है।

*25—श्री रामचरण सिंह—

[1ले मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 133 द्वारा उत्तरित]

ग्राम रामपुर दुबही विकास खंड राजगढ़ के हरिजन पेयजल कूप को पूर्ण कराने हेतु ब्लास्टिग का कार्य

*26—श्री राम चरण सिंह—

प्रथम सत्र 1981 के दिनांक 30 मार्च की कार्यसूची के अतारांकित प्रश्न संख्या 12 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सम्बन्धित ग्राम रामपुर दुबही के कूप का ब्लास्टिंग कार्य पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

ग्राम रामपुर दुबही विकास खंड राजगढ़ के हरिजन पेयजल कूप के निर्माण हेतु वर्ष 1979-80 में रुपये 8000–00 का आगणन 30 फीट गहराई के लिये स्वीकृत किया गया था उक्त कूप की खुदाई प्रारम्भ होते ही पत्थर पड़ गया जिसके फलस्वरूप अल्प सिंचाई विभाग से कूप को पूर्ण कराने हेतु ब्लास्टिग कराना पड़ा। प्रारंभिक आगणन के अनुसार 30 फीट ब्लास्टिंग कराने के पश्चात् भी कूप में पानी उपलब्ध नहीं हुआ जिसके फलस्वरूप आगणन को पुनरीक्षित करना पड़ा। पुनः कूप को ब्लास्टिंग द्वारा और अधिक गहरा कराया गया है। वर्तमान में 35 फीट तक ब्लास्टिंग का कार्य कराया जा चुका है। तथा यह आशा है कि लगभग 45 फीट पर पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। कूप में पत्थर पड़ जाने के फलस्वरूप आगणन से बहुत गहराई तक ब्लास्टिंग का कार्य निहित होने के कारण ब्लास्टिग में समय अधिक लगा है। इसके लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

मिर्जापुर के कतिपय विकास खण्डों में हरिजन निर्बल वर्ग आवास एवं हरिजन कूप का लक्ष्य एवं प्रगति रिपोर्ट

* 27—श्री राम चरण सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर विकास खण्डों धोरावल, राजगढ़, नरायनपुर, जमालपुर सीखड़ में वर्ष 1981-82 में हरिजन आवास एवं कूप बनाने का क्या लक्ष्य था? कितना कार्य पूरा हुआ और कितना अधूरा है? ब्लाक वाइज सूची अधूरे व पूर्ण कार्यों को देने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? अब 1982-83 में ब्लाक वाइज क्या लक्ष्य है?

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद मिर्जापुर के विकास खंड धोरावल, राजगढ़, नरायनपुर, जमालपुर, व सीखड में वर्ष 1981-82 में हरिजन निर्बल वर्ग आवास एवं हरिजन कूप का लक्ष्य एवं प्रगति रिपोर्ट संलग्न विवरण के अनुसार है।

प्रश्नगत विकास खंडों में वर्ष 1981-82 का निर्बल वर्ग आवास के 36 लक्ष्य के विपरीत 27 पूर्ण हो चुके हैं तथा 9 निमांणाधीन है।

निर्बल वर्ग आवास (स्पेशल कम्पोनेंट योजनान्तर्गत) कुल लक्ष्य 19 के विपरीत 14 हो चुके हैं तथा 5 निर्माणाधीन है।

हरिजन पेयजल वार्षिक योजनान्तर्गत पेयजल कूप निर्माण के 11 लक्ष्य के विपरीत 3 पूर्ण हो चुके हैं तथा 8 कूपों का कार्य उपयोगिता स्तर (90%) तक हो चुका है।

वर्ष 1982-83 में प्रश्नगत विकास खंडों का निर्धारित लक्ष्य संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ ..1453.. पर।)

राजकीय इण्टर कालेज, मिर्जापुर के छात्रावास का निर्माण

* 28—श्री राम चरण सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय इण्टर कालेज, मिर्जापुर आवासी शिक्षा की व्यवस्था हेतु छात्रावास के निर्माण हेतु शासन पत्रांक शिक्षा 12/अनु0 लखनऊ, दिनांक 15 जून, 1981 द्वारा 17·24 लाख रु0 की धनराशि स्वीकृत की गयी है ? यदि हाँ, तो अब तक भवन निर्माण न कराए जाने का क्या कारण है और भवन कब तक पूर्ण कराया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

छात्रावास के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है, बल्कि उक्त कार्य हेतु 17·24 लाख रुपये की अनुमानित लागत के प्रस्ताव पर वित्तीय स्वीकृत एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।

इस कर्य हेतु पर्याप्त धनराशि का आवंटन न हो सकने के कारण। वर्ष 1981-82 में धनाभाव के कारण इस कार्य के लिये धन का आवंटन नहीं हो सका। वर्ष 1982-83 में भी उक्त कार्य के लिये मात्र 0·50 लाख रु0 का ही आवंटन हो सका है जो कार्य प्रारम्भ करने के लिये अधिशासी अभियन्ता द्वारा सर्वथा अपर्याप्त बताया गया है।

* 29—श्री राम चरण सिंह—

—[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

बलिया जनपद के विकाश खण्ड गड़वार, हनुमानगंज तथा सोहांव में ग्रामीण योजनान्तर्गत किये गये कार्य

*30—श्री गौरी शकर भैया—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के ब्लाक गड़वार हनुमानगंज व सौहाब मैं राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत सन् 1980-81 तथा सन् 1981-82 मैं कौन-कौन से कार्य लिए गये हैं ? उनमें से कितने पर कार्य प्रारम्भर कर दिया गया है ? शेष पर कब तक काम प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव —

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड गड़वार, हनुमानगंज व सोहांव में युक्त वर्षों में अब तक कुल 37 योजनाओं का चयन किया गया जिनमें से 19 कार्य पूर्ण, 11 प्रगति पर तथा 7 योजनायें अपूर्ण है। अपूर्ण कार्यों में दो पर गाँव सभाओं का अंश जमा है अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करके कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है तथा शेष 5, पर गाँव सभाओं का अंश जमा न होने के कारण कार्य अभी आरम्भ नही कराया जा सका है।

श्री राजेश्वर शाही उप निदेशक भूमि संरक्षण गण्डक परियोजना के विरुद्ध शिकायतों पर कृत कार्यवाही तथा स्थानान्तरण आदेश

*31—श्री जर्नादन प्रसाद ओझा तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री राजेश्वर शाही उप निदेशक, भूमि संरक्षण गण्डक परियोजना, गोरखपुर के विरुद्ध गत एक वर्ष में कितनी शिकायतें जन प्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा शासन को प्राप्त हुयीं ? क्या उनकी जांच कराई गयीं ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां,

श्री राजेश्वर शाही, उप निदेशक भूमि संरक्षण गण्डक परियोजना गोरखपुर के विरुद्ध गत एक वर्ष में कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन पर प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री शाही के विरुद्ध सी0सी0 ए0 नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

*32—श्री जर्नादन प्रसाद ओझा तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही

क्या यह भी सच है कि उक्त अधिकारी का कई बार स्थानान्तरण हुआ किन्तु उनका परिपालन नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

उक्त अधिकारी का गण्डक परियोजना में कार्यकाल के दौरान प्रथम बार सितम्बर, 1980 तथा द्वितीय बार अप्रैल 1982 में किये गये स्थानान्तरण को शासन स्तर से कुछ समय के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। इसे कार्यान्वित कराने हेतु पुनः 18-8-82 को आदेश जारी कर दिये गये हैं।

प्राइमरी स्कूल इटाहरी एवं खेरिया शिकमी गोहाना, मैनपुरी का भवन

*3 — श्री बाबू सिंह यादव—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी के विकास क्षेत्र खैरगढ़ की बेसिक शिक्षा परिषद् के प्रा0 स्कूल/इटाहरी एवं खेरिया शिकमी गोहाना के पास परिषद् का भवन हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या शासन द्वारा भवन निर्माण कराया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं। जनपद मैनपुरी के विकास क्षेत्र खैरगढ़ की बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राइमरी स्कूल इटाहरी एव खेरिया शिकमी गोहाना के परिषदीय भवन ही है। जिला

बेसिक शिक्षा समिति द्वारा स्कूल भवन निर्माणार्थ इन स्कूलों का चयन न किये जाने के कारण इन स्कूलों के भवन नहीं बन सके है। शासन द्वारा भवन, हीन बेसिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु उपलब्ध संसाधनों के अनुसार जनपदवार अनुदान स्वीकृत किया जाता है और जिला बेसिक शिक्षा समिति जिन भवनहीन विद्यालयों का चयन करती है उनका निर्माण उक्त अनुदानों की धनराशि से होता है। अतः, किसी अवधि विशेष का आश्वासन दिया जाना संभव नहीं है।

बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सामूहिक बीमा की धनराशि तथा कटौती

*34—श्री हरगोविन्द वर्मा —

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कर्मचारियों का सामूहिक बीमा का धन 20·00 प्रतिमाह कटता है और सेवा में रहते हुए उनकी मृत्यु पर 25,000 रु0 का भुगतान किया जाता है जबकि बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का 10 रु0 प्रतिमाह कटता है और उनकी मृत्यु पर 12,000 रु0 भुगतान होता है? यदि हां, तो ऐसा क्यों और बेसिक शिक्षा परिषद् के कर्मचारियों का 20 रु0 कब से कटना प्रारम्भ होगा?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन नियमित रूप से कार्यरत अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर) को जीवन बीमा की धनराशि 1-2-82 से रु0 12,000/- से बढ़ाकर रु0 25,000/- कर दी गई है तथा उनके वेतन से 20 रु0 प्रतिमास की कटौती आरम्भ कर दी गई है।

*35—श्री प्रभू नारायण सिंह —

[3रे गुरूवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 83 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अकबरपुर, फैजाबाद में अध्यापकों व चतुर्थ श्रेणी कर्णचारियों की संख्या तथा शौचालय व पानी की व्यवस्था

*36—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद में राजकीय कन्या उच्चतर महाविद्यालय में इस समय 13-14 सौ बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर रही हैं जहां 125-130 कन्याओं को एक-एक सेक्शन में केवल एक ही अध्यापिका पढ़ाती है? यदि हां, तो क्या सरकार तुरन्त अध्यापकों की संख्या बढ़ाने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

अकबरपुर (फैजाबाद) में राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है (महाविद्यालय नहीं) जहां कक्षा 6-12 तक में 1107 छात्रायें पढ़ती हैं।

जी नहीं।

उक्त विद्यालय में निर्धारित मानकानुसार अध्यापिकाओं के पद स्वीकृत हैं। अतः उनकी संख्या बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता।

*37—श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसूफ—

क्या सरकार उक्त विद्यालय में कन्याओं की संख्या को देखते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अतिरिक्त नियुक्ति पर विचार करने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं।

क्योंकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या निर्धारित मानकों के अनुसार है।

*38—श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसूफ—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर, फैजाबाद मण्डल का भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं? वहां पानी शौचालय तथा अन्य आवश्यक संसाधनों का आभाव है जिससे बालिकाओं और वहां रहने वाले शिक्षक समुदाय को अपार कष्ट का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या तुरन्त इन कठिनाइयों को दूर करने की व्यवस्था की जायेगी? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं।

वहां पानी, शौचालय तथा अन्य आवश्यक संसाधनों का भी अभाव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री टी० एन० शाही प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, बस्ती के निलम्बन की वापसी के सम्बन्ध में पत्र

*39—केदार नाथ सिंह —

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री टी0 एन0 शाही प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, बस्ती को दिनांक 23-7-76 को निलम्बित कर दिया गया और उनका निलम्बन वापस लेने हेतु प्रश्नकर्ता ने दिनांक 30-9-81 को कोई पत्र राज्य शिक्षा मंत्री जी को दिया है ? यदि हां, तो पत्र पर निर्णय लेने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमरी बख्शी—

जी हां।

श्री शाही का निलम्बन वापस लेने हेतु प्रश्नकर्ता का दिनांक 30-9-81 का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। किन्तु प्रश्नकर्ता का इसी आशय का एक पत्र नवम्बर 81 में प्राप्त हुआ था, जिस पर लिये गये निर्णय से प्रश्नकर्ता को पत्र द्वारा अवगत कर दिया गया है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद सहायक अध्यापक विद्या मन्दिर हा० से० स्कूल, रामपुर के अबशेष वेतन, भुगतान सम्बधी पत्र

*40—श्री चेतराम गंगवार

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें 21 जनवरी, 1982 तथा 3 मार्च, 1982 को प्रश्नकर्ता द्वारा दिए गये श्री राजेन्द्र प्रसाद स0 अ0 विद्या मंदिर हा0 से0 स्कूल, रामपुर का प्रार्थना पत्र 16-11-76 से 2-10-81 तक का अवशेष वेतन भुगतान तथा 3-10-81 से वर्तमान समय तक के वेतन भुगतान न करने के सम्बन्ध में मिले हैं? यदि हां, तो शासन ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही की तथा उक्त अध्यापक को अब तक वेतन न दिए जाने का कारण क्या है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही।

रतन सेन महाविद्यालय बांसी, बस्ती के शिक्षकों की अनिवार्य जमा धनराशि के सम्बन्ध में थाने में दर्ज मुकदमा

*41—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रतन सेन महाविद्यालय बांसी, बस्ती के शिक्षकों के वेतन से काटी गयी अनिवार्य जमा की धनराशि रीजनल प्राविडेंट फण्ड कमिश्नर, कानपुर के यहां जमा न किए जाने के सम्बन्ध में बस्ती जनपद के बांसी थाने में मुकदमा अपराध संख्या 21 धारा 409/408/504 दिनांक 16-1-82 को दर्ज किया गया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

थाना अध्यक्ष बांसी जिला बस्ती द्वारा मामले के विवेचना की जा रही है।

हनुमंत इण्टर कालेज धम्मौर, सुल्तानपुर के प्रबन्ध तंत्र व प्राचार्य द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध धरना

*42—श्री मुईद अहमद—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि हनुमत इण्टर कालेज, धम्मौर जनपद सुल्तानपुर के अध्यापकगण, विद्यालय की आर्थिक अनिमितताओं एवं प्रबन्ध तन्त्र व प्राचार्य के भ्रष्टाचार,

जिसको जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्वयं अपने निरीक्षण में पाया था, को लेकर क्रमिक धरना पर जिला विद्यालय निरीक्षक सुल्तानपुर के कार्यालय पर दिनांक 2-3-82 से बैठे रहे ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मांगों को सत्य पाते हुये और जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पकड़े गये गबन के आधार पर विद्यालय के प्रबन्धतन्त्र को भंग करके प्रबन्धक एवं प्राचार्य के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां तो कब तक ?

श्रीमती स्वमूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्राइमरी कृष्णा पाठशाला देवीपुरा, बुलन्दशहर के असुरक्षित भवन के सम्बन्ध में श्री छत्तर सिंह विधायक का पत्र तथा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पाठशाला द्वारा प्रयुक्त स्थान व सरकारी सहायता

*43—श्री छत्तर सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे की बुलन्दशहर नगर के मोहल्ला देवीपुरा स्थित सरकार से मान्यता प्राप्त प्राइमरी कृष्णा पाठशाला के भवन के अनुरक्षित एव वहां पढ़ रहे 125-150 छात्रों की सुरक्षा से सबंधित मा0 विधायकों श्री छत्तर सिंह आदि से 26-12-81 तथा उसके बाद उन्हें मुख्य मंत्री जी, जिलाधीश बुलन्दशहर एवं शिक्षा अधिकारी बुलन्द-शहर एव शिक्षा अधिकारी बुलन्दशहर को प्रेषित लिखित शिकायतें प्राप्त हुई ? यदि हां तो उन पर क्या क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जारही है।

*44—छत्तर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त प्रश्नगत पाठशाला में कितने छात्र शिक्षा पा रहे हैं तथा क्या प्रयुक्त स्थान पर शिक्षा पा रहे छात्रों के लिए मान्यता प्राप्त संस्था के मापदण्डों के अनुरूप हैं ? यदि नहीं तो इस बारे में जिम्मेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*45—श्री छत्तर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त प्रश्नगत पाठशाला को कब से एवं कितनी सरकारी सहायता प्राप्त हो रही है तथा क्या यह पाठशाला मान्यता प्राप्त स्कूल के लिए समुचित सुरक्षित स्थान लेखाजोखा के निरीक्षण कराने, प्रबन्ध समिति एवं स्कूल के विधान सम्बन्धी निर्धारित मापदण्ड पूरे करता है ? यदि नहीं तो क्या मान्यता एवं सहायता निरस्त करने संबंधी एवं अन्य क्या क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी —

सूचना एकत्र की जा रही है।

*46—श्री छत्तर सिंह —

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त प्रश्नगत पाठशाला के भवन के सुरक्षित होने संबंधी क्या जांच करायी गयी ? यदि हां तो उसके क्या परिणाम रहे ? यदि नहीं तो क्यों ? तथा तुरन्त प्रभावी रूप में मा0 विधायक की संस्तुति के अनुसार क्या कार्यवाही की गयी, यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जवाहर लाल मान्टैसरी स्कूल फर्रूखाबाद की प्रधानाध्यापिका के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का निरस्तीकरण

*47—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जवाहर लाल मान्टेसरी स्कूल फर्रूखाबाद की प्रधानाध्यापिका का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र इस प्रदेश में अमान्य है ? यदि हां तो इस नियुक्ति को निरस्त न किये जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

निरस्तीकरण का मामला बेसिक शिक्षा परिषद् के विचाराधीन है।

कन्या जूनियर हाई स्कूल करीम पट्टी टांडा, फैजाबाद के भवन का निर्माण

*48—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कन्या जूनियर हाई स्कूल करीम पट्टी टांडा, फैजाबाद के विद्यालय भवन निर्माण हेतु 1981-82 में शासन द्वारा धन स्वीकृत किया गया है ? यदि हां तो कब तक भवन निर्माण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान से बेसिक परिषदीय स्कूल भवनों का निर्माण विभाग व ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा किया जाता है। जनपद फैजाबाद में प्रश्नगत स्कूल भवन के निर्माणार्थ स्वीकृत धनराशि एवं स्थल के नजरी-नक्शे आदि सार्वजनिक विर्माण निभाग को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्पर्क किये जाने पर यह बात नहीं हो सका है कि स्कूल का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा।

स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश शर्मा एकाउन्टेन्ट एवं स्टोर इन्चार्ज जिला परिषद बिजनौर की पत्नी को पेन्शन आदि का भुगतान

***49—श्री थम्मन सिंह गहलौत—**

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि श्री ओम प्रकाश शर्मा एकाउन्टेन्ट एवं स्टोर इन्चार्ज जिला परिषद् बिजनौर जिनकी मृत्यु 16 सितम्बर सन् 1978 को कार्यरत रहते हो गयी उनकी पारिवारिक पेंशन, भविष्य निधि एवं ग्रेच्युटी आदि धनराशि का भुगतान उनकी पत्नी को कब किया गया यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

श्री ओम प्रकाश शर्मा एकाउन्टेन्ट एवं स्टोर इन्चार्ज जिला परिषद् बिजनौर की मृत्यु हो जाने के उपरान्त भविष्य निधि का सम्पूर्ण धन उनकी पत्नी को दिनांक 26-10-1981 को ुगतान कर दिया गया है।

जहां तक उनकी पारिवारिक पेंशन ग्रेच्युटी का प्रश्न है, उसकी स्वीकृत एवं भुगतान के लिये "नो डयूज सर्टीफिकेट" का होना आवश्यक है। श्री शर्मा की ओरअभी स्टोर के कई हजार रुपये का सामान बकाया पड़ा है। जैसे ही प्रश्नगत सामान अथवा उसके मूल्य के बाबत जिला परिषद् द्वारा कोई अंतिम निर्णय हो जायगा इनकी पारिवारिक पेंशन व ग्रेच्युटी के कागजात स्वीकृत हेतु परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को भेजे जायेंगे और वहां से स्वीकृति आने पर ही भुगतान सम्भव होगा।

नरेन्द्र देव इण्टर कालेज, जलालपुर, फैजाबाद के शिक्षकों के वेतन से प्राविडेन्ट फण्ड आदि की कटौती की धनराशि

***50—श्री पंचानन राय—**

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जलालपुर, जिला फैजाबाद स्थित नरेन्द्र देव इण्टर कालेज में वर्ष 1976-77 से अध्ययन शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमाह काटे जाने वाली सी0टी0डी0, पी0एफ0, जी0 पी0 एफ0 तथा बीमा की धनराशि वेतन से कब कब और कितनी कितनी काटी गयी तथा इन मदों से सम्बन्धित खाते में कब कब व कितनी कितनी धनराशि जमा की गयी यदि नहीं तो क्यों और इसके लिए कौन लोग दोषी हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

नरेन्द्र देव इण्टर कालेज, जलालपुर फैजाबाद को स्वीकृत भवन अनुदान

*51—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977-78 में जिला फैजाबाद में जलालपुर स्थित नरेन्द्र देव इण्टर कालेज को भवन अनुदान के अन्तर्गत राज्य सरकार से कितना धन प्राप्त हुआ था तथा उसका व्यय कब हुआ यदि नहीं तो क्यों ? दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

रु0 14,400/- का अनावर्तक अनुदान स्वीकृत हुआ था।

जाँच की जा रही है।

*52—श्री ऊदल—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*53—श्री ऊदल—

[1 ले सोमवार में अतरांकित प्रश्न संख्या 148 द्वारा उत्तरित]

आजमगढ़ और जौनपुर के सीड स्टोरों में रखी पाइराइट खाद

*54—श्री ऊदल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़, जौनपुर में आज भी हजारों बोरी, पाइराट्स खाद बाहर सीड स्टोरों पर खराब हालत में पड़ी है? यदि हां तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेगी। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी नहीं।

आजमगढ़ और जौनपुर जनपद में सीड स्टोर के बाहर रसायनिक क्रियाओं के कारण 31-7-82 तक वितरण के पश्चात् पाइराइट की क्रमशः 24395 तथा 31440 बोरी ठीक हालत में रखी हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री इन्द्र प्रताप सिंह विकास अधिकारी, टाण्डा, फैजाबाद के विरुद्ध शिकायती पत्र

*55 – श्री गोपीनाथ वर्मा —

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री इन्द्र प्रताप सिंह विकास,

अधिकारी, टाण्डा जनपद फैजाबाद के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता के पत्र साथ शिकायती पत्र दिनांक 27-6-81 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उक्त शिकायती पत्र का मूल विवरण क्या है ? क्या शिकायतों की जांच कराई तथा जांच में कुछ आरोप सत्य पाये गये आरोप सत्य पाये जाने पर अब तक उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

शिकायती पत्र बुनकर सहकारी संघ को आई0 आर0 डी0 के अन्तर्गत छूट दिलाने हेतु बुनकरों से घूस की मांग किये जाने से संबंधित है ।

जिला सहायक निबन्धक फैजाबाद द्वारा जांच कराई जा रही है ।

आरोप सिद्ध होने के उपरान्त ही कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा । प्रश्न ही नहीं उठता ।

*56--श्री गोपीनाथ वर्मा—

[3रे शुक्रवार में अतरांकित प्रश्न संख्या 110 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फैजाबाद के विकास खण्ड टांडा व बसखारी, में हरिजनों को स्वीकृत आवास निर्माण हेतु अनुदान

*57—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाण्डा व बसखारी ब्लाक टाण्डा, जिला फैजाबाद में 1981-82 में कितने-कितने वर्ग के व्यक्तियों को आवास निर्माण हेतु धन स्वीकृत किया गया ? उन व्यक्तियों के नाम व पते क्या हैं क्या समस्त चयनित परिवारों ने अपना अपना आवास निर्माण पूर्ण कर लिया है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

वर्ष 1981-82 में विकास खंड टांडा व बसखारी, फैजाबाद में क्रमशः 9 एवं 7 हरिजन वर्ग के व्यक्तियों को आवास निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया ।

वे व्यक्ति हैं :—

विकास खंड टाण्डा के सर्वश्री जुगुन सूर्यवली, इगरू व राजबली निवासी हरिजन बस्ती ग्राम-सुन्थर । रामकरन, छोटे लाल, बसन्त लाल, राम अवध व शोभी, निवासी-ग्राम-तेंदुआ तथा विकास खंड बसखारी के सर्वश्री जुगुन व मक्खन, निवासी-ग्राम-रामपुर बेनीपुर । राम कुमार, छोटे लाल, बाबू लाल व रामफेर निवासी-ग्राम नरायनपुर प्रीतमपुर एवं घिरजूराम, निवासी-ग्राम धौरहरा ।

जी नहीं ।

विकास खड टाण्डा में केवल 4 तथा बसखारी में केवल 1 परिवार ने अपना आवास निर्माण पूर्ण कर लिया है तथा शेष व्यक्तियों के भवन निर्माणाधीन हैं ।

मान्यता प्राप्त प्राइवेट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान

*58—श्री नन्द किशोर सिह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1979 तक शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों को अनुदान देने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी —

चालू वित्तीय वर्ष में 1981 की हाई स्कूल परीक्षा में छात्रों को संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में शामिल कराने वाले प्राइवेट मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में से कुछ को नियमानुसार अनुदान सूची पर लाया जायगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विनोद कुमार लवानियां का इण्टरमीडिएट का परीक्षाफल

*59—श्री बदन सिह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि विनोद कुमार लवनियां पुत्र ओम प्रकाश लवानियां पुत्र ओम प्रकाश लवानियां ने इन्टरमीडिएट परीक्षा 1981 (व्यक्तिगत) अनुक्रमांक 414064 से लिखित परीक्षा केन्द्र से तथा वुड क्राफ्ट प्रयोगात्मक परीक्षा इस्लामियां इण्टर कालेज, मुजफ्फरनगर केन्द्र से दी थी ? यदि हां तो मार्कशीट में उसके वुड क्राफ्ट प्रयोगात्मक के मार्क चढ़कर परीक्षाफल क्यों नहीं घोषित किया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

इण्टर व्यक्तिगत परीक्षा, 1981 के परीक्षार्थी अनुक्रमांक 414064 बिनोद कुमार लवानियां द्वारा काष्ठ शिल्प (वुडक्राफ्ट) की प्रयोगात्मक परीक्षा जनपद मथुरा के निर्धारित केन्द्र से निश्चित तिथि एवं समय पर न देने के कारण प्राप्तांक उपलब्ध नहीं हुये । फलस्वरूप उसे उक्त विषय की प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुपस्थित दिखाकर परीक्षाफल पूर्ण किया गया ।

अब मुजफ्फरनगर से प्रयोगात्मक परीक्षा देने की जानकारी होने पर अभ्यर्थी का परीक्षाफल पूर्ण करके संबंधित पंजीकृत केन्द्र जनता इण्टर कालेज, महपऊ मथुरा को भेज दिया गया है ।

श्री देवेन्द्र कुमार के हाई स्कूल का परीक्षाफल

*60 श्री बदन सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि देवेन्द्र कुमार पुत्र लालाराम अनुक्रमांक 669260 के साथ हाई स्कूल परीक्षा 1981 (व्यक्तिगत) महाराजा सूरजमल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाट हाऊस राजा मंडी, आगरा केन्द्र से केवल अंग्रेजी विषय में दी थी ? यदि हां तो उसके अंग्रेजी द्वितीय प्रश्न पत्र के मार्कशीट में चढ़ाकर क्यों नहीं घोषित किया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी

अंग्रेजी विषय के द्वितीय प्रश्न-पत्र में परीक्षाफल घोषणा के पहले अंक न मिलने के कारण मार्कशीट में अंक नहीं दिखलाया जा सका। बाद में उक्त विषय के अंक प्राप्त हो जाने पर परीक्षाफल पूर्ण करके संबंधित विद्यालय में भेजा जा चुका है।

कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे राजकीय फार्मों में धान और गेहूँ का उत्पादन

*61—श्री जयदीप सिंह —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा चलाई जाने वाली राजकीय फर्मों में वर्ष 81–82 में धान और गेहूँ का औसत उत्पादन क्या है और धान और गेहूँ पर क्रमशः प्रति क्विन्टल क्या उत्पादन लागत है ?

श्री यशपाल सिंह—

उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा चलाई जाने वाली राजकीय फार्मों में वर्ष 1981–82 में धान और गेहूँ का औसत उत्पादन क्रमशः 24·30 क्विंटल एवं 23·50 क्विंटल प्रति हैक्टर है और धान और गेहूँ पर क्रमशः प्रति क्विंटल उत्पादन लागत रु0 149 एवं 146 है।

*62 श्री जयदीप सिंह—

[1ले मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 135 द्वारा उत्तरित]

*63—श्री जयदीप सिंह—

[2रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 117 द्वारा उत्तरित]

काम के बदले अनाज योजनान्तर्गत स्वीकृत अधूरे कार्यों को पूर्ण किया जाना

*64 जयदीप सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बरेली में वर्ष 1979-80 में काम के बदले खाद्यान योजना में स्वीकृत अधूरे कार्यों को तुरन्त पूरा किया जाय, और आगामी

वर्ष में सड़क निर्माण हेतु आवंटित धन एवं खाद्यान्न में से प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यों को पूरा करने के लिए व्यय किया जाय ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां।

शासन द्वारा यह निर्देश दिया जा चुका है कि प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत उन सड़कों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जाय जो पूर्व योजनान्तर्गत अधूरी निर्मित की गई है। बरेली जनपद में भी इन्ही निर्देशों के अनुसार योजनायें स्वीकृत की गई हैं, तथा निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

श्री रंगलाल प्रसाद शर्मा भूतपूर्व कर्मचारी, मण्डी समिति बरहज, देवरिया की पुर्ननियुक्ति विषयक अतिरिक्त मंडी निदेशक का पत्र

*65 – श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि अतिरिक्त मंडी निदेशक का पत्रांक अति0 जिला कैम्प 1000/81 लखनऊ दिनांक 8 सितम्बर, 1981 सभापति मंडी समिति बरहज देवरिया को मिला है ? यदि हां तो वह पत्र क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां।

उक्त पत्र समिति के भूतपूर्व कर्मचारी श्री रंगलाल प्रसाद शर्मा जिनको समिति की सेवा से मुक्त कर दिया गया था, की पुनः नियुक्त विषयक था। उक्त पत्र के सन्दर्भ में सभापति, मण्डी बरहज देवरिया ने मण्डी परिषद को सूचित किया कि श्री रंगलाल प्रसाद शर्मा दैनिक वेतन पर सुख सुविधा मद के अन्तर्गत प्याऊमैन का कार्य कर रहे थे जिन्हें अन्य दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों के साथ सेवामुक्त कर दिया गया। अधिष्ठान व्यय बजट की सीमा से अधिक होने के कारण एवं प्रशासनिक आधार पर उक्त कर्मचारी की नियुक्ति सभापति, मण्डी समिति द्वारा नहीं की गयी।

मेरठ नगर की भांति बरेली नगर के शिक्षकों को नगर प्रतिकर भत्ता

*66—श्री जयदीप सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेरठ नगर में कार्यरत कर्मचारी शिक्षकों को पंच महानगरियों की तरह नगर प्रतिकर भत्ता स्वीकृत कर दिया गया है ? यदि हां तो बरेली नगर के प्रस्तावित महापालिका क्षेत्र में कर्मचारी शिक्षकों को नगर प्रतिकर भत्ता स्वीकृत क्यों नहीं किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मेरठ नगर में कार्यरत राजकीय शिक्षकों को नगर प्रतिकर भत्ता स्वीकृत किया गया है। बरेली नगर की आबादी जनगणना 1981 के अनुसार 5 लाख से कम होने के कारण बरेली के सरकारी शिक्षकों को नगर प्रतिकर भत्ता स्वीकृत नहीं किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमदान से बने कच्चे मार्गों को, पक्का कराने में प्राथमिकता

*67—श्री जयदीप सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि वह किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि जिससे देहाती क्षेत्र में पक्की सड़कों के निर्माण में ग्रामवासियों द्वारा श्रमदान से बनाए हुए कच्चे मार्गों को पक्का कराने में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए? यदि नहीं तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी?

श्री बलराम सिंह यादव---

ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व योजनाओं में बने कच्चे मार्गों को पक्का कराने तथा ऐसे मार्गों को प्राथमिकता देने के आदेश शासन द्वारा निर्गत किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित कच्ची सड़कों को पक्का कराने के लिए एक पूर्ण योजना भारत सरकार को भी प्रेषित की जा चुकी है।

*68—श्री जयदीप सिंह—

[4थे मंगलवार में अतरांकित प्रश्न संख्या 83 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अनुदान सूची में श्री जटाशंकर, श्री नारायण कृषि उ०मा० विद्यालय बाबूगंज, उन्नाव को सम्मिलित किया जाना

*69—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे क्या यह सही है कि श्री जटाशंकर, श्री नारायण, कृषि उ0 मा0 विद्यालय, बाबूगंज उन्नाव को वर्ष 77-78 में राजज्ञा संख्या 1174/15/8-3009/ (1) 1977 दिनांक 30 मार्च, 78 द्वारा अनुदान सूची में सम्मिलित किया गया था? यदि हां तो उस विद्यालय के अध्यापकों को वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत वेतन भुगतान न किये जाने के क्या कारण है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव की आख्यानुसार विद्यालय अस्तित्वहीन था। अतः शासनादेश संख्या 8240/15-8-3009(1)/1977, दिनांक 20-11-1978 द्वारा इस विद्यालय को अनुदान सूची से निकाल दिया गया।

मुरादाबाद जनपद के उ०मा० विद्यालयों के शिक्षकों तथा कर्मचारियों को अनिवार्य जमा योजनान्तर्गत जमा धनराशि का भुगतान

*70—पंचानन राय

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जनपद के कितने सहायता प्राप्त गैर सरकारी उ0 मा0 विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को दिनांक 1-5-82 तक अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटी गयी धनराशि का पूरा भुगतान नहीं किया गया है ? भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्रम हेतु खाद्यान्न योजान्तर्गत तदर्थ रूप से नियुक्त अवर अभियन्ताओं का वेतन

*71—गोपीनाथ वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के प्रथम सोमवार के प्रश्नकर्त्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 120 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या 581 अवर अभियन्ताओं को उनकी पूर्ण सेवा अवधि वेतन का भुगतान किया जा चुका है ? यदि नहीं तो क्यों 581 अवर अभियन्ताओं की सेवायें 31-7-80 के बाद में बनाये रखने का क्या औचित्य है ।

श्री बलराम सिंह यादव—

श्रम हेतु खाद्यान्न योजनान्तर्गत तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये कुछ अवर अभियन्ताओं का वेतन अभी बकाया है, जिसके भुगतान के सम्बन्ध में शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है । कई जनपदों में अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति 31-7-80 के बाद भी योजना के हित में बनाये रखी गई थी ।

*72—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[3रे बुधवार में अतरांकित प्रश्न संख्या 77 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कुमाऊं मण्डल में दक्षता रोक, अवकाश, टी० ए० बिल के सृजन तथा प्रोन्नति के अनिस्तीर्ण मामले

*73—जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमाऊं मंडल के मंडलीय स्तर पर कितने दक्षतारोक अवकाश टी0ए0 बिल पद सृजन प्रोन्नति के मामले सन् 1978 से 1981

तक अनिस्तीर्ण पड़े हैं ? क्या सरकार अविलम्ब इनके निस्तारण के आदेश देगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री दौलत सिह बगोड़ा का इन्टरमीडिएट पूरक परीक्षा का परीक्षाफल

*74—श्री जसवन्त सिह बिष्ट —

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दौलत सिह बगोड़ा रोल नं0 21-393 ने अंग्रेजी विषय से इन्टर की पूरक परीक्षा 1976 में अल्मोड़ा इन्टर कालेज से दी है ? यदि हो तो उत्तीण होने के बावजूद उसका परीक्षाफल व मार्कशीट अभी तक केन्द्र व्यवस्थापक ने नहीं दिया है ? यदि हां तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

श्री दौलत सिह बगौड़ा अनुक्रमांक 21393 ने अंग्रेजी विषय से पूरक परीक्षा 19-76 में दी है। आवेदन-पत्र के अभाव में तथा परीक्षा शुल्क की अप्राप्ति के कारण परीक्षार्थी का परीक्षाफल रुका हुआ है ।

कुमांऊ मण्डल में अध्यापकों के स्थानान्तरण तथा यात्रा भत्ता पर किया गया व्यय

*75 —श्री जसवन्त सिह बिष्ट—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 और 1981 में कुमांऊ मंडल में हाई स्कूल तथा इन्टर के कितने अध्यापकों का स्थानान्तरण हुआ है ? उस पर कितना यात्रा भत्ता दिया गया है । क्या यह सत्य है कि कुछ अध्यापकों व प्रधानाचार्यों का एक साल में दो या तीन बार स्थानान्तरण किया गया है ? यदि हां तो ऐसा क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

रमनगर मंडी समिति, नैनीताल का मण्डी यार्ड हेतु भूमि अधिग्रहण

*76—श्री जसवन्त सिह बिष्ट—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद नैनीताल रामनगर मंडी समिति के भवन मंडी स्थल के लिए भूमि अधिग्रहण कर ली गई थी यदि हां तो भवन मंडी यार्ड न बनाने का क्या औचित्य है और कब तक मंडी यार्ड बन जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह

जी नहीं ।

अभी केवल अधिग्रहण की अधिसूचना जारी हुयी है ।

बिना भूमि पर वास्तविक कब्जा प्राप्त हुये मण्डी यार्ड बनने की निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है ।

अलमोड़ा के विकास खण्ड स्यालदे में श्रम के बदले खाद्यान्न योजनान्तर्गत बने क्रीड़ा स्थल

*77—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड स्यालदे जनपद अलमोड़ा के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 में अन्न के बदले खाद्यान्न योजना में सराई खेत चनोली, देघाट विद्यालयों में क्रीड़ा स्थल स्वीकृत हुये थे, उनका अधूरा कार्य हुआ है ? यदि हां तो सरकार उपरोक्त क्रीड़ा स्थलों को रोजगार योजना में पूर्ण करेगी यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हाँ ।

इन क्रीड़ास्थलों का अधूरा निर्माण कार्य श्रम के बदले खाद्यान्न योजना में किया गया है । राष्ट्रीय-ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत इन्हें पूर्ण कराए जाने के संबंध में प्रस्ताव जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अल्मोड़ा को विचारार्थ भेज दिया गया है।

तिलक इण्टर कालेज किला एवं मौलाना आजाद इण्टर कालेज शहामत गंज, बरेली को अलग-अलग इकाई माने जाने सम्बन्धी शासकीय अधिसूचना

*78—श्री सिकन्दर अली खां—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बरेली के तिलक इण्टर कालेज किला एवं मौलाना आजाद इण्टर कालेज शहामत गंज में गत वर्षों नियुक्तियां, पदोन्नतियां एवं स्थानान्तरण के सिलसिले में सम्मिलित इकाई मान कर कार्यवाही की जाती रही है ? यदि हां तो इस समय दोनों विद्यालयों को अलग-अलग इकाई के रूप में मानकर कार्यवाही किये जाने का क्या कारण है और यह कार्यवाही किस शासनादेश के अन्तर्गत की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

शासकीय अधिसूचना संख्या मा/2450/15-7-84/75, दिनांक 13 जून, 1979 द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16-ड तथा 16-च के प्राविधानों को स्थानीय निकायों द्वारा संचालित उ0मा0 विद्यालयों पर भी लागू किये जाने के परिणाम स्वरूप इस समय दोनों विद्यालयों को अलग-अलग इकाई माना जा रहा है।

मौलाना आजाद इण्टर कालेज में उर्दू प्रवक्ता का रिक्त पद तथा पिछड़ी जाति का आरक्षण कोटा

*79—श्री सिकन्दर अली खां—

क्या यह सही है कि मौलाना आजाद इण्टर कालेज में उर्दू प्रवक्ता के रिक्त स्थान की पिछड़ी जाति आरक्षण कोटे के अन्तर्गत रखा गया है ? यदि हां तो उक्त विद्यालय में अब तक पिछड़ी जाति आरक्षण के अन्तर्गत कितने पदों को भरा गया है? क्या अब तक पिछड़ी जाति आरक्षण का कोटा पूरा हुआ है अथवा नहीं ? यदि पूरा नहीं हुआ है तो इसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

प्रश्नगत विद्यालय में अब तक केवल एक ही पद पिछड़ी जाति के आरक्षण कोटे के अन्तर्गत भरा गया है। अब तक पिछड़ी जाति का आरक्षण कोटा पूरा नहीं हुआ है। भावी रिक्तियों में पिछड़ी जाति के आरक्षण कोटे को पूरा किये जाने की दिशा में कार्यवाही की जा सकेगी।

कृषि मंडी, शाहजहांपुर में कैन्टीन का आवंटन तथा फल व सब्जी मंडी के निर्माण पर विचार

*80—श्री सिकन्दर अली खां—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में कृषि मंडी के स्थानान्तरण के बाद कैन्टीन का आवंटन या नीलामी की गयी है यदि हां तो यह नीलामी कितनी धनराशि पर की गयी है और इसका एग्रीमेन्ट कब लिखा गया है ? क्या यह सही है कि कैन्टीन की नीलामी से लगभग 50,000,00रु0 वार्षिक का राजस्व लाभ शासन को मिलेगा ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां।

कैंटीन का आवंटन किया गया है। आवंटन एक वर्ष के लिए एक हजार रुपये प्रति माह पर किया गया है। एग्रीमेन्ट अभी नहीं लिखा गया है।

*81--श्री सिकन्दर अली खां--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में फल व सब्जी मण्डी का निर्माण शासन के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो फल व सब्जी आढ़तियों के मांग पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां।

फल/सब्जी मण्डी बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

यह प्रश्न नहीं उठता।

शराब की नीलामी का आधार तथा प्रदेश में दिये गये शराब के ठेके

*82—श्री सिकन्दर अली खां—

क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शराब की नीलामी करने के आधार क्या है ? पूरे प्रदेश में 1981-82 में शराब के ठेके कितने ठेकेदारों के दिये गये ? क्या यह ठेकेदार स्वयं अपने ठेकों को चला रहे हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

आबकारी एवं मद्यनिषेध मंत्री (श्री विद्या भूषण)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

स्वामी परमानन्द विद्यालय, ताजपुर, फर्रुखाबाद को मान्यता

*83—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वामी परमानन्द विद्यालय, ताजपुर, जिला फर्रुखाबाद को हाल में ही उप शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद द्वारा जूनियर हाई स्कूल की स्थाई मान्यता दी गई है ? यदि हां, तो मान्यता के लिए वांछित शर्तें क्या हैं तथा क्या संदर्भित विद्यालय इन सभी शर्तों को पूरा करता है ? यदि नहीं, तो शर्तें पूरा न करने के बाद भी मान्यता देने के क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री सत्यनारायण तिवारी विद्या मंदिर इण्टर कालेज, निगोहां लखनऊ के सहायक अध्यापक श्री राजाराम वर्मा को वेतन भुगतान

*84—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सत्यनारायण तिवारी विद्या मंदिर इ[illegible]

कालेज, निगोहां, जिला लखनऊ में सहायक अध्यापक श्री राजाराम वर्मा को अगस्त 76 से नवम्बर 76 (4 माह) तथा 7 जनवरी, 77 का वेतन नहीं दिया गया जिसके बारे में वह अनेक बार जि0 वि0 निरीक्षक, लखनऊ से भी शिकायत कर चुके हैं जबकि नियमानुसार वेतन मिलना चाहिए था ? यदि हां, तो वेतन कब तक दिला दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

देवी सम्पद इन्टर कालेज मुमुक्ष आश्रम शाहजहां के प्रबन्धतंम के विरूद्ध आरोप तथा साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति

*85 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त -

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि देवी सम्पद इन्टर कालेज मुमुक्ष आश्रम शाजहांपुर के प्रबन्ध तंत्र को भंग कर साधिकार नियंत्रक नियुक्ति करने का मामला शिक्षा निदेशक द्वारा हाल में ही शासन को संदर्भित किया गया है ? यदि हां, तो आरोप क्या है तथा अब तक नियंत्रक नियुक्त करने का कारण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ ।

मुख्य अरोप निम्नखित है :-

(क) प्रधानाचार्य पद पर चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण न करना !

(ख) विभागी नियमों, आदेशों एवं शिक्षा संशोधन अभिनियम के प्राविधानों की अवज्ञा एवं अवहेलना ।

शासकीया अदेश दिनाक 3–4–82 द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति कर दी गई है ।

बेसिक शिक्षा परिशद द्वारा सचांलित विद्यालयों के लिये टाट पट्टी की खरीद

*86—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हाल में ही एक आदेश जारी कर बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों टाट पट्टी पर रोक लगा दिये जाने का क्या कारण है ? टाट पट्टी की खरीद की क्या नई प्रणाली होगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों के लिये वर्ष 1981–82 में पंचायत उद्योग द्वारा निर्मित टाट पट्टी के मूल्य निर्धारण हेतु शासन द्वारा

क्रय पर दिनांक 20-10-81 से रोक लगा दी गई थी, जो दिनांक 10-2-82 से हटा दी गई टाट पट्टी का क्रय पूर्व की ही भाँति पंचायत उद्योगों से ही किया जा रहा है।

राजकीय शिक्षकों की समस्याओं के सम्बन्ध में पत्र

*87- श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा राजकीय शिक्षकों की समस्याओं के संबंध में कोई शिकायती पत्र मा0 मुख्य मंत्री को 14 सितम्बर, 81 को अथवा उसके आस पास मिला? यदि हां तो उसमें मुख्य शिकायतें क्या थीं तथा उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी —

सूचना एकत्र की जा रही है।

बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन प्रथमिक विद्यालयों में स्कूल ममता पद पर कार्यरत महिला कर्मचारियो को पारिश्रमिक

88—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन चल रहे प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल माता पद पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को मात्र 20 रुपया प्रतिमाह वेतन दिया जाता है? यदि हां, तो 20 रुपया वेतन देने का क्या आधार है? वेतन वृद्धि कब तक कर दी जायेगी?

श्री मती स्वरूप कुमारी बख्शी—

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत स्कूल माताओं को 20/-रुपया पारिश्रमिक दिया जाता था, किन्तु अब शासन ने। सितम्बर, 1981 से इनके परिश्रमिक की दरो में वृद्धि करके रुपया 30/--प्रतिमास कर दिया है। चूंकि स्कूल माता का पद अंशकालिक है और सिद्धान्तः इनसे स्कूल खुलने से पूर्व बालक/बालिकाओं को उनके घर से स्कूल तक लाने तथा विद्यालय में छुट्टी हो जाने पर बालक/बालिकाओं को स्कूल से उनके घर तक पहुचाने का ही कार्य लिया जाता है, अतः उन्हें और अधिक पारिश्रमिक स्वीकृति करना सीमित संशोधनों के कारण संभव नहीं हुआ है।

जिला विकास कर्यायालय, फैजाबाद, में कार्यरत अनुसूचित जाति के लिपिकों की प्रोन्नति सम्बन्धी पत्र

*89—श्री मित्रसेन तथा श्री विद्यासागर नौटियाल—

क्या ग्राम्य बिकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक20-2-82 को जिला बिकास कार्यालय, फैजाबाद कार्यरत अनुसूचित जनजाति के लिपको की प्रोन्नति

के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त संदर्भ में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नही तो क्यों ?

श्री बलराम सिह यादव—

दिनांक 20-2-1982 का पत्र प्राप्त होना नही पाया गया*, किन्तु एक पत्र दिनांकित 16-2-82 प्राप्त हुआ है जिस पर जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा जाच कराई जा रही है ।

जिला विकास कार्यालय, फैजाबाद मे अनियमित नियुक्तियो सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

*90—श्री मित्रसेन तथा श्री लल्लू सिह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेगे कि प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 21-1-82 को जिला विकास कार्यालय फैजाबाद में निम्न वर्ग लिपकों की अनियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस अनियमित नियुक्तियों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी, इनके कौन लोग दोषी हैं ? अभी तक अनियमित नियुक्ति निरस्तन किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिह यादव—

जी हाँ,

केवल श्री मित्रसेन यादव सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 21–1–82 प्राप्त हुआ है ।

अनियमित नियुक्तियों के संबंध में जांच चल रही है ।

अभी बता पाना संभव नही है जांच पूर्ण होने पर ज्ञात होगा ।

जांच के उपरान्त उपलब्ध तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायगी ।

श्रीमती माधुरी पाण्डेय सहायक अध्यापिका प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज लखनऊ को पद स्थापित न किये जाने पर प्रबन्धाधिकरण के बिरुद्ध कार्यवाही के आदेश

*91 श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज लखनऊ की सहायक अध्यपिका श्रीमती माधुरी पाण्डेय की सेवा समाप्ति के सम्बध में सचिव, उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के अदेश दिनांक 30–12–81 के अनुपालन में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ द्वारा जारी किये आदेश दिनांक 20–1–1982 तथा 10–2–82 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 27–2–82

श्री बसन्त बल्लभ पाण्डेय, संयुक्त सचिव को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सरकार ने उक्त आदेशों के परिपेक्ष्य में श्रीमती पाण्डेय को सेवा में वापस न लिये जाने के कारण प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ द्वारा संस्था के प्रबंधक को पहले ही नोटिस दी जा चुकी है कि यदि श्रीमती माधुरी पांडेय को पदस्थापित नही कराया जाता है तो विद्यालय की मान्यता वापस लिये जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी। हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से इस विद्यायलय को उनके द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता रोकने के संबध में विचार करने हेतु भी अनुरोध किया गया है।

उ० प्र० मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूलों के अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा नियमावली

*92—श्री गोपीनाथ वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 9 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूलों के अध्यपकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें और अन्य शर्तें, नियमावली, 1975 को पूर्ण एवं विस्तृत बनाए जाने की दिशा में सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिया जा सकेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

निर्णय शीघ्र लिया जायेगा।

*93—श्री जयदीप सिंह—

[माननीय सदस्य ने वापस लिया]

आगरा जनपद में जिला विद्यालय निरीक्षक और लेखा अधिकारी के रिक्त पदों पर व्यवस्था

*94—श्री बदन सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आगरा जनपद में जिला विद्यालय निरीक्षक का पद 1 अक्तूबर, 81 से और लेखा अधिकारी का पद नवम्बर, 80 से अब तक रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नही। दोनों पदों पर व्यवस्था की जा चुकी है।

डी० एस० एम० कालेज काठ मुरादाबाद की प्रबन्ध समिति द्वारा बरती गयीं अनियमितताओं की जांच की मांग

*95 —श्री रामकृष्ण महेश्वरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने अपने पत्र दिनांक 11-7-81 द्वारा उनसे डी0 एस0 एम0 कालेज (इण्टर एवं डिग्री) कांठ (मुरादाबाद) की प्रबन्ध समिति द्वारा बरती गयी बहुत-सी वित्तीय एवं अन्य अनियमितताओं की जांच कराने की मांग की थी ? यदि हां, तो प्रबन्धक समिति के विरुद्ध क्या अब तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों :

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला कृषि एवं परियोजना आधिकारी, फैजाबाद के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*96 —श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्त्ता की चिट्ठी दिनांक 4-5-82 के साथ जिला कृषी एवं परियोजना अधिकारी, फैजाबाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार व अनुशासन-हीनता की निश्चित शिकायतों की एक सूची शासन को मिली ? यदि हां, तो सूची में अंकित शिकायतें क्या हैं और क्या उस पर शासन ने कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो कब और क्या कार्यवाही की और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां ।

सूची में उल्लेखित शिकायतों का विवरण संलग्न है । शिकायतों की जांच हेतु आदेश दे दिये गये ।

प्रश्न नहीं उठता—

(देखिए नत्थी "ड0" आगे पृष्ठ 1557 पर)

लखनऊ के ग्राम शिवलर की हरिजन बस्ती में पेय जल कूप निर्माण तथा लागत

*97—श्री सन्तबक्स रावत—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा सन् 1972 में ग्राम शिवलर विकास खण्ड गोसाईगंज जनपद लखनऊ में गोसेाईगंज

मोहनलाल गंज रोड के किनारे हरिजन बस्ती में पेयजल कूप का निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो उसमें कुल कितनी लागत लगी और उसमें पानी निकला या नहीं ? यदी नहीं, तो कुंए को पूर्ण कराने के लिए शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ।

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

उक्त कूप का निर्माण ठेकेदार द्वारा कराया गया था जिसका भुगतान अभी न किये जाने के कारण कुंए की लागत बताया जाना सम्भव नहीं है ।

कुएं में पानी उपलब्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तथा मस्तीपुर टिकरा में लखनऊ के ग्राम चान्द सराय और कासिमपुर के बीच हरिजन कालोनी और पेयजल कूप का निर्माण

*98—श्री सन्तबक्स रावत—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के विकास खण्ड गोसाईगंज के ग्राम चान्द सराय और कासिमपुर के बीच ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा हरिजन कालोनी और पेयजल कूप का निर्माण सन् 1972 में कराया गया था ? यदि हां, तो हरिजन कालोनी और पेयजल कूप निर्माण में कुल कितना धन व्यय किया गया तथा उससे कितने परिवार लाभान्वित हुए तथा कुंए की गहराई कितनी है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। ग्राम चाँद सराय एवं कासिमपुर नीवाँ में 40 हरिजन परिवारों के लाभार्थ एक कालोनी का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया गया था ।

चांद सराय में कुएं का निर्माण कार्य वर्ष 1972 में नहीं बल्कि अप्रैल 1975 में प्रारंभ किया गया था परन्तु धनाभाव के कारण कुंए की जगत आदि का निर्माण पूरा नहीं हो सका ।

उक्त हरिजन कालोनी पर प्रति आवास 2000/- रू0 की लागत से कुल 80,000/ रूपया की धनराशि व्यय की गई तथा पेयजल कूप पर रू0 2385·29 पैसा व्यय हुआ ।

गाँव के भीतर बने हरिजन कालोनी के 10 आवासों का उपयोग लाभार्थी कर रहे हैं परन्तु गाँव के बाहर बने 30 भवनों का उपयोग लाभार्थी नहीं कर रहे हैं ।

कुएं की गहराई 10 फीट है ।

*99—श्री सन्तबक्स रावत—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद की मोहनलाल-गंज तहसील के ग्राम मस्तीपुर टिकरा, ग्राम में सन् 1972 में ग्रामीण अभियन्त्रण द्वारा हरिजन कालोनी एवं पेयजल कूप का निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो उसमें कुल

कितनी लागत लगी है और उससे कितने परिवार लाभान्वित हुए ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

जनपद लखनऊ की मोहनलाल गंज तहसील के मस्तीपुर के टिकरा ग्राम में सन् 1972 में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा, जयन्ती ग्राम योजना के अन्तर्गत हरिजनों के लिए दस भवनों की एक कालोनी बनवाई गई थी ।

हरिजन पेयजल कूप का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा नहीं किया गया था ।

इन कालोनीज पर दो हजार रुपया प्रति गृह के हिसाब से 20,000/- रुपया व्यय हुआ है एवं इससे 10 परिवार लाभान्वित हुए ।

मण्डी समितियों द्वारा सम्पर्क मार्गों को पक्का कराये जाने का कार्य

*100—श्री चेतराम गंगवार—

क्या कृषि मंत्री जी को ज्ञात है कि वर्ष 1976-77 व 1975-76 में शासन ने प्रदेश में कृषि मण्डी समिति द्वारा कृषकों की उपज को नगर तथा बाजार तक पहुँचाने के लिये प्रति वर्ष 200 कि0 मीटर पक्की सड़क बनवाने का निर्णय लिया था और जिसके अन्तर्गत बरेली, शाहजहांपुर आदि अनेक जिलों में सड़कें बनी भी थीं ? यदि हां, तो क्या अब शासन ने मण्डी समिति द्वारा सड़क बनाया जाना समाप्त कर दिया है ? यदि नहीं, तो वर्ष 1982-83 में प्रदेश में मण्डी समिति द्वारा कुल कितनी सड़क बनना प्रस्तावित है ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां ।

1976 में 200 कि0मी0 सम्पर्क मार्गों को पक्का कराने का निर्णय किया गया था। अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार मण्डी समितियां इस कार्य के लिये वित्तीय सहायता देने के लिये सक्षम नहीं है । अतः 1982-83 में मण्डी समितियों द्वारा सम्पर्क मार्गों का पक्का कराने की योजना नहीं है ।

बस्ती की नौगढ़ मण्डी समिति की उप मण्डी स्थल उस्का बाजार से आमदनी

*101—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील की मण्डी समिति के प्रधान कार्यालय, नौगढ़ के उप मण्डी स्थान उस्का बाजार से पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक साल में अलग-अलग कितनी आमदनी हुई और उस धन में कितना धन किस-किस मद में खर्च हुआ ?

श्री यशपाल सिंह—

मण्डी समिति, नौगढ़ के उप मण्डी स्थल उस्का बाजार से पिछले तीन वर्षों की आमदनी निम्न प्रकार है :—

वर्ष	आमदनी (रुपये)
1979-80	1,19,876-54
1980-81	1,82,128-26
1981-82	1,74,092-69

सम्पूर्ण मण्डी क्षेत्र के आय-व्ययक का खाता एक ही होता है, अतएव केवल उक्त आमदनी के विरुद्ध व्यय का विवरण उपलब्ध नहीं है।

बुलन्दशहर के ग्राम सेगली के हरिजनों के लिए पेयजल कूप

*102—श्री किरन पाल सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि ग्राम सेगली, विकास खण्ड लखावटी, जनपद बुलन्दशहर में हरिजनों के लिए पीने के पानी का कुआं जो पिछले 5 वर्षों से बन रहा है अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है : यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त गांव के हरिजनों को कुयें का पानी पीने के लिए कब तक उपलब्ध होने लगेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं।

ग्राम-सेगली विकास खण्ड-लखावटी जनपद बुलन्दशहर में किसी भी हरिजन कूप का निर्माण 5 वर्षों से अपूर्ण नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सेगली के हरिजनों को हरिजन पेयजल योजना में निर्मित कूपों से पीने का पानी पहले से ही उपलब्ध है।

सराय नहर राय, प्रतापगढ़ तथा फाजिल नगर, देवरिया में उत्खनन से प्राप्त अवशेष तथा रिपोर्ट

*103—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सराय नहर राय जनपद प्रतापगढ़ व फाजिलनगर जनपद देवरिया में क्रमशः इलाहाबाद व गोरखपुर विश्वविद्यालय व पुरातत्व

विभाग के संयुक्त तत्वाधान में उत्खनन किया गया था तथा जिसका सारा व्यय पुरातत्व विभाग ने वहन किया ? यदि हां, तो उत्खनन से प्राप्त अवशेष कहां से तथा उसकी रिपोर्ट कहां है ? क्या एक प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

उक्त उत्खननों से प्राप्त अवशेष क्रमशः इलाहाबाद तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति तथा पुरातत्व विभागों के पास है । इन उत्खननों की कोई रिपोर्ट नहीं है, परन्तु फाजिलनगर जनपद देवरिया के उत्खनन से सम्बन्धित एक संक्षिप्त टिप्पणी फोल्डर के रूप में प्रकाशित की गई थी ।

रामलीला संस्कृत विद्यालय बांदा के सहायक अध्यापक श्री सत्यनारायण पाठक का भुगतान

*104—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बांदा के रामलीला संस्कृत विद्यालय, बांदा से सहायक अध्यापक श्री सत्य नारायण पाठक का वेतन 15 जुलाई, 1974 से 26 अक्तूबर, 1076 तक का नहीं दिया गया हैं ? यदि हां, तो उक्त अध्यापक को वेतन दिलाए जाने की क्या कार्यवाही की जा रही है । यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

अभिलेखों के अनुसार वेतन का भुगतान किया जा चुका है ।

बांदा नगर में स्थित स्टेडियम निर्माण हेतु धन का आवंटन

*105—प्रो0 चन्द्र प्रकाश वर्मा—

क्या खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के बांदा नगर में स्थित स्टेडियम के निर्माण हेतु वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में कोई वित्तीय आवंटन नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ? वर्ष 1982-83 में कितनी धनराशि का आवंटन निर्माण हेतु दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वर्ष 1980-81 में स्टेडियम के निर्माण हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, बांदा द्वारा समय से आगणन उपलब्ध न कराये जाने के कारण कोई आवंटन नहीं किया जा सका, परन्तु वर्ष 1981-82 में रु01·00 लाख का आवंटन किया गया था ।

वर्ष 1982-83 में रु0 1·50 लाख की धनराशि का प्राविधान निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध है जिसका आवंटन निर्माण कार्य की प्रगति एवं पूर्व प्रदत्त धनराशि के व्यय की स्थिति पर निर्भर करेगा ।

बांदा जनपद के बेसिक शिक्षा परिषद में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियो की जांच

*106—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के बेसिक शिक्षा परिषद में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अवैध नियुक्तियों की जांच शासन ने वर्ष 1981–82 में कराई थी ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ? दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*107 – प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 84 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्रीबी० के० त्यागी, जिला कृषि अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*108—श्री थम्मन सिंह गहलोत—

क्या कृषी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बी0 के0 त्यागी, जिला कृषि अधिकारी एवं परियोजनाधिकारी मुजफ्फरनगर के भ्रष्टाचार के बारे में श्री जगराम सिंह, जिला अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, मुजफ्फरनगर द्वारा जारी किया शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? तथा इसी सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का प्रार्थना-पत्र दिनांक 3–3–82 भी प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह —

जी हाँ ।

शिकायती पत्रों की जाँच विशेष अनुसंधान शाषा [कृषि] के माध्यम से कराई गयी और समस्त आरोप निराधार पाये गये ।

आर० टी० एस० से चिलवरा तक मार्ग का निर्माण कार्य

*109—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के प्रथम सोम्मार के लिए निर्धारित प्रश्न-कर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 162 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या ग्राम्य विकास मंत्री जी कृपया बातायेंगे कि मिलिट्री फार्म तथा निजी क्षेत्र की बाधा दूर कर पूरी सड़क बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है तथा सड़क पक्की कब तक करा दी जायेगी ?

श्री बलराम सिंह—

सम्पर्क मार्ग आर0 टी0 एस0 से चिलवारा तक निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के लिए उन कृषकों से जिनके निजी खेत, सड़क के निर्माण के मध्य पड़ते है तथा आर0 टी0 एस0 के प्रधानाचार्य तथा मिलट्री फार्म के प्रभारी अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करके इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि उक्त मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का समाधान आपसी सदभावना से तय हो जाय, परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई परिणाम नहीं निकल सका है। इस सड़क को पक्का कराने के प्रस्ताव पर जिला स्तर पर स्थित विकास अधिकरण विचार कर निर्णय लेने के लिए सक्षम है।

पब्लिक इन्टर कालेज पूरनपुर, पीलीभीत के केन्द्र व्यवस्थापक का बदला जाना

*110—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परीक्षा सन् 1982 के जारी रहते पीलीभीत जिले में कुछ केन्द्र व्यवस्थापकों को बदल दिया गया ? यदि हां, तो वह केन्द्र कौन-कौन हैं तथा व्यवस्था बदलने का कारण क्या था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रब्लिक इण्टर कालेज पूरनपुर, पीलीभीत के प्रधानाचार्य द्वारा वर्ष 1981 की संस्थागत परीक्षाओं में गलत प्रश्न-पत्र खोल लिये जाने के कारण जिला विद्यालय निरीक्षक की संस्तुति पर, इस केन्द्र पर श्री पी0 डी0 कटियार उप विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत को वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक के रूप में परीक्षा संचालन की अनुमति प्रदान की गयी थी एतदसंबंधी अनुमोदन पत्र विलम्ब से प्राप्त होने के कारण जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिनांक 23-3-82 से वाह्य केन्द्र व्यावस्थापक की व्यवस्था की जा सकी।

*111 श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[3रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 74 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री चुन्नी लाल वर्मा, सहायक अध्यापक आदर्श इण्टरमीडिएट कालेज परसौना, गोरखपुर के स्थानान्तरण के बाद भत्तों का एरियर व सेवा पुस्तिका भेजा जाना

*112– श्री नन्दकिशोर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि चुन्नी लाल वर्मा, भू0 पू0 सहायक अध्यापक आदर्श इण्टरमीडिएट कालेज, परसौना जिला गोरखपुर का म्युचूअल स्थानान्तरण श्री जगत नारायण ब्रह्मदेव तिवारी इण्टर कालेज, पकड़ी वीरभद्र, देवरिया में सितम्बर, 1976 में हुआ है : यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्रबन्धक इण्टरमीडिएट कालेज,

परसौना गोरखपुर द्वारा विभिन्न मंहगाई भत्तों के एरियर, सी0 डी0 एस0 की धनराशि आहरित करने के बाद भी उन्हें नहीं भेजी गयी है : साथ ही उनकी सेवा पुस्तिका भी प्रबन्धक द्वारा वर्तमान संस्था को नहीं भेजी गयी है ? यदि हां, तो उक्त अध्यपक के बकाए पैसे एवं सेवा पुस्तिका कब तक जगत नारायन ब्रह्मदेव तिवारी इण्टर कालेज, पकड़ी वीरभद्र देवरिया को दे दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी —

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लालबाग प्राइमरी स्कूल, लखनऊ को मान्यता व अध्यापिकाओं एवं कर्मचारियों को वेतन

*113—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि लालबाग क्रिश्चियन एजूकेशनल सोसायटी, लखनऊ द्वारा संचालित "लालबाग प्रायमरी स्कूल" को शासन द्वारा कब और किन प्रतिबन्धों के साथ मान्यता प्रदान की गयी है ? क्या उक्त विद्यालय की प्रबन्ध समित द्वारा शासन की शर्तों की अवहेलना कर अध्यापिकाओं एवं कर्मचारियों को शासन द्वारा स्वीकृत वेतन एवं भत्ते इत्यादि नहीं दिये जा रहे हैं ? तथा मनमाने दर पर छात्रों से फीस ली जा रही है । यदि हां, तो शासन द्वारा प्रबन्ध समित एवं प्रधानाचार्या के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी —

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मैनपुरी के ग्राम गोहाना इटाहरी व खेरिया में प्राइमरी पाठशालाओं के भवन

*114—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी की तहसील जसराना के अन्तर्गत ग्राम गोहाना व इटाहरी वा खेरियाशिकमी गोहाना में किस वर्ष में प्राइमरी पाठशालाएं खोली गयीं ? क्या यह सच है कि पाठशाला भवनो का अब तक निर्माण नहीं हुआ है और पंचायत भवन में चलाई जा रही है ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा भवन निर्माण कराया जावेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद मैनपुरी की तहसील जसराना के अन्तर्गत ग्राम मोहना में वर्ष 1952 में, ग्राम इटाहरी में वर्ष 1950 में तथा ग्राम खैरिया शिकमी गोहाना में वर्ष 1975 में प्राइमरी पाठशालायें खोली गई हाँ, यह सच है कि इन स्कूलों के भवन अभी नही बने हैं और वर्तमान में प्रइमरी पाठशाला, गोहाना तथा इटाहरी, पंचायत भवन में व प्राइमरी पाठशाला खैरिया शिकमी गोहाना मगनी के भवन में चलाई जा रही है । शासन के पास

ज्यों-जयों साधन उपलब्ध होते रहते हैं तदनुसार भवनहीन विद्यालयों के भवन निर्माण के लिये जनपदवार अनुदान शासन द्वारा स्वीकृत किया जाता है और जिला शिक्षा परामर्शदात्री सीमित द्वारा चयनित विद्यालयों के भवनों का निर्माण स्वीकृत अनुदान की धनराशि से कराया जाता है ।

मुजफ्फरनगर जनपद में गोबर गैस प्लांट्स का लक्ष्य तथा पूर्ति

*115—श्री हुकुम सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि वर्ष 1981-82 के दौरान मुजफ्फरनगर जनपद के विभिन्न विकास क्षेत्रों में गोबर गैस प्लान्ट्स लगाने के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, लक्ष्य के अनुकूल परिणाम मिले या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद मुजफ्फरनगर का वर्ष 1981-82 में वायोगैस/गोबर गैस निर्माण का लक्ष्य 300 का था जिसके विपरीत 302 की पूर्ति हुई । विकास खण्ड वार प्रगति व लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :—

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	लक्ष्य	पूर्ति
1	2	3	4
1–	मुजफ्फरनगर	22	22
2–	बंघरा	21	20
3–	चरथावल	22	24
4–	पुरकाजी	21	17
5	जानसठ	22	24
6–	खातौली	21	17
7–	मोरेना	22	31
8–	शाहपुर	22	29
9–	बुढ़ाना	22	23
10–	कांधला	21	18
11–	कैराना	22	22
12–	शामली	22	31
13–	ऊन	20	13
14–	थानाभवन	20	11
	कुल योग :—	300	302

सरैया डिस्टिलरी, सरदार नगर, गोरखपुर द्वारा राजस्व घोटाले की सूचना तथा अभिलेख

*116—श्रीमती गौरी देवी—

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरैया डिस्टिलरी सरदार नगर गोरखपुर के एक आबकारी निरीक्षक ने 19 अप्रैल, 1982 को आबकारी आयुक्त, इलाहाबाद को एक पत्र द्वारा सरैया डिस्टिलरी के अभिलेख लाकबुक, पी0 डी0 9 शिफ्ट केमिस्ट लाकबुक को अपने कब्जे में लेने और जांच के बाद एक करोड़ 75 लाख रुपए राजस्व घोटाले की सूचना दिया तथा यह भी सूचित किया कि इस घोटाले में दो विभागीय अधिकारी लिप्त हैं ? क्या यह भी सत्य है कि दिसम्बर, 1981 के पहले के सरैया डिस्टिलरी के सभी अभिलेख अभी अप्राप्य हैं ? यदि हां, तो इस सम्पूर्ण मामले में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विद्या भूषण—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर जनपद में किसानों को भिन्न-भिन्न विक्रय केन्द्रों से विक्रय किये गये खाद की मात्रा तथा मूल्य

*117—श्रीमती गौरी देवी—

क्या कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 में गोरखपुर जिले के किसानों को किस-किस प्रकार की खाद सरकारी, अर्धसरकारी व गैर सरकारी खाद विक्रय केन्द्रों से किस मूल्य पर कितनी मात्रा में बेची गयी ? क्या यह सच है कि तीनों प्रकार के केन्द्रों से विभिन्न मूल्य लेकर खाद किसानों को दी गयी ? यदि हां, तो कारण क्या है और खाद के मूल्य में एकरूपता लाने के सरकार ने क्या कदम उठाए ?

श्री यशपाल सिंह—

वांछित सूचना संकलन में दी गई है ।

जी हां ।

सरकारी संस्था (कृषि विभाग) तथा अर्ध सरकारी संस्था (उत्तर प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम) द्वारा शासन से निर्धारित मूल्य पर उर्वरकों का विक्रय किया गया । किन्तु अर्ध सरकारी शीर्ष सस्थाओं (प्रादेशिक सहकारी संघ तथा सहकारी गन्ना संघ) एवं निजी विक्रेताओं द्वारा अपने-अपने निजी लाभ में कमी करके शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर उर्वरकों का विक्रय किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी "च" आगे पृष्ठ 1457 पर ।)

गोरखपुर में उप कृषि निदेशक हेतु लिया गया नया कार्यालय भवन तथा शासन द्वारा स्वीकृति

*118—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या कृषि मंत्री विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि पुराने कार्यालय भवन का क्षेत्रफल नए कार्यालय भवन से कम है तथा पुराना कार्यालय भवन जीर्ण स्थिति में है, क्या इसकी जांच अपने स्तर से करवाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? पुराना कार्यालय भवन कितने रुपये माहवार किराये पर था ? क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि नया भवन जब 2,695 रुपया प्रतिमाह किराए पर लिया गया और लेने से पूर्व इसकी स्वीकृति शासन से ली गयी ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या मंत्री जी शासन के नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी श्री शहजाद सिंह के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेंगें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

उप कृषि निदेशक गोरखपुर के पुराने कार्यालय भवन का क्षेत्रफल नये कार्यालय भवन के अपेक्षा कम था, तथा भवन जीर्ण [स्थिति में था । प्राप्त सूचना के अधार पर पुराने भवन जीर्ण] होने की जांच कराने की आवश्यकता नहीं समझी गई । पुराने कार्यालय भवन का किराया रु0 475/– प्रति माह था और भवन स्वामी ने रु0 2102·50 प्रतिमाह बढ़ाने की मांग की थी । नये भवन को किराये पर लेने के पूर्व शासन की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई क्योंकि नये भवन का कब्जा अपरिहार्य कारणों से विभागीय कार्य के हित में तथा शासन की स्वीकृति की प्रत्याशी में ले लिया गया और किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

चाहरवाटी इण्टर कालेज, अकोला, आगरा के संस्थागत छात्रों के प्रमाण-पत्र

*119—श्री बदन सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के चाहरवाटी इण्टर कालेज अकोला (आगरा) के प्रधानाचार्य के दिनांक 23-2-81 व 27-1-82 को स्मृति-पत्र लिखने पर भी सन् 1976 हाईस्कूल संस्थागत वर्ग 'घ' तथा वर्ग 'छ' के 14 प्रमाण-पत्र अभी तक उक्त संस्था को माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा नहीं भेजे गये हैं ? यदि हां तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी –

प्रश्नगत सभी प्रमाण-पत्र संबंधित संस्था को दिनांक 23 अगस्त, 1982 को प्राप्त करा दिये गये हैं ।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन मे वर्कचर्म में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सहायक ड्रिलर के पद पर नियुक्ति

*120– श्री बदन सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, आगरा में वर्कचार्ज में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की प्रोन्नतियां रेगुलर रनर सहायक ड्रिलर के पद पर की गयी हैं ? यदि हां तो इन प्रोन्नतियों का आधार क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन आगरा के नाम से इन विभाग की कोई इकाई नहीं है । इस समय आगरा में कानपुर खण्ड की एक यूनिट कार्यरत है, परन्तु इसके द्वारा अन्वेषणात्मक छिद्रण का कार्य नहीं किया जा रहा है । यह अवश्य है कि खण्ड-द्वितीय, लखनऊ की एक रिग यूनिट आगरा क्षेत्र में कार्यरत रही है । सहायक ड्रिलरस के पद पर जो नियुक्तियां की गई है वे केवल किसी विशेष खंड के कर्मचारीयों में से नहीं की गई है । वरन् विभाग में समस्त रिग यूनिटों पर कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों में से, नियमित चतुर्थश्रेणी अधिष्ठान के सहायक ड्रिलरस के पदों पर 6 नियुक्तियाँ की गई हैं । इसके लिये एक चयन समिति का गठन किया गया, जिसमें वर्कचार्ज में कार्यरत ऐसे सहायक ड्रिलरस के प्रकरणों पर विचार किया गया जिनका न्यूनतम अनुभव 5 वर्ष से अधिक था । चयन का आधार प्रश्नगत कर्मचारियों का सेवाकाल, रिग मशीनों के चलाने का अनुभव तथा शैक्षिक योग्यता रखा गया । नियसित रनर के पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गई ।

देवरिया में मौसम की खराबी से चना और अरहर की फसलों को क्षति

*121–-श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में वर्ष 1982 में मौसम के खराब होने से चना और अरहर की फसलें मारी गयीं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस तरह के अगले वर्षों के लिए चना और अरहर की फसल पर कोई मौसम का असर न पड़े, दवा की खोज करा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां प्रभावित हुई ।

जी नहीं, क्योंकि दवाओं से मौसम को नियंत्रित करना सम्भव नही है ।

डुमरियागंज, बस्ती में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

*122– श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के निर्वाचन क्षेत्र 170

डुमरियागंज, जनपद बस्ती में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य के लिए दिनांक 4–6–81 को जिला विकास अधिकारी, बस्ती तथा सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रथम बस्ती से कोई पत्र कार्यों की स्वकृति प्राप्त करने के लिए जिला अधिकारी, बस्ती को अपने सम्मिलित हस्ताक्षर से भेजा था ? यदि हां तो वह कार्य क्या-क्या हैं ? क्या यह सत्य है कि दिनांक 5-6·1981 को उसी पत्र पर जिलाअधिकारी बस्ती ने अपने स्वीकृति प्रदान कर दी ? यदि हां, तो उन कार्यों को अब तक शुरू न कराए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

डुमरियागंज, बस्ती में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत स्टेयरिंग कमेटी में स्वीकृत योजनाएं तथा उन पर कार्य

*123—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र नं0 170 डुमरियागंज बस्ती में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत स्टेरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 9–5–1981 में कौन-कौन सी योजनाए स्वीकृति हुई थीं और उनमें कौन-कौन सी योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ हुआ ? क्या यह सत्य है कि स्वीकृत धनराशि ग्रामीण अभियन्त्रण के अभियन्ता गण दूसरे कार्यों पर व्यय कर दिए ? यदि हां, तो स्वीकृत योजनाओं पर कार्य न कराने का क्या कारण है ।

श्री बलराम सिंह यादव—

विधान सभा क्षेत्र नं0 170 डुमरियागंज में राष्ट्रीय-ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत दिनांक 9-5-1981 को आयोजितस्टेरिंग कमेटी की बैठक में संलग्नक "क" के स्तम्भ 4 में उल्लिखित योजनाएं स्वीकृत हुई ।

स्वीकृत योजनाओं में से विकास खण्ड डुमरियागंज की क्रम संख्या 1 एवं 2 तथा विकास खण्ड भनवापुर क्रम सं0-1 पर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा कार्य प्रारम्भ कर पूर्ण कराया गया । स्वीकृत योजनाओं के अतिरिक्त किसी अन्य योजना पर विभाग द्वारा कार्य नही कराया गया ।

(देखिए नत्थी "छ" आगे पृष्ठ .1५.८J ..पर ।)

*124—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

[पुनरावृति के आधार पर निरस्त]

श्री फतेह बहादुर सिंह बघेल भू०पू० सहायक कृषि निरीक्षक, बस्ती सदर के विरुद्ध गबन के आरोप की जांच तथा राजकीय कृषि बीज भण्डार, इटावा और बस्ती सदर में दर्शायी गयी क्षति

*125—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या कृषि मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 56 के उत्तर के सम्बन्ध में कृपया बतायेंगे कि जब श्री फतेह बहादुर सिंह बघेल भू0 पू0 सहायक कृषि निरीक्षक, बस्ती सदर के विरुद्ध कुल 10 आरोप रु0 41736-37 का है और जाँच अधिकारी ने 5 आरोप सिद्ध क्या है तो पांच आरोपों में कुल कितने रुपए का गबन श्री फतेह बहादुर सिंह बघेल के ऊपर आया है और गबन साबित होने के बाद इनको किस अधिकारी द्वारा किस दिनांक को बहाल किया गया है ? क्या मंत्री जी ऐसे भ्रष्ट सहायक कृषि निरीक्षक की सेवायें समाप्त करने के आदेश अपने स्तर से पारित करेंगे ? यदि हां तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ।

श्री यशपाल सिंह—

श्री फतेह बहादुर बघेल, भूतपूर्व सहायक कृषि निरीक्षक, बस्ती सदर के विरुद्ध सिद्ध पाये गये 5 आरोपों में कुल रु0 2623.26 पैसे की धनराशि अधिक भुगतान की निहित है। प्रश्नगत मामला अधिक भुगतान का था। इसमें कोई गबन व दुर्विनियोग निहित नहीं था। अतः उक्त धनराशि की वसूली के आदेश पारित कर कृषि निदेशक के आदेश दिनांक 2-12-1981 द्वारा श्री बघेल को सेवा में बहाल किया गया।

अन्य प्रश्न नहीं उठते।

*126—श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसूफ—

क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि इनके कार्यकाल में राजकीय कृषि बीज भण्डार, इटवा और बस्ती सदर पर कितने रुपए की क्षति दर्शाई गयी है ? और उसके लिए इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह भी इनके आरोप-पत्र में शामिल है, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

श्री फतेह बहादुर सिंह बघेल के कार्यकाल में राजकीय कृषि बीज भंडार इटवा पर रु0 21230·68 पै0 तथा बस्ती सदर पर रु0 5432.04 पै0 की क्षति दर्शाई गयी है। उक्त क्षतियां सामान्य प्रकृति की हैं, अतंएव आरोपों में इन्हें सम्मिलित नहीं किया था।

बस्ती जनपद में बाढ़ पीड़ित किसानों को सब्सिडी देने हेतु, बीज

*127—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में बाढ़ से पीड़ित किसानों को सबसिडी पर देने के लिए नेशनल सीड कारपोरेशन द्वारा अक्तूबर,1981, नवम्बर,1981

तथा दिसम्बर, 1981 एवं जनवरी, 82 में कुल कितने कुंटल गेहूं बीज आये और इस स्टोर पर कितना-कितना बीज एलाट किया गया ? अब कितना सीड गोदामों पर अवशेष है क्या इसका पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह—

बस्ती जनपद में बाढ़ पीड़ित किसानों को सब्सिडी पर देने के लिये कोई बीज नही प्राप्त हुआ ।

प्रश्न नही उठता ।

*128—श्री राजकुमार राय—

[1 ले मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 136 द्वारा उत्तरित]

खाद्यान्न योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत बने कच्चे मार्गों के रख रखाव की योजना

*129 - श्री राजकुमार राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत 5 वर्षों में खाद्यान्न योजनाओं एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में बनाई गयी विभिन्न सड़कें तथा सम्पर्क मार्ग जो टूट कर बहकर बेकार हो गई हैं, के मरम्मत, खड़ंजा या किसी अन्य प्रकार के बचाव व रखरखाव की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है। यदि हां, तो क्या ?

श्री बलराम सिंह यादव –

जी हाँ ।

श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत निर्मित कच्चे मार्गो के रखरखाव हेतु एक योजना विश्व बैंक की सहायता हेतु भारत सरकार के माध्यम से भेजी जा रही है ।

राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति की सेवा मुक्ति के लिये आयु सीमा तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति की सेवा मुक्ति

*130—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य के किसी विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए नियुक्ति तथा सेवा मुक्ति की क्या आयु सीमा रखी गयी है और क्या इसका पालन गढ़वाल विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति की सेवा मुक्ति के सम्बन्ध में किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी –

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 12 जिसके अन्तर्गत राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया दी गई है, में कुलपति की नियुक्ति तथा सेवा मुक्ति की आयु का कोई उल्लेख नहीं है। प्रश्न नहीं उठता है।

कर्मचारियों की समस्यायों की जांच, बाल विद्या मन्दिर चारबाग, लखनऊ के स्थायीकरण तथा वेतनमान

*131—श्री भीखालाल—

क्या शिक्षा मंत्री विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के दूसरे मंगलवार के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या 76 के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि बाल विद्या मन्दिर, चारबाग लखनऊ में 42 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको स्थायी नहीं किया गया है और उनके वेतन मान उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता के अनुसार निश्चित नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी –

सबंधित संस्था का केवल जूनियर हाई स्कूल (कक्षा 6, 7 व 8) शिक्षा विभाग द्वारा स्थाई मान्यता प्राप्त है जिसके चारों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्थाई हैं। संस्था के अन्य अनुभाग (नर्सरी, प्रिपरेटरी तथा प्रइमरी) मान्यता प्राप्त नहीं है। मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को निर्धारित वेतनमान देने के निर्देश प्रबंधक को दे दिये गये हैं।

*132—श्री भीखा लाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी द्वारा संचालित बाल विद्या मन्दिर, चारबाग, लखनऊ के कार्मचारी का प्रार्थना पत्र दिनांक 5-11-81 जिसमें उत्पीड़न संबंधी समस्याओं का उल्लेख किया गया हैं ? यदि हां, तो उसकी जांच कराई गयी है और कर्मचारियों की समस्यायें क्या थीं और उनके समाधान के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ,

प्रश्नगत प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ और उसकी जांच कराई गई। कर्मचारियों की समस्यायें संलग्नक में उल्लिखित है। जहां तक समस्याओं के समाधान का संबंध है, इस विद्यालय को केवल जूनियर हाई स्कूल स्तर (कक्षा 6 से 8) की स्थाई मान्यता, प्रदान की गई हैं। स्कूल के अन्य अनुभाग (जैस नर्सरी प्रिपेरेटी और प्राइमरी) मान्यता प्राप्त नही है और इसलिये उनमें कार्यरत अध्यापकों/कर्मचारियों की सेवा शर्तों आदि से शिक्षा विभाग संबंधित नहीं है। मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल स्तर के अध्यापकों/कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) अध्यापकों के संबंध में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर

हाई स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियमावली 1978) के प्राविधान लागू होते हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संबंध में सेवा नियम बनाये जा रहे हैं।

(2) प्रबंधक को निर्देश दिये गये हैं कि सभी शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवा संबंधी तथा अन्य अभिलेख एक समान रखे जायें।

(3) चतुर्थ श्रेणी कार्मचारियों के वेतनमान निर्धारित वेतनमान से कम हैं। अतः प्रबंधक को निर्देश दिये गये हैं कि उन्हें निर्धारित वेतनमान दिये जांय। जूनियर हाई स्कूल के चारों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्थायी है।

(देखिए नत्थी "ज" आगे पृष्ठ 1462 पर।)

अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनमान में पदोन्नति के लिये आरक्षित कोटे की पूर्ति हेतु प्रस्ताव

*133—श्री भीखालाल—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनमान में अनुसूचित जाति तथा जन जाति के निर्धारित कोटा पूर्ति हेतु क्या कोई विशेष प्रस्ताव शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से वर्ष 1978 में शासन को प्राप्त हुआ हैं? यदि हां, तो वह प्रस्ताव क्या है और इस प्रस्ताव को शासकीय अनुमोदन किया गया अथवा नहीं और कोटे के पूर्ति अब तक कितने प्रतिशत हुई है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

वर्ष 1978 में शिक्षा निदेशक का यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के एल0 टी0 तथा एस0 एस0 ई0 एस0 वेतनक्रम के अध्यापकों को अधीनस्थशिक्षा सेवा (राज्यपत्रित) वेतनमान में पदोन्नति देने हेतु स्थाई होने का प्रतिबन्ध हटाकर केवल 10 वर्ष की अविरल सेवा ही आवश्यक होने का प्रतिबन्ध रखा जाय। प्रस्ताव विधिक दृष्टिकोंण से उचित नहीं पाया गया। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का कोटा 3.11 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का कोटा 0·50 प्रतिशत हुआ है।

*134—श्री भीखालाल—

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री धर्मवीर सिंह इण्टरमीडिएट परीक्षा के व्यक्तिगत परीक्षार्थी का परीक्षाफल

*135—श्री भीखा लाल —

क्या शिक्षा मंत्री बातने की कृपा करेंगे कि विद्यार्थी धर्मवीर सिंह रोल नं0 507971 वर्ष 1980–81 में इंटरमीडिएट की परीक्षा में व्यक्तिगत रूप से माध्यमिक

शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश मेरठ के माध्यम से शरीक हुआ था और उसका परीक्षा केन्द्र सफीपुर जनपद उन्नाव था लेकिन उसका परीक्षा फल अभी तक घोषित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो परीक्षाफल घोषित न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

परीक्षार्थी धर्मवीर सिंह अनुक्रमांक 507971 इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा 1981 में एम0 जी0 इण्टर कालेज, सफीपुर, उन्नाव से आवेदन पत्र अग्रसारित कराकर सुभाष इण्टर कालेज बागरमऊ उन्नाव केन्द्र से परीक्षा में सम्मिलित हुआ था। उसका परीक्षाफल शिक्षा शास्त्र द्वितीय प्रश्नपत्र में अपूर्ण था, जिसे पूर्ण कराकर 24-11-81 को ही जिला विद्यालय निरीक्षक उन्नाव के माध्यम से प्रधानाचार्य एम0 जी0 इण्टर कालेज, सफीपुर उन्नाव को प्रेषित कर दिया।

राजकीय डिब्बाबन्दी तथा फल संरक्षण संस्थान अशोक मार्ग, लखनऊ में डिप्लोमा कोर्स

*136—श्री भीखालाल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय डिब्बा बन्दी तथा फल संरक्षण संस्थान 18-बी0 अशोक मार्ग, लखनऊ द्वारा पन्द्रह महीने का डिप्लोमा कोर्स चलाया जाता है ? यदि हां, तो वर्ष 1978-79 में कितने विद्यार्थियों ने डिप्लोमा कोर्स पूरा किया और उनको कोई प्रमाण पत्र आदि दिया गया और उनका सौ रुपया जमानत का पैसा वापस किया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां।

वर्ष 1978-79 में 16 विद्यार्थियों ने डिप्लोमा कोर्स पूरा किया।

जी हां।

एक विद्यार्थी को छोड़ कर सभी विद्यार्थियों को डिप्लोमा प्रमाण पत्र दिया गया।

जी हां।

एक विद्यार्थी श्री गुलाम नबी अएंगर जिसके ऊपर राजकीय देय बकाया शेष है, को छोड़कर अन्य समस्त विद्यार्थियों को जमानत की धनराशि वापस कर दी गई है।

उन्नाव जनपद के प्राथमिक शिक्षकों के वेतन से आवर्ती जमा योजना तथा अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत कटौती की धनराशि तथा हिसाब किताब

*137 श्री भीखालाल—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि उन्नाव जनपद में प्राथमिक शिक्षकों से आवर्ती जमा योजना तथा अनिवार्य जमा योजना योजना के अन्तर्गत नवम्बर,

1975 से अक्टूबर 1980 तक माहवारी किस्तों में काटे गये धन को पास बुकों में जमा करके अध्यापकों को पास बुकें नहीं दी गईं ? पास बुकों के अभाव में अथवा सही प्रविष्टियों के अभाव में अध्यापकों को पैसे की वापसी में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो प्रत्येक तहसील में ऐसे अध्यापकों की संख्या क्या है और उनके हिसाब किताब को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

उन्नाव जनपद में प्राथमिक शिक्षकों से आवर्ती जमा योजना के अन्तर्गत नवम्बर, 1975 से अक्टूबर, 1980 तक काटे गये धन को पोस्ट आफिस, उन्नाव में जमा किया गया। इस योजना में 3,954 अध्यापक सम्मिलित हुये। उन्हें उनकी पोस्ट आफिस पास बुकें दी जा चुकी हैं। उक्त में से 3,695 अध्यापकों को भुगतान प्राप्त हो चुका है। पास बुकों में सही प्रविष्टियों के अभाव में केवल 259 अध्यापकों को कठिनाई उठानी पड़ी। तहसीलवार इन अध्यापकों की संख्या निम्न अनुसार है :—

1	तहसील उन्नाव—	63
2	तहसील हसनगंज—	68
3	तहसील सफीपुर—	64
4	तहसील पुरवा	64

पोस्ट मास्टर, उन्नाव से व्यक्तिगत सम्पर्क कर उक्त में से 105 प्रकरणों में प्रविष्टियां ठीक कराकर उनका भुगतान कराया जा चुका है। शेष 154 पास बुकें भी शीघ्र ठीक कराने का प्रयास किया जा रहा है।

अनिवार्य जमा योजना का धन प्राबीडेन्ट फन्ड कमिशनर के अधीन रिजर्व बैंक में जमा किया गया था। इनकी पास बुकें प्राप्त न होने के कारण, अध्यापकों को नहीं दी जा सकी परन्तु प्राबीडेन्ट फन्ड कमिश्नर से प्राप्त धनराशि संबंधित अध्यापकों में वितरित की जा चुकी है।

राजकीय जूनियर ट्रेनिंग कालेज, कांठ मुरादाबाद के सम्बन्ध में जानकारी

*138—श्री राम कृष्ण माहेश्वरी —

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय जूनियर ट्रेनिंग कालेज कांठ (मुरादाबाद) में वर्ष 1979–80 एवं 81 में कितने कितने छात्रों ने इस विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा इन तीनों वर्षों में कितनी धनराशि प्रत्येक वर्ष में इस विद्यालय पर किन किन मदों में व्यय करनी पड़ी है। सत्र 1982 में कितने छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तथा विद्यालय में कितने अध्यापक एवं अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

राजकीय जूनियर ट्रेनिंग कालेज, कांठ (मुरादाबाद) में वर्ष 1979-80 में प्रथम वर्ष के 50 तथा द्वितीय वर्ष के 37 छात्राध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। वर्ष 1980-81 में 50 छात्रा-

ध्यापकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। वर्ष 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 (तीन वर्ष) में विभिन्न मदों पर प्रति बर्ष में निम्नानुसार धनराशि व्यय करनी पड़ी :—

वर्ष 1979-80	रु0 1,96,851-78
वर्ष 1980-81	रु0 2,59,955-73
फरवरी 1982 तक	रु0 2,30,082-04

उपर्युक्त व्यय का मदवार विवरण संलग्न है।

सत्र 1982 में इस विद्यालय में 25 छात्राध्यापक प्रशिक्षणरत रहे। इस विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या निम्नवत है :—

(अ) प्रधानाचार्य	1	
(ब) अध्यापक वर्ग (जे0टी0सी0 अनुभाग)	10	कार्यरत
	1	पद रिक्त
(स) अध्यापक वर्ग (माडल स्कूल)	13	
(द) लिपिक वर्ग	1	कार्यरत
	1	पद रिक्त
(य) चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी	10	

(देखिए नत्थी "झ" आगे पृष्ठ 1463 पर।)

अजमगढ़ जनपद के विकास क्षेत्र घोसी और फतेहपुर मन्डाव के लिये स्टैरिंग कमेटी में स्वीकृत कार्यों का निर्माण

*139— श्री राजकुमार राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री प्रथम सत्र सन् 1982 के पांचवे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 9 के सम्बन्ध में कृपया बतायेंगे कि स्टेरिंग कमेटी ने कार्यों का सम्पादन इस दृष्टिकोण से किया था कि हर विधान सभा क्षेत्र में कुछ न कुछ काम हो जाय तो 207 नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र में धन की अनुपलब्धता दिखाकर कोई कार्य न सम्पदित करने या छोड़ देने के क्या कारण है? क्या स्टेरिंग कमेटी द्वारा पास किये गये कामों में से छूटे या अधूरे कामों को पूरा करने की योजना शासन की है? हां, तो कब तक यदि नही तो स्टेरिंग कमेटी द्वारा कामों के निश्चय कराने व पास कराने का क्या औचित्य है?

श्री बलराम सिह यादव—

जिला स्टीयरिंग कमेटी आजमगढ़ द्वारा जो कुल कार्य चयन करके सम्पादन हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को सौपें गये उनके निर्माण हेतु पर्याप्त धनराशि विभाग को उपलब्ध नहीं हुई। इस कारण से कुछ कार्य प्रारम्भ नहीं किये जा सके।

अवशेष कार्य, डी0 आर0 डी0 ए0 की स्वीकृति के पश्चात ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को धनराशि उपलब्ध कराने पर, पूर्ण कराये जा सकेगें ।

घोसी-पकड़ी मार्ग आजमगढ़ पर निर्मित पुलिया की टेक्निकल आडिट सेल द्वारा जांच पर कृत कार्यवाही

*140 --श्री राज कुमार राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री प्रथम सत्र 1982 के चौथे सोमवार के लिए अतारंकित प्रश्न संख्या 34 के सन्दर्भ में कृपया बतायेंगे मुख्य अभियन्ता तथा टेकनिकल आडिट सेल ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा जांच के उपरान्त किन किन व्यक्तियों को किस किस हद तक दोषी पाया ? क्या दोनों की जांच रिपोर्ट मंत्री जी सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

"घोसी-पकड़ी" मार्ग जनपद आजमगढ़ पर सोलिंग एवं पुलिया के कार्य में टेकनिकल आडिट सेल, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा उत्तर प्रदेश द्वारा जांच कार्य किया गया। जांच के फलस्वरूप शासकीय धन की क्षति पाई गई । इस शासकीय क्षति के लिये सर्व श्री दीनानाथ, अधिशासी अभियन्ता, श्री संतोष राय, सहायक अभियन्ता एवं श्री बब्बन सिंह, सहायक विकास अधिकारी प्रथम दृष्टा उत्तरदायी पाये गये । उक्त अधिकारियों के खिलाफ अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है । अभी जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखना जनहित में न होगा ।

श्रीमती शन्नो अग्रवाल, प्रवक्ता, राजाराम महिला इण्टर कालेज के अवशेष वेतन का भुगतान

*141—श्री भीखालाल —

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि श्रीमती शन्नो अग्रवाल प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र राजाराम महिला इण्टर कालेज बदायूं का प्रार्थना पत्र दिनांक 12-1-82 कार्यभार दिलाने तथा बकाया वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

श्रीमती अग्रवाल के सेवा समाप्ति के प्रकरण पर शीघ्र निर्णय लेने एवं निलम्बन अवधि के वेतन ुगतान के सम्बन्ध में निलम्बन आदेशों के अन्तर्गत देय अवशेष वेतन के भुगतान हेतु निदेशालय द्वारा मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, बरेली को निर्देशित कर दिया गया है ।

कृषि विश्वविद्यामय फैजाबाद के कुमारगंज कृषि फार्म में दैनिक वेतन भोगी मजदूरों के उत्पीडन सम्बन्धी पत्र

*142—श्री मित्रसेन—

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का कोई प्रार्थना पत्र माननीय कुलपति कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद कुमार गंज कृषि फार्म पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी मजदूरों के उत्पीड़न एवं निष्कासन से संबंधी दिनांक 24-11-81 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मुख्य मुख्य शिकायतें क्या है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां।

प्रार्थना पत में मुख्य-मुख्य शिकायतें तथा उन पर की गयी कार्यवाही संलग्नक में अंकित है।

(देखिए नत्थी "अ" आगे पृष्ठ 1454.. पर।)

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद से सम्बन्धित शिकायती पत्र

*143—श्री मित्रसेन—

क्या कृषि मंती बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का कोई शिकायती पत्र जो आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद से संबंधित था दिनांक 7-4-82 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री यज्ञपाल सिंह—

जी हां।

शिकायती पत्र में उल्लिखित शिकायतें जांचोपरान्त निराधार पाई जाने के कारण प्रकरण को समाप्त कर दिया गया।

*144—श्री रियासत हुसैन—

[दिनांक 16-3-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 223 द्वारा उत्तरित]

सर्वोदय कालेज विलारी, मुरादाबाद के अध्यापक श्री ओम प्रकाश शर्मा की एल० टी० ग्रेड पर पदोन्नति

*145– श्री रियासत हुसैन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सर्वोदय कालेज विलारी जनपद मुरादाबाद के अध्यापक (श्री ओम प्रकाश शर्मा) जो सी0 टी0 ग्रेड के

हैं को एल0 टी0 ग्रेड में प्रमोशन दिया गया जिसका डी0 आई0 ओ0 एस0 द्वारा एप्रूवल भी कर दिया गया ? यदि हां तो डी0 आई0 ओ0 एस0 मुरादाबाद द्वारा यह नियुक्ति किस आधार पर स्वीकार की गयी ? जबकि कोई प्रस्ताव कालेज मैनेजिंग कमेटी ने एल0 टी0 ग्रेड में कोई स्थान रिक्त न होने के कारण पारित नहीं किया था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

एल0 टी0 ग्रेड में स्थान रिक्त था । श्री ओम प्रकाश शर्मा की पदोन्नति हेतु प्रबन्ध समिति ने प्रस्ताव पारित किया था । अतः जिला विद्यालय निरीक्षक ने सहमति दी थी ।

आई० एम० एम० इण्टर कालेज, अमरोहा, मुरादाबाद में दो अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

*146—श्री रियासत हुसैन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि आई0 एम0 एम0 इण्टर कालेज, अमरोहा, जनपद मुरादाबाद (अल्पसंख्यक) के दो अध्यापक जो रिटायर हो गये हैं उनकी जगह भरने का अभी तक डी0 आई0 ओ0 एस0 मुरादाबाद ने एड्वर्टाइज करने की सैक्शन नहीं दी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी —

जी हां ।

प्रश्नगत विद्यालय में दिनांक 30-6-1981 को दो अध्यापकों के रिटायर हो जाने के फलस्वरूप रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विद्यालय के प्रबन्धाधिकरण द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुमति मांगी गई थी । मान्य अनुभागों तथा कार्यरत अध्यापकों के कार्यभार की समीक्षा के उपरांत जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कार्यरत उपलब्ध अध्यापकों से ही कार्य चलाने के निर्देश दिये गये । वर्तमान वर्ष में विद्यालय के प्रबंधक से अद्यावधिक सूचना मांगी गई है जिसके उपलब्ध होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा मामले में विचारोपरान्त समुचित कार्यवाही की जावेगी ।

बेसिक शिक्षा परिषद, आजमगढ़ के शिक्षकों के भविष्य निर्वाह निधि व बीमा की पासबुकें

*147—श्री राजकुमार राय—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के भविष्य निधि एवं जीवन बीमा की पास बुकें निदेशालय द्वारा वर्ष 1977 में उपरोक्त शिक्षा परिषद को भेज दी गयी थी ? यदि हां तो उक्त पास बुकें संबंधित शिक्षकों को अब तक क्यों नहीं वितरित की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही हैं ।

श्री हजारी लाल वर्मा को देव दरबार आश्रम इण्टर, कालेज, साण्डी, हरदोई के प्रधानाचार्य का कार्य-भार न देने सम्बन्ध याचिका

*148—श्री हरीशंकर--

क्या विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 6 वें मंगलवार के अत0 प्र0 सं0 113 के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री जी जानकारी है कि प्रबन्धाधिकरण की अपील 15-2-82 को निरस्त हो गई ? यदि हां, तो क्या श्री वर्मा को प्रधानाचार्य का चार्ज दे दिया गया ? यदि नहीं तो क्यों और जि0 वि0 नि0 हरदोई द्वारा प्रबन्ध समिति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रबन्ध समिति ने श्री वर्मा को कार्य-भार न देने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है जो विचाराधीन है । साथ ही साथ प्रबन्ध समिति ने शिक्षा निदेशक को प्रत्यावेदन भी दिया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राइमरी पाठशाला, घुघली, गोरखपुर के सहायक अध्यापक श्री रामनाथ दीक्षित को वेतन

*149—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रा0 पा0 घुघली (गोरखपुर) के सहायक अध्यापक (श्री रामनाथ दीक्षित) को बिगत अक्टूबर 1980 से वेतन नहीं मिल रहा है ? यदि हां तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

श्री रामनाथ दीक्षित सहायक अध्यापक प्राइमरी पाठशाला घुघली गबन के आरोप में निलम्बित है इसलिये इनको वेतन का भुगतान नही किया जा रहा है । किन्तु निलम्बन भत्ता नियमानुसार दिया जा रहा है ।

आजमगढ़ के खण्ड विकास अधिकारी, फतेहपुर मण्डल को जीप तथा विकास व नियोजन विभाग में नीलामी हेतु जीपें

*150—श्री रामकुमार राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगें कि ग्राम्य विकास को गति देने के लिए

खण्ड विकास अधिकारियों को जीपें आवंटित की जाती है यदि हां तो आजमगढ़ जनपद के फतेहपुर मण्डाब विकास क्षेत्र को गत वर्षों से कोई जीप न देने का कारण क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां।

फतेहपुर मंडव विकास खंड आजमगढ़ एक पुनर्जीवित विकास खंड है। विभागीय नीति एवं शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक पुनर्जीवित विकास खंड को जिला स्तर पर रोस्टर में 15–15 दिन के लिए जीप आवंटित किये जाने के आदेश हैं तदनुसार उक्त विकास खंड को भी जीप उपलब्ध करायी जाती रही हैं।

*151—श्री राज कुमार राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के विकास और नियोजन विभाग के अधीन पांच गाड़ियां 1976 से नीलाम किए जाने के बावजूद भी कबाड़ में पड़ी हुयी है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां।

जनपद आजमगढ़ में पांच नहीं अपितु सात जीपें नीलाम की जानी थीं। नीलामी में केवल एक गाड़ी का मूल्य ही परिवहन विभाग से निर्धारित मूल्य से अधिक आया, शेष का नहीं। अतः इन गाड़ियों को नीलाम नहीं किया। परिवहन विभाग से पूर्व निर्धारित मूल्यों में संशोधन कर नीलामी कराने की कार्यवाही की जा रही है।

अलीगढ़ में कमला देवी हाई स्कूल के सम्बन्ध में जानकारी

*152—श्री रियासत हुसैन—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अलीगढ़ में कमला देवी जू0 हाई स्कूल कहां स्थित है और कब से चल रहा है ? क्या विद्यालय स्थाई/अस्थाई मान्यता प्राप्त है ? यदि नहीं तो फिर 1977 से निरन्तर ही सरकारी अनुदान किस आधार पर दिया जा रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

आजमगढ़ नगर दीक्षा विद्यालय के पुनः स्थापन की मांग

*153—श्री राजकुमार राय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ नगर दीक्षा विद्यालय कब स्थापित हुआ था उसे कब और क्यों समाप्त या स्थानान्तरित कर दिया गया ? क्या जनता की परेशानियों को देखते हुए शासन उसे पुनः स्थापित करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी —

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के पूर्व स्थापित किया गया था और बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी की समस्या को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से इसे 1 जुलाई, 1978 से समाप्त कर दिया गया।

बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी की समस्या अब भी बनी हुई है। अतः विद्यालय को पुनः स्थापित करना संभव नहीं हैं।

आर० एम० पी० डिग्री कालेज सीतापुर के छात्रों का परीक्षाफल

*154 —श्री हरगोविन्द वर्मा —

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0 एम0 पी0 डिग्री कालेज सीतापुर के छात्रों का परीक्षाफल वर्ष 1981–82 का घोषित नहीं हुआ है ? यदि हां तो क्या सरकार सीघ्र परीक्षा, फल घोषित सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

विश्वविद्यालय परीक्षाफल शीघ्र घोषित कराने के लिए प्रयत्नशील है। कार्यवाही का प्रश्न नहीं है।

ब्लाक अकबरपुर, जिला फैजाबाद, द्वारा ग्राम हाजीपुर मरुई में विद्यालय भवन निर्माण के लिए धन के सम्बन्ध में पत्र

*155 — श्री प्रियदर्शी जैतली—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 15–2–82 जो ब्लाक अकबरपुर, जिला फैजाबाद द्वारा ग्राम हाजीपुर मरुई को अनियमित रूप से उक्त ग्राम में विद्यालय भवन निर्माण के लिये दिये गये धन के संबंध में उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं।

*156—श्री प्रियदर्शी जैतली—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अप्रैल व मई वर्ष 1982 में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र विकास खड अकबरपुर, जिला फैजाबाद द्वारा ग्राम ताजपुर मोहि-

द्दीनपुर के स्थान पर उक्त विकास खंड को अन्य ग्राम सभा के देने के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्या ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23 अप्रैल, 1982 प्राप्त हुआ है। जांच में यह तथा प्रकाश में आये कि ताजपुर मोहिउद्दीनपुर तथा हाजीपुर मरुई का स्कूल हाजीपुर मरुई में चल रहा था। अतः स्वीकृत धनराशि पांच सौ रुपया हाजीपुर-मरुई के प्रधान को दिनांक 6 मार्च 1965 को दिया गया था जिसका प्रधान में सदुपयोग कर लिया है ।

विद्या मन्दिर हायर सेकेन्डरी स्कूल, रामपुर के अध्यापक श्री राजेन्द्र प्रसाद का वेतन भुगतान

*157—श्री चेतराम गंगावर—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय न्यायालय रामपुर के निर्णय एवं आदेशानुसार 3–10–81 से पुनः अपने पद पर कार्यरत अध्यापक श्री राजेन्द्र प्रसाद विद्या मंदिर हा0 से0 स्कूल रामपुर को 16–11–76 से 2–10–81 तक का अवशेष वेतन तथा 3–10–81 से वर्तमान शमय तक का वेतन भुगतान नहीं किया गया ? यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी अविलम्ब वेतन भुगतान करने के आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जंतुको डीहर जूनियर बेसिक पाठशाला, गोंडा के निर्माण में ठेकेदार द्वारा घपलेबाजी के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

*158—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक 22–1–81 को ग्राम तुर्का डीह विकास खण्ड वामन जोत, जनपद गोण्डा के निवासी सर्वश्री जंगबहादुर सिंह व जयवरण सिंह आदि द्वारा एक रजिस्ट्रीशुदा प्रर्थना पत्र जिला अधिकारी, गोंडा, प्रशासक जिला परिषद गोंडा को हो रहे नवनिर्मित जूनियर बेसिक पाठशाला जंतुको डीहर में सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा की जाने वाली घपले बाजी के विषय में दिया गया था ? यदि हां, तो उस प्रार्थना पत्र में अंकित शिकायतें क्या थीं और उन शिकायतों को दूर करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में फसल बीमा योजना

*159—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार ने फसल बीमा की योजना प्रदेश में लागू की है ? यदि हां तो सीतापुर जनपद में योजना लागू होने से अब तक कितने जोतदारों की फसल का बीमा किया गया ?

श्री यशपाल सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*160—श्री हरगोविन्द वर्मा—

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 40 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय, आगरा के सम्बन्ध में शिकायतें

*161—श्री बदन सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया वतायेंगे कि अप्रैल, 81 से मई, 82 तक आगरा शहर के कुछ संभ्रान्त नागरिकों के शिकायती पत्र राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय आगरा के विषय में उन्हें प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं। तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

रतन सेन डिग्री कालेज, बांसी, बस्ती के आडिट में पायी गयी अनियमितताएं

*162—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 3 उरे मंगलवार के लिए प्रश्नकर्त्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 21–22 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या अब तक जांच पूर्ण हो गयी है ? यदि हां तो क्या तथ्य प्रकाश में आये एवं उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

कालेज का आडिट कराया जा चुका है। और निम्नलिखित विशेष अनियमितताये प्रकाश में आई है :—

1—प्राभूत की आय का अनुरक्षण कोष में कम जमा कराया जाना।

2—रु0 6, 445/— के अपहरित किये जाने की सम्भावना।

3—लगभग 1, 40,600/— वेतनसंदय लेखों में पिछले चार वर्षो में कम धन जमा कराया जाना।

4—हरिजन छात्र वृत्ति में गलत सूचनाएं देकर हरिजन कल्याण कार्यालय से छात्र-वृत्ति का अधिक धन आहरित कर छात्रों को वितरित करना किसके समाज कल्याण विभाग को हानि हुई है।

यह प्रकरण प्रशासन के विचाराधीन है।

सीतापुर जिले में शासन द्वारा प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों की इमारतों की निर्माण

*163—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जून, 1980 से 20 मई, 1982 तक सीतापुर जिले में कितनी प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल की इमारतें सरकार द्वारा बनायी गयीं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद सीतापुर में 1 जून 80 से 20 मई तक 15 प्राइमरी तथा 2 जूनियर हाई स्कूल की इमारते शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान की धनिराशि से बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से निर्मित करायी गयी है।

27 प्राइमरी तथा 3 जूनियर हाई स्कूल की इमारतों का निर्माण का प्रगति पर है।

कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में हिन्दी के प्रोफेसर की नियुक्ति

164—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में डा0 राजकुमार गुप्ता हिन्दी के प्रोफेसर पद पर अनियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में कुलाधिपति को विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद् की रिपोर्ट 1980–81 में प्रेषित की गई हैं ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

कुमायूं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिन्दी की नियुक्ति हेतु गठित चयन समित क संस्तुति से कार्य परिषद् ने असहमति व्यक्त की। फलस्वरुप उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के धारा 31 (8) (ए) के अन्तर्गत यह मामला कुलाधिपति को निर्णय

हेतु विश्वविद्यालय द्वारा भेजा गया। कुलाधिपति ने चयन समिति की संस्तुति को स्वीकार कर लिया जिसके आधार पर चयनित व्यक्ति को नियुक्ति दे दी गयी। कार्य परिषद ने पुनः चयनित व्यक्ति की नियुक्ति के संबंध में 25-4-81 की अपनी बैठक में जांच कराने हेतु एक समिति गठित की जिसकी रिपोर्ट विश्वविद्यालय द्वारा कार्य परिषद् को आख्या सहित 5-4-1982 को कुलाधिपति को निर्णय हेतु भेजा है।

श्रीमती शकुन्तला भूषण सहायक विकास अधिकारी (महिला) ब्लाक सालारपुर, बदायूं के स्थायीकरण तथा वेतन भुगतान के सम्बन्ध में पत्र

*165—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती शकुन्तला भूषण सहायक विकास अधिकारी (नहिला) ब्लाक सालारपुर, जनपद बदायूं को स्थायी किये जाने तथा उनके वेतन के भुगतान के संबंध में उसके पुत्र श्री श्यामकुमार शर्मा, 65, कायस्थ बाड़ा सिकन्दराबाद बुलन्दशहर द्वारा फरवरी, 1982 में एक प्रार्थना पत्र श्री यशपाल सिंह विधायक बुलन्दशहर के माध्यम से ग्राम्य विकास मंत्री एवं आयुक्त बरेली मण्डल को दिया गया? यदि हां, तो कार्यवाही क्या की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*166—श्री कुबेर भण्डारी तथा—

श्री रूद्र प्रताप सिंह—

[5 वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जौनपुर जनपद के मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को प्रारम्भिक अनुदान

*167—श्री जंगबहादुर—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय जिन्हें स्थायी मान्यता 1977 के पूर्व प्राप्त हो गयी थी प्रारम्भिक अनुदान देने की सूची में नहीं रखे गये जबकि कि 1977 के बाद के विद्यालयों को प्रारम्भिक अनुदान दे दिये गये? यदि हां, तो वर्ष 1977 के पूर्व के स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय कौन-कौन से हैं उन्हें प्रारम्भिक अनुदान न जाने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां,

वर्ष 1977 के पूर्व के स्थाई मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यायलयों की सूची संलग्न है। इन्हें प्रारंभिक अनुदान न दिये जाने का कारण उनका अनर्ह होना अथवा गुणात्मक अंकों के अधार पर चयन के लिये उपयुक्त न पाया जाना है।

(देखिए नत्थी "ट" आगे पृष्ठ .(५६७....पर)

उप निदेशक, कृषि रक्षा के पद पर नियुक्ति

*168- श्री राम आसरे वर्मा तथा—

श्री खैरुल बशर—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में उप निदेशक कृषि रक्षा का पद कब से रिक्त चल रहा है और कब तक पूर्णकालिक उप निदेशक, कृषि रक्षा को नियुक्ति न करने का क्या कारण है।

श्री यशपाल सिंह—

उप निदेशक कृषि रक्षा का पद दिनांक 20 अप्रैल, 1979 से रिक्त है। सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची अन्तिम न हो सकने के कारण पूर्ण कालिक उप निदेशक कृषि रक्षा की नियुक्ति नहीं हो सकी है।

श्री गिरीश चन्द यादव जिला कृषि अधिकारी के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*169 --श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के पहले सोम्वार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्त्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 109 के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जांच से क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा उसके संदर्भ में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री यशपाल सिंह—

जाँच के परिणाम स्वरुप शिकायतें निराधार पाई गई अतएव किसी व्यक्ति के दोषी पाये जाने तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

मनोरमा कन्या जूनियर हाई स्कूल, मुरादाबाद की अध्यापिकाओं को सरकार द्वारा वेतन

*170—श्री रियासत हुसैन—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि 13 अगस्त, 1980 को मनोरमा कन्या जूनियर हाई स्कूल मुरादाबाद समाप्त हो गया है ? यदि हां, तो उस स्कूल की अध्यापिकाओं को सरकार की ओर से वेतन किस अधार पर दिया जा रहा है जबकि यह स्कूल प्राइवेट मैनेजमेंट का था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्राइमरी पाठशाला ताजपुर मोहिउद्दीन, फैजाबाद के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

*171—श्री प्रियदर्शी जेवली—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का कोई शिकायती पत्र दिनांक 15–2–82, जो कि प्राइमरी पाठशाला ताजपुर मोहिउद्दीनपुर ब्लाक अकबरपुर, जिला फैजाबाद के संबंध में था उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां तो अब तक उक्त सम्बंध में क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

शिकायती पत्र दिनांक 15 फरवरी, 1982 प्राप्त हुआ है मंडलीय उपशिक्षा निदेशक, नवम् मंडल, फैजाबाद से शिकायत पर जांच अख्या मांगी गयी है, जो दिनांक 27–8–82 को प्राप्त हुई है, इसका परीक्षण किया जाना है।

*172—श्री नन्द किशोर सिंह —

[1ले मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 137 द्वारा उत्तरित]

मल्लाबां विकास खण्ड, हरदोई को स्वीकृत हरिजन पेयजल कूपों का निर्माण

*173—श्री राम आसरे वर्मा —

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि वर्ष 1977–78, 1978–79, 1979–80 1980– 81 एवं 1981–82 में उक्त जनपद हरदोई के मल्लावां विकास खण्ड को कितने हरिजन पेय जलकूप स्वीकृत किये गये तथा कितनों का निर्माण कराया गया ? कितनो का नहीं ?

*श्री बलराम सिंह यादव —

वांछित सूचना निम्नवात् है :—

वर्ष	स्वीकृत हरिजन पेयजल कूप	निर्म्मित हरिजन पेयजल कूप	शेष हरिजन जन पेय जल कूप
1977–78	9	9	—
1978–79	64	64	—
1979–80	45	45	—
1980–81	7	6	1 निमार्ण धीन
1981–82	3	3	—

नरेन्द्र देव इण्टर कालेज, जलालपुर, फैजाबाद में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायती पत्र तथा शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन से कटौतियों के विषय में जानकारी

*174—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 16 फरवरी, 1982 को प्रश्नकर्त्ता द्वारा कोई पत्र श्री नरेन्द्र देव इन्टर कालेज, जलालपुर, फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं गबन के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त सम्पूर्ण मामले की जांच करायी गयी ? जांच के दौरान कितने आरोप सत्य पाये गये ? और उसका क्या परिणाम निकला ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*175—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के नरेन्द्र देव इण्टर कालेज जलालपुर के शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमाह काटी जाने वाली सी0 टी0 डी0, पी0 एफ0, जी0 पी0 फंड एवं जीवन बीमा की धनराशि सत्र 1976-77 से आज तक (1-5-82) वेतन से कब काटी गई तथा सम्बन्धित खाते में कब जमा की गई ? क्या सम्बन्धित व्यक्तियों के खातों में जमा हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

डा० राम लखन पाण्डेय, सेवा निवृति जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया की पेंशन आदि का बकाया

*176—श्री गोपीनाथ वर्मा

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 रामलखन पाण्डेय, जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया, जनपद बलिया को 21-3-81 को सेवा से निवृत्ति कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सेवा से निवृत्त जिला विद्यालय निरीक्षक की आन्तरिक पेंशन तथा नकदीकरण की धनराशि 11,484 रु0 (ग्यारह हजार चार सौ चौरासी रुपया) अवशेष है । यदि हां, तो उक्त अवशेष धनराशि का कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ? अब तक अवशेष धनराशि का भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

डा० प्रकाश चन्द्र, कार्टोग्राफर सेन्ट जोन्स कालेज, आगरा को प्रवक्ता का वेतनमान

*177—श्री धनीराम वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा0 प्रकाश चन्द्र सेन्ट जोंस कालेज आगरा में 25--8--69 को कार्टो ग्राफर पद पर नियुक्त किये गये थे और मा0 सिविल जज आगरा ने अपने निर्णय दिनांक 27--2--1979 के अनुसार डा0 प्रकाशचन्द्र को 25-8--72 से प्रवक्ता मानकर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सभी विशिष्टियों सहित वेतनमान दिये जाने के आदेश दिये थे तथा राज्य सरकार ने अपने आदेश 3243/15--75/11-3/2/74, दिनांक 9--5--1975 में जो भी प्रवक्ता 31--12--72 तक 300--600 वेतनमान में कार्यरत थे उन्हें 1--1--1973 से 700--1600 वेतनमान दिए जाने का निर्णय लिया था? यदि हां तो डा0 प्रकाश चन्द्र को अभी तक प्रववता वेतनमान न दिये जाने के क्या कारण है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

डा0 प्रकाश चन्द्र को सेन्ट जोंस कालेज, आगरा में कार्टोग्राफर कम-डिमोस्ट्रेटर के पद पर रु0 250-400 के वेतनमान में 25-8-69 को नियुक्त किया गया था और माननीय सिविल जज, आगरा ने उन्हें प्रवक्ता का वेतनमान दिये जाने का निर्णय दिया। प्रश्न में उल्लिखित शासना देश दिनांक 9--5--75 में ऐसा कोई निर्णय नहीं था कि जो प्रवक्ता 31--12--72 को 300-600 के वेतनमान में कार्यरत थे उन्हें 1--1--73 से 700--1600 का वेतनमान दिया जायगा। डा0 प्रकाश चन्द्र को 1--1--73 से प्रवक्ता वेतनमान दिये जाने के प्रवरण शासन के विचाराधीन है।

श्री शिव सहाय सिंह प्रधानाचार्य, चौधरी बल्देव सिंह हा० से० स्कूल बमरौली, बिजनौर का आवेदन पत्र

*178—श्री थम्मन सिंह गहलौत –

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिव सहाय सिंह प्रधानाचार्य चौधरी बल्देव सिंह हा0 से0 स्कूल बमरौली जिला बिजनौर का आवेदन पत्र दिनांक 10--11--81 को शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को भेजा गया है? यदि हां तो उस पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

अधीनस्त शिक्षा सेवा (राजपतित) में आरक्षित कोटे से प्रोन्नति में अर्हताओं के शिथिलीकरण पर विचार

*179 श्री सन्त बक्स रावत—

विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 158 दिनांक 16-2-82 के उत्तर के संदर्भ

में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पदोन्नति हेतु निर्धारित स्थान होने के प्रतिबन्ध से छूट न देने का जो निर्णय फरवरी, 1981 में लिया गया है उसका विवरण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रश्नगत प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त शासन इस निष्कर्ष दर पहुँचा कि प्रोन्नति से भरे जाने वाले पदों के लिये निर्धारित मापदण्ड अथवा अर्हता की पूर्ति भी भर्ती की शर्तों की ही भाँति आवश्यक है। लोक सेवाओं का स्वरूप एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिये बनाया जाता है, जिसमें प्रोन्नति का एवं विशेष महत्व होता है। प्रोन्नति के लिये निर्धारित अर्हताओं की शर्तों में वर्ग विशेष के लिये शिथिलीकरण करना लोक सेवाओं के स्वरूप को आघात पहुँचाना है। अतः प्रोन्नति से भरे जाने वाले पदों के लिये, जो अपेक्षाकृत वरिष्ठ होते है, और जहाँ दक्षता का स्तर ऊँचा रहना आवश्यक है, निर्धारित अर्हता की शर्तों को शिथिल करना लोक सेवाओं के स्वरूप के हित में नहीं है। अतएव एल0 टी0 एवं एस0 एस0 ई0 एस0 वेतनक्रमों में कार्यरत अनुसूचित जाति/जनजाति के अध्यापकों को अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) वेतनमान में प्रोन्नति हेतु निर्धारित अर्हताओं को शिथिल करना सम्भव नहीं।

*180—श्री प्रभू नारायण सिह—

[3रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 83 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री पी० के० सिंह अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा का गोरखपुर में कार्यकाल तथा स्थानान्तरण

*181—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अधिशासी अभियन्ता (श्री पी0 के0 सिह) कब से गोरखपुर में कार्यरत है एवं यहां आगमन के पश्चात् इनका कई बार स्थानान्तरण हुआ ? यदि हां, तो कब-कब और स्थानान्तरण के बाद भी इन्हें इसी जनपद में रोकने का क्या औचित्य हैं ?

श्री बलराम सिह यादव—

श्री पी0 के0 सिह, अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, गोरखपुर जनपद में दिनांक 10-8-80 से कार्यरत है। श्री सिह का शासनादेश दिनांक 31-7-81, 13-11-81, 30-12-81, 4-1-82, 5–2–82, एवं 31-7-82 द्वारा गोरखपुर से अन्यत्र स्थानान्तरण किया गया था।

इनको प्रशासकीय दृष्टिकोंण से गोरखपुर जनपद में रोका गया।

हरदोई जनपद के ब्लाक सुरसा में प्रधानों के चुनाव में कतिपय सहायक अध्यापकों की ड्यूटी से अनुपस्थिति

*182—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 28-4-82 को हुए प्रधानों के चुनाव

में जनपद हरदोई के ब्लाक सुरसा में स0 अ0 मथुरा प्रसाद दीक्षित, रामकिशोर दीक्षित, सुन्दर लाल दीक्षित, बालकन्हैया दीक्षित, रामानन्द दीक्षित, नि0 ग्राम कदैया, ब्लाक सुरसा, हरदोई की ड्यूटी लगी थी, यदि हां, तो अपनी ड्यूटी पर उपस्थित न होकर यह लोग अपने गांव चुनाव प्रचार में लगे रहे ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्त्ता ने जिलाधिकारी, हरदोई से 27-4-82 को शिकायत की थी तथा बी0 डी0 ओ0, सुरसा ने भी जिलाधिकारी को इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही के लिए लिखा है ? यदि हां, तो शासन ने उपरोक्त लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

दिनांक 28-4-82 को हुये प्रधानों के चुनाव में जनपद हरदोई के ब्लाक सुरसा में सहायक अध्यापक, सर्वश्री मथुरा प्रसाद दीक्षित, राम किशोर दीक्षित, सुन्दर लाल दीक्षित, बाल कन्हैया दीक्षित, रामानन्द दीक्षित की ड्यूटी लगी थी। सर्वश्री मथुरा प्रसाद दीक्षित, सुन्दर लाल दीक्षित व रामानन्द दीक्षित दिनांक 24 अप्रैल, 1982 से 27 अप्रैल, 1982 तक बीमारी के कारण जिला चिकित्सालय में भर्ती रहे और 27 अप्रैल 1982 को सायं प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अस्पताल से मुक्त किये गये। इन्हें तीन दिन के विश्राम का भी चिकित्सीय परामर्श दिया गया था। सर्वश्री राम किशोर दीक्षित व बाल कन्हैया दीक्षित भी 25 अप्रैल, से 27 अप्रैल, 1982 तक जिला अस्पताल में भरती रहे। इन्हें भी तीन दिन के विश्राम की सलाह दी गई थी। चूंकि उक्त अध्यापक चुनाव प्रचार करते नहीं पाये गये अतः, उनके खिलाफ किसी कार्यवाही के किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

नवीन मंड़ी स्थल जंगीपुर, गाजीपुर में नलकूप का त्रुटिपूर्ण निर्माण कार्य

*183—श्री झिलमिट राम—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवीन मंडी स्थल जंगीपुर गाजीपुर में निर्मित नलकूप के निर्माण में कितना धन व्यय हुआ है ? क्या यह सत्य है कि उक्त नलकूप से पानी नहीं निकलता ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि पानी के अभाव में नयी मन्डी स्थल में पुरानी मन्डी स्थानान्तरित नहीं हो पा रही है ? ऐसे त्रुटि पूर्ण नलकूप निर्माण करने का उत्तरदायित्व किन अधिकारियों व कर्मचारियों पर है ?

श्री यशपाल सिंह—

नवीन मन्डी स्थल जंगीपुर गाजीपुर में निर्मित नलकूप के निर्माण में रूपये 41, 977-49 की धनराशि व्यय हुयी है। यह नलकूप कार्यरत नहीं हो सका है। यह सही नहीं है, कि केवल पानी के अभाव में ही नवीन मन्डी स्थल में पुरानी मन्डी स्थानान्तरित नहीं हो रही हैं। नलकूप के त्रुटिपूर्ण निर्माण कार्य के लिये सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का स्पष्टीकरण मांगा गया है जिससे उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सके।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मित्रसेन—

माध्यवर, प्रश्नों के संबंध में मेरा एक व्यवस्था का सवाल है संसदीय कार्य मंत्री

बैठे है मेरे तारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर दिया है वह गलत है उसमें सदन को गुमराह किया गया है। मैं उनके विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की नोटिस देता हूं।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, आप लिख कर दे दें।

सरकारी चीनी मिल धुधली जनपद गोरखपुर के रिसीवर द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष :—

नियम 301 सूचनायें प्राप्त हुई जिसमें से मैने 13 सूचनायें स्वीकार की हैं।

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

श्री जर्नार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अत्यंत लोक महत्व के प्रश्न को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

मुझे अभी एक तार श्री आत्मप्रकाश द्विवेदी, मंत्री, चीनी मजदूर यूनियन धुधली, जनपद गोरखपुर का प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि उक्त मिल के मजदूर जिला अधिकारी, गोरखपुर के कार्यालय के समक्ष धरना दे रहे हैं।

मजदूरों की मुख्य मांग बकाये का तत्काल भुगतान, अनियमित रूप से शासकीय आपत्ति द्वारा 60 से अधिक भरती किये गये लोगों को निकालने तथा रिसीवर के विरुद्ध भारी गोलमाल, वित्तीय अनियमता तथा स्वेच्छाचारियों की खुली जाँच कराने से सम्बन्धित है।

मेरी निश्चित जानकारी है कि इसके पहले रिसीवर के भ्रष्टाचार के खिलाफ मजदूरों ने कई बार शासन का ध्यान आकृष्ट किया लेकिन आश्चर्य है कि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई। इतना ही नहीं इस सम्बन्ध में जिलाधीश गोरखपुर ने जो भी आदेश रिसीवर को दिया, रिसीवर ने उसका भी पालन नहीं किया।

अतः बाध्य होकर मजदूरों को धरना देने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। मजदूरों में आक्रोश व रोष है, ठीक समय से मिल चल सके, इसलिए इसके लिए आवश्यक है कि तत्काल रिसीवर को हटा कर उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की खुली जाँच हो, उनके अवैध आदेशों को रद्द किया जाय तथा मजदूरों के विभिन्न प्रकार के देय धन का भुगतान कराया जाय।

जनपद गोण्डा में सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तंगत सूचना

*श्री मसरूर जाफरी :—

मान्यवर, जनपद गोंडा में सूखे का प्रकोप इतना तीव्र है कि देश के आजाद होने के बाद इतना बड़ा सूखा अब तक नहीं पड़ा। सरकार के बार-बार घोषणा के बाद भी कि सरकार सूखे का हर प्रकार से मुकाबला करने को तैयार है सूखे की परिस्थितियों में कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परिवर्तन नहीं आया। किसान अपने धान के बीज को (बेहन) काटकर जानवरों को खिला दिया। इसलिए कि यदि वह न काटते तो खेतों न झुलझ जाते जो पौधे रोपाई कर दिये गये हैं, वे भी प्रायः सूख गये हैं। अनुमान है खरीफ की 90 प्रतिशत फसल तवाह हो चुकी है। यदि वर्षा हो भी जाय तो फसलों को बचाया नहीं जा सकता।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र उतरौला में रबी की फसल खेत और खलिहानों में सड़ गयी। पिछले खरीफ की सफस सैलाब में समाप्त हो गयी, तथा इस वर्ष सूख में समाप्त हो गयी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई नहर भी नहीं है। सरकारी नलकूपों को हालत दयनीय हैं। जिसके कारण तवाही और भयानक रूप धारण कर चुकी है। मुझे आश्चर्य है कि इतनी तबाही पर भी सरकार ने जिले को सूखा क्षेत्र घोषित नहीं किया।

लोक महत्व के अवलम्बनीय प्रश्न की ओर सदन के माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाकर समस्याओं का समाधान चाहता हूँ और मांग करता हूँ कि गोण्डा जिले को सूखा क्षेत्र घोषित किया जाय। हर प्रकार के सरकारी कर्जे को माफ किया जाय। छात्रों की फीस माफ की जाय। 24 घंटे युद्ध स्तर पर विद्युत की सप्लाई की जाय। सरकारी नलकूपों की मरम्मत तथा नालियाँ बनाई जायँ। पूरे ग्रामीण क्षेत्र में राहत कार्य हेतु खाद्यान्न योजना चालू की जाय। जरूत मंद किसनों को अनुदान तथा बिना सूद के लम्बी अवधि का कर्ज दिया जाय।

खटीमा, जिला नैनीताल के विधायक श्री बिहारी लाल के ऊपर प्राणघातक हमले में तस्करो, परगनाधिकारी श्री पद्म सिंह तथा थानाध्यक्ष श्री रणवीर सिंह की साजिश होने के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री बिहारी लाल—

मान्वर, खटीमा क्षेत्र के विधायक होने के नाते मैंने खटीमा में भारी मात्रा में लाखों रुपये की कीमती, खैर, शीशम, शाल आदि की लकड़ी के अवैध कटान एवं तस्करी के संबंध में 25 जुलाई, 1982 को मंडलीय मीटिंग अल्मोड़ा, जिसकी अध्यक्षता कमिश्नर कुमाऊं कर रहे थे शिकायत की।

जिस पर कमिश्नर कुमाऊं ने सम्बन्धित अधिकारियों की जांच हेतु आदेश दिये। परगनाअधिकारी खटीमा श्री पद्म सिह तथा थानाध्यक्ष खटीमा श्री रणवीर सिह भी इस अवैध कटान एवं तस्करी में सरीक हैं और इसके अलावा नैपाल से खटीमा को अन्य वस्तुओं को भारी मात्रा में तस्करी होती है। ये अधिकारी उसमें भी लिप्त रहते हैं, व मेरे द्वारा समय-समय पर इनके कुकृत्यों का भण्डाफोड किये जाने से खटीमा क्षेत्र के तस्कर एवं ये अधिकारी मुझसे नाराज हैं और मुझे एवं मेरे परिवार को जान से मारने की साजिश कर रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीकरण नहीं किया।

खटीमा, जिला नैनीताल के विधायक श्री बिहारी लाल के ऊपर प्राणघातक हमले में तस्करों, परगनाधिकारी श्री पद्म सिंह तथा थानाध्यक्ष श्री रणवीर सिंह की साजिश होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

दिनांक 15 अगस्त, 1982 को टनकपुर में इन्हीं असामाजिक तत्वों ने मेरी गाड़ी घेरकर मेरे ऊपर प्राणघातक हमला किया परन्तु मेरे साथियों के सहयोग से मैं बच निकला, घटना की रीपोर्ट मैंने टेलीफोन से थाना टनकपुर में करनी चाही परन्तु थाने का रिसीवर आफ था परगनाधिकारी खटीमा श्री पद्म सिंह, टनकपुर में मौजूद थे, परन्तु उन्होंने एवं पुलिस ने घटना में कोई ध्यान नहीं दिया।

घटना के तुरन्त बाद इन हमलावरों ने दुबारा टनकपुर टोल चौकी के बैरियर को गिराकर मेरे ऊपर प्राणघतक हमला करने का पुनः प्रयास किया परन्तु में गाड़ी बदलकर किसी प्रकार बच निकला, आये दिन मुझे एवं मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी भरे पत्र मिलते रहते हैं। उक्त परनाधिकारी एवं थानाध्क्ष खटीमा निरन्तर मेरे विरुद्ध सुनियोजित षड़यंत्र तस्कारों के साथ मिलकर रख रहे हैं जिससे मेरे परिवार एवं मुझे जान माल का सख्त खतरा उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार की घटनाओं के फलस्वरूप में क्षेत्र में विधायक के रूप में अपने दायित्व को निभाने में पूर्णतया असमर्थ हो रहा हूँ।

अतएव में लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से निवेदन करता हूँ कि मेरे ऊपर दिनांक 15-8-82 को स्थान टनकपुर में दो बार हमला किये जाने की घटनाएं हुई हैं, के हमलावरों को दण्ड दिया जाय तथा मेरे एवं मेरे परिवार की सुरक्षा हेतु समुचित कार्यवाही की जाय। परगनाधिकारी एवं थानाध्यक्ष खटीमा को अविलम्ब वहां से अन्यत्र स्थानान्तरित कर उनके विरूद्ध उच्च स्तरीय जांच किये जाने की माँग करता हूँ।

(व्यवधान)

श्री ख्वाजा हलीम—

मान्यवर, यह बड़ा संगीन मामला है। सत्तापक्ष के एक सदस्य के प्राणों का संकट पड़ा हुआ है। आप इस पर मंत्री जी से कहला दीजिए।

(व्यवधान)

जनपद नैनीताल में बाढ़ से क्षति तथा जिला प्रशासन की उदासीनता के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

*श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, दिनांक 27-8-82 को जिला नैनीताल में डीमरी नदी की बाढ़ से ग्राम वायबाला को 60 परिवारों की हरिजन बस्ती पूर्ण रूप से नष्ट हो गयी है। लोग किसी प्रकार जान बचा कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गये हैं। ग्रामवासियों के पशु व सारा समान मलवे में दब कर नष्ट हो गये, ग्रामवासी बेघरबार होकर दयनीय स्थिति में हैं। बंगुल नदी की बाढ़ से रूदपुर में संजय कालोनी को भारी क्षति हुई हैं। जगतपुर में 18 वर्षीय मुस्लिम युवक बाढ़ की चपेट से मर गया, जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ से प्रभावित लोंगों के प्रति घोर उदासीनता दिखायी जा रही है। राहत कार्य बिलकुल भी नहीं किये जा रहे हैं जिससे लोगों में भारी निराशा, असन्तोंष एवं आक्रोश व्याप्त हो गया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

अतः हम लोकमहत्व के इस सुनिश्चित प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करते हैं कि बाढ़ पीड़ितों की प्रचुर सहायता दी जाय तथा उनके भोजन एवं रहने की अविलम्ब उचित व्यवस्था की जाय ।

सीतापुर कोतवाली क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था की बिगड़ती स्थित के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तगत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्वर, मैं आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन से संज्ञान में सीतापुर कोतवाली क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था की निरन्तर बिगड़ती हुई स्थिति लाना चाहता हूँ । मात्र विगत पखवारे में एक व्यापारी जो सर्राफ का सामान लेकर जा रहा था बीच बजार में मार डाला गया । असामाजिक तत्वों का एक ऐसा गिरोह क्रियाशील है जो कि सरे आम दुकानों पर जाकर पिस्तौल की नोक पर आमदनी लूट लेता है । अभी कई दूकानों पर यह बारदातें हुई । 3 दिन पूर्व एक राजकीय अधिकारी की पत्नी के गले से सोने की जंजीर बीच बजार में छीन ली गयी । कई हत्यायें तथा डकैतियों की वारदातें हुई हैं । राहजनी तो आम बात है ।

परन्तु मान्यवर, घटनाओं पर नियंत्रण पाने में स्थानीय पुलिस पुर्णतया विफल हुयी है जिससे जनता में आतंक तथा भय उत्पन्न है । दुकानें जल्दी बन्द हो जाती है । आमा आदमी सूर्यास्त के बाद घर से नहीं निकलता है ।

अतएव लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कर त्वरित तथा प्रभावी कार्यवाही की अपेक्षा करता हूँ ।

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद के परिक्षेत्र में कृषकों की भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों को अनुदान तथा नौकरी आदि की सुविधायें न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

*श्री मित्र सेन—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व विद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के परिक्षेत्र में स्थिति कृषकों की गहरे असन्तोष एवं आक्रोश की एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना आदरणीय सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । विगत 6-7 वर्ष पूर्व विश्वविद्यालय की स्थापना के अवसर पर प्रभावित किसानों को उच्च नेताओं एवं उच्च अधिकारियों की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि जिन किसानों की भूमि विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में अधिग्रहित की जायेगी उन्हें ऊँची से ऊँची दर के मुआविजे एव अनुवाद दिया जायेगा । तथा प्रभावित परिवारों को पात्रता के आधार पर सभी परिवारों में एक एक सदस्य को अवश्य ही नौकरी दी जायेगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के परिक्षेत्र में कृषकों की भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों को अनुदान तथा नौकरी आदि की सुविधायें न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमान्, उपरोक्त कृषि विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में स्थित ग्राम शिवनाथपुर के सभी कृषकों की सम्पूर्ण भूमि अधिग्रहित कर ली गयी और उन्हें विस्थापित की स्थिति में छोड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम पिठला जोरियम, एवं नवां के कृषकों का बहुत बड़ा भूभाग अधिग्रहीत कर लिया गया है जिसमें बहुत सारे कोरी भूमिहीन एवं बेसहारा हो गये हैं और जब वह निराश्रित एवं भूखों मर रहे हैं। इस प्रकार से अधिग्रहण से प्रभावित कृषकों के लिए प्रदेश शासन ने अपने अर्धशासकीय पत्र संख्या 465/4–73 रु0 अनुभाग–2, (29)–73 दिनांक 29 दिसम्बर, 1973 के द्वारा यह आदेश निर्गत किया है कि भूमि अधिग्रहण से होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए अनुदान, पुर्नवास, और प्राथमिकता के आधार पर नौकरियों में स्थान दिया जायेगा किन्तु खेद है कि उक्त विश्वविद्यालय से प्रभावित एवं विस्थापित कृषकों को इस प्रकार की कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की गयी है जबकि इसी शासनादेश के अन्तर्गत तापिय परियोजनाटांडा, फैजाबाद, ऊंचाहार, परियोजना रायबरेली, तेल शोधन कारखाना, मथुरा, एवं मिर्जापुर से प्रभावित कृषकों को उपरोक्त सुविधायें प्रदान की गयी हैं। इस प्रकार सौतेले व्यवहार एवं दोहरे मानदंड अपनाए जाने से उक्त क्षेत्र के कृषकों में जहां असंतोष एवं आक्रोश की भावना व्याप्त हो गयी है और वह इस असंतोष को लेकर सड़कों पर उतरने एवं संघर्ष करने के लिए कटिबद्ध हो गये हैं। कृषकों को अपनी रोजी एवं रोटी की इस लड़ाई में किसी भी समय कोई अप्रिय एवं गम्भीर घटना घट सकती है, इसी संघर्ष में दिनांक 17 अगस्त, 1982 में उक्त परिक्षेत्र में कृषकों ने एक बहुत ही बड़ा प्रदर्शन कर अपनी मांगपत्र को कृषि अधिष्ठाता कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद को प्रस्तुत किया।

अतः में आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि उक्त शासनादेश की अविलम्ब पालन कराया जाय और वर्तमान शासन से प्रदेश के अन्य स्थलों पर अधिग्रहित भूमि हेतु दी गयी सुविधा के अनुसार इन विस्थापित कृषकों को दी जाय और कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया जाये कि प्रभावित कृषकों में से प्रत्येक के परिवार से एक एक व्यक्ति को पात्रता के आधार पर नौकरी दी जाय। वर्ना किसी भी समय स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

सिंचाई विभाग में शासन के आदेशों के विपरीत किये जाने वाले स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

*श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से शासन के आदेश दिनांक 14 अगस्त, 1982, जिसमें समस्त विभागों को माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्देश दिया गया है कि 14-8-82 के बाद कोई भी स्थानांतरण किसी विभाग में न किया जाये। उसकी ओर आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्री कृष्णपाल सिंह, सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, जमुना कैनाल खण्ड, मुजफ्फरनगर जुलाई प्रथम सप्ताह में गंगा कैनाल खण्ड मेरठ से स्थानांतरण होकर आये। तत्पश्चात् जमुना कैनाल खण्ड, मुजफ्फरनगर से उनका स्थानांतरण लगभग 1.5 माह में ही गंगा कैनाल खण्ड, मुजफ्फरनगर में किया गया है। इस स्थान पर श्री बी0 डी0 मित्तल जो कुमाऊं सिंचाई खण्ड अल्मोड़ा से जुलई 1981 में गंगा कैनाल खण्ड, मुजफ्फरनगर स्थानांतरित होकर आये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थे, उनका स्थानांतरण एक वर्ष की अवधि में ही जमुना कैनाल खण्ड, मुजफ्फरनगर में कर दिया गया है और न जाने कैसे हर विभाग में जिनकी पहुँच नहीं है, शासन के आदेशों के विपरीत स्थानांतरण का तांता लगा हुआ है।

अतः मैं शासन से यह मांग करता हूं कि ऐसे सभी मामलों की तुरन्त जांच करें तथा 14-8-82 के बाद जिनका स्थानांतरण शासन के आदेशों के विपरीत किया जा रहा है, को निरस्त करें।

बांदा एवं हमीरपुर जिलों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

*श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

माननीय अध्यक्ष जी, बुन्देलखण्ड के जनपद बांदा एवं हमीरपुर केन, यमुना एवं बेतवा नदियों की भयंकर बाढ़ से पीड़ित है। बांदा के ग्रमीण अंचलों में यमुना के जल प्लावन से चिल्लाघाट, जसपुरा मऊ के गांवों के लोग अपने मकानों की छतों पर बैठे राहत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाद में खजुरी पुरवा गांव बह गया है। बांदा नगर के मौहल्ले खुटला, निम्नीपार आदि में केन नदी का पानी घुस गया है बाढ़ की गम्भीरता को देखते हुए सेना एवं पी0 ए0 सी0 के जवानों ने राहत कार्य शुरू कर दिये हैं।

यमुना तथा बेतवा नदी की बाढ़ के फलस्वरूप हमीरपुर शहर का सम्पर्क शेष राज्य से कट गया है। हमीरपुर शहर के निचले क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सारा नगर लगभग एक टापू सा बन गया है। हमीरपुर में बाढ़ के पानी से लगभग 5 हजार मकान अब तक गिर गये है।

लोक महत्व के इस प्रश्न की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि बाढ़ राहत कार्य में तेजी लायी जाय। बाढ़ पीड़ियों को गृह अनुदान मंहगाई के अनुरूप दी जाये। बांदा नगर को बाढ़ से बचाने के लिए भविष्य में सुरक्षा दीवाल का निर्माण किया जाये। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक कार्यवाहियां की जायं क्योंकि बाढ़ के बाद रोग तेजी से फैलते हैं। बाढ़ से नष्ट हुई फसलों के लिए कृषकों को अनुदान तकाबी, खाद तथा बीज दिये जायं।

जनपद जौनपुर में शारदा नहर को मड़ियाहु-केराकत शाखा के सीपेज व जल प्लावन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रभू नारायण सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से शासन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। शारदा नहर की मड़ियाहूं—के रावत शाखा के जलरिसाव (सीपेज) व जल जमाव से जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर के बदायुं-परेव मोजरा, कुशियां, नाहर पट्टी, घुसांव, ककौरी, चितईपुर, भैनाथपुर, लहगपुर, ओइना, बेला, जगापुर, भाऊपुर, मरही आदि गांवों की हजारों एकड़ जमीन जल प्लावित रही है। इन गांवों में नहर के किनारे बसने वाले लोगों के घरों में इतनी

*वक्ता ने भाष का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सीलन व्याप्त हो गयी है कि कच्चे घर धराशायी हो रहे हैं। सीलन और जल जमाव से मनुष्य और पशुओं का जीवन दूभर हो रहा है। जहां इन जमीनों में कृषि नहीं हो पा रही है। वही लोग घर छोड़ने को भी विवश हो रहे हैं। इन ग्रामों में परिगणित एवं पिछड़ी जातियों के लोग ही प्रायः इस नहर के किनारे बसे हुए हैं। गरीबों के बच्चे घर धरासाई होने से वे झोपड़ी में अपने परिवार के साथ किसी प्रकार जीवन यापन कर रहे हैं। अनबरत जल जमाव से मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। क्षेत्र में पशुओं और मनुष्यों की भयंकर बीमारी फैलने की आशका व्याप्त है। लोग सदैव इस आसन्न संकट से संयस्त है।

अतः मैं शासन से मांग करता हूँ कि इस समस्या का निदान निकाला जाय। किनारे के कृषि योग्य भूमि की रक्षा की जाय। मनुष्यों और पशुओं की जीवन रक्षा हेतु इन्हें ऊँचे और स्वच्छ स्थानों पर बसाया जाय। पशुओं और मनुष्यों के स्वास्थ्य की भी रक्षा की जाय।

इटावा जनपद में सार्वजनिक निर्माण विभाग की औरैया-बेला सड़क के दिवियापुर कस्बे से गुजरने वाले हिस्से के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

***श्री धनीराम वर्मा—**

महोदय, मैं लोक महत्व के एक अविलम्बनीय विषय को सदन एवं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हमारे जनपद इटावा में सार्वजनिक निर्माण विभाग की एक सड़क औरैया बेला है जो दिबियापुर कस्बे के मध्य से गुजरती है। इस सड़क का एक किलो-मीटर भाग जो दिबियापुर कस्बे के मध्य से गुजरता है, सन् 1980 से पूर्णतया क्षतिग्रस्त है। जिससे अनेक गड्ढ़े हो गये हैं जिसके परिणाम स्वरूप सड़क के किनारे के दोनों ओर के मकानों के परनालों का गन्दा पानी सड़क में भरा रहता है जिससे पूरे कस्बे में दुर्गन्ध रहती है और मच्छरों का प्रकोप रहता है। फलस्वरूप मलेरिया और नाना प्रकार की बीमारियों से कस्बे का जनजीवन खतरे में पड़गया है।

मान्यवर, उक्त सड़क पर करीब 30 सरकारी एवं प्राइवेट बसें चलती है और सैकड़ों बैलगाड़ियां टैक्टर प्रतिदिन निकलते हैं।

श्रीमान्, जिले की प्रगति समीक्षा समिति से कई बार उक्त टुकड़े के निर्माण हेतु प्रस्ताव पारित करवा चुका हूँ। और लिखकर भी दे चुका हूँ। तथा 12 जून, 1982 को क्षेत्रीय मंत्री मा0 सच्चिदानन्द की अध्यक्षता में भी उक्त टुकड़े को जुलाई के अन्त तक कार्यकारी अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग ने आश्वसन दिया था तथा इस मीटिंग में स्वंम जिलाधिकारी ने कहा था कि यह सड़क बहुत खराब है इसे तुरन्त बनना चाहिये। इतना ही नहीं 21 जनवरी, 1982 को माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री व 27-5-82 को मा0 उपमंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा 27-5-82 को ही प्रमुख अभियन्ता सा0 नि0 वि0 को उक्त टुकड़े के बनवाये जाने हेतु लिख चुके हूँ। परन्तु आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है जिससे कस्बा दिबियापुर तथा क्षेत्रीय जनता में शासन के प्रति क्षोभ एवं रोष व्याप्त है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः आपके माध्यम से पुनः सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग कर रहा हूँ कि जनहित में उक्त टुकड़े को बनवाये जाने तथा बिलम्ब के दोषी अधिकारियों को दण्डित किये जाने हेतु आदेश प्रदान करें ।

पन्नी जी शुगर मिल, बुलन्दशहर के अधिकारियों के भ्रष्टाचार एवं श्रमिकों को वेतन न मिलने के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

*श्री किरनपाल सिंह—

महोदय मैं एक अविलम्बनीय अति लोक महत्व के विषय की तरफ सदन व सरकार ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । बुलन्दशहर स्थित पन्नी जी शुगर मिल अधिकारियों के भ्रष्ट आचरण की वजह से अशान्ति उत्पीड़न का केन्द्र बना हुआ है । इस मिल में 1300 श्रमिक कार्यरत हैं जिनका पिछले 5 माह से वेतन नहीं मिला । इन्हीं मिल मजदूरों का मिल पर विभिन्न मदों में लगभग 45 लाख रुपया बकाया है । इतने लम्बे अर्से से वेतन न मिलने की वजह से श्रमिकों को अपने जीवन निर्वाह में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । श्रमिक अपना पेट भरने के लिए समय बेसमय रिक्शा चलाकर थोड़े बहुत पैसे कमा रहे हैं । एक श्रमिक स्व0 श्री लटूर ग्वाला ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर गत 19-7-82 को आत्म हत्या करली थी ।

उक्त मिल पर सरकारी खजाने का लगभग 9 करोड़ का कर्जा है । प्रत्येक वर्ष उक्त मिल को उ0 प्र0 सरकार लगभग एक करोड़ से दो करोड़ तक की सहायता श्रमिकों के वेतन देने के लिए मिल की मरम्मत के लिए तथा किसानों के बकाया भुगतान के लिए देती रही है । इसके बावजूद भी गत वर्ष पन्नी जी शुगर मिल अपने पेराई क्षेत्र का लगभग 1/8 गन्ना ही पेर सकी बाकी गन्ना शिम्भावली, मोदीनगर, साथा व अनूप शहर चीनी मिलों को डाइवर्ट करना पड़ा जिससे किसानों को भी भारी कठिनाई उठानी पड़ी तथा उक्त मिलों से किसानों की पर्चियों का भुगतान भी अधर में लटका हुआ है । अब सुना गया है कि आगामी सीजन में मिल कार्य करने की स्थिति में नही है । यदि उक्त मिल ने आगामी पेराई सत्र में काम नहीं किया तो इसके क्षेत्र के किसानों का बहुत बड़ा अहित होगा ।

अतः आपसे आग्रह है कि आप कृपया सरकार को निर्देशित करें कि उक्त चीनी मिल मजदूरों का वेतन तुरन्त भुगतान करवाया जाय तथा आगामी पेराई सत्र के लिए मिल के कार्य करने को सरकार सुनिश्चित करे तथा जो रुपया सरकार विभिन्न सालों में मिल को देती रही है, उसके प्रयोग के बारे में सर्तकता विभाग से जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करें ।

जनपद, गोरखपुर के फरेंदा क्षेत्र में सीलिंग से निकली भूमि पर जमीदारों के अवैध कब्जे के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

* श्री श्याम नरायन तिवारी —

मान्यवर, गोरखपुर जनपद में फरेंदा में हजारों एकड़ जमीन जो सीलिंग से निकली है, भूमिचोर अभी तक किसी न किसी तरह से अपने कब्जे में बनाये रखे है । मेरे विधान सभा क्षेत्र फरेंदा में ही ताल्डी, सिंहपुर अयोध्या, पिपरा खल्ली, करमहदा बुजुर्ग खजुरिया,

काशीराम, महदेवा, मधुकर पुर, सहजनवा, मनिकौरा, परासखाड़, लेहड़ा, गुरचिहा, लेमार सहदेवा आदि आदि गांवों में हजारों एकड़ जमीन फर्जी स्टे कराकर वहां के भूमिचोर बैठे हैं। प्रधानमंत्री के नये 20 सूत्री कार्यक्रम को जानकर भूमिहीन किसानों में एक नया विश्वास जमीन पाने के प्रति पैदा हुआ है। किन्तु जो हालत है उसमें सुधार तेजी के साथ न लाया गया एवं भूमिहीनों को जमीन जल्द न मिली तो जो परिस्थिति है उसके अनुसार किसी भी क्षण कोई भी अप्रिय घटना भूमिहीनों एवं भूमिचोरों के बीच घट सकती है। जमीन न मिलने से जनता में भयानक रोष एवं असंतोष उत्पन्न होता जा रहा है यही हाल पूरे प्रदेश का है।

अतः लोक महत्व के इस अविलंबनीय प्रश्न पर श्रीमान के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान मैं आकृष्ट कराते हुये आशा करता हूँ कि जमीन के बंटवारे में सरकार जल्दी करेगी एवं दोषी तथा विलंब करने वाले अधिकारियों एवं भूमिचोर जमीनदारों के खिलाफ शीघ्र कड़ी कार्यवाही करेगी।

स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ के प्रधानाचार्य द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, प्रदेश के क्रीड़ा क्षेत्र के एकमात्र आशा-स्तंभ स्पोर्टस कालेज लखनऊ में इस समय गंभीर वित्तीय अनियमितताऐं एवं भ्रष्टाचार व्याप्त है जिससे सारे प्रदेश के छात्रों के भविष्य के साथ वहां के प्रधानाचार्य खिलवाड़ कर रहे हैं। गतवर्ष वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च 82 में उन्होंने लगभग एक लाख रुपये का कोयला तथा हजारों रुपये का अन्य सामान अनावश्यक रूप से क्रय करके कई हजार रुपये कमीशन के रूप में अर्जित किये गये। उक्त क्रय में कुछ उदाहरण कालेज के प्रधानाचार्य के द्वारा काटे गये चेक नम्बर—812375 एवं 812399 दिनांक 28 मार्च से 31 मार्च 1982 तक के देखे जा सकते हैं। उपरोक्त प्रधानाचार्य और किसी नियम के उप प्रधानाचार्य की नियुक्ति बगैर किसी आवाश्यक के करके उपरोक्त संस्थान पर अनावश्यक वित्तीय भार बढ़ा रहे हैं। पिछले 2-3 वर्षों में ईगल स्पोर्टस नामक फर्म से हजारों रुपये का सामान खरीदा जबकि उक्त फर्म का पंजीकरण अक्तूबर, 1981 में हुआ है जबकि सामान उससे पहले खरीदा गया है। एक महिला मैट्रन की नियुक्ति भी अनावश्यक रूप से कर रक्खी है जबकि कोई भी महिला प्रशिक्षणार्थी नहीं है। इसके अतिरिक्त स्टाफ को कर्मचारियों का दुरुपयोग, खिलाड़ियों को निर्धारित भोजन न कराकर और कर्मचारियों को मनमाने ढंग से वेतन काटा जाना अनेक ऐसे मामले हैं जिससे उक्त कालेज का प्रशासन अस्त-व्यस्त हो गया है। जिससे उदीयमान खिलाड़ियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है।

अतएव सदन के माध्यम से मांग करता हूँ कि उपरोक्त प्रधानाचार्य को अविलंब स्थानान्तरित करके भ्रष्टाचार की जांच वित्त विभाग के उच्च अधिकारी से कराने का कष्ट करें।

(सूचना पढ़ने के उपरान्त।)

श्री अध्यक्ष—

इसकी आज्ञा नहीं है, यह लिखा नहीं जायगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वेक्षण नहीं किया।

श्री सत्यपाल सिंह—

श्री अध्यक्ष—

आप मेरी आज्ञा के बिना बोल रहे हैं। आप बैठें।

श्री सत्यपाल सिंह—

श्री अध्यक्ष—

यह लिखा नहीं जायगा।

(मद संख्या 3 के लिये मंत्री जी को पुकारे जाने पर।)

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री फकरे आलम—

मेरी सूचना मान्यवर, गंभीर मामले के संबंध में है।

दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ यू० पी० लिमिटेड, कानपुर की वार्षिक रिपोर्ट १९७६-७७

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ यू0 पी0 लिमिटेड, कानपुर की वार्षिक रिपोर्ट 1976-77 की कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

नियम ३०१ की सूचना के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मेरी सूचना, बड़े गम्भीर मामले से संबंधित है, परन्तु आप पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहे है, मान्यवर, इसके पढ़ने की इजाजत दी जाए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठ जाइए, शोर मत मचाइये। आज नियम 301 के अन्तर्गत 29 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं चूंकि आज आखिरी दिन है, इसलिए 13 पढ़वा दी गयीं, नियमानुसार 5 ही पढ़ी जा सकती थीं। (शोर)

नोट :—[× ××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जहां आपने इतनी दयालुता दिखाई है कि बजाये 5 के आज 13 सूचनाएं ले लीं वहीं पर एक दो सूचनाएं और बचती हैं उन्हें भी कृपया ले लें। सदन का आज आखिरी दिन है।

श्री अध्यक्ष —

आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है, इसमें। दो सूचनाएं अभी नहीं बची हैं, 16 सूचनाएं बची हैं। अगर ऐसी कोई महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के पास है तो हमारे कक्ष में हम से मिलिए, मिलकर कोई हल निकाला जायेगा।

नारायणपुर (देवरिया) जांच आयोग की रिपोर्ट

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी) —

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से नारायणपुर (देवरिया) जांच आयोग की रिपोर्ट विलम्ब के कारणों एवं ज्ञापन सहित कमीशन्स आफ इन्क्वायरी ऐक्ट, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

आपादतिरेक जांच अधिकरण, उत्तर प्रदेश की अंतिम रिपोर्ट

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी) —

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त आपादतिरेक जांच अधिकरण उत्तर प्रदेश की अंतिम रिपोर्ट विलम्ब के कारण सहित कमीशन्स आफ इन्क्वायरी ऐक्ट, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

आपादतिरेक जांच अधिकरण रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने पर अपत्ति

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त —

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है यह आपादतिरेक जांच अधिकरण रिपोर्ट के विलम्ब के कारण जो दर्शाए गये हैं। मान्यवर, यह रिपोर्ट आपातकाल के समय कांग्रेस पार्टी द्वारा जो पूरे उत्तर प्रदेश में कानून को ताख पर रखते हुए अत्याचार किये थे, उसकी रिपोर्ट आज आ रही है।

श्री अध्यक्ष—

आप कहना क्या चाहते मैं, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, वही बताने जा रहा हूँ, पहले हमें कहने का मौका तो दीजिए। (शोर)

† छापी नहीं गयी।

मान्यवर, मेरी दो आपत्तियां हैं.. .. .. ..

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न केवल यह है कि इसे सदन में रखा जाय या नहीं ? इसकी मोरिटस और डिमैरिटस क्या हैं, यह दूसरी बात है। क्या आप इसे सदन में रखे जाने के प्रश्न पर व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जी हां, मान्यवर।

जब कोई भी कमीशन की रिपोर्ट आती है, उसको सदन में प्रस्तुत करने के नियम बने हुए हैं, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर विलम्ब होगा तो विलम्ब के कारण दर्शाये जायेंगे कि विलम्ब क्यों हुआ। इस पर पहले ऊपर जो पन्ना लगा हुआ है, उसमें शासन की ओर से विलम्ब के कारण दर्शाये गये हैं, ये उचित हैं या नहीं यह निर्णय आपको करना है। इसमें दिखाया गया हे कि अंग्रेजी का हिन्दी ट्रांसलेशन नहीं हो सका, इस कारण विलम्ब हुआ। वस्तुस्थिति दूसरी है, चूंकि इसमें सरकार के काले कारनामों का भण्डाफोड़ हुआ है, इसलिये बिलम्ब हुआ।

श्री अध्यक्ष—

आप तो आपत्ति उठा रहे हैं। मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यही मेरा कहना है, मान्यवर, की विलम्ब के कारणों को स्वीकार न करें।

श्री अध्यक्ष —

यह आपत्ति का प्रश्न नहीं है। आखिर आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरी दूसरी आपत्ति सुन लें। दूसरी आपत्ति यह है कि इस रिपोर्ट में साइक्लोस्टाइल कागज लगा हुआ है, यह कौन सी भाषा है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस आदरणीय सदन की भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी है। मा0 वासुदेव सिंह जी का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूँ, इसकी लिपि तो देवनागरी है, लेकिन भाषा अंग्रेजी है। इसमें लिखा है कि

"ह्वेयर देअर ईज वाइड डिमाण्ड फ्राम डिफरेण्ट सेक्शन्स आफ दि पब्लिक फार एन-इन्क्वायरी.. .. .. ..

तो इस तरह से यह अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन भाषा देवनागरी है। हम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग तो कर सकते हैं लेकिन पूरा वाक्य देवनागरी में होना चाहिए। इस पेज का हिन्दी रुपान्तर कहीं पूरी पुस्तक में खोजने से नहीं मिला। इसलिये मेरी अपत्ति है कि यह पन्ना जो लिखा हुआ है, हमारी नियमावली और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के खिलाफ है। इन दोनों कारणों से इस रिपोर्ट को तब तक पेश न होने दें जब तक कि

इसका हिन्दी रुपान्तर न लिखा जाय। अगर इसको स्वीकार कर लिया तो ऐसी परम्परा पड़ेगी कि आज तक आजादी के बाद जो नियमावली हमने बनायी और सदन की भाषा देवनागरी हिन्दी अंगीकृत की है, अगर स्वीकार कर लिया तो अब तक के सारे प्रयास विफल हो जायेंगे और अप्रत्यक्ष रूप से कार्य अंग्रेजी में होना शुरू हो जायगा।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, जो रिपोर्ट पेश की गयी.....

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

(जोर से चिल्लाकर)

अपने कुकर्मों का पुलन्दा पेश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें।

श्री अम्मार रिजवी—

इसमें जो "एक्सटेक्ट्स" थे, उनको देवनागरी लिपि में लिख दिया गया है। ऐसा कहना कि कोई चीज देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी नहीं जा सकती, ठीक नहीं है। अब अगर हिन्दी स्क्रिप्ट में अंग्रेजी के शब्द आ गये हैं तो.....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, अगर शब्द होते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी।

बातचीत में मैंने सबमिशन शब्द का प्रयोग किया है, मान्यवर।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इस प्रकार की सूचना निराधार है। यह तो प्रस्तुतीकरण है प्रस्तुतीकरण के बाद जब इस पर विचार होगा तब यह आपके समक्ष अपनी बात रखें।

श्री अध्यक्ष—

जहां तक मैंने श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त को और माननीय संसदीय कार्यमंत्री को सुना, उसके बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि इसको मैं पुनः देखूँगा और इसको पढ़ने के बाद और गहराई से देखकर निर्णय करूंगा। इसलिये इसको मैं स्थगित करता हूं।

बिक्रीकर के सम्बन्ध में सरकारी विज्ञप्ति

*संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सरकारी विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-दो/8305/दस-6 (26)-77, उ0 प्र0 अधि0 15/48-आदेश-82, दिनांक 31 मार्च, 1982 एवं विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-दो-9131/दस-9 (171)-76, उ0 प्र0 अधि0 15/48-आदेश-82, दिनांक 31 मार्च, 1982 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की धारा 2-क की उप-धारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

†छापी नहीं गयी।

††छापे नही गये।

†††छापा नही गया।

उत्तर प्रदेश पंचायती-राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के पंचम वार्षिक प्रतिवेदन एवं सम्प्रेक्षित लेखे १९७७-७८

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पंचायती-राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के पंचम वार्षिक प्रतिवेदन एवं सम्प्रेक्षित लेखे 1977-78 (1 जनवरी, 1977 से 31 मार्च, 1978) को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, १९८१

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी) –

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से शिक्षा अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या मा-4993/15-7-1 (79)-1981, दिनांक 31 जूलाई, 1981 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश 1981, को विलम्ब के कारण सहित उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग एवं चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की धारा 33 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखती हूँ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश १९८१

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से शिक्षा अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या मा-6242/15-7-1 (79)-81, दिनांक 11 सितम्बर, 1981 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का दूर करना) (द्वितीय) आदेश, 1981 को विलम्ब के कारण सहित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 33 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखती हूँ।

आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड, आगरा की पंचम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण, १९८०-८१

संसदीय कर्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड, आगरा की पंचम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा-विवरण 1980-81 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन, १९७६-७७

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन 1976-77 को कम्पनीज ऐक्ट 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा व श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा दी गई विशेषधिकार की अवहेलना के प्रश्न को लिये जाने की मांग

***श्री राम आसरे वर्मा—**

मान्वर, मैंने फरवरी व मई में दो विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना दी थी जो बहुत पुरानी है। उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन एक विशेषधिकार अवहेलता के प्रश्न की सूचना जिस दिन सेशन शुरू हुआ उसी दिन 19 अगस्त को मैंने दी थी। वह इतना अहम मसला था जिस मसले के साथ माननीय सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है।

लखीमपुर खीरी के पुलिस अधीक्षक ने किस तरह से पैड पर लिखी हुई चिट्ठी को फाड़ कर फेंक दिया और किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था, वे शब्द ऐसे हैं जिनसे सदन की मर्यादा और माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा को जबर दस्त धक्का पहुंचा है। मान्वर, चूंकि यह एक ऐसा मसला था इसको यह सोचते हुए सदन के पहले ही दिन जब कि अधिवेशन शुरू हुआ, मैंने विशेषाधिकार अवहेलन की सूचना के रूप में यह मांग रखी और यह विश्वास व्यक्त किया था कि हमारी बैठक समाप्त होने के पहले ही इस पर कोई न कोई कार्यवाही सामने आ जायेगी। इतने अहम मसले पर जिसके साथ सदन की मर्यादा और मानीय सदस्यों की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई हैं। लेकिन आज तक कोई भी कार्यवाही सामने दिखलायी नहीं दे रही है। अगर इस तरह से शासन की तरफ से अधिकारियों को छूट मिलती रही और माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा धूल में मिलती रही तथा सदन की अवमानना होती रही तो आगे कोई भी काम होना मुशिकल हो जायेगा। इसलिये आप से मेरा अनुरोध है कि आप शासन को निर्देशित कीजिये कि ऐसे अहम मसले पर और आज की बैठक समाप्त होने के पूर्व ही इस पर जिस भी तरह की कार्यवाही सरकार करे उससे कम से कम सदन को अवगत करा दें।

श्री अध्यक्ष—

औचित्य के प्रश्न व विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना देने से सम्बन्धित जो नियम हमारे यहां बने हुए हैं उसके अनुसार उस परिधि में वह नहीं आता, इस लिये मैं इसकी आज्ञा नहीं देता हूं।

*** वक्तने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।**

*श्री रामआसरे वर्मा—

मान्यवर, वह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। इसको आप देख तो लें आप हमारे अधिकारों के सरक्षक हैं। और आपकी तरफ से हमें संरक्षण नहीं मिलेगा तो हम लोग कहीं के भी नहीं रहेंगे।

शासन के अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ किस तरह का व्यावहार कर रहे हैं वह किसी से छिपा नहीं है। अभी दो तीन दिन पहले ही प्रमवती जी का मसला उठा था जिस पर तहसीलदार के सम्बन्ध में जो नजारा सामने आया, मैं नहीं चाहता कि उस तरह की स्थिति आवे। एक पुलिस अधीक्षक ने सदन के माननीय सदस्यों के लिये इस तरह के शब्दों की इस्तेमाल किया और कहा कि सारे विधान सभा के सदस्य चोर और बदमाश हैं। इतना ही नहीं, जाति विदवेष फैलाने वाले जिन शब्दों का उसने इस्तेमाल किया उन शब्दों को मैं यहां दोहराना नहीं चाहता लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि विशेषाधिकार के अवहेलना की सूचना के साथ जो फोटोस्टेट की प्रति नत्थी है उसको आप पढ़ ल तो मैं आपका अनुग्रहीत हूँगा। जिन शब्दों का उसने इस्तेमाल किया है वह सदन की मर्यादा और माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा के लिये एक कलक की बात है। इस पर भी शासन की तरफ से जवाब आना चाहिये कि इस पर कार्यवाही करने में इतना विलम्ब क्यों किया गया। यह बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

एक सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न है।

*श्री अध्यक्ष—

जब एक व्यवस्था का प्रश्न उठा हुआ है तो उस पर दूसरा व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठ सकता है। मैंने निर्णय दे दिया है। आप कृपा कर बैठें।

एक सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न है।

*श्री अध्यक्ष—

एक व्यवस्था के प्रश्न पर कोई दूसरा व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। आप कृपा कर बैठ जायं।

(व्यवधान)

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

तीन चार दिन पहले एक मैंने दिया था एक दारोगा के खिलाफ जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। .. ..

श्री अध्यक्ष

जब मैं खड़ा हुआ हूँ तो कृपा कर आप बैठ जायं। यह कोई तरीका नही है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय

मान्यवर, 20 मार्च को मैंने सदन में एक थानेदार के विरुद्ध विशेषाधिकार का मामला उठाया था। उसे निलम्बित भी कर दिया गया था लेकिन मंत्री जी कुछ मनमोहक चेहरों पर लालायित रहते हैं, वह उस थानाध्यक्ष को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं और बिना पूरी जाँच हुए उनको बहाल कर दिया गया और वह थानाध्यक्ष आज भी वहो बैठ हुए हैं। सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट भी अब तक शासन को मिल गई होगी और मैं नहीं समझ पाता कि अब उस प्रश्न पर कोई निर्णायक बिन्दु पर शासन क्यों नहीं पहुँच पा रहा है। आप मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न स्वीकार कर लें अन्यथा उसके वहां रहते मेरी जान को खतरा है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपकी बात को सुन लिया है और उस पर विचार कर लिया जाएगा। जहां तक माननीय वर्मा जी का संबंध हैं, आपने जो विशेषाधिकार की नोटिस दिया है उसको मैंने स्वीकार करने से पूर्व शासन को भेजा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जब उसकी नोटिस जाए तो कृपा कर उसका तुरन्त उत्तर आना चाहिए। एक-दो मामलो में कुछ देरी हुई है और यदि देरी होती है तो यहां का कार्य ठीक प्रकार से नहीं चल सकेगा। गुलाब सेहरा जी को यह भेजा गया था लेकिन आज भी उसका उत्तर प्राप्त नही हुआ है। जब हमको उत्तर ही प्राप्त नहीं होगा तो हम यहां कैसे उस पर निर्णय ले सकते हैं। इसलिये मैं सरकार के लोगों से निवेदन करता हूँ कि नोटिस जाने के बाद फौरन ही उत्तर आना चाहिए।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

श्री अध्यक्ष —

मैं आपको इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, आप किस नियम के अन्तर्गत इसको उठा रहे है? आप जो कुछ बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जाएगा।

भूतपूर्व कृषि मंत्री, श्री भानु प्रताप सिंह के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

पिछले समय जब सदन चल रहा था, तब के विशेषाधिकार के सम्बन्ध में 2-3 निर्णय हैं, उनको मैं सदन के सामने पढ़ रहा हूं।

माननीय श्री कुबेर भण्डारी, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 24 फरवरी, 1982 को तत्कालीन कृषि मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार-अवहेलना के प्रश्न की एक सूचना दी थी। माननीय सदस्य का कहना है कि जिला कृषि अधिकारी एवं परि-

---

नोट [× ×] यह अश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

योजना अधिकारी गोरखपुर द्वारा एक कर्मचारी के सेवा समाप्त किए जाने तथा कृषि विभाग के उप निदेशक द्वारा उस कर्मकरी को सेवा में पदारूढ़ किए जाने हेतु दिये गये आदेश का परिपालन न किए जाने से संबंधित विषय पर विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1981 के प्रथम सोमवार तथा प्रथम सत्र, 1982 के दूसरे सोमवार (अपनी सूचना में श्री कुबेर भण्डारी ने प्रथम सत्र, 1982 के तीसरे सोमवार का उल्लेख किया है।) के लिए निर्धारित क्रमशः अतारांकित प्रश्न संख्या 185 और अतारांकित प्रश्न संख्या 54 का कृषि मंत्री, मा0 श्री भानु प्रताप सिंह ने गलत एवं भ्रामक उत्तर दिया है जिससे सदन की अवमानना हुई है तथा विशेषाधिकार का उलंघन हुआ है।

[समय 1 बजकर 20 मिनट]

इस संबंध में तत्कालीन कृषि मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी थी जो वर्तमान कृषि मंत्री की ओर से 9 अगस्त 82 को प्राप्त हुई हैं। द्वितीय सत्र 81 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 185 के उत्तर के सबध मे माननीय मंत्री ने सूचित किया है कि संबधित कर्मचारी श्री बांकेलाल की अपील पर आंशिक रूप से निर्णय लेते हुये उसे सेवा में पदारूढ़ करने के आदेश उप कृषि निदेशक, गोरखपुर ने 4-10-1978 को दिये थे, जिससे उपरान्त प्रश्नगत मामले में दोनों अधिकारियों (परियोजना अधिकारी तथा उप कृषि निदेशक) के बीच पत्रव्यवहार चलते रहे और इस पत्र व्यवहार में जो तथ्य व विन्दु विचाराधीन थे वे निरर्थक नहीं कहे जा सकते, और अन्ततः कृषि निदेषक ने दिनांक 31-12-1980 के आदेशों के अनुपालन में परियोजना अधिकारी, गोरखपुर ने अपने आदेश दिनांक 18-2-1981 द्वारा श्री लाल को चतुर्थ श्रेणी के पद पर पुनः पदस्थापित करने के आदेश दिये। माननीय मंत्री के कथनानुसार इस प्रकार उक्त परियोजना अधिकारी द्वारा आदेशों की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता और सदन के वर्ष 1981 के द्वितीय सत्र में तत्कालीन मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर से सदन को न तो गुमराह किया गया और न ही किसी अधिकारी को अनुचित संरक्षण प्रदान किया गया।

इसी प्रकार प्रथम सत्र, 1982 में दिनांक 1 फरवरी, 1982 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 54 के सम्बन्ध में माननाय मंत्री ने सूचित किया है कि श्री बांकेलाल का जो मामला कृषि निदेशालय में उनकी उच्च न्यायालय मे रिट याचिका दायर करने से पूर्व से विचाराधीन था, वह केवल उन्हें उप कृषि निदेशक, गोरखपुर के आदेश दिनांक 13 मार्च, 1979 के अनुपालन में सेवा पदस्थापित करने से ही सम्बन्धित था और उसमें उनके वर्ष 1975 से वेतन का भुगतान, स्थायीकरण एवं पदोन्नति आदि का कोई मामला शामिल नहीं था। ऐसी स्थिति में यह कथन कि श्री बांकेलाल की रिट याचिका न्यायालया में होते हुय उन्हें सेवा में नियुक्ति प्रदान कर दी गयी और उनके शेष मामलों, 1975 से वेतन का भुगतान, पदोन्नति तथा स्थायीकरण के संबंध में निर्णय न करके माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा का बहाना बनाया जा रहा है, सही नहीं है। प्रश्नगत मामले का पूरा विवरण देते हुये माननीय कृषि मंत्री की ओर से बताया गया है कि विधान सभा के संदर्भित अतारांकित प्रश्न संख्या 54 के संबंध में दिया गया उत्तर कि "इनके मामले में अब अन्य कोई कार्यवाही न्यायालय के आदेश प्राप्त होने के बाद ही किया जाना उपयुक्त होगा सही है।

माननीय श्री कुबेर भन्डारी की सूचना और उसके समर्थन में माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत कतिपय संगत पात्रों की प्रतिलिपियों एवं माननीय कृषि मंत्री द्वारा इस संबंध में प्रेषित वस्तुस्थिति के विवरण पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि माननीय श्री भानु प्रताप सिंह द्वारा प्रश्नगत मामले में दिनांक 21 सितम्बर, 1981

और 1 फरवरी, 1982 को सदन में 2 अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों के माध्यम से जो सूचना दी गयी है उसमें कोई तात्विक त्रुटि नहीं है और वह जानबूझ कर सदन को गुमराह करने के उद्देश्य से नहीं दी गयी थी। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नों के उत्तरित होने के काफी समय के पश्चात् अर्थात् 24 फरवरी, 1982 को विशेषाधिकार के अवहेलना के प्रश्न की सूचना माननीय श्री कुबेर भन्डारी द्वारा दी गयी थी, और इस प्रकार वह विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 65 (1) (क) के अन्तर्गत निलम्बित थी। उपर्युक्त कारणों से मैं इस प्रश्न को सदन के अवमान अथवा विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूँ।

जिला बस्ती के नौगढ़ तहसील के तहसीलदार, श्री के० एन० दूबे तथा अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

***श्री अध्यक्ष—**

दूसरा माननीय सदस्य श्रीमती कमला साहनी (बस्ती) द्वारा नौगढ़ तहसील में अक्टूबर, 1981 में कार्यरत तहसीलदार श्री के0 एन0 दुबे तथा क्षेत्र के कतिपय अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सदन की अवमानना की सूचना दिनांक 15 मार्च, 1982 को दी गयी थी। इसमें मुख्य शिकायत यह है कि सितम्बर और अक्टूबर, 1981 में नौगढ़ जिला बस्ती में उपयुक्त कर्मचारियों द्वारा उन्हें उनके दल तथा दल के प्रमुख नेता को भद्दी गालियां दी गयी और उनका (श्रीमती कमला साहनी का) पुतला बनाकर जुलूस निकाला गया। इस सम्बन्ध में उन्होंने यह भी सूचित किया है कि माननीय मुख्य मत्री जी से उक्त घटना की शिकायत किए जाने पर उनके निदेशानुसार तत्तकालीन मण्डलीय राज्य मंत्री, श्री जैयराज गौतम और सचिव श्री भूरे लाल ने 7–10–81 को नौगढ़ जाकर जांच की और उनके वहां से वापस आने पर शासन ने नायब तहसीलदार श्री मारकन्डेय राय को निलम्बित किया और तहसीलदार श्री के0 एस0 दुबे का स्थानान्तरण किया, जिसके फलस्वरूप यह लोग श्रीमती साहनी से बदले की भावना रखने लगे हैं और उनके उकसाने पर नौगढ़ तहसील के उपर्युक्त कर्मचारी गण ने कई सभाए माननीया सदस्या के खिलाफ की।

श्रीमती कमला साहनी का दूसरा आरोप यह है कि जब उन्होंने इस विषय पर आदरणीय सदन में भाषण दिया और अपने विधान मण्डल दल में अपनी बाते कहीं जिसकी खबरें समाचार पत्र में प्रकाशित हुई तो उन्हें पुनः धमकी भरे पत्र मिले, जिनमें से दिनांक 10–2–82 और 28–2 82 के 2 पत्रों की एक एक फोटो स्टेट प्रति सूचना के साथ संलग्न की गयी है। इस प्रसंग में श्रीमती सहनी का कहना था कि इस तरह की आतक पूर्ण परिस्थिति में उनके लिए सदस्य के रूप में अपने दायितत्वों का स्वतत्र रूप से निर्वहन कर पाना असम्भव हो रहा है।

इस विषय में माननीय राजस्व मंत्री से वस्तु स्थिति की जानकारी मांगी गयी थी जो दिनांक 7 अप्रैल 1982 को प्राप्त हुई। इसमें सूचित किया गया है कि श्रीमती कमला साहनी द्वारा प्रस्तुत अवमानना की सूचना में उल्लिखित घटना के सम्बन्ध में शासन पहले

से जागरूक है । इसमें यह भी सूचित किया गया है दिनांक 2–10–81 को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की शाखा द्वारा श्रीमती सहनी के पुतले के साथ जुलूस निकाले जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी बस्ती एव राज्य मत्री सामान्य प्रशासन नियोजन एवं ग्राम्य विकास श्री जेराज गौतम से प्राप्त जांच आस्थाओं, जिनकी प्रतिलिपि मुझे भेजी गयी है, के फलस्वरूप नौगढ़ के तत्कालीन तहसीलदार को वहां से स्थानान्तरित कर दिया गया है, नायब तहसीलदार (श्री मारकन्डे राय) को निलम्बित करके विभागीय कार्यवाही की जा रही है और अन्य सम्बन्धित कर्मचारियों के स्थानान्तरण के लिए जिलाधिकारी, बस्ती को निदेशित कर दिया गया है । तत्कालीन माननीय राजस्व मंत्री ने यह भी बताया है कि दिनांक 2-10-81 की उक्त घटना के सम्बन्ध में दोनों ही पक्षो ने अलग अलग थाने में रिपोर्ट दर्ज कारयी है और राजस्व विभाग ने गृह सचिव से मामले की सी0 आई0 डी0 जांच कराये जाने का अनुरोध किया, इस प्रकार सम्पूर्ण प्रकरण विवेचनाधीन है ।

जहां तक सितम्बर और अक्टूबर, 1981 में माननीय श्रीमती साहनी के प्रति क्षेत्र के कतिपय सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए अभद्र एवं असम्मानजनक व्यवहार का मामला है निःसन्देह वह निन्दनीय है और तदनुसार शासन द्वारा दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है औरर विवेचना भी की जा रही है परन्तु उक्त घटनाओं के प्रसंग में लगभग 5 मास के पश्चात अर्थात 15 मार्च 1982 को विशेषाधिकार की अवहेलना या अवमान के प्रश्न की सूचना विलम्ब से दी गयी है । अतः विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) (क) में उपबन्धित शर्त की पूर्ति न करने के अधार पर इस सम्बन्ध में विशेषाधिकार अथवा अवमान के प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

जहां तक माननीय श्रीमती साहनी द्वारा दिए गए भाषण अथवा कही गयी बातों के फलस्वरूप उनके सदस्य के रूप में अपने दायित्वों के निर्वहन से रोकने के उद्देश्यों से धमकी दिए जाने के आरोप का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में मैंने गम्भीरता से विचार किया है । माननीया श्रीमती साहनी ने सदन में दिए गए अपने भाषण के साथ विधान मण्डल कांग्रेस (आई) दल में कही गयी अपनी बातों का उल्लेख भी अपनी सूचना में किया हैं । . . .

परन्तु किसी दल की बैठक की कार्यवाही का संज्ञान लेना मेरे लिए संभव नहीं है और इस पीठ से पूर्व में विधान मण्डल दलों की बैठकों में हुए विचार विमर्श के आधार पर अभिसूचित विशेषाधिकार या अवमान के प्रश्नों को उठाने की अनुमति नहीं दी गई है। अपनी सूचना में श्रीमती साहनी ने उस दिनांक को नहीं बताया है जब उन्होंने प्रश्नगत विषय पर सदन में भाषण दिया था परन्तु गत सत्र की कार्यवाहियों के अवलोकन के उपरान्त मुझे यह विदित हुआ है कि श्रीमती साहनी ने दिनांक 17 फरवरी, 1982 को राजस्व विभाग से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर बोलते समय सितम्बर-अक्टूबर 1981 में तहसील के कर्मचारियों द्वारा उनका पुतला जलाने का प्रसास करने का उल्लेख किया था और यह भी कहा था कि उनके द्वारा माननीय मुख्य मत्री का ध्यान अकर्षित किये जाने के फलस्वरूप 17 व्यक्तियों को सस्पैंड करने के अदेश दिये गये थे ।

इस भाषण के फलस्वरूप माननीय श्रीमती साहनी को धमकी भरे पत्र मिलने के आरोप के समर्थन में शिकायत कर्ता की सूचना के साथ-साथ पत्रों की फोटोस्टेट प्रतियां उपलब्ध करायी गई हैं । इनमें से पहला पत्र 16 फरवरी, 1982 का है जिस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं बल्कि पत्र के अन्त में केवल हम कर्मचारीगण एवं लेखपाल संघ, नौगढ़, बस्ती लिखा है । इस पत्र में पार्टी मीटिंग के प्रकाशित भाषण के प्रसंग में श्रीमती साहनी को धमकी अवश्य दी गई है, परन्तु जैसा कि मैंने पहले कहा किसी दल की बैठक की कार्यवाही का संज्ञान लेने की प्रथा नहीं है । दूसरे पत्र पर दिनांक 28-2-1982 अंकित है और किसी

व्यक्ति के हस्ताक्षर भी हैं परन्तु हस्ताक्षरकर्ता व्यक्ति ने पत्र में श्रीमती साहनी को स्वयं धमकी नहीं दी है बल्कि तहसील के चौराहे पर एक नायब तहसीलदार और कुछ अन्य व्यक्तियों के बीच सुनी गई आपसी बातचीत का हवाला देते हुये श्रीमती साहनी को यह सूचित किया है कि आपके खिलाफ इन लोगों कि कोई साजिश है, आप इससे होशियार रहे · · · । इस प्रकार यह पत्र सुनी हुई बातों पर आधारित है और विशेषाधिकार जैसी न्यायिक प्रकृति के मामले में निर्णय देते हुए इसका संज्ञान में लिया जाना उचित नहीं होगा ।

उपर्युक्त कारणों से मैं इस मामले को विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा श्रीमती साहनी या सदन की अवमानना के प्रश्न के रूप में सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

थानेदार घुघली एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष —

इसी प्रकार पिछली विधान का एक और निर्णय है । विधान सभा के पिछले सत्र के अन्तिम उपवेशन अर्थात् 5 अप्रैल, 1982 को माननीय श्री जर्नादन प्रसाद ओझा ने एक तार भेजकर, जो 8 अप्रैल, 1982 को प्राप्त हुआ, यह शिकायत की थी कि थानेदार घुघली एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर की सांठ-गांठ से उन्हें थाने में 9 बजे रात तक अनावश्यक रूप से रोका गया और धमकियां दिये जाने के बाद 10 बजे रात को छोड़ा गया । इसी प्रसंग में कुछ दिन बाद अर्थात् 19 अप्रैल 1982 को श्री ओझा ने संबंधति पुलिस अधिकारियों के उक्त आचरण के लिये सदन की अवमानना की सूचना दी ।

इस सूचना में माननीय सदस्य का कहना है कि 3 अप्रैल, 1982 को घुघली उपनगर में कुछ स्थानीय पुलिस के सिपाहियों एवं छात्र-अभिभावकों के बीच हुई झड़प के प्रसंग में वे थाने पर गये थे और मामले को शांत कराने का प्रयास किया था जिसके संदर्भ में उन्हें 4-4-1982 को दरोगा द्वारा बुलवाया गया और थोड़ी देर बाद पुनः एक सिपाही ने आकर कहा कि बड़े दरोगा ने बताया है कि चन्द दिन पूर्व बिजली ट्रांसफार्मर की चोरी के सम्बन्ध में जो एफ0 आई0 आर0 हुआ है और जिसमें दरोगा मुलजिम है वह वापस ले लें नहीं तो माननीय सदस्य को भी मुलजिम बनाया जायेगा । इस सूचना में माननीय सदस्य की शिकायत के अनुसार उन्होंने कहा कि उन्हें करीब 9 बजे रात जब बड़े दरोगा वापस आये तो इस शर्त पर छोड़ा गया कि आगामी दिन वे बिजली वाला मुकदमा वापस ले लेंगे और इस बीच उक्त थानाध्यक्ष उपथानाध्यक्ष अपशब्दों एवं अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग करते रहे ।

इस संबंध में तत्कालीन मा0 गृह मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी थी जो कि उनके 9 अप्रैल, 1982 के पत्र के माध्यय से प्राप्त हुई । उक्त पत्र में मा0 मंत्री ने सूचित किया है कि डी0 आई0 जी0 गोरखपुर के माध्यम से कराई गयी छानबीन के अनुसार दिनांक 3-4-82 को अपराह्न डी0 ए0 वी0 इण्टर कालेज, घुघली में परीक्षा काल के दौरान श्री नगीना दुबे नामक एक व्यक्ति ने परीक्षा कक्ष में कई बार पर्चे आदि फैकने का प्रयास किया और कर्मचारियों के मना करने पर उन पर ईट पत्थर फैके गये जिस पर

श्री राम नगीना दुबे को वहां के नियुक्त कर्मचारी ने पकड़ लिया और थाने ले जाने लगे। इसी दौरान मा0 विधायक श्री जनार्दन प्रसाद ओझा अपने समर्थकों के साथ आये और कर्मचारीगणों की शिरकत से श्री राम नगीना दुबे को छुड़ा लिया तथा थाने आकर पुलिस कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया और वापस चले गये।

उक्त डी0 आई0 जी0 की आख्या का हवाला देते हुए यह भी बताया गया है कि उसी दिन एक संबंद्ध कांनिस्टेबिल की सूचना पर भारतीय दण्ड विधान की कतपिया धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा अ0सं0 44/22 थाना घुघली पर पंजीकृत हुआ जिसमें श्री जनार्दन प्रसाद ओझा भी सामिल हैं। डी0 आई0 जी0 की उक्त जांच के अधार पर मानीय मंत्री ने यह भी सूचित किया है कि दिनांक 4-4-82 को मा0 श्री ओझा को बलात थाने में बैठाकर विधान सभा अधिवेशन में भाग लेने से वंचित करने, मुकदमा उठा लेने के लिए दबाव डालने एवं अपशब्दों के प्रयोग करने, आरोप जांच से सही नहीं पाये गये, तथा चूंकि इसके एक दिन पूर्व ही मा0 विधायक के विरुद्ध भा0 द0 वि0 की कतिपय धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीकृत हो चुका था अतः यह आरोप लगाये बताये गये हैं, और जहां तक ट्रांसफारमर चोरी के मुकदमे का प्रश्न है वह दिनांक 20-3-82 को पंजीकृत किया गया और उसमें दिनांक 7-5-82 को आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया गया है।

मैंने मा0 सदस्य की शिकायत और उसके संबंध में शासन से प्राप्त जानकारी पर विचार किया है। मा0 श्री ओझा और शासन दोनों ने यह कहा है कि उक्त मा0 सदस्य दिनांक 3 अप्रैल, 1982 को छात्र संबधी एक विवाद के संबंध में संबंधित थाने पर गये थे। इसके बाद की घटनाओं के बारे में मा0 सदस्य की शिकायत और शासन की ओर से प्राप्त जानकारी विरोधाभास हैं, परन्तु इस मामले में मुझे उपलब्ध करायी गयी समस्त संगत सूचना के आधार पर मैं समझता हूं कि श्री जनार्दन प्रसाद ओझा का 3 अप्रैल, 1982 को घुघली थाने पर जाना सदन अथवा उसकी किसी समिति में किये जाने वाले कार्य से संबंधित नहीं थी। विशेषाधिकार अवहेलना प्रश्न उस समय उत्पन्न होता है जब किसी मा0 सदस्य के सदन या उसके किसी समिति से सम्बन्ध कार्य में व्यावधान उत्पन्न किया जाय या उसे फौजदारी के मामले से भिन्न किसी मामले में सदन की बैठक में उपस्थित होने से रोका जाय। जो तथ्य मा0 श्री ओझा के तार, अवमानना की सूचना तथा शासन से प्राप्त जानकारी द्वारा मेरे सामने आये हैं उनसे यह प्रमाणित नहीं होता कि श्री ओझा को 4 अप्रैल, 1982 को फौजदारी अपराध में पंजीकृत मामले से भिन्न किसी मामले में थाने में रोका गया अथवा उन्हें धमकियां दी गयी। अतः मैं इस मामले को विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन की अवमानना के प्रश्न के रूप में सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री शंकर सिंह द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना पर निर्णय होने में विलम्ब पर आपत्ति

श्री मोहन सिंह—

माननीय, एक निवेदन करना चाहता हूं।

***श्री शंकर सिंह—**

विशेषाधिकार के संबंध में मेरा एक निवेदन है। माननीय, आपके सामने विशेषाधिकार के जो प्रश्न स्वीकाराधीन हैं उनमें सबसे पुराना मेरा प्रश्न है। उसे एक वर्ष से ऊपर हो चुका है पिछले सत्र में माननीय भूतपूर्व अध्यक्ष ने यहां सदन में स्पष्ट घोषणा की

*वक्ता में भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि सत्र समाप्त होने से पहले उस पर निर्णय दे दिया जायेगा। इस पर मैं बैठ गया। वह सत्र समाप्त हो गया उसके बाद यह सत्र हुआ और आज यह सत्र भी समाप्त हो रहा है। मेरी बहुत महत्वपूर्ण सूचना है उसमें जो तथ्य दिये गये। हैं उनकी सारी की सारी डाक्युमेंटरी एवीडेंस मौजूद हैं जो मैंने संलग्न कर दिये हैं।.. ..

जो कुछ मैंने कहा वह इसी विधान सभा सम्बन्धित है। मैं नहीं समझता कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर इस तरह से टालना, इतना विलम्ब करना कहां तक उचित होगा। इसी सदन में मैंने जो कुछ कहा, उसी को लेकर, कहने के बावजूद, एस0 पी0, जालौन ने मुझे बदनाम करने की नियत से, मुझसे बदला लेने की नियत से सब कुछ किया और आजतक उस पर कुछ नहीं हुआ है। इतने लम्बे काल तक पूरी सूचना इस सदन में नहीं आ पाती है। यदि एक एक वर्ष तक सूचना नहीं आ पाएगी तो धीरे धीरे हम लोगों का कार्यकाल भी इसी तरह समाप्त हो जाएगा और नौबत कभी आ पाएगी या नहीं, इसमें मुझे सन्देह है। इसलिए इसपर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

यह जो विशेषाधिकार के बारे में आपने प्रश्न उठाया है, वह हमारे पास है। पहले जो माननीय अध्यक्ष थे, उनके पास में वह सूचना प्राप्त हुई थी, लेकिन उसमें कुछ और जानकारी की आवश्यकता थी, शासन से कुछ जानकारी चाहिए थी। उनके आने में देर हो गई है। मैं अब शासन से चाहूँगा कि वह इसे जल्दी भेजें। जानकारी आने के बाद जल्दी इस पर कोई निर्णय हो जाएगा। अगले सत्र में उस पर अवश्य निर्णय हो जाएगा।

(व्यवधान)

विगत सत्र में श्री मोहन सिंह द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय न दिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मोहन सिंह—

भाई शंकर सिंह से मिलता जुलता मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है। पिछला सत्र जब शुरू हुआ था, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। उस समय आपने भी उस पर अपना विचार दिया था और अन्त में अध्यक्ष पीठ ने उस समय अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था। अब आप अध्यक्ष पीठ पर विराजमान हैं .... (व्यवधान) यह सदन में उठा था। यदि इतने इतने दिन इतने महत्वपूर्ण मसले पर अध्यक्ष पीठ से निर्णय सुरक्षित रखा जाएगा तो हम लोगों को न्याय कहां मिल पाएगा। तो आप इस पर कम से कम निर्णय तो सुना दें।

श्री अध्यक्ष —

यह जो मामला है, उस वक्त में उधर बैठा हुआ था। मामला बहुत गम्भीर है। बहुत सी टेक्नीकैलिटी इसमें है। वह विचाराधीन है और आप उसके लिए थोड़ा समय दीजिएगा। उसके बाद में इस पर कुछ निर्णय हो जाएगा। मैं तो स्वयं चाहता हूँ कि अगले सत्र में उसकी फाइनल कर दिया जाए।

(व्यवधान)

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बासुदेव सिंह)--

मुझे आपसे निवेदन करना है। मैं माननीय सदन से निवेदन करना चाहता हूँ। कार्यस्थगन प्रश्न और से सूचना द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय सदन में माननीय सदस्यों ने जो उठाया था। उसको और में चाहता था और मैं समझता हूँ कि उसके लिए कोई अवसर नहीं मिलेगा वक्तव्य देना चाहता हू। यह जो धान के तथा कथित घोटाले के बारे में था..

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

यह तो मेरा प्रश्न ही था..

(व्यवधान)

श्री बासुदेव सिंह--

तो मैं क्या करूं, मैं क्या करता, मैं तो चिरप्रतीक्षा करता रहा कि मुझको मौका मिले, लेकिन....

श्री मोहन सिंह--

मैंने तो अल्प सूचित प्रश्न के जरिये इसे उठाया था और वह पिछले शुक्रवार को एजेण्डे पर आया था और उसमें इन्होंने इन्कार कर दिया था कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ। जबकि इनके पहले के मुख्य मंत्री ने कहा था, तो क्या इनके पहले इनके सहयोगी मुख्य मंत्री ने इस बारे में झूठ कहा था....

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन---

उस पर तो एक कमेटी भी बैठी थी।

श्री अध्यक्ष--

मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप कोई सूचना देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो पहले उसे आपको मेरे पास लिखकर भेजना चाहिए।

श्री बासुदेव सिंह--

वही तो मैं भी चाहता हूं। अगर आप मान्यवर इजाजत दें तो मैं इसकी 500 प्रतियाँ बनवा लूं, क्योंकि आज के बाद इसके लिए अवसर नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष--

शाम तक आज हो सके तो दे दें, नहीं तो फिर बाद में देखा जाएगा। अब सभापति विशेषाधिकार समिति।

विशेषाधिकार समिति में लम्बित कतिपय मामलों पर प्रतिवेदन, प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

यादवेन्द्र सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूँ ।

चूंकि श्री हरिवंश सहाय, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित श्री अजय सिंह, तत्तकालीन पुलिस अधीक्षक देवरिया के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न जांच हेतु दिनांक 3 मार्च, 1981 को विशेषाधिकार समिति को निर्विष्ट हुआ था, जिस पर समिति द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया व कार्य-संचालन नियमावली, 1958 को नियम 268 के प्रथम परन्तुक के अनुसार दिनांक 3अप्रैल,1981 तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना था और दिनांक 3 अप्रैल, 1981 को सदन के निश्चयानुसार उक्त प्रश्न पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के 1981 के द्वितीय सत्र के अतिम दिन तक के लिए बढ़ा दिया गया था।

और चूंकि श्रीमती गौरी देवी, सदस्या, विधान सभा द्वारा अभिसूचित डा0 सूर्य प्रसाद, तत्कालीन जिलाधिकारी, गोरखपुर को विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न जांच हेतु दिनांक 2 अप्रैल, 1981 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था, जिस पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 268 के प्रथम परन्तुक के अनुसार दिनांक 2 मई, 1981 तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना था और उक्त अवधि के भीतर समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकी तथा माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 24 मई, 1981 को उक्त नियमावली के नियम 268 के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत उक्त प्रश्न पर समिति द्वारा, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय विधान सभा के 1981 के द्वितीय सत्र के अतिम दिन तक के लिए बढा दिया गया था ।

और चूंकि उक्त दोनों मामलों में उक्त समय के भीतर भी समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर सकने के कारण क्रमशः 22 सितम्बर, 1981 और 5 अप्रैल 1982 के विधान सभा के निश्चयानुसार उक्त प्रश्नों पर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का बढाया गया समय अब वर्तमान सत्र के अतिम दिन तक है ।

और चूंकि उक्त दोनों प्रश्नों में इस बढे हुए समय के भीतर भी समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं हैं ।

अतः यह सदन निश्चय करता है कि विशेषाधिकार समिति द्वारा उक्त दोनों मामलों पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के आगामी सत्र के अतिम दिन तक के लिए बढ़ा दिया जाय ।

***श्री अध्यक्ष—**

प्रश्न यह है कि सभापति, विशेषाधिकार समिति ने जो प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, स्वीकार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियम) (संशोधन) विधेयक, १९८१

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियम) (संशोधन) विधेयक, 1981, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 23 मार्च, 1981 को पुनःस्थापित किया गया था, को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

***श्री अध्यक्ष—**

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, कि किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक 1981, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 23 मार्च, 1981 को पुरास्थापित किया गया था, को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

***श्री अध्यक्ष —**

आज कार्य स्थगन की नियम 56 के अन्तर्गत 15 सूचनायें प्राप्त हुयी थीं। नियमों के देखने के उपरान्त ये सब सूचनायें शासन को भेज दी गयी हैं।

***श्री राम आसरे वर्मा –**

मान्यवर, शासन को भेजने के पूर्व हम को कम से कम सुन तो ले, पूरे प्रदेश में पत्रकारों .... (घोर व्यवधान)

***श्री अध्यक्ष—**

आप कृपया बैठें। नियम 56 के अन्तर्गत जो 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, वे इस प्रकार हैं।

(1) सर्वश्री रेवती रमण सिंह, ख्वाजा हलीम, हरीकिशन श्रीवास्तव, प्रदीप कुमार यादव, कुंवर सिंह नेगी की इलाहाबाद जनपद के कई मोहल्ले बाढ़ की चपेट में है, के सम्बन्ध में है।

(2) श्री प्रदीप कुमार यादव की प्रदेश के डेढ़ दर्जन जिले बाढ़ की चपेट के सम्बन्ध में है।

(3) श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना, लखीमपुर खीरी से प्रकाशित 'जयन्ति पुष्प' साप्ताहिक के संवाद-दाता श्री जे0पी0 श्रीवास्तव को थाना खीरी के थानाध्यक्ष द्वारा जान से मार डालने की धमकी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

(4) सर्वश्री राम आसरे वर्मा, मसरूर जाफरी, गोपीनाथ वर्मा, खैरुल बशर, मित्रसेन यादव की सूचना है, यह भी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना के विषय पर ही है।

(5) श्री शंकर सिंह की सूचना, बुन्देलखण्ड के कई जनपद बाढ़ की चपेट में होने के सम्बन्ध में है।

(6) श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की सूचना है। यह भी बुन्देलखण्ड के कई जनपद बाढ़ के चपेट में हैं, के संबंध में है।

(7) सर्वश्री कुंवर सिंह नेगी, नरेन्द्र सिंह भंडारी की सूचना, खटीमा जिला नैनीताल के विधायक श्री बिहारी लाल को तस्करों तथा अधिकारियों द्वारा जान से मारने की साजिश के संबंध में है।

(8) श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र की सूचना, प्रदेश में शिशुओं का अपहरण करने वाले गिरोह से उत्पन्न भय तथा आतंक के संबंध में है।

(9) श्री मोती लाल देहलवी की सूचना, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस, जाजमऊ पुल से गिरने से कई लोगों की मृत्यु के संबंध में है।

(10) सर्वश्री मित्रसेन यादव, गोपीनाथ वर्मा, मसरूर जाफरी की सूचना है। यह सूचना फैजाबाद और अयोध्या में बन्दूक की नोक पर डकैती किये जाने के संबंध में है।

(11) श्री नरेन्द्र सिंह की सूचना, मेरठ कालेज के अनिश्चित काल के लिए बंद होने के संबंध में है।

(12) सर्वश्री केदारनाथ सिंह, जनार्दन प्रसाद ओझा, माता प्रसाद पांडे की सूचना, बन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के संबंध में है।

(13) श्री कुबेर भंडारी की भी सूचना बन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के संबंध में है।

(14) श्री धनीराम वर्मा की सूचना इटावा में अतिवृष्टि से हुई क्षति के संबंध में है।

(15) किरनपाल सिंह की सूचना, राजकीय कन्या इंटर कालेज बुलन्दशहर में गुटबंदी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

मैं बहुत अच्छी तरीके से, जहां तक नियम 56 का संबंध है

प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा की मांग

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, दो मिनट सुन लें। (विरोधी पक्ष के बहुत सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

(व्यवधान)

(अनेक सदस्य एक साथ बोलते रहे जो साफ सुना नहीं जा सका)

बोलिये, सब लोग खूब बोलिये, हम बैठे हैं। यह लोग जो बोल रहे हैं यह बिलकुल नहीं लिखा जायगा।

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी—

आपको स्वयं गम्भीर लगे, तो बोलने का मौका दीजिए, वरना मैं बैठ जाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष

कृपा करके आप लोग बैठें। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप लोग कृपा करके बैठें। बैठिये कृपा करके। आप लोग पहले बैठें। मैं आपको नहीं आज्ञा दे रहा हूँ। यह कोई तरीका नहीं है। कोई इस तरह का नियम नहीं है। आप लोग बिलकुल नहीं बोलेंगे। अगर सबके सब बोलने के लिए एक साथ खड़े हो गये, तो क्या यह किसी अध्यक्ष के लिए सुनना मुमकिन है ?

मेरे पास नियम 56 के अनुसार जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं अगर प्रत्येक माननीय सदस्य का एक-एक दो-दो मिनट बोलने की आज्ञा दी गई तो एजन्डा और समय यह सब आपका है निर्णय आपको लेना है। नियम 56 के अनुसार जो नियम बना है उसमें यह नियमों के अन्तर्गत नहीं आता हैं। बाढ़, सूखा, डकैती और चोरी पर चर्चा हो चुकी है।

(व्यवधान)

नियमों के अन्तर्गत नहीं आते हैं इसलिये आज्ञा नहीं देता हूँ और मैं इसको शासन को भेज देता हूँ। शासन पूरी तरह कार्यवही करेगा।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री

श्री अध्यक्ष—

यह लिखा नहीं जायेगा। मैं निवेदन कर रहा हूँ कृपा करके सुनिये। आप बैठ जायं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

पहले हमारी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने मोहन सिंह को बुला लिया है कृपा करके बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री प्रदीप कुमार यादव—

रिपोर्टर टेबुल के सामने फ्लोर पर आ गये और कहने लगे कि जब तक हमको नहीं सुना जायेगा तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चलने पायेगी।

श्री अध्यक्ष

माननीय प्रदीप कुमार जी आप अपनी सीट पर वापस जायें। (श्री ख्वाजा हलीम श्री प्रदीप कुमार यादव को वापस ले गये)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

राजस्व मंत्री जी बैठे हैं। बाढ़ से लोग मर रहे हैं सेना बुला ली गई है। एक भी राहत का कार्य नहीं शुरू किया गया है आप हमको सुनने को तैयार नहीं है। आखिर हमको जनता किस वायदे के साथ भेजती है

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष

श्री मोहन सिंह अपना भाषण जारी करें। कृपा करके और लोग बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री

बुन्देलखण्ड की हालत खराब है।

श्री रियासत हुसैन—

मेरा यह निवेदन है कि बाढ़ बहुत अधिक है सेना बुलाली गई है। आज इस विषय पर चर्चा प्रारम्भ हो रही है। उसी का एक पाट यह भी है राजस्व मंत्री को निर्देश दे दें कि सदन उठने से पहले जो जबाब देगे उसमें आज की बाढ़ की जो स्थिति है उस सब को भी इसमें शामिल करलें। राजस्व मंत्री जी अपने वक्तव्य में इसको भी शामिल करलें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय राजस्वमंत्री जी रियासत हुसैन साहब ने जो कहा उसमें आपको क्या कहना है?

श्री बैजनाथ कुरील—

मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके शांत रहिये बोलने दीजिये।

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) —

शाम को कानपुर के संबंध में जो वक्तव्य दूंगा उसी वक्त मैं इस संबंध में बता दूंगा।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

हम लोगों की मांग है कि आपने क्या किया है। हम जानना चाहते हैं।

नोट [××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री बैजनाथ कुरील—

यही तो मैं बताऊंगा कि क्या किया है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, राहत कार्य बंद है।

श्री मित्रसेन—

मानयवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय रियासत हुसैन ने जो कहा है उसका उत्तर दे दिया गया है कि उस पर कार्यवाही हो जायेगी। मैं निवेदन करूंगा कि आगे की कार्यवाही चलने दीजिये।

(शोर)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिज़वी)—

मान्यवर, रियासत हुसैन साहब ने एक प्रस्ताव रखा कि जो इस वक्त प्रदेश की हालत है जो सैलाब है और जैसा माननीय सदस्य झांसी ने कहा तो मंत्री जी का आइटम 24 पर जिस वक्त वक्तव्य होगा उस वक्त समस्त उत्तर प्रदेश में जहां जहां सैलाब है की जो सूचना आयी है उसके बारे में सदन को सूचित किया जायगा और साथ ही साथ जो रिलीफ वर्क्स हो रहे हैं उनकी भी सूचना आपके माध्यम से सम्मानित सदन को दी जायगी।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, राहत कार्य नहीं हो रहे हैं।

(शोर)

श्री दलगंजन सिंह—

मान्यवर, एक पैसा राहत का नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपा करके बैठें। अगर सबके सब हाउस में खड़े होकर बोलने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा? जब आश्वासन पूरे तरीके से दे दिया गया है तो आगे की कार्यवाही चलने दीजिये।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों की बेचैनी को देखते हुए यह सदन कल भी बैठे ।

श्री दलगंजन सिंह—

मान्यवर, चारों तरफ पानी ही पानी है । कोई सुनने वाला नहीं है । सहायता के नाम पर एक माचिस दी जाती है ।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, बाढ़ की स्थिति बहुत गंभीर हो रही है । माननीय सदस्यगण इस बात को लेकर बेचैन हैं । मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कल भी बैठे ।

(शोर)

(अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके सभी माननीय सदस्य पहले बैठें मैं किसी को इजाजत नहीं देता । मैंने मा0 मोहन सिंह जी को बुला लिया है । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

एक सुझाव मान्यवर, आप सुन लें तो शायद कोई रास्ता सदन को सुचारू रूप से चलाने का निकल आये । (शोर)

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं । (शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, हमारा सुझाव है कि आप बाढ़ के विषय पर चर्चा करा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

पहले वक्तव्य तो आ जाने दीजिए और जब वक्तव्य आता है तो सामान्य रूप से उस पर प्रश्न करने का मौका मिल ही जाता है । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

नहीं मान्यवर, आप इस पर चर्चा के लिए अपनी पीठ से आदेश जब तक नहीं देंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता है । (व्यवधान)

श्री प्रदीप कुमार यादव—

अपने दल सहित सदन का त्याग कर चले गये ।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, मैंने जो विकल्प दिया है वह यदि मान लिया जाए तो शांति स्थापित हो सकती है।' (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय नेता विरोधी दल से निवेदन करता हूँ कि वह कृपया अपने सदस्यों को शांत करें। आप लोग कृपा करके बैठ जाए और आगे की कार्यवाही को चलने दें।

(एक साथ कई विरोधी दल के सदस्यों के खड़े होने और बोलने पर।)

आप लोग बैठ जाईये, और कृपा करके शांत रहिए। जो लोग बिना अनुमति के बोल रहे हैं, किसी का लिखा नहीं जाएगा। (शोर)

श्री केदार नाथ सिंह— (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मा0 सदस्य जो बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा।

(श्री केदार नाथ सिंह सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राजेन्द्र सिंह—

सदन के करीब 25 मिनट इसी बात में व्यतीत हो गये कि मा0 सदस्यों में उत्तेजना थी कि जो नियम 56 के अन्दर कुछ बातें खासतौर के बाढ़ के बारे में और उसकी भयंकरता के बारे में जिसमें सेना भी बुलानी पड़ी है, कही गयी हैं, वे सुनी जायें। बुन्देलखण्ड के लोग निश्चित रूप से अपने क्षेत्रों में जायेंगे। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि क्या हो रहा है। आज अन्तिम दिन था इसलिये सदस्यों की यह भावना थी, लेकिन 25 मिनट को अगर दो-दो, चार-चार मिनट समय देकर यूटीलाइज कर लिया गया होता, तो अच्छा होता। जैसा हमारे उप-नेता ने कहा था, उस पर भी विचार किया जाना चाहिये था, लेकिन आपने अनुमति नहीं दी। शासन की तरफ से भी कोई चीज आनी चाहिये थी, नहीं आयी। या तो शासन यह कहे कि भयंकरता नहीं है, कोई बाढ़ नहीं है।

मैं अपने मा0 सदस्य से कहूँगा कि आप चुप हो जाइए, लेकिन अगर शासन भी इस बात को मानता है कि भयंकरता है, गम्भीरता है, तो विचार होना चाहिये। बाढ़ की भयंकरता अब सामने आ रही है और बढ़ती चली जा रही है। इस स्थिति को देखते हुए कोई हल निकल आता तो अच्छा होता। यह हमारी कोई प्रस्टिज की बात नहीं है माननीय सदस्य कोई व्यक्तिगत इशू नहीं बनाते हैं। उनके अदर जो एक भावना होती है अपनी बात कहने की अपनी बात रखने की, उसके अतर्गत वे कहते हैं। मैं नहीं जानता कि कितने समय तक मैं इनको शान्त रख पाऊंगा। मेरे सामने भी समस्या हो जाती है कि जो तथ्य सही हैं, भावनात्मक प्रश्न है। अम्भार साहब भी उसी बात को कह रहे थे। रूल्स को रिलेक्स करने का अधिकार, आपको है हालांकि नियम अपनी जगह पर हैं और उनका पालन होना चाहिये।

नोट :—[××] यह अश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी) —

नेता, विरोधी दल ने जो बात कही, इस संबंध में पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि दो विकल्प हैं। एक तो यह कि जिस समय राजस्व मंत्री जी वक्तव्य दें, तो जो अनुपूरक प्रश्न हों, उस समय चर्चा करली जाय। दूसरा विकल्प यह है कि मा0 मोहन सिह जी का संकल्प सामने है उसके बजाय बाढ़ पर चर्चा कर ली जाय, अगर मा0 मोहन सिह जी अनुमति दे दें तो।

श्री शंकर सिह—

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए। आप जो कुछ भी कह रहे हैं, लिखा नहीं जायगा।

श्री भीखा लाल—

माननीय नेता, विरोधी दल ने जो मा0 सदस्यों की भावनाओं को देखकर सुझाव दिया, उसमें संसदीय कार्य मंत्री जी ने दूसरा सुझाव दिया कि एक दूसरा गैर सरकारी काम छोड़कर उसके बदले में इसे कर ले। यह सौदेबाजी करना उचित नहीं है। जैसा देहलवी जी ने कहा कि इतनी भयकर स्थिति है, सदन कल बैठे, लेकिन कल राजीव जी आ रहे हैं, सभी कांग्रेसी लोग स्वागत में जायेंगे, परसों इन्दिरा जी आ रही हैं, तब भी स्वागत में जायेंगें। मेरा सुझाव है कि आज सदन उठ रहा है, उठ जाय, मा0 सदस्य भी अपने इलाकों में जा रहे हैं, लेकिन अगले सोमवार को फिर बैठक हो, ताकि सभी मा0 सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों की जानकारी के आधार पर बहस में हिस्सा लें ताकि उससे कुछ लाभ हो सके।

श्री शंकर सिह—

जो प्रस्ताव अभी माननीय भीखा लाल जी ने रखा है, हम लोग उससे सहमत हैं।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, जो भीखालाल जी ने सुझाव दिया है कि प्रदेश में जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है और अभी तक उसे कन्ट्रोल करने का कोई साधन नहीं हो पाया है और आज जो परिस्थिति हो रही है तो अगर 5-7 दिन के बाद हम फिर बैठ जायं और माननीय सदस्य इस बीच में अपने-अपने क्षेत्र में भी हो आयेंगे तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

इन सब बातों पर यहां चर्चा नहीं हो सकती है। 3.00 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हमारे कक्ष में होगी, वहां नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेता लोग आने का कष्ट करें, वहां पर निर्णय हो जायेगा कि हम लोग क्या करें।

नोट :—[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वेक्षण नहीं किया।

*वित्त एवं नियोजन मंत्री —श्री ब्रह्मदत्त—

एक सुझाव मेरा था मान्यवर, कि बाढ़ के बारे में चिन्ता की बात अवश्य है। वैसे तो माननीय मोहन सिंह आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव रख रहे हैं तो चर्चा लम्बी हो जायेगी। मेरा सुझाव है कि माननीय राजस्व मंत्री को आप वक्तव्य पेश करने की अनुमति दे दें और उस पर माननीय सदस्य अपने-अपने सुझाव दे दें और एक घण्टे के लिये सदन का समय और बढ़ा दिया जाय इसके लिये, तो इसमें क्या आपत्ति है?

*श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है जो आपने सुना ही नहीं। मान्यवर, एक सूचना मैंने फैजाबाद जिले की दी है कि वहां पर अपराध बढ़ रहे हैं, लोग लुट रहे हैं बन्दूक और पिस्तौल की नोंक पर। अयोध्या और फैजाबाद में अराजक तत्व की छावनी बन गयी है। अगर आप हमारी नियम 56 की सूचना पर चर्चा कराने को तैयार नहीं हैं तो मैं [आपके आदेशों की अवहेलना तो करूंगा नहीं परन्तु मैं] आपके इस सदन का बहिष्कार करता हूँ।

(श्री मित्रसेन सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राम आसरे वर्मा—

श्री अध्यक्ष—

यह लिखा नहीं जायेगा जो राम आसरे वर्मा बोल रहे हैं। मैंने मोहन सिंह को अनुमति दी हैं अपना प्रस्ताव पेश करने के लिये, आपको नहीं।

श्री राम आसरे वर्मा—

आप हमें बोलने नहीं देते हैं। जब हम बोलते हैं तो आप डांटने लगते हैं और आपकी डांट से हमें डर लगता है।

प्रदेश की अर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु सदन की समिति गठित किये जाने का प्रस्ताव

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर घोर चिन्ता व्यक्त करता है और उसमें सुधार लाने हेतु सुझाव देने के लिये इस सदन की समिति गठित करने का निर्देश देता है।

मान्यवर, मुझे अफसोस है हमारा उत्तर प्रदेश आज निरन्तर प्रगति के दौर में पीछे होता चला जा रहा है। हमारी आबादी उत्तरोत्तर बढ़ रही है और फी व्यक्ति

नोट :— [××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आमदनी हमारी उत्तरोत्तर घटती चली जा रही है। 1919 की सेन्सेज़ की रिपोर्ट के अनुसार 11 करोड़ की आबादी थी। सरकार ने अपने आंकड़े दिये हैं जिसके अनुसार प्रति वर्ष लगभग 10 लाख की आबादी प्रदेश में बढ़ रही है। आबादी का घनत्व ऐसा है कि एक किलोमीटर के घनत्व में 1971 में 300 का था जो बढ़ कर अब 377 पहूंच गया है।

यानी हमारी आबादी दूसरे प्रान्तों से ज्यादा बढ़ी है। लेकिन मुझे अफसोस है कि जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ी है उतनी और चीजें जो उससे लगी हुई हैं उनमें इजाफा नहीं कर सके हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 10 लाख लोग हर साल पैदा होते हैं लेकिन अफसोस है कि 8 लाख लोग हर साल गरीबी की रेखा से नीचे जा रहे हैं। पूरे हिन्दुस्तान में गरीबी की रेखा से नीचे जहां 100 में 48 लोग हैं वहां हमारे उत्तर प्रदेश में 100 में 50 लोग हैं। धीरे धीरे यदि यही रफ्तार रही तो जो इतना अन्तर है गरीबी की रेखा से का वह और भी बढ़ जायेगा। हमारी जो फीकस आमदनी है वह हिन्दुस्तान की फीकस आमदनी से 44 रुपये का अन्तर है 51 और 71 में लेकिन आज जो फीकस आमदनी, जो राष्ट्रीय आमदनी है, उसमें 177 का अन्तर हो गया है। इसका एकमात्र कारण यह है कि हम सबसे ज्यादा भूखे और निरक्षण लोग है।

(इस समय २ बजकर १७ मिनट पर अधिष्ठाता,
श्री खान गुफसन जाहिदी पीठासीन हुए)

निरक्षरता की हालत यह है कि 1971 में जब पूरे हिन्दुस्तान में साक्षरों की औसत संख्या 31 प्रतिशत थी तो हमारे प्रदेश में 21 प्रतिशत थी लेकिन आज भी वह गैप अपने आप में बदस्तर है। जब पुरे हिन्दुस्तान में साक्षरता सन् 1981 में बढ़ी है, करीब 36 प्रतिशत हो गयी हैं। हमारे प्रदेश में 27 दशमलव कुछप्रतिशत हुई है और इसमें भी कुछ जिलों में निरक्षता और भी बढी है। खासतौर से बलिया जिले में और भी है। जहां हिन्दुस्तान में फीकस आमदनी बढ़ती जा रही है।वही मेरे द्रदेश में फीकस आमदनी कम होती जा रही है। मैं अपने सूबे जिलेवार कुछ आंकड़े दे सकता हूं। सन् 76 में गाजियाबाद में जहां फीकस आमदनी केवल 1102 रुपये थी, उत्तर काशी में 1028 रुपये थी लेकिन बलिया में 355 रुपये थी। हमारे नियोजन मंत्री जिन्होंने कुछ दिनों तक योजना सम्बन्धी काम देखा है, बस्ती, फैजाबाद, जौनपुर, आजमगढ़ यानी पूर्वी अंचल में फीकस आमदनी और जिलों से एक तिहाई रही। साक्षरता के मामले में भी पूरे प्रदेश में जहां उसका औसत 27 प्रतिशत रहा वहाँ बलिया में 18 प्रतिशत के आसपास रहा है।

दवा के मामले में भी अस्पतालों में बैड्स के मामले में भी हमारे यहां बहुत कमी रही। हमारे यहां अस्पतालों में जहां एक लाख की आबादी पर 53 बैड्स रहा वहां हिन्दुस्तान में 83 है। इसका एकमात्र कारण यह है कि हमारे प्रदेश की सरकार अपेक्षित पूंजीनिवेश की योजना न करने की वजह से अपेक्षित तरक्की की दशा में प्रदेश को कहीं ले जा सकी है। इसका प्रमुख कारण यह है कि हमारे प्रदेश की शासन प्रक्रिया ऐसी बनी हुई है कि हिन्दुस्तान के और प्रान्तों के मुकाबले में यहाँ का प्रशासनिक व्यय ज्यादा दिखलाया जाता है। आंकड़े बाजी में सबसे चालाक हमारे प्रदेश के वित्तमत्री जी विद्यमान हैं। उन्होंने बतलाया है कि विहार को छोड़कर हिन्तुस्तान में सबसे कम प्रशासनिक व्यय यहाँ का है। हमारा प्रदेश जो हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा है, उसका फीकस प्रशासनिक व्यय 16 रुपया है जबकि बिहार का 13 रुपया पड़ता है। हिन्दुस्तान में बहुत सारे स्टेट हैं जैसे मेघालय या नागालैंड है वहां का फीकस प्रशासनिक खर्च ज्यादा इसलिये है कि उनकी

आबादी कम है जब कि हमारे सूबे के खर्चे को बजट के अनुपात से देखा जाय तो वह कम आता है। तीन साल पहले 78 में बिहार का प्रशासनिक व्यय करीब-करीब उत्तर प्रदेश के बराबर था। ..

[समय 2 बजकर 20 मिनट]

1978 में 10 रुपये कुछ पैसे बिहार का भी फीकस प्रशासकीय व्यय होता था और उत्तर प्रदेश में भी इतना ही प्रशासकीय व्यय था लेकिन आज 1982--83 में हमारा फीकस प्रशासकीय खर्च बढ़कर 10 रुपये से 16 रुपये हो गया है और बिहार का 10 रुपये से 13 रुपये ही हुआ है। सम्पूर्ण बजट के अनुपात में जब हम देखेंगे तो हमारा उत्तर प्रदेश का प्रशासकीय खर्च 100 रुपये में 68 रुपये से भी अधिक आता है।

हिन्दुस्तान के किसी भी प्रान्त में इतनी बड़ी रकम आयोजनेतर व्यय में खर्च नहीं होती है। जब अंग्रेज हिन्दुस्तान को छोड़कर गये थे तो उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन पर 7-8 करोड़ रुपया खर्च होता था, आज हर साल में 185 करोड़ रुपया पुलिस प्रशासन पर खर्च करने लगे फिर भी हमारे प्रदेश की कानून और व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहा। हमको अफसोस है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और खासकर हमारे बहुगुणा दत्त जी इस बात की बहुत दुहाई देते हैं कि चूंकि नियोजन मंत्री केन्द्र में हमारे प्रदेश का मिल गया है इसलिये हमको बहुत अधिक पैसा योजनाओं के लिए मिल रहा है। लेकिन मान्यवर, छठी पंचवर्षीय योजना का हमारा 9000 करोड़ रुपये का प्रारूप था परन्तु आप अपने अतिरिक्त साधन नहीं जुटा सके और केन्द्र और योजना आयोग ने कहा कि चूंकि आप अपने अतिरिक्त संसाधन नहीं जुटा सकते इसलिये 9000 करोड़ की योजना स्वीकार नहीं की जा सकती। सरकार ने उसमें 3000 करोड़ रुपये की कटौती कर दी।

सरकार ने जो परम्परागत हमारे आमदनी के जरिये हैं, उसमें नये स्रोत ढूंढने के बजाय योजनाओं में ही कटौती की और अतिरिक्त ससाधन जुटाने पर कोई ध्यान नहीं दिया। हिन्दुस्तान में विभिन्न प्रान्तों में योजनाओं पर फी कस जो खर्च किया गया है उसमें उत्तर प्रदेश में केन्द्र ने हर योजना पर फी कस सबसे कम रूपया दिया हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना से छठी पंचवर्षीय योजना तक के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार उत्तर प्रदेश को केन्द्र से फी कस 264 रुपया मिला है और बाकी राज्यों का जो औसत है वह 291 रुपये आता है। पंजाब में यह औसत 522 रुपये और हरियाणा में 543 रुपये है। जब चौधरी साहब हिन्दुस्तान के वित्त मंत्री थ, केवल उस जमाने में सर्वाधिक मदद हमारे प्रदेश को मिली है। यदि इस सरकार में दम होता तो जो हमारे साथ विगत कई योजनाओं में जो अन्तर रहा है उसको पूरा करने में इन्होंने उनसे कोई मदद ली होती। जहां तक पूंजी निवेश की स्थिति है उसमें भी हमारे जो व्यावसायिक बैंक है वह उत्तर प्रदेश में लघु बचत और दूसरी बचतों के द्वारा जितना पैसा लोगों के द्वारा उनके यहां जमा किया जाता है उसका केवल 44 प्रतिशत ही हमारे प्रदेश में खर्च करते हैं। बाकी राज्यों में वह जो खर्च करते हैं उसके कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे प्रदेश में सबसे कम पैसा बैंकों ने खर्च किया है जो 44·8 प्रतिशत आता है, बिहार में 41·3 प्रतिशत, पंजाब में 42· कुछ प्रतिशत, कुछ अन्य राज्यों में तमिलनाड में 84·9 प्रतिशत, कर्नाटक में 77·2 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 76·0 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 73·2 प्रतिशत और बाकी राज्यों में उनके राज्य की जो जमा पूंजी है, बैंक उसके अनुपात में अधिक खर्च करता है। हमारे प्रदेश के बारे में उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता इन्टरप्रिन्योरशिप नहीं जानती, उनमें साहसिकता नहीं है और यह हमसे कर्ज नहीं मांगते .. ..

और बैंकों में जो जमा धनराशि है, जिसके बारे में उनकी यह शिकायत है कि आप उसका प्रयोग करना नहीं चाहते, इस कारण से वे उस धनराशि को दूसरे राज्यों में खर्च कर रहे हैं। सरकार को ऐसी योजनायें बनाना चाहिये जिससे कि बैंकों में हमारी जो जमा धनराशि है उसका प्रयोग हमारे राज्य में ही हो।

हमारे प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था मूलतः कृषि पर ही आधारित है और पिछली पंचवर्षीय योजना तक हमारे प्रदेश की आमदनी का 58 प्रतिशत आय कृषि से ही हुआ करती थी। हमारे प्रदेश की जो दौलत है उसमें 58 प्रतिशत योगदान कृषि का रहा है, और अब वह घट कर 51 प्रतिशत ही रह गया है जिसका कारण यह बताया जा रहा है कि यह इस कारण से हुआ है क्योंकि लोगों को कृषि से हटाकर दूसरे उद्योगों में लगाया गया है। हमारे प्रदेश में 100 में से 78 आदमी अब भी कृषि में लगे हुये हैं। मगर हमारे प्रदेश में प्रति हेक्टेयर उत्पादन हर चीज का और दूसरे राज्यों के मुकाबले में बहुत कम है। कृषि विभाग के आंकड़ों के ही अनुसार हमारे यहाँ गेहूं की उपज प्रति हेक्टयर लगभग 15 क्वीन्टल है जबकि पंजाब में वह लगभग 27 क्वीन्टल के है। हमसे डेढ गुना अधिक है। धान की फसल भी प्रति हेक्टयर हमारे यहाँ उपज 11 क्वीन्टल है जबकि दूसरे राज्यों में 27-28 क्वीन्टल तक है और केरल तथा तामिलनाड में तो प्रति हेक्टयर हमसे 3 गुना अधिक है। जो आधुनिक तौर तरीके कृषि के दूसरे राज्यों में अपनाये जा रहे हैं वे अपने यहां नहीं अपनाये जाते जिसके कारण भी यह उपज कम होती है।

इसके अलावा जो अपेक्षित निवेष किसान का कृषि पर होना चाहिये वह भी नहीं हो रहा है। हमारे प्रदेश की सरकार किसान को न तो पूंजी निवेष के लिये और न कृषि संबंधी अन्य सहूलियतें देने के लिये जो कार्य करने चाहिये वह करती है। न ही फर्टीलाइजर के दामों को कम करती है। हमारे यहां न ही कोई इन्सेंटिव प्राइस ही किसान को दी जाती है। न ही कोई इस बात का प्रयास किया जाता है जिससे कि किसान अधिक से अधिक पूंजी लगायें और अपनी पैदावार को बढ़ायें। इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि इन सारी बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के लिये एक समिति गठित की जाये जो विचार कर अपने ठोस सुझाव शासन को दे सके।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में 54 निगमों में करीब साढ़े 14 अरब रुपया लगा है। साढ़े 14 अरब रुपये की पैड कैपिटल जो हमारी लगी है, उद्योग व्योरों की रिपोर्ट जो 1980 में प्रकाशित हुई है, उसके अनुसार, जितना हमारा कैपिटल लगा है उससे अधिक का घाटा हो चुका है। इन निगमों के घाटे ने पूरे प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था पर हमारे एक कुल्हाड़ी मार दी है और पूंजी निवेष कमजोर होता गया है। इस सम्बन्ध में हमारी पब्लिक अन्डर टेकिंग कमेटी ने अनेकों सुझाव समय-समय पर दिये हैं और कहा है कि किसी भी प्रकार से कामर्शियल मैनेजमेंट डेवलप नहीं करना चाहिये।

तो उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रशासकीय अफसर हैं उन्होंने प्रदेश के साथ बहुत बड़ा खिलवाड किया है। उस पर जांच समितियां बैठ चुकी हैं और कार्यवाही हो चुकी है। प्रदेश के कई निगम घाटे पर चल रहे हैं। सबसे बड़ा निगम विद्युत परिषद है जिसका बकाया है वह 7 करोड़ रुपये बिजली की दरो का बकाया है। यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 का 22-23 करोड़ रुपये का घाटा है। 28 करोड़ रुपये का घाटा शुगर कोरपोरेशन का है। तो यह

14 सौ करोड़ रुपये का घाटा निगमों के द्वारा हो गया है। यह पेड़ अप कैपिटल के बराबर हो गया है उसको आप विभिन्न तरीकों से पूरा करते है, अपनी योजनाओं को ठप करते हैं। अलग अलग कमेटियों की रिपोर्ट मांगी गयी है।

54 में से 44 निगम हैं जिनको तत्काल समाप्त कर देना चाहिए और शासन को अधिग्रहीत कर लेना चाहिए। जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनको स्थापना की गयी थी वे पुरे नहीं हुए हैं और हमारी संचिति निधि पर भार हो गये हैं। पी0 यू0 सी0 की रिपोर्ट को संगाकर इस सदन के समझ रखें तो मालूम हो जायेगा, उनकी निथकता के बारे में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। उनको समाप्त कर देना चाहिए। यह आश्वासन दिया गया है कि उनके सिस्टम को ठिक करेगे। हमारी सरकार प्रोजेक्ट लेती है, एक योजना लेती है वह योजना वांछित अवधि में पूरी नहीं होती है। मुद्रा स्फीति के कारण अपेक्षित खर्च बढता चला जाता है केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों की विशेष निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को उन्होंने डाटने का काम किया है। एक योजना को पूरा किए बिना दूसरी योजना को ले लेते हैं। इसमें दिक्कत यह होती है कि एक योजना बनती है, उसका सर्वे हो जाता है यह तय हो जाता है किस स्थान पर उद्योग की स्थापना की जायेगी, कहां पर उसकी फिजीबिल्टी है, लेकिन जब मंत्री मंडल त्याग पत्र देता है और दूसरा मंत्री आ जाता हैतो वह अप क्षेत्र में उस योजना को ले जाता है।

पुरानी योजना का खर्च बढता जाता है। राजनैतिक दबाव में वहां पर उसकी आवश्यकता नहीं होती है फिर भी वहां पर लागू कर दी जाती है। करोड़ो रुपया टेहरी डैम की योजना के बारे में खर्च किया गया। प्रारम्भ में यह 177 करोड़ की थी अब समय से पूरा न होने के कारण उसी योजना पर 835 करोड़ रुपया खर्च आ गया है उतना बड़ा बोझ हमारी सरकार पर आ पड़ा है। राम गंगा परियोजना प्रारम्भ में 37-38 करोड़ की थी अब उस पर 168 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ रहा है। यह सब इसलिए है क्योंकि इनको वांछित अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सका है यह सब इस लिए होता है क्योकि उत्तर प्रदेश में राजनैतिक दृष्टि से योजनाओं के बारे में सोचा जाता है।उद्योग हमारे प्रदेश का मुख्य आय का श्रोत है। उत्तर प्रदेश के निगमों के कारण हिन्दुस्तान की सरकार ने एक फारमूला बनाया उसके अनुसार महाराष्ट्र के अन्दर चीनी की रिकवरी रेट है जो उत्तर प्रदेश से अधिक है।

और हमारे उत्तर प्रदेश के मुकाबले वे गन्ने का दाम भी 2 रुपया कम देते हैं। हमारे यहां लेवी सुगर को केन्द्रीय सरकार ने 25 रुपये एक क्विटल के पीछे चीनी का दाम निर्धारित कर दिया और केन्द्रीय सरकार ने उसे काट दिया जिसके चलते 80 करोड़ रुपये का घाटा हमारी सरकार को केन्द्रीय सरकार के सामने उसे सही ढग से न रखने के कारण उठाना पड़ा। इस तरह से एक वर्ष में एक योजना के अन्तर्गत 80 करीड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा। उसके बाद भी ऐसे इलाकों में आप सुगर इन्डस्ट्री लगाने जा रहे हैं जहां कि वे इन्डस्ट्री चलने वाली नहीं है। इस तरह से 9 करोड़ रुपये की योजनायें ऐसी हैं, जहां 4/5 सुगर इन्डस्ट्री लगायी जा रही हैं किन्तु वहां चलने वाली वे नहीं हैं।

रायबरेली में इसलिये लगी चूंकि वह प्रधान मंत्री का जिला है, सुल्तानपुर में इसलिये लगी चूंकि वह युवराज का जिला है, घोसी में 9 करोड़ की इन्डस्ट्री लगाने जा रहे हैं क्योंकि वह भावी युवराज का क्षेत्र है। इस तरह से हमारे प्रदेश का करोड़ो रुपया बरबाद हो रहा है। घाटमपुर में एक योजना शुरू हो रही है क्योंकि वहां के मंत्री जी

रहने वाले हैं और वे चाहते हैं कि वहां पर सुगर इन्डस्ट्री लगे। जिन क्षेत्रों में हमारी सरकार को इन्डस्ट्री लगाने के लिए कूदना चाहिए था उन क्षेत्रों में वह नहीं कूद रही है। सीमेन्ट उद्योग में पिछले 10 वर्षों में हमारे उत्तर प्रदेश में केवल 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। मान्यवर, सुगर ऐसी इन्डस्ट्री है जिसका स्कोप, जिसका दायरा, जिसका क्षेत्र हमारे उत्तर प्रदेश में और भी ज्यादा है। लेकिन अफसोस की बात है कि सीमेन्ट इन्डस्ट्री के लिए पंचसाला योजनाओं में जो बल आपको देना चाहिए था, वह बल आप उसके ऊपर नहीं दे रहे हैं। हमारी जो संचित निधि है, हमारी जो आमदनी है कि किन क्षेत्रों में उसका निवेश करें जिससे कि उत्तर प्रदेश की आमदनी में इजाफा हो, ऐसा नहीं किया गया। मुझे अफसोस है कि पिछली चार योजनाओं में जो हमारी तरक्की की रफ्तार थी वह 2.3 प्रतिशत थी। पांचवी योजना में यह बढ़कर 5.8 प्रतिशत हो गई।

श्री अधिष्ठाता—

आप 20 मिनट बोल चुके हैं और इस पर दो घन्टे बहस होनी है। इसलिए आप कृपा करके समाप्त करें।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं। चौथी योजना में जो तरक्की की रफ्तार थी वह पांचवीं में ढाई गुना बढ़ गई। उसके लिए आपके पास एक्सप्लानेशन है कि उस समय संजय गांधी के अनुशासन का प्रभाव था। उसमें ग्रामीण योजनाओं में कुछ इजाफा हुआ है। यदि यह फेनामेना है कि चौथी योजना की ढाई गुनी रफ्तार पांचवीं में बढ़ती है तो फिर उसी अनुपात से छठी पंचवर्षीय योजना में उसकी रफ्तार साढ़े बारह फीसदी होनी चाहिए। लेकिन अफसोस है कि जो महत्वोकांक्षायें छठी योजना में जाहिर की हैं वे उस अनुपात में नहीं की गई हैं और वह 10 फीसदी के आसपास हो रह गई है। आज तक हिन्दुतान की तरक्की उसकी महत्वाकांक्षा के मुताबिक नहीं हो सकी है। उसमें कमी हो गई और इसलिए कमी हो गई कि जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ गया कि 7 अरब रुपया सूखे की स्थिति से नुकसान हो गया केवल खरीफ की फसल में। यह केवल एक-डेढ़ महीने पहले की रिपोर्ट है। ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं।

हमारा देश खेती के ऊपर निर्भर करता है। यहां पर मौसम अच्छा होता है तो पैदावार अच्छी हो जाती है, मौसम खराब रहता है तो पैदावार अच्छी नहीं हो पाती है। मौसम के सहारे उत्तर प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था झूल रही है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि प्रकृति के ऊपर सरकार हमारी अर्थ-व्यवस्था को निर्भर रखती है। इसको खतम करने के लिए मैं आपको इलाज बता रहा हूं। जो हमारे परम्परागत साधन हैं आमदनी के, उनके अतिरिक्त भी कुछ साधन तलाश करने चाहिए। आप लोगों ने इमरजेन्सी में अरबन सीलिंग के सम्बन्ध में कुछ अच्छे काम किए। मुझे अफसोस है कि वह जो ऐक्ट था उस पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने अमल नहीं किया।

जो गांवों के किसान हैं उनके ऊपर सीलिंग ऐक्ट मजबूती से लागू किया जा रहा है लेकिन शहरी संपत्ति पर सीलिंग एक्ट का अमल नहीं हो रहा है उससे यह सरकार

निरंतर पीछे हटती जा रही है। अगर शहरी संपत्ति पर रोक लगा दी जाय तो इससे एक अरब रुपए का मुनाफा हमारे प्रदेश को हो सकता है।

इसके अलावा जो फिजूलखर्ची है पर भी रोक लगनी चाहिए और यह फैसला होना चाहिए कि बजट का 50 परसेंट से ज्यादा योजनेतर मदों में खर्च नहीं करेंगे। 6 सौ करोड़ रु0 विभिन्न करों से हमारे यहां एकत्रित होता है और 6 सौ करोड़ ही हर साल कर्मचारियों के वेतन में बंट जाता है। इन शब्दों के साथ में इस बहस को शुरू करता हूं और इस सरकार के निकम्मेपन की वजह से यह प्रदेश पीछे होता जा रहा है और तरक्की की दौड़ में कमजोर हो रहा है। इन शब्दों के साथ में इस चर्चा पर बहस शुरू करता हूं।

वित्त एवं नियोजन मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

श्रीमन, मैं तो यह चाहता था कि सभी माननीय सदस्यों के विचार सुनकर फिर मैं अपनी बात कहूं। लेकिन मेरी एक मजबूरी है मुझे 3 बजे विधान परिषद में पहुंचना बहुत आवश्यक है इसलिए मैं 10 मिनट का समय चाहूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय वित्त मंत्री जी अभी चर्चा माननीय मोहन सिंह जी ने शुरू की है आप बाद में उत्तर दे सकते हैं। बीच में बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं।

श्री ब्रह्मदत्त—

मैं बीच में ही इंटरवीन करना चाहता हूं। फिर मेरे सहयोगी बोलेंगे। माननीय मोहन सिंह जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं इस प्रस्ताव को लाने के लिए। मैं चाहता था कि यह सदन किसी समय हमारी पंचवर्षीय योजना पर चर्चा करता। मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि अगले सत्र में जब हम बैठें तो उसमें विस्तृत चर्चा के लिए समय दें। लेकिन फिर भी चूंकि रेजोल्यूशन आया है उसके लिए मैं आभर प्रकट करता हूं। एक बात निश्चित है कि काफी गंभीरता से इसपर बातें होनी चाहिए। दो तीन बातें हैं जिनपर मैं कहना चाहता हूं एक तो यह प्रस्ताव गलत समय पर आया है। इसको असल में उस साल में आना चाहिये था जिस साल 1979-80 में यहां पर राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था। दूसरा यह कि हमारी इस योजना में अच्छे सुझाव हैं जिसके लिए सदन की कोई कमेटी की आवश्यकता नहीं है।

मैं कुछ चीजें सामने रखना चाहता हूं। कुछ चीजों से मैं सहमत हूं। माननीय मोहन सिंह जी ने कहा कि हमारी आबादी तीव्र गति से बढ़ रही है उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं और हम चाहते हैं कि प्रदेश की जनता में जागरूकता आये और परिवार

कल्याण योजना लागू हो। उनकी इस बात से भी मैं सहमत हूँ कि नेचर पर हमारी डिपेडेंस खतम होनी चाहिए। उसके लिए हमारी योजना में प्रविधान है और मल्टिपर्पज स्कीम पर 11 परसेंट पावर पर 30 परसेंट इरिगेशन पर 2 परसेंट फ्लड कंट्रोल पर हमने रखा है। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जो हमारे निगम हैं उनको समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि निगम जो हैं। वह हमारे जिस प्रकार से एडीशनल रिसोरसेज को मोबलाइज कर सकते हैं वह सरकारी विभाग नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ बुनियादी चीजें हैं जिनको मैं सामने रखना चाहूंगा।

हमारे प्रदेश के बारे में एक ट्रेंड सामने आता है। 1978-79 में जब पिछली सरकार का दूसरा साल था हमारी कुल आय 5372 करोड़ थी जो पिछले वर्ष के मुकाबले में केवल 4 2 परसेंट बढ़ी लेकिन अगले साल 1979-80 में 4498 करोड़ हो गयी यानी 16 3 परसेंट आय घट गयी। यह बात सही है कि वह सूखे का जमाना था। उद्योगों के लिए बिजली नहीं मिली और किसानों के लिए डीजल नहीं मिला तो यह स्वाभाविक था कि उद्योगों पर 66 परसेंट की कटौती लागू हुई और इसलिए 16 3 परसेंट की कमी आई। हमारी छठी योजना शुरू हुई और उसके पहले साल जो इस सरकार का पहला साल था उसमें आय बढ़कर 4498 करोड़ से 55 23 करोड़ हुई।

22.8 प्रतिशत की आमदनी पहले साल में बढ़ी, जिससे 16.3 का घाटा पूरा हुआ और 6.5 प्रतिशत की आगे की बढ़ोतरी थी और मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल हम और आगे बढ़ेंगे।

(व्यवधान)

मान्यवर, एक बात यह भी देखने में आई है, आमतौर पर यह कहा गया है कि हमें पंचवर्षीय योजना के लिए बहुत कम पैसा मिला है। यह ठीक है, 6900 करोड़ रुपये की छठी योजना लेकर हम केन्द्र सरकार के पास गये थे, लेकिन अपने साधनों के कारण हमें 6200 करोड़ की ही योजना मिली। लेकिन इसके पहले की सरकार ने जो योजना बनाई थी, वह 6200 करोड़ के बजाए 4800 करोड़ की बनाई थी। हम पहली बार भूतपूर्व मुख्य मंत्री और इस समय के केन्द्रीय योजना मंत्री से महाराष्ट्र की योजना के बराबर मिला है। हिमांचल प्रदेश की योजना के बारे में हम लोग बराबर कहते थे कि हमारे प्रदेश की भी योजना उसके बराबर होनी चाहिए 961 करोड़, की योजना बनाई थी उसमें फायदे के हिसाब से 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत ऋण के रूप में मिलना चाहिए था, लेकिन हमने जो 570 करोड़ कीयोजना प्रस्तुत की, वह स्वीकार हुई और उसमें 90 प्रतिशत हमें ऋण से रूप में और 10 प्रतिशत अनुदान के रूप में मिला है। यह पहली बार हुआ है और हम इसके लिए अपने योजना मंत्री के बहुत आभारी हैं।

एक बात आमतौर पर कही जाती है कि हमारे यहां प्रोडविटविटी बहुत कम है। यह बात ठीक है, हमें अपनी कमियों की ओर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अपने प्रदेश के

विकास और अपने प्रदेस की उपलब्धियों को नकारना नहीं चाहिए। वर्ष 1976–77 प्रति हैक्टर, क्वींटल में जो उत्पादन था खाद्यान्न का अपने प्रदेश में वह 10.41 था, जबकि भारतवर्ष में यह 8.94 था। 77-78 में उत्तर प्रदेश में यह 11.14 था और भारतवर्ष का 9.91 था।

(व्यवधान)

पंजाब और हरियाणा के मुकाबले हम पीछे हैं, लेकिन मैं देश के औसत की बात कह रह हूं। 1977–78 में जब आप इधर बैठते थे, उत्तर प्रदेश में 11.14 क्वींटल प्रति हैक्टर था और भारतवर्ष में 9.91 था। लेकिन 79—80 में जब आप इधर से उठकर उधर जाने लगे तो उस समय उत्तर प्रदेश का 8 34 और भारतवर्ष का 8.76 था। यह पहली दफा इस साल में आपके समय में हुई। . . (व्यवधान) फिर सूखे की बात है लेकिन वर्ष वही हैं। लेकिन आपको सूखे का मुकाबला डटकर करना चाहिए था, हुकूमत छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। . . (व्यवधान) इस गम्भीर चर्चा को शान्ति से सुने यह अच्छा होता। फिर हम 80-81 में भारतवर्ष के एवरेज के ऊपर आ गये हैं। 80-81 में हमारा उत्पादन 12.10 था जबकि भारतवर्ष का 10.32 था। यह हमारे लिए फिर खुशी की बात है।

रसायनिक खाद के बारे में कहा गया, उसके बारे में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं 1977-78 में हमारे यहां टोटल कंजम्पसन 8.6 लाख टन था, जबकि भारतवर्ष का 11.76 लाख टन हुआ है। (व्यवधान) रसायनिक खाद के उपयोग में वृद्धि के बारे में मैं बता रहा हूं। जो हमारे यहाँ है, वह बता रहा हूं। भारतवर्ष में वृद्धि का जो औसत है लगभग 7 प्रतिशत के है और हमारे यहाँ 10 प्रतिशत का है। अब मैं औद्योगिक उत्पादन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि यह जितना ज्यादा होता है हमारे यहां की अर्थ व्यवस्था उतनी ही अच्छी और ऊंची होती है। हमारी अर्थव्यवस्था का विकास उसी पर निर्भर करता है। यदि हम 70-71 के उत्पादन को 100 मान लें तो 1981-82 में हमारे यहाँ 170 हुआ है यनि हम 170 पर 81-82 में पहुंचे हैं। अर्थात् कहने का मतलब है कि इन 8-9 वर्षो में 70 प्रतिशत हमारे प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है।

हम लोग प्रयत्नशील हैं कि उत्तर प्रदेश का उद्योग और प्रोडक्टिविटी बढ़े। इस सबन्ध में मेरा निवेदन यह है कि प्रोडक्सन बढ़ाने के लिए हमारे प्रदेश में भूमि और नदियां है। नदियों में हमारे यहां पर बाढ़ आती है, यदि उनके पानी को जमा कर लिया जाय तो बिजली ज्यादा होगी और सिचाई ज्यादा होगी। यहां पर यह बात कही गयी कि योजनायें देर में पूरी होने के कारण कीमते बढ़ जाती है, इस बात को मैं मानता हूं। कीमत ही नहीं बढ जाती बल्कि बैनिफिट लौसेज भी होते हैं। वह और भी गम्भीरता की बात है। इसलिए 30 प्रतिशत बिजली पर, 15 प्रतिशत सिचाई पर और 5 प्रतिशत फूल्ड कन्ट्रोल पर रखा है।

इस प्रदेश में औद्योगिक वातावरण भी बना है 4 बड़े-बड़े फर्टिलाइजर के कारखाने आने की बात लगभग तय हो गयी है। और कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर बड़ी-बड़ी

फैक्टरी न हो। जिस जिले में बड़ी फैक्टरी नहीं है वहां पर 3 करोड़ की रकम से ऐशिलाइजेशन की बढ़ोतरी करेंगे।

मान्यवर, हमारे यहां पर सबसे बड़ी कैश क्रौप गन्ने की होती है। वर्ष 1977-78 में इसकी रिकार्ड पैदावार 6 करोड़ टन की हुई थी। और 3 वर्ष बाद फिर रिकार्ड गन्ने की पैदावार हुई है लेकिन वर्ष 1977-78 में 256 करोड़ रुपया बकाया रह गया था। लेकिन इस वर्ष 452 करोड़ रुपये में से केवल 72 करोड़ रुपया बाकी है, शेष दिया जा चुका है।

श्री मोहन सिंह —

कुल 479 करोड़ बकाया था जिसमें से 74 करोड़ बकाया है। अगर हमारी शुगर लैवी का पैमेंट हो जाता तो आपको निकम्मेपन से घाटा न होता।

श्री अधिष्ठाता—

मोहन सिंह जी, आपको भाषण का एक और मौका मिलेगा।

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर)

जब आपके नेता बोल रहे हों तो आप खामोश रहें ताकि समुचित उत्तर दिया जा सके

श्री ब्रह्म दत्त—

आपकी योजना वर्ष 1978-79 की 815.59 करोड़ रुपये की थी जबकि वर्ष 1978-79 की 828.87 करोड़ की थी अर्थात् 1.63 की वृद्धि हुयी। वर्ष 1980-81 में हमारी योजना 978.14 करोड़ रुपये की थी, फिर वर्ष 1981-82 में यह 1085.07 करोड़ की हुई जिसके कारण 10.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 1982-83 में हम 1202 करोड़ रुपये की कोशिश कर रहे हैं जिससे 10.78 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। 9600 करोड़ रुपये में 2600 पूंजी निवेश होता है। हमने इस जी को फाइनैन्शियल इन्सटीटूयुशन्स के जरिए से लगाया है। 934 करोड़ रुपये को योजना में 830 करोड़ रुपया हमें संस्थागत वित्तीय संस्थाओं से मिला। उसके बाद 6.800 करोड़ की योजना में 5-5 1/2 करोड़ रुपया हमें वित्तीय संस्थाओं से मिला। हम इस प्रकार से 5 1/2–6 1/2 प्रतिशत विकास करेंगे, इसके लिए हम सभी माननीय सदस्यों का सहयोग चाहेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

श्री राम स्वरूप वर्मा से इस विषय पर काफी बोलने वाले होंगे, इसलिए 5–5 मिनट का समय सीमित रखें और अगर आप ज्यादा विस्तार में अपनी बात रखना चाहते हैं, तो आप 10 मिनट बोल लें।

* श्री राम स्वरूप वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता मोहदय, अगर वित्त मंत्री जी के भाषण को मैं देखू, तो निराशा इस बात से होती है कि वित्त मंत्री जी कहां जाना चाहते हैं, क्योंकि वित्त मंत्री जी अगर कोई लड़का फेल होने वाले लड़के का मुकाबला करे, तो सब जानते हैं कि उसका नतीजा क्या होगा। जनता सरकार तो फेल सरकार थी। अगर आप उसका मुकाबिला कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह कि आप भी ढाई वर्ष में ही जाना चाहते हैं। हमको तो अफसोस हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। जो प्रस्ताव माननीय मोहन सिंह जी लाये हैं, कि आर्थिक स्थित बिगड़ रही है, इसमें दो राय नहीं है। अब कैसे उसमें सुधार लाया जाय, इसके बारे में बहस कर ली जाय कि इसके संबंध में सदन की समिति गठित करने की जरूरत है कि नहीं। अगर इस पर बहस होती और इस पर माननीय वित्त मंत्री जी अपना आंकड़ा पेश करते, तो प्रदेश भी कुछ ग्रहण करता।

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं दो-तीन बातें कह दूँ। सबसे बड़ी आय होती है सरकार की क्योंकि सरकार पूंजी निवेश करती है। पूंजी निवेश 25 अरब हुई। 54 या 53 इनके व्यापार हैं, उद्योगधंधे हैं, 14 अरब इनका घाटा हो गया और आप तैयार नहीं हैं कि समिति गठित करके देखा जाय कि घाटा क्यों हो रहा है और फिर बहस इस बात की कर रहे हैं कि आपके जमाने में गड़बड़ी हुई थी, हम भी गड़बड़ी करेंगे। फिर दूसरी बात यह है कि सार्वजनिक उद्योगों के बारे में हमने सदन में बार-बार कहा कि आप समाजीकरण का ही सिद्धान्त माने, तो कम से कम प्रोड्युसर जो हैं, वह धनदाता सरकार के हितों को और अगर उसमें उपभोक्ता के हितों का समान आदर किया जाय, तो यह समाजीकरण की योजना को मिश्रित रूप से मुनाफे में चलायेंगे।

(इस समय 2 बजकर 58 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री दिवाकर विक्रम सिंह पीठासीन हुए।)

क्योंकि आपने उसको भी ठुकरा दिया। उस पर भी आपने ध्यान नहीं दिया कि समाजीकरण अगर हम घाटे से पूरा कर सकते हैं और मुनाफा कर सकते हैं, तो 25 अरब में अगर मोटे हिसाब से बीस सैकड़ा भी मुनाफा जोड़ लिया जाय, तो 5 अरब का हमें मुनाफा हो सकता है और अगर 5 अरब का नहीं हो सकता है, तो 4 अरब का हो सकता है। स्रोत पूरी तरह से सूख गया, सूख ही नहीं गया, बल्कि भार हो गया और माननीय मोहन सिंह जी को मजबूर होकर कहना पड़ा। अगर आप चला नहीं सकते, तो बन्द ही कर दीजिए, यद्यपि हमारा बिलकुल बन्द करने का उद्देश्य नहीं है। अगर आप समाजीकरण की योजना लागू करें, समाजीकरण में धनदाता, उपभोक्ता प्रबन्ध तीनों ही लाभान्वित होंगे। दूसरी बात है कि प्रदेश की स्थिति तब अच्छी हो, जब सरकार के पास पैसा हो। सरकार के पास 128 करोड़ का पिछला घाटा है और जो सरकार स्थित है, उसमें यह घाटा बढ़ने को है, मुनाफा बढ़ने का नहीं है। अब सरकार घाटा टैक्स से पा रही है। जितना पैसा हम टैक्स से लाते हैं, वह सारा पैसा तो तनख्वाहों में चला जाता है और जो

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं लिया।

राजस्व व्यय है, हम जो पूंजी व्यय को निक्षेप करना चाहते हैं, कोई योजना आप मत लीजिए, तो सरकार नहीं चल पायेगी।

चाहे जहां की सरकार हो केन्द्र की या यहां की दोनों में एक ही खराबी है। योजना के नाम पर खर्च तो बढ़ा देते हैं लेकिन उत्पादन हमें नहीं मिल रहा है। तीसरी बात टैक्स लगाकर काम करलें। टैक्स की यह हालत है कि उत्तर प्रदेश टैक्सेशन में हिन्दुस्तान के हर सूबे से आगे हैं। हम प्रति एकड़ अधिक टैक्स दे रहे हैं। पंजाब और हरियाणा की जमीन चाहे हमसे बहुत अच्छी हो लेकिन हम टैक्स अधिक देते हैं और वह टैक्स कम देते हैं। स्टाम्प और ड्यूटी पर हम हर सूबे से अधिक टैक्स ले रहे हैं। आबकारी में किसी से कम नहीं लेते हैं और कुछ सूबों से तो अधिक ही ले रहे हैं। मोटर वेहकिल्स में ज्यादा ले रहे हैं। जबर्दस्ती आप टैक्स लगादें बिजली या रोडवेज पर संख्या के बल पर इस सरकार को जनप्रिय सरकार नहीं कहा जा सकता है। पूंजीनिवेश के सारे रास्ते बन्द हैं। टैक्स की हालत पके हुए बरतोर की तरह से है अगर आपने किसी भी तरह का टैक्स बढ़ाया तो इस प्रदेश की आम जनता आपको माफ नहीं करेगी।

समस्यायें मुंह बाये खड़ी हैं। बेकारी हर साल बढ़ती चली जा रही है जितने को आप काम देते हैं उससे अधिक बेरोजगारी बढ़ जाती है। मान्यवर अब सवाल यह है कि प्रदेश का आर्थिक उत्थान कैसे हो। जो प्राइवेट उद्योग लगे हैं उनको आप बिजली नहीं दे पा रहे हैं तो नये लगने की आशा नहीं की जा सकती है। अन्तिम बात एक और कहदूं। जब कम्पलेक्स लगाने का जमाना चला तो सारी दुनिया में कम्पलेक्स लगाये गए। शुगर कम्पलेक्स, धान का कम्पलेक्स लगा जिसमें पुआल से लेकर जितनी चीजें बन सकती हैं वह बने इससे ज्यादा लोगों को काम मिलता है और चीजें भी सस्ती मिलती हैं। छठीं पंचवर्षीय योजना में एक भी कम्पलेक्स लगाने की योजना प्रस्तावित हो तो सरकार बताये। छठी पंचवर्षीय योजना में कम्पलेक्स लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं अतः विकास होना सम्भव नहीं है। मेरा निवेदन है कि सरकार हठ को छोड़कर सदन की एक कमेटी बना दे। वह आर्थिक विकास की जो दिक्कते हैं उन पर विचार करके अपने सुझाव देगी और फिर उस पर सदन विचार कर लेगा।

*श्री हरदेव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। माननीय सदस्य मोहन सिंह का यह कहना सत्य से परे है कि प्रदेश आर्थिक पिछड़ेपन में है। जहां मैंने अपने 2 वर्ष के विधान सभा के सदस्य के अनुभव से मैंने देखा, बतला रहा हूं। मेरी सरकार ने आपके क्रिया-कलाप, आपकी कार्यप्रणाली से जो आपने उत्तर प्रदेश का विनाश कर दिया था, उसको सुधारने की कोशिश की है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मेरी सरकार ने इस प्रदेश के विकास के लिए 12 सूती मिलों की स्थापना की है।

और दूसरी बात यह है कि हमारी सरकार ने भारत की प्रधान मंत्री के 20 सूत्रीय कार्य-क्रम का कियान्वयन कराकर देश को आगे बढ़ाया है और जिससे देश के हर राज्य में और खासकर उत्तर प्रदेश में गरीब लोगों को रोजगार के क्षेत्र में, विद्युत के क्षेत्र में, उद्योग और कृषि के क्षेत्र में हर तरह की प्रगति के मार्ग दिखाए हैं। और यह प्रगति आगे संभव हो सकती है, लेकिन आपके सहयोग की आवश्यकता है; लेकिन हमारे भाई मोहन सिंह के पास सिवाय आलोचना के और कुछ रह नहीं गया है।

आजादी की लड़ाई में बलिया ने भी सक्रीय रूप से भाग लिया और जिसका जिक्र भाई मोहन सिंह जी ने किया मैं भी मानता हूँ कि बलिया ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया और उस आजादी के फायदे उठाने में बलिया पीछे रहा। लेकिन अब मा0 मंत्री जी ने बलिया को पिछड़ा घोषित किया जिससे 50 करोड़ रु0 का बजट उसके उत्थान के लिए घोषित हुआ है। और वहाँ के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य-क्रम बनाये जा रहे हैं और वहाँ हर क्षेत्र में उन्नति के मार्ग खोले गये हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र रसड़ा जो पूरे बलिया जनपद से पिछड़ा हुआ क्षेत्र हैं वहाँ पर भी कई करोड़ की लागत से सूती मिल खोला जा रहा है और जिसमें 42 सौ आदमियों को काम करने का मौका मिलेगा और इससे हमारे क्षेत्र रसड़ा का नहीं पूरे जनपद का विकास होगा और मैं आपसे कहता हूं कि पिछले दो ढाई वर्षो में आपके भाई श्री मुन्नू जी ने एक हीं ट्यूबवेल लगवाया था। परन्तु हमारी सरकार ने 27 ट्यूबेल लगवाए। और मैं कहता हूं कि जो भाई मोहन सिंह जी ने कहा कि आर्थिक पिछड़ापन है प्रदेश में तो मैं फिर कहुंगा कि उनका कहना कुछ और है और करना कुछ और है।

दूसरी बात हमारी सरकार ने ग्राम्य विकास रोजगार स्कीम चालू की और यही नहीं हमारे यहाँ इरीगेशन डेवलपमेंट स्कीम चालू की गयी, जिससे लगभग 850 ट्यूबवेल लग सकेगे और 85 पम्पिंग सेट। यह जरुर है कि सरकार की समस्त स्कीम्स में कार्यान्वयन का समन्वय होना बहुत जरूरी है और इसमें आपके सहयोग की अवश्यकता है। बगैर आप लोगों के सहयोग के काम चलने वाला नहीं है। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि यदि आप प्रदेश के उत्थान संबंधी योजनाओं को देखना चाहते हैं तो सचिवालय के अंदर देखिए जहाँ पर बेसुमार योजनाएं आपके क्षेत्र के लिए बिछी हुयी हैं और उन्हें लेकर मालूम करके अपने क्षेत्र में अपने-अपने जनपद के विकास के लिए उनके क्रियान्वयन में सहयोग दें और इस तरह प्रदेश के आर्थिक पिछड़े पन को दूर करने के लिए सरकार का पूरा सहयोग करें।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया, अपनी बात को आप समाप्त करें।

श्री हरदेव—

माननीय, मैं मा0 मोहन सिंह के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और साथ ही उनसे

अनुरोध भी करता हूं कि वह इसे कृपया वापस ले लें और हमारे कार्यों, योजनाओं आदि के क्रियान्वयन पर अपना सहयोग दें ।

*श्री रेवती रमण सिंह—

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । अभी मा0 वित्तमंत्री जी बड़ी जोरदारी से अपने शासन काल में जो उपलब्धियां हुई, बता रहे थे लेकिन अगर गौर से देखा जाय तो हर योजना, छठी पंचवर्षीय योजना तक, बीच में दो-ढाई साल का समय छोड़कर, जो कि जनता पार्टी के शासनकाल का समय रहा, एक तरफ यह योजना बनाते हैं और दूसरी तरफ गरीबी बढ़ती जा रही है । आज हमारे प्रदेश में लगभग 65 प्रतिशत आदमी गरीबी की रेखा के नीचे गुजर-बसर कर रहे हैं । एक तरफ मा0 वित्त मंत्री जी कर रहे हैं कि हम केन्द्र सरकार से ज्यादा पैसा ले रहे हैं, लेकिन यह देखा गया है कि जितना पैसा ले रहे हैं, प्रदेश में कहीं भी योजना सही ढग से क्रियान्वित नहीं हो रही है । माननीय मोहन सिंह जी ने काफी विस्तार से रखा है । बिजली के बारे में जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा निगम है और परिषद है और सबसे ज्यादा पूंजी विनिमय बिजली बोर्ड में लगा हुआ है । जनता पार्टी के शासन काल में 43 प्रतिशत प्रोडक्शन था, जबकि आज कांग्रेस के शासन काल में 32 प्रतिशत बिजली का उत्पादन रह गया है । आज देहातों में दो-दो, तीन-तीन दिन तक बिजली जाती नहीं है । जो ट्यूबवैल बिजली से चलते हैं, बिजली पूरी मात्रा में न मिलने से 15 हजार बेकार हैं, 10 हजार खराब हैं, 5 हजार ट्यूबवेलों की नाली ऐसी बनायी गयी है, जहां से पूरी निकासी नहीं हो पाती । निजी नलकूपों को तीन-तीन दिन तक बिजली नहीं मिलती है ।

डिसेन्ट्रलाइज्ड प्लानिंग करके ट्यूबवैल लगाने की योजना बनायी है, जिसके अनुसार इलाहाबाद जिले में इस वर्ष में कोई ट्यूबवैल नहीं लगेगा क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं है । इसी तरह जो नयी गूलें बनानी हैं, कोई, भी नयी गूल, नयी नाली, इस सरकार के द्वारा नही बनायी जा सकेगी। अभी यह पूछ रहे थे कि कितनी योजनायें इनकी है, तो एक दो इनकी टांडा तापीय योजना है, जो कि 2 साल पीछ हो गयी, दूसरी परीक्षा तापीय योजना है, यह भी 2 साल पीछ हो गयी । इसके अलावा एक सबसे बड़ी परियोजना है आनपारा परियोजना, यह भी दो साल पीछे हो गयी । शक्तिनगर की योजना एक साल पहले चालू हुई, प्रोडेक्शन शुरू हो गया, जब कि इनकी योजना एक साल पीछे चालू हुई लेकिन अभी तक उम्मीद नहीं है कि उत्पादन शुरू हो सकेगा ।

नयी इकाइयों में जनता पार्टी के शासन काल में पोल बनाने की योजना 50 लाख रु0 को स्वीकृत हुई थी और इसके अन्तर्गत मिर्जापुर, बनारस, इलाहाबाद में पोल की फैक्ट्रियां खड़ी की गयीं । आज उनसे पोल नहीं खरीदा जा रहा है, पोल खरीदा जा रहा है दिल्ली से क्योंकि वहां से इनको कमीशन मिलता है, हमारे प्रदेश की फैक्टरियां कमीशन नहीं दे सकती हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया ।

कोई भी ट्रांसफार्मर बिजली बोर्ड ने नहीं खरीदा है। छोटी-छोटी फैक्टरियों से केबिल नहीं ले रहे हैं, पूंजीपतियों की जो फैक्टरियां हैं, उनसे केबिल खरीदा जा रहा है। इसी से जो इण्डस्ट्री प्रदेश में है, वे बन्द हैं। हरिजनों के नाम पर बहुत कुछ कहा है कि हमने किया है।

120 करोड़ की मल्टी परपज स्कीम बनाई है, अगर वहां से नहर निकाली गयी तो उसको भी उसमें इनक्लूड कर दिया गया। ये आर्थिक स्थिति की उन्नति की बात करते हैं जबकि इन्होंने 50 फीसदी गांवों का विद्युतीकरण पूरा नहीं किया है। अगर यही यह तरक्की मानते है तो मैं कहना चाहता हूँ कि 40 लाख हरिजनों की बस्ती में और गांवों में सरकार ने बिजली नहीं पहुँचाई है।

इन्होंने एक सेल्फ कम्पोनेन्ट स्कीम बनाई है उसमें प्रति हरिजन परिवार को 4 आने की औसत आती है। जब से यह कांग्रेस सरकार आयी है तब से बराबर हरिजनों का उत्पीड़न हो रहा है और मैं श्री सीताराम निषाद जी से पूछना चाहता हूं, जो कि यहां पर बैठे हुए हैं कि उन्होंने निषादों के लिए एक भी स्कीम क्यों नहीं बनायी ? न तो उनके लिए नावों की व्यवस्था है, न उनके लिए जाल की व्यवस्था है। उनकी आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए इन्होंने क्या किया है। ऐसे ही माननीय गुलाब सेहरा जी बैठे हुए हैं इन्होंने अपने विभाग के लिए कितना किया है ? अगर इनके विभाग को 120 करोड़ रुपया दिया जाय तो उसमें से कुछ रुपया भले ही हरिजनों के नाम पर इनके विभाग को मिल जाय अन्यथा वह विभिन्न विभागों के द्वारा खर्च हो रहा है। हरिजनों पर कुछ खर्च नहीं हो रहा है। और न कोई ऐसी व्यवस्था ही हो रही है कि उनके जीवन का स्तर ऊंचा उठाया जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ में आग्रह करूंगा कि आप केवल आंकड़ों पर न जायं यह सब केवल कागजी आंकड़े हैं। इसके साथ ही मैं माननीय मोहन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं।

*श्री राजकुमार राय—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय सदस्य मोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर बोलने का अवसर दिया। जहां तक इस संकल्प का प्रश्न है इससे तीन बातें परिलक्षित होती हैं।

पहली बात तो यह है कि प्रदेश की बढ़ती हुई आर्थिक स्थिति पर चिन्ता। दूसरे इसको सुधारने के लिये एक सदन की समिति बना दी जाय। मुझे तो ऐसा लगता है कि यह संकल्प माननीय मोहन सिंह ने तीन-चार वर्ष पहले तैयार किया होगा जबकि एक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार ऐसी थी निश्चित रूप से उस समय सारी समस्यायें ऐसी थीं कि उस समय के तत्कालीन समय में उस पर चिन्ता व्यक्त की जाती रही थीं क्योंकि वह सरकार सफलतापूर्वक समस्याओं से निपटने में असमर्थ रही थी और तब यह संकल्प को उठाने की बात की जानी चाहिए थी।

[समय 3 बजकर 20 मिनट]

यह सही है मान्यवर कि कुछ दिक्कतें हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश का पूर्वांचल बहुत ही गरीब है। स्वतत्रता की लड़ाई में सबसे ज्यादा बलिदान अगर किसी ने किया तो वह पूर्वांचल ने किया और आज गरीबी अगर सबसे ज्यादा कहीं है तो वह पूर्वांचल में है। वहां जिस तरह की समस्यायें हैं, उनके निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। हम वह सारा कुछ कर रहे हैं ताकि वे चीजें खतम हों। इस सदन में जो कुछ भी सुझाव आ रहे हैं उस पर भी प्रयास किया जायेगा और हमारी सरकार जो कुछ कर सकती है करेगी।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आपस में बातचीत करके समय नष्ट न करें। चर्चा आगे चलने दें।

श्री राजकुमार राय—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि निश्चित रूप से, जैसा कि कुछ लोगों ने सुझाव रखा है, मैं समझता हूं कि उस पर कुछ न कुछ होना चाहिए। कुछ समस्यायें हैं और आपके माध्यम से जो भी सुझाव सदन के सामने आयेगा, शासन उनके निराकरण का समुचित प्रयास करेगा। जो एन0 आर0 सी0 योजना है उसके सम्बन्ध में हमारा अपना दृष्टिकोण है। हमारा अनुभव बतलाया है कि उसमें बहुत सारा घोटाला हो रहा है। अच्छी भावना से प्रेरित होकर जनता की कठिनाइयों को देखकर एक समाजवादी जनकल्याणकारी राज का शासन होने के नाते हम उस पर बहुत सारे रुपये दे रहे हैं लेकिन एन0 आर0 सी0 के शुद्धीकरण की अगर कोई योजना नहीं बनी, उसका टेक्निकल आडिट नहीं किया गया, उसकी ठीक से जांच पड़ताल नहीं की गई तो पता नहीं कितना घोटाला और भ्रष्टाचार की चीजें एन0 आर0 सी0 योजना में सामने आयेंगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। जो क्षेत्र ज्यादा गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, उनके लिए इस सदन में

मैं कई बार सुझाव भेज चुका हूं कि पूर्वांचल के लिए पूर्वांचल विकास प्राधिकरण जैसी कोई चीज बन सकती है जो उस क्षेत्र की तरक्की के कामों के लिए सक्षम हो। क्योंकि हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है, इसकी समस्यायें बड़ी हैं, अगर कोई ठोस कदम उठाया जाय तो उससे जनता का बहुत कुछ लाभ हो सकता है।

बिजली के क्षेत्र में, हरिजन बस्तियों को एलेक्ट्रिफिकेशन के क्षेत्र में, जहां पहले 3 हजार रुपए का प्राविधान था उसको 5 हजार तक खर्च करने का प्राविधान कर दिया है

और हरिजनों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कारगर कदम उठाए गए हैं लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी स्कूलों की स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरह से पहले प्राइमरी स्कूलों पर बेसिक एजूकेशन पर जिला परिषदों का अकुश था उसी तरह से जिला परिषदें जो गठित होने जा रही हैं, उनका अकुश बना रहे, इस प्रश्न पर अगर शासन विचार करले तो बड़ा अच्छा होगा। इससे प्राइमरी स्कूलों की जो बिगड़ती हुई गति है उसमें बहुत कुछ सुधार हो सकेगा।

जो क्षेत्रीय इनबैलेंस है उसको दूर करने के लिए भी कुछ सुझाव इस सदन में पहले आये थे कि इस प्रदेश के विकास के लिए उसे टुकड़ों-टुकड़ों में कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि जिस तरह से तराई क्षेत्र विकास निगम है, पर्वतीय क्षेत्र विकास निगम है, उसी तरह से अगर पूर्वांचल विकास निगम की स्थापना कर दी जाय तो मैं समझता हूं कि इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की गति और तेज हो जायेगी। इन शब्दों के साथ मैं श्री मोहन सिंह जी के संकल्प का विरोध करता हूं और शासन जिस तरह का कार्य कर रहा है उसमें वे सहयोग करने की बात सोचें।

*श्री अकबाल हुसेन—

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मोहन सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मोहन सिंह जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा महत्वपूर्ण संकल्प सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रदेश की आर्थिक स्थित के बिगड़ने का जहां तक सवाल है, माननीय, मोहन सिंह जी ने कुछ आंकड़े सदन के समक्ष रखे। मैं भी कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ।

हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए और प्रदेश के विकास के लिये सड़कों का होना बहुत जरूरी है अन्य प्रदेशों में, केरल और तामिलनाडु में प्रति लाख की आबादी पर 53 किलोमीटर सड़कें हैं जब कि हमारे प्रदेश में केवल 13 किलोमीटर ही हैं। जब भी कभी कोई योजना चलाने की बात आती है, बैंक आदि खुलने की बात आती है। वह योजना प्रदेश में पिछड़े हुए क्षेत्रों में लागू नहीं हो पाती क्योंकि वहां साधन बहुत कम होते हैं। पिछड़ा हुआ क्षेत्र होने के कारण वहां हर चीज की दिक्कत होती है। कोई वहां जाना नहीं चाहता है।

यह जो हमारे निगमों की स्थिति है यह सबसे बड़ा आघात हमारी आर्थिक स्थिति पर पहुंचा रही है। मैं वन निगम की बात को ही लेता हूं। पहले वन विभाग में जब ठेकेदारी प्रथा थी तो आज से कहीं ज्यादा आमदनी वनों से सरकार को होती थी। जब से ठेकेदारी प्रथा खत्म करके वन निगम कायम किया गया है, 5 करोड़ रुपयों की कमी हर साल हो गयी है। मेरा सुझाव है कि वन विभाग में कम्पटीशन प्रथा को रखा जाये जिससे अधिक से अधिक आय हो सके और अधिक धन का उपयोग प्रदेश के विकास कार्यक्रमों में लगाया जा सके।

प्रदेश का विकास ज्यादातर कृषि के बाद औद्योगिक विकास पर निर्भर करता है। हमारे प्रदेश को एक बहुत बड़ा उद्योग मिलने वाला था। गोंडा में टेलीफोन उपकरण बनाने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का एक कारखाना लगने वाला था। अब पता चला है कि वह कारखाना कर्नाटक प्रदेश में लगने जा रहा है। कुछ टाइम्स आफ इन्डिया के लेखों में ऐसी बात पढ़ने को मिली है।

श्री सत्यपाल सिंह—

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस समय कैबिनेट रैंक का कोई मंत्री सदन में उपस्थित नहीं है जब कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है इसका उत्तर कौन देगा।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सेहरा जो बैठें हैं। माननीय वित्त मंत्री जी जबाब देकर चले गये हैं। अच्छा हो कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री भी आ सके।

(व्यवधान)

श्री अकबाल हुसैन—

प्रदेश के आर्थिक विकास के लिये औद्योगीकरण होना जरूरी था। अभी हमारे प्रदेश को एक बहुत बड़ा उद्योग मिला था, अब सुनने में आया है कि इस प्रदेश से वह उद्योग छिनकर कर्नाटक में चला गया है और बैंगलोर में उसे लगाया जाने वाला है। अभी तक हमारे उद्योग मंत्री और केन्द्रीय उद्योग मंत्री नारायण दत्त तिवारी जी भी कह रहे थे लेकिन अब कौन सी मजबूरी, कौन सी बाधायें आ गयीं इस प्रदेश में वह कारखाना लगाने में ? केवल इसलिये कि वह गोंडा जैसे पिछड़े इलाके में लगने जा रहा था और क्योंकि कर्नाटक में अगले वर्ष चुनाव होने जा रहे हैं और आपकी पार्टी चाहती है कि यह सब चीजें दिखाकर आप वोट ले लें। यदि इतनी बड़ी योजनायें इस तरह से इस प्रदेश से खिसकती रहीं तो इस प्रदेश का आर्थिक सुधार होने वाला नहीं है। इस सरकार को इस बात की कोई चिन्ता नहीं है कि किस तरह से इस प्रदेश से योजनायें छिन जाती हैं और किस तरह इस प्रदेश के विकास में अन्य प्रदेशों के लोग बाधा डालते हैं। केन्द्र सरकार किस तरह से बाधित होती है।

यह सर्वविदित है कि किसी साल यह प्रदेश बाढ़ से पीड़ित रहता है और कभी सूखे से। पिछले साल जब गोंडा और बस्ती में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी और कहीं 100 प्रतिशत और कहीं 80 प्रतिशत फसल नष्ट हो गई थी, उस समय केन्द्र सरकार ने 33 लाख रुपया बाढ़ राहत कार्य के लिये देने को कहा था, 17 लाख रुपया नकद और 4000 मीट्रिक टन चावल का आवंटन भी हुआ था लेकिन बाढ़ खिसकने के तुरन्त बाद यह आदेश हो गया कि 4000 टन चावल इस प्रदेश के जनपद गोंडा को नहीं दिया जायेगा जो तो केन्द्र आवंटन होता है, यह नपुंसक सरकार उसको भी हथियाने में असमर्थ रही है और जो केन्द्र से हमको आर्थिक सहायता मिल सकती है, आपकी लापरवाही के कारण वह भी दूसरे प्रदेश के लोग ले जाते हैं। यह बहुत चिन्ता का विषय है और मोहन सिंह जी ने जो चिन्ता

व्यक्त की है और इस सदन के समक्ष जो प्रस्ताव रखा है, वह बहुत उचित है। मैं उस पर पुनः बल देते हुए इतना कहना चाहता हूं कि आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये इस सरकार को नये-नये कदम उठाने चाहिये।

श्री राम सागर—

माननीय अध्यक्षा महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, आजादी के 35 वर्ष बाद हम यह देख रहे हैं कि कांग्रेस की जो अर्थ नीति है उसमें कोई इस प्रकार का बल नहीं है जिससे कि गांव में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर किया जा सके और जो हमारे प्रदेश के लोगों का मुख्य पेशा खेती है उसमें कोई ऐसी चीजें और कानून बनाये जा सकें जिससे कि उनकी खेती लाभप्रद हो। मान्यवर, आप देखें कि आजादी की लड़ाई के समय गांधी जी अपने हाथ में एक चरखा लेकर आए थे और उसका मतलब यह था कि मैं अपने देश में इस तरह के रोजगार, इस तरह के कुटीर उद्योग धंधे देना चाहता हूं कि हमारे गांव में कोई भी आदमी बेरोजगार न रह सके। हर हाथ को काम मिल जाए। आज इतने अर्से बाद आप यह देखें कि पहले हमारे प्रदेश में जो कपड़े बनाने का कारखाना था, गांव-गांव में कोरी, जुलाहे जो थे उनकी रोजी-रोटी इसी से चलती थी और वह कपड़ा एशिया भर को सप्लाई होता था। इसी तरह से जूते बनाने के भी छोटे-छोटे उद्योग गांव में चलते थे।

और खास लोगों के हाथ में यह कार्य था। लकड़ी का सामान बनाना, लोहे का समान बनाना तमाम प्रकार के कुटीर उद्योग चल रहे थे जिनसे तमाम लोगों की रोजी रोटी चलती थी।

कांग्रेस सरकार बड़े देशों की नीतियों को देखते हुए अपने प्रदेश में बड़े 2 कारखानों को लेकर आयी और मान्यवर आज प्रदेश में बड़े-बड़े जो कारखाने लगाये गये हैं उनसे स्थिति इस प्रकार की बन गयी है कि जो गांव के छोटे 2 उद्योग थे उनके मुकाबले में नहीं टिक रहे हैं। बुनकरों के सामने एक समस्या आकर खड़ी हो गयी है, वे आज बेरोजगार हो गये हैं। उनके सामने जीविका की समस्या उत्पन्न हो गयी है। सरकार के पास कोई गारन्टी नहीं है कि जो माल वह उत्पादित करें वह बजार में बिक जाये। यही कारण है कि आज बड़ी मशीनीकरण के कारण बेरोजगारी बढती चली जा रही है। देश के नवजवान के सामने उसके भविष्य की समस्या है। वह नहीं जानता कि वह किसलिए पढ़ रहा है, वह नहीं जानता कि मेरी जीविका की समस्या का कैसे निदान होगा। आज जो हमारी सरकार की आर्थिक नीति है वह घटिया किस्म की है इससे देश का कल्याण होने वाला नहीं है। यह सदन एक कमेटी बनाकर कम से कम ऐसे लोग जिन्होंने कुछ सुझाव दिए, उन पर अमल करने के लिए और कुटीर उद्योगों को बढ़ाने के लिए सुझाव दे और सरकार उन पर कटिबद्ध हो।

खेती के बारे में कहना चहता हूं। खेती की किसी फसल को ले लीजिए चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे धान की फसल हो या गन्ने की फसल हो, उन पर लगने वाले खर्च को देख लीजिए और जो आपने कीमत निर्धारित की है उससे कहीं अधिक आती है। खेती का जो उद्योग है उसमें ह्रास हो रहा है। इन शब्दों के साथ में यह कहना चाहता हूं कि सरकार के पास कोई ऐसी नीति नहीं है जिससे प्रदेश का सही दिशा मिल सके यह आशा की जा सके जिससे प्रदेश को कल्याण हो। श्री मोहन सिंह जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थ करता हूं।

*श्री प्रमोद कुमार—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। माननीय मोहन सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह राजनैतिक पैंतरे बाजी के अलावा कुछ नहीं है, और मैं उसका सख्त विरोध करता हूं। आज यह कमेटी बनाने की बात कह रहे हैं लेकिन जब उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको सरकार बना दिया था तो इन्होंने क्या किया और उस समय उद्योग मंत्री के रूप में इन्होंने क्या किया। यह सरकार में रहकर तो कुछ कर नहीं पाये और आज कमेटी बनाने की बात करते हैं। इनकी नियत साफ नहीं है। इसलिए हम इनके प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते हैं।

मान्यवर, ये पढ़ना भी नहीं चाहते हैं और न देखना ही चाहते हैं। अगर ये पढ़ते और उसको देखना चाहते तो जो विरोध पक्ष का चश्मा इन्होंने लगा रखा है, उससे इनको दिखाई नहीं देता है। वरना यदि फुरसत से इन्दिरा जी के 20 सूत्री कार्यक्रम को ये पढ़ते तो इनको लगता कि यह जो संकल्प ये लाए हैं, यह उसकी एक परछाईं भी नहीं है।

(व्यवधान)

मान्यवर, हमारा तो उद्देश्य ही है कि जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे जो लोग रह रहे हैं उनको उठाया जाय लेकिन जब हम उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश करते है तो इधर बैठकर जो लोग कुछ नहीं कर पाये, वे वहां पहुंचकर गरीबों की टांग पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। अभी माननीय रेवती रमण सिंह जी बोल रहे थे। राजा महाराजा हैं, गरीबों का दर्द नहीं समझते हैं। उन्होंने विद्युत और उर्जा के बारे में कहा। बड़े दुख और शर्म के साथ कहना पड़ता है कि जब वे विद्युत् और उर्जा मंत्री थे उस समय यदि कोई चीज पैदा होती थी तो यही था कि उनके विभाग में भ्रष्टाचार था और गांवों में अन्धकार था। उद्योगों को बिजली नहीं थी, किसानों को ट्यूबवेल्स के लिये बिजली नहीं थी और बचे खुचे इनके बड़े भाई जो केन्द्र में थे उन्होंने डीजल समाप्त कर दिया था। अभी हमारे वित्त मंत्री ने कहा हमारी प्रति व्यक्ति औसत राष्ट्रीय आय जो कि 1978-79 में थी वह सवा गुना हमारे शासन काल में बढ़ी है। उसको न आप देखेंगे और न समझेंगे।

मान्यवर, मेरा इनसे एक अनुरोध है। इनकी नीयत साफ नहीं है और इरादा भी नियत नहीं है। हम जब उन लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें वे अवरोध उत्पन्न न करें। छठी पंचवर्षीय योजना जो है उसके माध्यम से हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से सुधरेगी। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बाहर के लोग हमारे यहां पूंजी नहीं लगाना चाहते हैं क्योंकि वे यहां पर अस्थिरता का वातावरण समझते हैं और जो कारखाने में उनमें उनकी क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं हो पाता है। प्रयास किया जाय कि जो उत्पादन है उसको सीधे मजदूरी के साथ जोड़ दिया जाय और जितना कार्य जो करे उसके हिसाब से उसको मजदूरी मिले। जब यह होगा तो लोगों में कार्य करने की इच्छा जागृत होगी और उससे उधर के बैठने वाले लोगों को फायदा हो और उधर के लोग अव्यवस्था के नाम पर जिन्दा रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि यहां पर उद्योग न पनप सकें, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक न हो सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हरिजनों की बात कही गई (इस समय 3 बजकर 44 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हुकुम सिंह पीठासीन हुए) आज ही नारायण पुर कांड की रिपोर्ट सदन के सामने उपस्थित हुई मोहन सिंह जी का उस कांड से नजदीकी रिश्ता है। ये सदन के अन्दर बैठकर कुछ बोलेंगे और बाहर रहकर कुछ बोलेंगे। ये बोलेंगे ही क्योंकि इनके राष्ट्रीय नेता ने झांसी से बाहर तो देखा नहीं है। छोटे उद्योगों की बात करते हैं लेकिन वे भूल जाते हैं कि बड़े उद्योग में कितनी राष्ट्रीय पूंजी लगी हुई है। किसी भी देश के बारे में आप बता दें जिनके बारे में आप सोच सकते हो कि उस देश ने बड़े उद्योग को छोड़ दिया है और छोटे-छोटे उद्योग रहने दिए हैं। मान्यवर, हमारा कृषि प्रधान देश है और अगर इस देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारना होगा तो किसानों को देखना होगा। इसीलिए इस सरकार ने काफी धन सिचाई के साधन, विद्युत् के लिए व्यवस्था की है और उद्योग लगाये जा रहे हैं। इससे निश्चित रूप से प्रदेश का कायाकल्प हो जाएगा। मैं एक दूसरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

इस प्रस्ताव को माननीय मोहन सिंह इसलिए वापस ले लें क्योंकि जो छठी पंचवर्षीय योजना है, अगर उसके असलियत पर चले जांय तो इस प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं रह जाता है।

जहां तक निगमों की बात है जो निगम उनके कार्यकाल में थे उनकी स्थिति आज सुधरी है। इसलिए मैं माननीय मोहन सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वह अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लें। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री भीखालाल—

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मोहन सिंह जी को बधाई देता हूं कि वह एक ऐसा प्रस्ताव लाये हैं जो आज के लिए बहुत आवश्यक विषय है जिसमें कि इस सदन में चर्चा करने का मौका मिला है।

मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा प्रदेश आर्थिक स्थिति में काफी पिछड़ा हुआ है। गरीबी की रेखा से नीचे सबसे ज्यादा व्यक्ति हमारे यहां हैं, आय में भी अन्य प्रदेशों से हमारे प्रदेश की आय सबसे कम है यह सर्वमान्य बात है। उसके लिए शासक पार्टी भी चिंतित है और हम लोग भी चिंतित हैं कि इस प्रदेश की आर्थिक दशा कैसे ठीक की जाय, कैसे प्रदेश को उठाया जाय, लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे ठीक की जाय, लोगों का रहन-सहन का स्तर कैसे उठाया जाय। हमारा मत है कि कांग्रेस पार्टी ने यह जरूर सिद्धांत रूप में स्वीकार किया है कि हम अपने देश में समाजवाद की स्थापना करेंगे। लेकिन खाली सिद्धांत रूप में मान लेने से उसकी स्थापना नहीं होगी। उसके लिए मौलिक नीतियों में परिवर्तन करना होगा, आर्थिक नीतियों में परिवर्तन लाना होगा। जब तक हमारी नीतियों में परिवर्तन नहीं होगातब तक हमारे प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है और हम उस समाजवाद की मंजिल की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है इसमें खेती करने वाले बहुमत में रहते हैं। हमारे प्रदेश की आधी आमदनी खेती से होती है। इसलिए अगर किसान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी तो यह सही मान लीजिए कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती।

किसानों के संबंध में यद्यपि सरकार का समाजवादी लक्ष्य है लेकिन इस सरकार को पूंजीपति अर्थशास्त्री जो सुझाते हैं वह उल्टी दिशा में ले जाते हैं। पूंजीपति अर्थशास्त्री किसानों के संबंध में सुझाव देते हैं कि अगर किसानों के उत्पादन की कीमत बढ़ाई गई तो दूसरी चीजों की कीमत भी बढ़ जायेगी लिहाजा सरकार आंख मूंदकर उनकी बात मान लेती है और चाहे किसान को मुनाफा कम मिले या न मिले कृषि उत्पादों की कीमतों की तरफ तवज्जो नहीं देती हैं क्योंकि अर्थशास्त्रियों ने एक सिद्धांत बता दिया। पिछले 10, 15 सालों में कृषि पैदावार की कीमतों में सौ परसेंट से तीन सौ परसेंट तक वृद्धि हुई है लेकिन कृषि उत्पादन में जो जरूरी चीजें हैं, जो किसान रोजमर्रा के लिए प्रयोग करता है उसकी कीमतों में तीन सौ परसेंट से एक हजार परसेंट तक वृद्धि हुई है। किसान को मुश्किल से सौ परसेंट से तीन सौ परसेंट तक उत्पादन में वृद्धि मिली है। तो यह असंतुलन क्यों है। इस प्रकार आज किसान और गैर-किसान की प्रति व्यक्ति आय में 1 : 4 का अंतर है। तो जब तक हमारे कृषक वर्ग की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तब तक हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो सकती। उनकी आर्थिक स्थिति दिनों-दिन गिरती जा रही है उसका एक उदाहरण देता हूं कि कृषक जो कर्ज सरकार या सहकारी समितियों से लेते हैं वह बढ़ता जा रहा है और अदायगी कम होती जा रही है। मैं दो तीन वर्ष के आंकड़े देकर बताना चाहता हूं। 1975-76 में सहकारी समितियों से किसानों ने जो ऋण लिया था उसका बकाया 2317-77 लाख था।

और अदायगी हुआ केवल 83·1 परसेंट का। 76-77 में बकाया बढ़कर 2934·6 लाख हो गया और अदायगी घटकर 76·2 परसेंट ही रह गई। 77–78 में 5110·82 लाख का बकाया था और अदायगी हुई 73·4 परसेंट। 78–79 में 4875-71 लाख रूपया बकाया था और वसूलयाबी हुई 72·4 परसेंट। इसका मतलब यह है कि किसानों में कर्ज अदा करने की क्षमता घटती जा रही है। किसान जो कर्ज लेता है वह उसे अदा नहीं कर पाता है। तो मान्यवर, किसान हमारे प्रदेश की एक रीढ़ है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं हो सकती है।

हमारे प्रदेश के विकास की गति जिसके बारे में मोहन सिंह ने चर्चा की और उदाहरण भी दिए, बहुत धीमी है। क्योंकि विकास कार्यों पर खर्च घट रहा है और नान-डेवलपमेंट के कार्यों में खर्च बढ़ रहा है। 77–78 में जो विकास कार्यों में खर्च हुआ वह 1117·09 करोड़ रुपये है यानी 75·5 परसेंट। 1978–79 में विकास कार्यों पर 1362·78 करोड़ रुपये है यानी 76·3 परसेंट व्यय हुआ। 79-80 में 1595·35 करोड़ यानी 77·4 परसेंट खर्च हुआ। इसी तरह से वर्ष 80–81 में 1528·75 करोड़ रुपया विकास कार्यों पर खर्च हुआ यानी 71·8 परसेंट उस पर खर्च हुआ। डेवलपमेंट के जो कार्य हैं उन पर खर्च घटता जा रहा है। और नान डेवलपमेन्ट के कार्यों पर खर्च बढ़ता जा रहा है। डेवलपमेन्ट कार्यों पर 77–78 में यह खर्च 24·5 परसेंट था, 78–79 में 23·7 परसेंट था, 1979-80 में 22·6 परसेंट था और 1980–81 में 28·2 प्रतिशत था। साथ ही एक विडम्बना यह भी है कि विकास कार्यों पर जो कम धन एलाटहो ता है उतना भी धन सरकारी विभागों द्वारा खर्च नहीं हो पाता है। चाहे पी0डब्लू0डी0 हो, चाहे सिचाई या अन्य कोई विभाग हों सभी में यही स्थिति है। विकास कार्यों के लिए निर्धारित धन का 50 प्रतिशत भी यदि विकास और निर्माण के कार्यों में लग जाए, तो बहुत है। लेकिन वह भी नहीं हो पाता है। 25 परसेन्ट तो सम्बन्धित अधिकारियों की जेब में कमीशन और दूसरे भ्रष्ट रास्तों से पहुंच जाता है। फिर ठेकेदार ही क्यों पीछे रहे, वह भी मुनाफा लेना चाहता है और उससे ज्यादा लाभ उठाना चाहता है, जिससे खराब और अध कचरे निर्माण

कार्य होते हैं। नतीजा यह होता है कि पुल बनता है, वह चन्द सालों में टूट जाता है, भवन बनते हैं और दो चार सालों में ही गिरने लगते हैं, छतें टपकने लगती हैं, सड़कें जो 10 साल के लिए बनती हैं और अगले साल ही खराब होने लगती हैं। इस तरह से विकास कार्यों पर खर्च का ज्यादातर दुरुपयोग और गबन होता है। हर विभाग में सरकारी अधिकारियों के ऐसे गिरोह बन गये हैं, जो मिल बांट कर मनमाने और सुनियोजित ढंग से सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं और सरकार की हिम्मत नहीं है कि वह उनके ऊपर हाथ डाल सके।

सहकारिता विभाग में 72 करोड़ का घोटाला है, जिस पर आज ही एक प्रश्न आया था, लेकिन सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ इनक्वायरी तक कराने की हिम्मत नहीं कर सकती है। वह इसके लिए भी तैयार नहीं होती। शासक वर्ग की छवि अच्छी नहीं है। यह खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं उसमें सराबोर हैं पिछली सरकार में दो मंत्री निकाले गये थे और जनता की समझ में आ गया था कि भ्रष्टाचार के कारणों से यह निकाले गये हैं लेकिन आज फिर नये मंत्रिमंडल में वह मंत्री आ गये हैं, तो जनता की समझ में आ गया कि भ्रष्टाचार के सहारे ही यह पुनः आ गये हैं। तो कौन आप पर विश्वास करेगा कि जो भ्रष्टाचारी है उनके गिरोह को तोड़ा जाएगा और उनके ऊपर हाथ डाला जाएगा, ताकि भ्रष्टाचार में बर्बाद होने वाला पैसा विकास कार्यों में लग सके। इसलिए जरूरी है कि सदन की एक कमेटी बनाई जाए जो प्रदेश की आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करे और उसके लिए रास्ता बतावे। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती पुष्पा चौहान —

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मोहन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, इनके भाषणों में मुझे 1 प्रतिशत भी सही बात नहीं नजर आयी। इसलिए मैं इसका घोर विरोध करती हूं।

कोई सरकार कितनी ही बुरी हो, उसमें कोई न कोई अच्छाई अवश्य होती ही है। कितनी ही खराबी हो कोई न कोई अच्छाई अवश्य होती है लेकिन 19 तारीख से मैं इस सदन में देख रही हूं कि इन सब को इस सरकार में ज्यादा से ज्यादा बुराई ही नजर आ रही है, एक भी अच्छाई नहीं नजर आयी। अभी अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने अंकड़ों के माध्यम से इनको समझा दिया कि हर विभाग में किस प्रकार से आर्थिक विकास हुआ है लेकिन इनके कानों पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने सुनने की शक्ति का पहले भी कभी इस्तेमाल नहीं किया और न आज इस्तेमाल कर रहें हैं, पहले भी खाली बोलते चले आये हैं और आज भी बोल रहे हैं। बिना दूसरों को सुने।

कहा गया कि पुलिस हर जगह ढीली है, न नदियां है, न पुल हैं, न पुलियां हैं। आर्थिक विकास प्रदेश का कुछ नहीं हुआ, महिलाओं का सम्मान नहीं है, हरिजनों की बेइज्जती की जाती है, सब कुछ कह डाला। मैं उनके विचारों से सहमत हूं कि ये सब होना चाहिए हमारी सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इनके हर सुझाव का सम्मान करते हुये प्रदेश को प्रगति के मार्ग पर ले जाने का प्रयास किया है। हम इनके सभी सुझावों से सहमत हैं लेकिन उसके बदले में हमारी केवल छोटी सी एक बात ये मान लें कि यह सरकार प्रदेश को प्रगति

की ओर ले जा रही है। प्रदेश लगातार प्रगति की सीमा पर जा रहा है। इससे ये लोग सहमत हों जावें। विरोध पक्ष में बैठने के नाते, आलोचना करने हेतु अलोचना न करें। अभी विरोधी पक्ष में एक माननीय सदस्य ने कहा कि क्या ये सरकार भी ढाई वर्ष ही चलानी है। मैं इन्हें बताना चाहती हूं कि 2 1/2 साल पहले की स्थिति में और अबकी स्थिति में बड़ा फर्क है। सन् 1977–78 में एक पुरानी जर्जर छोटी सी नय्या थी, जिसमें भिन्न-भिन्न दिशाओं में जाने वाले यात्री सवार थे, उसका एक निश्चित् खेवइया नहीं था पर अब हमारी पतवार एक ऐसे मजबूत हाथों में है, विश्व के सबसे अधिक सशक्त हाथों में है कि इस मजबूत बेड़े पर इनकी छीटाकशी कोई असर नहीं होने वाला है। यदि इन्हें जनता से प्रेम है तो उनको सही राय देनी चाहिए खाली विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना चाहिए।

अभी एक माननीय सदस्य ने सदन में कहा कि वर्ष 1974-75 में माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कितनी ही फैक्टरियों का शिलान्यास किया पत्थर लगाये लेकिन वहां कोई कारखाने नहीं बने, लेकिन मैं कहती हूं कि वो अधिक से अधिक कारखाने लगाने को प्रयत्नशील हैं। जितने भी उन्होंने शिलान्यास किए आज उन्हीं का नतीजा है कि आगरा में मंडल में दस सौ करोड़ रुपये से पैट्रो केमिकल फैक्टरी लग रही है जहां पर वर्ष 1974 में केवल फर्टिलाइजर प्लान्ट, का पत्थर लगवाया था।

जहां तक महिलाओं के अपमान का प्रश्न है इनके जमाने में महीनों की तीसों तरीख में किसी तारीख का अखबार ढूंढे नहीं मिलता था जबकि महिलाओं की हत्या और बलात्कार की मनहूस जोड़ी का समाचार काले अक्षरों में न छपते हों। अतः मेरी प्रार्थना है कि विरोध पक्ष के लोग अपनी नीति में सुधार करें। इन शब्दों के साथ में माननीय मोहन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का घोर विरोध करती है।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए कुछ समय दिया। श्रीमान् उत्तर प्रदेश दिन प्रति दिन किस तरह पिछड़ता चला जा रहा है, इसके आंकड़े माननीय मोहन सिंह ने इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य इस सदन में खड़े होकर कुछ भी कहें, लेकिन अगर अपने हृदय में हाथ रखकर देखें तो वह इस बात से सहमत हैं। श्रीमन्, इस उत्तर प्रदेश में भी यदि इसको आप देखें तो कुछ हिस्सा इसी प्रदेश का कहीं और अधिक नीचे गिरता चला जा रहा है और कुछ हिस्सा उससे कुछ बेहतर है। पूरे प्रदेश का आंकड़ा लिया जाय, तो वह सबसे नीचे आता है। इस प्रदेश की 78 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर करती है और जब तक किसानों की आमदनी के स्रोत नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को नहीं सुधार सकते।

माननीय मोहन सिंह ने आंकड़ा यह दे दिया था कि पहले इस प्रदेश की पूरी आमदनी 58 प्रतिशत कृषि से होती थी और अब वह 51 प्रतिशत हो गयी है। श्रीमन्, सत्ता पक्ष के लोग यह कह कर रहे हैं कि इसके माने कि कृषि से लोग हट कर दूसरी तरफ चले गये हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर उस प्रतिशत में कमी नहीं आई है, तो उन 78 प्रतिशत लोगों की आमदनी जो 58 प्रतिशत होती थी, 51 प्रतिशत हो गयी है यानि कृषि पर निर्भर लोगों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की आमदनी घटी है। हाँ, कुछ लोगों की आमदनी भले बढ़ गयी है। जब तक यह सरकार ग्रामीण क्षेत्रों पर पूर्ण ध्यान नहीं देगी, तब तक जो माननीय मोहन सिंह का संकल्प है आर्थिक स्थिति को सुधारने लिए वह कतई हो ही नहीं सकता। इसलिए यह अवश्यक है कि एक समिति बनाई जाय कि आर्थिक स्थिति घट रही है, तो वह क्यों घट रही है। वह समिति इस बात को देखेगी और अपना सुझाव देगी। मैं तिवारी जी से जानना चाहता हूं कि उनकी सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है। श्रीमन् उत्तर प्रदेश के किसानों को गेहूं का दाम 140 रु0 और अमेरिका को 190 रु0 दिया जाता है। क्या 160 में खरीद कर 170 में यहाँ पर नहीं बेंच सकते? आप किसी भी देश को देख लीजिए। वहां पर अगर उत्थान हुआ है, तो उसने अपने किसानों की स्थिति को सुदृढ़ किया है।

जापान में वहाँ पर जनता जो है, अधिकांश जनता कृषि पर आधारित है। वहाँ पर जो धान का मूल्य किसानों को सरकार देती है। उससे उपभोक्ता को कम मूल्य पर दिया जाता है। अमेरिका से 190 पर आप खरीद रहे हैं और अपने यहाँ पर 170 पर दे रहे हैं यनि 20रु0 आप उस पर सबसीडाइज कर रहे है। आपको अपने यहां के किसानों को देना होगा, तो आप किसानों पर दाम बढ़ा देंगे। अगर आप इस तरह से सब्सीडी लागू कर देंगे, तो निश्चित रूप से उपभोक्ता को कम मूल्य पर मिलेगा और किसानों को सही मूल्य मिलेगा। 1977-78, 1978-79 के आंकड़े उठा कर देख लीजिए, जिस पर हमारे प्रमोद जी ने मजाक करने की कोशिश की, कि किस तरह से गांवों की आमदनी बढ़ने के कारण, किस प्रकार उत्पादन में वृद्धि हुई है। श्रीमन्, इसकी खाद के उपयोग पर वृद्धि हुई है। इस तरह से गांवों में जब उत्पादन बढ़ेगा, गांवों में आमदनी बढ़ेगी, तभी आप गरीबी दूर कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मोहन सिंह के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री सीताराम निषाद—

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री रेवती रमण सिंह ने निषादों के सम्बन्ध में यह बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार इनके सम्बन्ध में कुछ नहीं कर रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और इस सम्मानित सदन को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश में 72 लाख आबादी इस निषाद समुदाय की है जो केवट, मल्लाह, बिन्द, मांझी, मझवार, गौड़ और धीवर के नाम से जाने जाते हैं। हर विधान सभा क्षेत्र में इस समुदाय के लोग मतदाता 5 हजार की आबादी से लेकर 30-40 हजार की जनसंख्या में पाए जाते हैं। यह समुदाय आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से हरिजनों की तरह से पिछड़ा है यह गरीब समुदाय है और इनकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। यह सही है कि यह समुदाय उपेक्षित रहा और इसके लिए कभी कुछ नहीं किया गया। लेकिन यह समुदाय आभारी है इस देश की नेता श्रीमती इन्दिरागांधी का और उत्तर प्रदेश में माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की कांग्रेस सरकार का आभारी है जिसने 30-32 सालों की हुकूमत में सबसे पहले महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस प्रदेश में लगभग 1 लाख हेक्टेयर भूमि में तालाब और झील पाए जाते हैं।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 मई, 1981 को मत्स्य पालन हेतु 10 वर्षीय तालाब के पट्टे निषाद समुदाय के लोगों को देने का शासनादेश जारी किया जो एक क्रान्तिकारी कदम है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा कदम उठाया है जिससे उत्तर प्रदेश के मछुवारों की मछली पालने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। एक क्रान्तिकारी कदम उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह भी उठाया कि जो नदियां हैं वह ठेकेदारों को नीलाम न करके मछुआ सहकारी समिति को पट्टा किया जायेगा। 21 अगस्त, 1981

को शासनादेश जारी किया गया कि उत्तर प्रदेश में नदियों के घाट की नीलामी बन्द करके नदियों के नौकाघाट निषाद सहकारी समितियों को दिए जायं। इस प्रकार से निषाद समुदाय के उत्थान के लिए हमारी सरकार ने अनेकों फैसले किए हैं। निषाद समुदाय उत्तर प्रदेश सरकार का आभारी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने निषाद समुदाय के कल्याण के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम उठाया है और विपक्ष के यह घड़ियाली आंसू बहाने वाले जो लोग हैं सत्ता में आने का इनको भी मौका मिला था लेकिन इन्होंने निषाद समुदाय के लिए कुछ भी नहीं किया। माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के मुख्य मंत्रित्व काल में उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की हुकूमत में और श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में बहुत से निर्णय लिए गए। हमें विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री श्री श्रीपति मिश्र जी जो निर्णय निषाद समुदाय के लिए किए गए हैं उनको नियमानुसार पालन करवायेंगे। धन्यवाद।

*श्री मोहन सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने

श्री कुवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मुझे भी थोड़ा सा समय दे दीजिए।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें, सवा 4 बजे तक इस पर चर्चा समाप्त होनी है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं इस पक्ष के और उस पक्ष के जिन्होंने इस प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लिया। अधिष्ठाता महोदय, मैं आदरणीय वर्मा जी से सहमत हूं कि अब इस प्रदेश में गरीब जनता के ऊपर और टैक्स लगाने की कोई गुंजाइश नहीं रही क्योंकि हमारे प्रदेश में प्रति व्यक्ति 51 रुपए 14 पैसे टैक्स अपने आप अब तक लगा हुआ है। इसलिए जनता अब और टैक्स देने की स्थिति में नहीं है। जो पहले से टैक्सेज लगे हैं आप उनकी ही वसूली नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए स्टेट रिर्सोसिज मोबिलाइजेशन का दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए एक कमेटी के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

उत्तर प्रदेश की यह विडंबना है कि उत्पादन बढ़ाने का जो आधार उर्जा है उसमें हम निरंतर कम होते जा रहे हैं। साढ़े 36 सौ मेगावाट की स्थापित क्षमता है और 32 फीसदी उसका उत्पादन हो रहा है। सरकार इस बात को निरंतर कह रही है कि जितने बड़े उद्योग हैं उनको कैप्टिव पावर प्लांट लगाने की इजाजत होगी। बड़े उद्योग जिनकी खपत 50 मेगावाट से अधिक है उनको इजाजत दी जायेगी कि वह अपना प्लांट लगाकर जनरेशन कर सकें। वह कभी अपना प्लांट लगाना नहीं चाहेंगे। वह एक तो बिजली की चोरी करते हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और दूसरे बिलों को अदा नहीं करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जो हम उत्पादन बढ़ाने की तैयारी करते हैं उसमें हम पिछड़ते चले जायेंगे। आपकी सरकार ने एलान किया कि हमने निजी क्षेत्र में बड़े उद्योगपतियों को निमंत्रण दिया है कि वह बिजली उत्पादन करें। मुझे अफसोस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो राजा साहब की सरकार थी और अब उसी परंपरा में यह सरकार आयी है उसे झूठी घोषणाओं में महारथ हासिल है। निजी क्षेत्र में पावर प्लांट लगाने की दिशा में कोई पहल इस सरकार ने नहीं की है और न किसी प्रस्ताव को ही स्वीकार किया है। नतीजा यह है कि जो पहले से उद्योग लगे हैं खासतौर से स्टील इंडस्ट्री, उन लोगों के रोजाना आवेदन आ रहे हैं कि हमको प्रदेश से बाहर उद्योग ले जाने की इजाजत दी जाय।

प्रमोद तिवारी जी ने एक बात मजाक में कही, वह यह है कि इस प्रदेश में जब तक औद्योगिक शांति इंडस्ट्रियल पीस नहीं रहेगी तब तक हम उद्योगों को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। इसमें हमारी उनकी साझेदारी हो सकती है, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। समाज के जो बुनियादी मसले हैं उनमें हमारा विरोध नहीं हो सकता। लेकिन औद्योगिक शांति मजदूरों और उपभोक्ताओं की लूट पर नहीं हो सकती। हमें अफसोस है कि जिस तरह से निजी क्षेत्र के उद्योगपति मजदूरों की आज लूट करते हैं वह किसी से छिपी नहीं है। जब तक आप उस दिशा में कदम नहीं उठायेंगे तब तक आपके चाहने पर भी औद्योगिक शांति स्थापित नहीं होगी। जहां तक औद्योगिक वातावरण का सवाल है, वित्त मंत्री जी जवाब दे रहे थे, हम सोच रहे थे कि वह पूंजीकरण बढ़ाने के लिए कोई सुझाव देंगे लेकिन पुराने आंकड़ों का सहारा लेकर उन्होंने सारे आरोपों को झुठलाने की कोशिश की हैं। यह कहा गया कि 5 फर्टीलाइजर के कारखाने मिले हैं जिनसे औद्योगीकरण का वातावरण तैयार हो जायेगा। राजा साहब की घोषणा पर सेठी साहब का बयान आ गया कि इस तरह के फटीलाइजर प्लांट उत्तर प्रदेश कि लिय क्लियर नहीं किया है। नारायण दत्त तिवारी जी जरूर कहते हैं कि हमने कर दिया। मान्यवर, गोंडा में 200 करोड़ की योजना टेली-फोन इंडस्ट्री के बारे में थी। सेंट्रल कैबिनेट की क्लियरेंस हो गयी और डाक तार विभाग की स्वीकृत हो गयी।

उसको प्लानिंग डिपार्टमेंट की स्वीकृति हो गयी और अब यह कहने लगे कि बजाये 2 सौ करोड़ रु0 के 60 करोड़ रु0 में योजना तैयार की जायेगी।

दूसरी 500 करोड़ रु0 की योजना वैगन बनाने की इलाहाबाद में फैक्ट्री के स्थापित करने की घोषणा की लेकिन आज तक उसका कुछ पता नहीं है। हिन्दुस्तान लाईसेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि इस तरह की किसी भी प्रकार के वैगन बनाने के किसी प्रस्ताव पर हमने इजाजत नहीं दी है। लेकिन यहां पर घोंषणा हो गयी। एक हजार करोड़ रु0 के पैट्रोल केमिकल काम्पलेक्स बनाने की योजना पर घोंषणा हो गयी, परन्तु अभी तक इसका भी कोई किलरियेंस नहीं हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र के भरोसे इस सरकार ने जितनी भी घोषणाएं की हैं, वह सब ऐसी ही बे-बुनियाद साबित हुयी हैं। जब तक किसी भी योजना का लाईसेंस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो जाता तब तक प्रदेश सरकार से इस प्रकार की किसी भी योजना की घोषणा नहीं होनी चाहिए। इस लिए मैं यह कहता हूं इसके लिए जो भी सुझाव संभावित हैं, इस स्थिति पर विचार समिति द्वारा ही हो सकता है और प्लानिंग डिपार्टमेंट का कहना है कि जब तक आप अपने संसाधन नहीं जुटाएंगे, हम आपको तब तक संसाधन देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस स्थिति पर विचार एक समिति द्वारा ही सुचारु रूप से हो सकता है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव पर बल देता हूं कि इस मसले को कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाए।

*संसदीय कार्य मंत्री—(श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मा0 मोहन सिंह जी ने कुछ चिंताएं व्यक्त की जो वर्तमान स्थिति से संबंधित हैं। सबसे पहले उन्होंने चिंता व्यक्त की मोबीलाईजेशन आफ रिसोर्सेज पर। मान्यवर, इस संबध में सरकार पूरे तौर पर प्रयत्नशील है कि नये टैक्स बिना लगाये, पहले के हमारे जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं को किस तरह आगे मोबलाईज करें जिससे जनता के ऊपर अधिक भार न पड़े और जहां तक वसूली की बात अनर्तनिहित है। इसमें मुझे यह कहना है कि इसमें वह अपेक्षित गति इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि रोजमरा कहीं बाढ़, कहीं सूखा और कहीं कुछ, यह सारी दैवी आपदाओं के कारण वसूली सही तरीके से नहीं हो पायी है लेकिन मान्यवर, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे जो मोबीलाईजेशन रिसोर्सेज हैं, वह बिल्कुल बंद हो गये हैं, ऐसी बात नहीं है।

अभी मा0 वित्त मंत्री जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, उनसे अंदाजा लगया जा सकता है कि हमारे इन्कम के आधार क्या हैं और किस प्रकार के हैं? और दूसरे मा0 वित्त मंत्री जी ने जो वर्षवार आंकड़े दिये कि वर्ष 1974–75 में 4233 करोड़, वर्ष 1975-76 में 461। करोड़ की आमदनी हुई और 79-80 में 5372 करोड़ रु0 की हुई जो पिछले वर्षा से जरुर कम थी परन्तु वर्तमान में 5740 करोड़ रु0 की हुई। जो बढ़ी हुई है। दूसरे उन्होंने जो बिजली की ओर इशारा किया और इण्डस्ट्रियल रिसोर्सेज की जो बात कही इस ओर मैं यह कहना चाहता हूँ कि इण्डस्ट्रियल रिसोर्सेज की फैक्ट्री अपनी लगाना चाहते है और जैनरेशन सेट्स लगाना चहते हैं, उनको भी अनुमति दी जा रही हैं और साथ ही साथ जो छोटे-2 इण्डस्ट्रियलिस्ट हैं उनको सब्सीडी देने के प्राविधान किये गये हैं।

[समय 4 बजकर 20 मिनट]

इस तरह से यह कहना कि इस तरह की कोई चीज है उसका प्राविधान नहीं हुआ है और किसी प्रकार की रोक लगायी गयी है, यह बात सत्य नहीं है। जो जनरेशन की बात है उसमें तो वृद्धि हुई है अगर आंकड़े देखें तो मालूम होगा कि जनरेशन में वृद्धि हुई है।

जहां तक इण्डस्ट्रियल पीस और वातावरण की बात की गयी, मजदूरों के साथ पिछली सरकार ने साझेदारी की बात की। केवल बात ही नहीं की बल्कि उसके कर के दिखाया गया। लेकिन इण्डस्ट्रियल पीस को कौन लोग डिस्टर्ब करते हैं, कौन लोग पोली टिकलाइज करते हैं, कौन लोग बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं उसे आप भी जानते हैं उस पीठ पर बैठे हुए और हम लोग भी जानते हैं।

आज एक समिति की बात मा0 मोहन सिंह जी कर रहे हैं जैसे अभी तक कोई विचार ही उस पर न हुआ हो। शासन ने कोई विचार-विमर्श ही न किया हो। जब यह 3 साल थे उस समय ऐसी कमेटी बना देते कि तमाम चीजों पर विचार करती। मोहन सिंह जी सरकार में थे, सक्षम थ, कमेटी बनाने के लिये। 3 साल ध्यान नहीं आया जब कि इनकम भी कम हो गयी थी। आज यह कमेटी बना रहे हैं। 3 साल में सारे उद्योगों की पालिसी मा0 मोहन सिंह जी और सबने डोली को है, उस वक्त ध्यान नहीं आया जनरेटिंग

*वक्त ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

सेक्ट्रस का। सारी बात यह है कि जो हमारे एचीवमेण्टस हैं, उनको कैसे धूमिल किया जाय फाइनान्स के सारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और सारी चीजें मौजूद हैं। कमेटी का बनाना सिवाय इसके कुछ नहीं है कि एक्सचेकर पर और जोर डालें। सदन से निवेदन है कि एक ऐसी समिति बनाने की सिफारिश चीजों को पोलीटिकलाइज करना है, एक्सप्लाइट करना है, इससे प्रदेश का भला नहीं होता। कब कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी, कब उस पर विचार होगा, कब उसे स्वीकार किया जायगा। एक-एक क्षण कीमती है। इस सम्मानित सदन से मेरा अनुरोध है कि इसका विरोध न किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय, मोहन सिंह जी ? क्या आप अपने प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री मोहन सिंह—

नहीं मान्यवर, प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर घोर चिन्ता व्यक्त करता है और उसमें सुधार लाने हेतु सुझाव देने के लिए इस सदन की समिति गठित करने का निर्देश देता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

कुर्मिन पुरवा, गोण्डा के दूधनाथ गोसांई नामक अपराधी द्वारा श्री शारदा के घर में डकैती डालने के संबंध में वक्तव्य एवं उस पर चर्चा

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)—

1—प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 13-7-82 की रात्रि में 9-10 बजे श्रीमती केतकी पत्नी कुंवर प्रसाद गोसांई, ग्राम गोनवा ने थाना करनैलगंज पर सूचना दी कि कतपिय लोग लाठी, भाला, कांता आदि लेकर उसके घर को घेरे हुए हैं और आशंका है कि घर के अन्दर बन्द उसके लड़के दूधनाथ को जान से मार डालेंग। इस सूचना पर एक उपनीरीक्षक एवं एक सिपाही मौके पर आवश्यक कार्यवाही हेतु गये। मौके पर पहुंच कर उन्होंने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया परन्तु स्थिति बिगड़ गई। पुलिसकर्मियों को कुछ लोगों ने घेर लिया और लाठी भाले इत्यादि से मारने पीटने लगे। आत्मरक्षार्थ उप निरीक्षक ने स्टेनगन से फायर किया परन्तु आक्रमणकारी उन पर टूट पड़े और उनकी स्टेनगन तथा सिपाही की मस्कट छीन ली। मारते पीटते हुए दोनों पुलिस कुर्मियों को ग्राम कुर्मिन पुरवा ले गये।

2—इस आशय की सूचना दूधनाथ द्वारा थानाध्यक्ष करनैलगंज को दी गई। इस सूचना पर थानाध्यक्ष पुलिस फोर्स के साथ ग्राम कुर्मिन पुरवा गये। उन्होंने दोनों पुलिस

कर्मियों को छुड़ाया और स्टेनगन व मस्कट बरामद की। मौके पर ही उन्होंने 6 अभियुक्तों को गिरफतार किया। इस संबंध में पुलिस उप निरीक्षक श्री राहुल कुमार श्रीवास्तव की लिखित सूचना पर थाना करनैलगंज में अपराध संख्या 140/82 धारा 395/307/332/342/333 भारतीय दंड विधान 12 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। दिनांक 16-7-82 को 4 अन्य अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। शेष दो अभियुक्तों के बारे में धारा 82/83 सी/आर0 पी0 सी0 के अंतर्गत न्यायालय से आदेश प्राप्त करके दिनांक 17-7-82 तो कुर्की की गई जिसके फलस्वरूप उन दोनों अभियुक्तों ने भी न्यायालय में आत्मसमपर्ण किया।

3—दिनांक 14-7-82 को पुलिस क्षेत्राधिकारी मौके पर गये तथा उन्होंने मामले की पूरी छानबीन की। उन्हें पुलिस द्वारा ज्यादती की शिकायत नहीं प्राप्त हुई।

4—जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने दिनांक 20-7-82 को घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहाँ कुछ ग्रामवासियों ने पुलिस द्वारा की गई ज्यादती की शिकायत की। श्रीमती धन्नू पत्नी शारदा ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को दिया जिसके आधार पर थाना करनैलगंज में आराध संख्या 140ए/82 धारा 394/397 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। इन दोनों मुकदमों की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई है। इस घटना के संबंध में उच्च स्तरीय जांच आयुक्त, फैजाबाद मण्डल भी कर रहे हैं।

5—दिनांक 27-7-82 को विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा करनैलगंज में जनसभा का आयोजना किया गया था। सभा के समाप्त होने के बाद जब लोग थाने पर जुलूस के रूप में जा रहे थे, कुछ असामाजिक तत्वों ने भीड़ पर ढेले फेके जिससे कुछ लोगों को चोटें आयीं। इस संबंध में थाना करनैलगंज पर अपराध संख्या 157/82 धारा 336/323/147 भारतीय दंड विधान पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। इसी घटना के संबंध में एक अन्य सूचना पर अपराध संख्या 157ए/82 धारा 147/323 भारतीय दंड विधान का भी पंजीकृत हुआ और इसकी विवेचना भी प्रचलित है।

6—आयुक्त एवं अपराध अनुसंधान विभाग की जांच के निष्कर्षों के आधार पर अग्रेतर कार्यवाही की जायगी। प्रशासनिक दृष्टिकोण से दो पुलिस उप निरीक्षकों का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

श्री मसरूर जाफरी—

मान्यवर, जो माननीय मंत्री जी ने कुर्मिन पुरवा के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की है यह बिलकुल सत्य से परे है। मान्यवर, मैं आपको वहाँ की बात बताऊं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय जाफरी, आप केवल प्रश्न ही करें।

श्री मसरूर जाफरी—

यदि यह करनैलगंज में हुआ था तो यह करनैलगंज की पुलिस ने ही कराया था, उसने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके उसे कराया था और और यह कहना

कि वहां के लोगों ने उनकी स्टेनगन व बन्दुकें छीन ली पुलिस कर्मियों की, यह बिल्कुल निराधार है। जो वहां के लोगों ने शान्तिप्रिय ढंग से जुलूस निकाला था, उसका इसमें कहीं जिक्र नहीं है। इस रिपोर्ट को सदन में फाड़ कर सदन का बहिष्कार करता हूँ।

(तत्पश्चात् श्री मसरूर जाफरी ने वक्तव्य की कापी फाड़ दी और सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य ने जो वक्तव्य की कापी फाड़ी है, मैं इसकी निन्दा करता हूं क्योंकि यह सदन की गरिमा के प्रतिकूल है।

*अकबाल हुसैन—

मान्यवर, कुमिन पुरवा में जो काण्ड हुआ और उसके संबंध में माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया यहाँ पर, वह सत्य से बिलकुल परे है। मान्यवर, इससे पहर निष्कर्ष निकलता है कि जैसे यह पूरी घटना कुमिन पुरवा की ही है।.....

जब कि सत्य यह है कि दिनांक 13 जुलाई की रात्रि को 9-10 बजे के करीब दूधनाथ की साजिश से करनैलगज की पुलिस कुमिन पुरवा गांव में शारदा को लटने के लिये गयी। 10-15 की संख्या में पुलिस के लोग थे, और साथ में दूधनाथ था। उन लोगों ने जाकर शारदा के घर पर आक्रमण किया। जब वे लोग घर में घुसे तो शारदा का शौहर जो वहां मौजूद था उसके सीने पर बन्दूक रखकर पुलिस वाले धमका रहे थे और कह रहे थे कि जो रुपया है वह दे दो और दूधनाथ के खिलाफ कोई शिकायत न करना। एक सौ पचास रुपये तो शारदा से पुलिस वालों ने पहले ही छीन लिया था। जब पुलिस वाले लूट रहे थे तो शारदा ने हंसिया मार तक पुलिस वालों से उनकी बन्दूक को छीन लिया। इस तरह से जो यह वक्तव्य में आया है पुरा कांड गुनवा का है जो कुमिन पुरवा से तीन चार फलांग दूर है। इसलिये माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है वह बिलकुल असत्य है और ऐसा बक्तव्य देकर उन्होंने सदन को गुमराह किया है। गोंडा के पुलिस अधीक्षक की गोंडा की पुलिस के साथ पूरीसाजिश रही है।

20 साल पहले इस प्रदेश की पुलिस के सम्बन्ध में जैसा कि हमारे न्याय मूर्ति श्री मुल्ला ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस संगठित बदमाशों का एक गिरोह है। 13-14 की रात को गोंडा की पुलिस ने जाकर शारदा के घर को लूटा और वहां पर रामलखन का दो हजार रुपया, रामचन्द्र का 1600 रु0 और नन्हेकऊ का हाई स्कूल व इंटर की सर्टिफिकेट को नष्ट कर दिया और उसकी औरत को परेशान किया। यह पूरी घटना गुनवा की है जब कि उसे कुमिन पुरवा में होना दिखलाया गया है। पूरे गांव को लूटा गया है और वहां पर 6 आदमियों को गिरफ्तार भी किया गया। यही नहीं 15-16 को वहां के क्षेत्रीय विधायक के कहने के बावजूद 17 को कुर्की वारंट जारी किया गया और पूरे कुमिन पुरवा को दोबारा लूटा गया। क्षेत्रीय विधायक माननीय मुरलीधर मुनीम मौजूद होंगे उनसे भी आप पूछ सकते हैं। माननीय मंत्री जी अपने वक्तव्य से माननीय सदन को गुमराह किया है। कम से कम मुझे विश्वास है कि वे ईमानदार आदमी हैं, वे गलत नहीं कहेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर वे इतना कह दें कि यह कांड गुनवा में हुआ है। कुर्मिनपुरवा में नहीं हुआ है, तो कोई शिकायत नही है लेकिन जहां तक गोंडा की पुलिस की बर्बरता का सवाल है, उसको छिपाने के लिये माननीय मंत्री जी द्वारा यह वक्तव्य दिया गया है जब कि पूरा दोष पुलिस थाना अध्यक्ष का है। आज कुर्मिन पुरवा की जनता गोंडा की पुलिस से अपने को असुरक्षित समझती है। एक दिन भी मैंने बतलाया था कि एक महिला के साथ दरोगा ने किस तरह से बलात्कार किया लेकिन इतना सब कहने के बाद भी जिस तरह से काम किया गया उससे क्या नतीजा निकला। तुलसीपुर के किसानों पर जिस बर्बरता से लाठी चार्ज किया गया, माधवपुर में जिस तरह से 10-11 आदमियों को मारा गया, कुर्मिनपुरवा कांड के साथ-साथ गोंडा की पुलिस के खिलाफ 4 घटनाओं की इन्क्वारी सी0 आई0 डी0 कर रही है। गोंडा के अधिकारियों ने सरकार को जो गलत सूचना दी है उससे माननीय मंत्री जी को और सरकार को सबक लेना चाहिये। .. ..

जब सिसवा, जनपद बस्ती में कांड घटा था और वहां के कलक्टर और एस0 पी0 ने गलत सूचना दी थी तो तत्काल उनको वहां से हटाया गया था और आज जब यह गलत सूचना इस सदन को दी गई है वहां के अधिकारियों द्वारा, तो हमारी यह मांग है कि वहां के एस0 पी0 को तुरन्त वहां से हटाया जाए, तभी निष्पक्ष जांच हो सकती है। 27 तारीख को जब वहां के राजनीतिक दलों के लोगों ने उस घटना के खिलाफ शान्तिपूर्ण प्रदर्शन किया तो 2000 आदमी वहां मौजूद थे और रविचन्द्र त्रिपाठी नामक व्यक्ति उनके सामने नारे लगा रहा था तो पुलिस ने उस पर लाठीचार्ज किया जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो गई। उसकी पीठ पर लाठियों की चोट के 12 निशान हैं। डाक्टरी मुआयना हो चुका है और सारा रिकार्ड होते हुए इस बात को नकारा जा रहा है कि 27 तारीख को कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। यह जो गलत सूचना दी गई है, 28 तारीख को उसके विरोध में पूरा करनैलगज बंद था तो कई बार 28 तारीख को दुकान खुलवाने के लिए वहां लाठीचार्ज किया गया और वहां के निहत्थे लोगों पर पुलिस ने अपनी प्राइवेट बन्दूकों से गोलियां चलायीं। मैं उनके नाम भी बता दूं राजदेव पाठक नाम का एक कांस्टेबिल है, उसने अपनी प्राइवेट बन्दूक से फायर किये थे जिसके बाद यह कारतूस (कुछ कारतूस दिखाते हुए) वहां के लोगों ने इकटठा किए थे और जब हम लोग उसी दिन वहां पर पहुंचे तो हमको दिये गये। इन कारतूसों की जांच करके इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि यह कारतूस राजदेव पाठक की बन्दूक से चलाये गये हैं या नहीं।

28 तारीख को गलत घटना दर्ज करके वहां के एक दर्जन से अधिक लोगों पर 307 आई0 पी0 सी0 का मुकदमा कायम कर दिया गया है और उनको धमकाया जा रहा हैं कि अगर सी0आई0डी0 की जांच में हमारे खिलाफ बयान दिया तो 307 के मुकदमें में तुम्हारी गिरफ्तारी करेंगे और कुड़की लायेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बस्ती में जो पालिसी सरकार ने अपनाई, उसका अनुकरण करते हुए आज ही सरकार को इस माननीय सदन में एलान करना चाहिए कि वहां के लोगों ने जो गलत सूचनायें दी हैं और वहां के कांड को छिपाया है, इसी सदन में उनके स्थानांतरण की घोषणा सरकार को करनी चाहिये। हम लाठीचार्ज की निन्दा करते हैं और जो मुकदमा 394/397 का दर्ज कराया गया है शारदा की पत्नी द्वारा, उसके अनुसार दोषी लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया जाये और जेल जाए।

*श्री मित्र सेन—

मान्यवर, यह नौकरशाही पर टिकी हुई सरकार, जो पुलिस प्रशासन की बैसाखी बनी हुई है, यह कब तक चलेगी ? अभी हाल की जो घटनायें हुई हैं पूरे प्रदेश में, उन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सब घटनाओं में यह भी एक घटना है जिसके बारे में माननीय मंत्री जी के उत्तर से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह बयान कितना झूठा है। 13/14 तारीख की रात में 9-10 बजे इनका एक उपनिरीक्षक और एक कांस्टेबिल इस सूचना पर चल पड़ता है कि किसी घर को कुछ लोगों ने घेर रखा है। इसमें लिखा है कि केतकी पत्नी कुंवर प्रसाद गोसांई की सूचना पर एक सब इंसपेक्टर एक सिपाही को लेकर चल पड़े उसकी रोकथाम करने के लिए.....

वास्तविकता यह है कि कुरमिन पुरवां में एक अपराधी प्रकृति के आदमी ने पुलिस थाने पर सूचना दी और उसकी सूचना पर एक सब इन्सपेक्टर तथा एक कान्सटेबिल शारदा कहार के घर पर गये। थाने में यह सूचना दी कि शारदा कहार बैल बेचकर रुपये लाया है। अतः उससे रुपये आदि छीनने तथा लूटपात करने के लिए वे लोग गये जब वहां पर शोर मचा तो कई लोग इकटठा हो गये। बाद को थानाध्यक्ष पूरे फोर्स के साथ वहां पहुंचे कहार के घर पर जो कुछ था वह लूटा तथा आस पास के कई लोगों को लूटा। बीसों हजार की लूट की। जब पुलिस कर्मियों के विरोध में, जिन्होंने लूटपाट की थी अपराधी प्रकृति के लोगों के साथ, वहां की जनता ने और वहां के राजनैतिक लोगों ने विरोध किया, 27 तारीख की मीटिंग की तो पुलिस कर्मियों की तरफ से लोगों को ढेले बरसाये गये, लाठीचार्ज किया गया, बुरी तरह से मारा पीटा गया। मंत्री जी यहां पर गलत बयानी कर रहे हैं। जो वक्तव्य उन्होने दिया है उसमें सही घटना पर पर्दा डाला गया है। इस तरह से प्रदेश की शान्ति व्यवस्था ठीक नहीं होगी। पुलिस का काम है शान्ति व्यवस्था को कायम रखना, पर जब पुलिस ही इस तरह के अपराध करेगी तो कैसे शान्ति व्यवस्था रह पायेगी। पुलिस स्वयं आज अपराधिक प्रकृति के लोगों के साथ शामिल होकर अपराध करवाती है। आज पुलिस जनता की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। आज इन घटनाओं के कारण गांव की जनता को सरकार में विश्वास नहीं रह गया है। जनता के लोग पुलिस को अपना रक्षक मानने के बजाये अपना भक्षक समझने लगे हैं।

मान्यवर, इस घटना को लेकर हम एक और जिक्र कर दें। 14 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक फैजाबाद जनपद में कई लोगों की हत्यायें हुई हैं अयोध्या। में ही कुछ लोगों ने अपराधों का अपना गढ़ बना लिया है। वहां इस बीच में करीब दो दर्जन घटनायें घट चुकी हैं। कहीं किसी महन्त की हत्या कर दी गयी, कहीं किसी होटल को लूट लिया, कहीं किसी के यहां डकैती डाल दी गयी, तरह-तरह की घटनायें हो रही है। दिन दहाड़े लूटपाट और हत्यायें हो रही हैं।दुकानें दिन दहाड़े लटी जा रही है। अभी कल परसों ही 3-4 दुकान वालों से 6-6, 7-7 हजार रुपये बन्दूक की नोक पर ले लिये गये। इस तरह के समाचारों से अखबार भरा रहता है.....

इस तरह से जो घटनायें हुई हैं, वह सब पुलिस के कुकर्मो से की जा रही हैं। इन शब्दों के साथ मान्यवर इस घटना के सम्बन्ध में सरकार से मांग करता हूं कि कम से कम उस जिले के पुलिस अधीक्षक और अन्य दूसरे पुलिस कर्मियों को हटाकर किसी न्यायिक जांच करायी जाये और अपराधी लोगों को सजा दें। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो जनता का विश्वास आप से हट जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, जो वक्तव्य माननीय मंत्री जी ने दिया है उसको मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा। कुर्मिनपुरवा मुझे भी जाने का मौका मिला। दो दिन तक लगातार रहकर सारी जानकारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हासिल की। यह जो वक्तव्य आया है, कुर्मिनपुरवा के सिलसिले में, जिले के प्रशानिक अधिकारी हैं उनका बनाया हुआ एकतरफा स्टेटमेंट है। वहां के अधिकारयों की मिली भगत है जिसके कारण कोई साफ बात इस बयान में नहीं है और यह स्टेटमेंट पुलिस को बचाने के लिए वहां के अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया है जो किसी भी तरह मानने वाला नहीं है मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी प्रदेश और देश की तरक्की वहां की कानून व्यवस्था और अर्थ व्यवस्था पर निर्भर करती है। इस समय प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। हमारे सामने कुछ मुद्दे विधान सभा में उठ चाहे बस्ती का सिसवा कान्ड हो, बहराइच का महसी कान्ड हो, चाहे दस्तमपुर कान्ड हो या चाहे कुर्मिनपुरवा का कान्ड हो, यह सारे पुलिस से जुड़े हुए हैं और इसी कारण विश्व नाथ प्रताप सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। माननीय मुख्य मत्री जी अगर यही सिलसिला रहा तो यह पुलिस आपकी भी सरकार जो एक दिन जल्दी से समाप्त कर देगी तब आपकी समझ में आयेगा। जब तक आप पुलिस को बचाने का बचाने को प्रयास करते रहेंगे तब तक शान्ति व्यवस्था कायम नहीं रह सकती है। मान्यवर, कुर्मिनपुरवा की घटना 13 जुलाई की 9-10 बजे रात की है। शारदा कहार जो एक खाता पीता आदमी है और बैलों का रोजगार करता है, पक्का मकान है गांव के लोग खुशहाल हैं तो वह बैल बचकर आता है और 9-10 बजे रात में घर में खाना खाता है। उसका दरवाजा बन्द रहता है, कर्नल गंज के थानेदार और एक सिपाही श्याम सुन्दर दूधनाथ जो थाने का दलाल है और पुराना अपराधी है जो 3-3 मामले में फसा है उसके आदमियों को लेकर कुर्मिन पुरवा पहुँचते हैं और शारदा को पुकारते हैं। जब उसका दरवाजा नहीं खुलता है तो पुलिस के लोग छत पर चढ़ जाते हैं और उसका दरवाजा खोल देते हैं और बाहर खड़े लोग घर में प्रवेश करते हैं। इसी में गुत्था-गुत्थी होती है और यह शारदा की पत्नी जो हृष्ट पुष्ट है उसने दरोगा जी की राइफल को ले लिया और सिपाही को रोक रखा। इतने में शोर मचाया गया और छप्पर में आग लगा दिया और सैकड़ों लोग घटना स्थल पर आ गये और दरोगा जी बचकर भाग निकलते हैं।

लेकिन श्याम सुन्दर सिपाही मौके पर पकड़ लिया जाता है और रोक लिया जाता है। चूंकि वहां पर थाना नजदीक है, वे लोग थाने में जाते हैं रिपोर्ट दर्ज होती है और जंग बहादुर सिंह एस0 ओ0 तथा कोई राय बहादुर दरोगा है एक दर्जन पुलिस के साथ घटना-स्थल पर पहुंचते हैं और किसी तरह बहला-फुसला कर उनको थाने में ले जाते हैं और उनकी वहां पर कसकर पिटाई होती है और उनका दूसरे दिन चालान कर दिया जाता है। उसके विरोध में 27 तारीख को एक सर्वदलीय सभा होती है और उस सभा के बाद हजारों की तादाद में स्थानीय जनता कर्नेलगंज की सड़क पर एक जुलूस की शक्ल में थाने पर मांग पत्र देने के लिये जाते हैं तो रास्ते में जग बहादुर दरोगा तथा राय बहादुर और एक दर्जन पुलिस सिपाही व सैकड़ों गुंडों को लेकर जो थाने में बैठ हुये थे और ककड़, ईट इकट्ठा किये थे, वे वहाँ पर आ गये। पुलिस दरोगों ने लाठी चाज करना शुरू कर दिया और उसका नतीजा यह हुआ कि भगेलू सिंह दीपनरायण पांडेय तथा पार्टी के महामंत्री रविचन्द त्रिपाठी पीटे गये। राम नरायण पांडेय की कनपटी में बन्दूक की चोट भी आ गई जिससे वे मौके पर बेहोश हो गये। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया।

उसके बाद उस घटना के विरोध में 28 तारीख को कर्नेलगंज की जनता ने जो ज्यादती हुई थी उसके विरोध स्वरूप उसको प्रदर्शित करने के लिए अपनी हड़ताल रखी। पुलिस ने उस हड़ताल को तुड़वाने के लिए वहां के स्थानीय लोगों को और दुकानदारो को गाली दी, उनको घसीटा और मारा-पीटा गया। यहा ज्यादती पुलिस द्वारा बराबर की जाती रही। मान्यवर, इस घटना में जो वहां का एस0 पी0 हैं उसकी भी साझेदारी है। वह

चाहता तो इस प्रकार की घटना न होती क्योंकि जो एक बार घटना हो गई थी और उसके विरोध में सभा की गई तो दूसरे दिन उसके ऊपर नियंत्रण रखा जा सकता था और इस तरह से दूसरी घटना को बचाया जा सकता था। लेकिन चूंकि पुलिस आज इतनी निरंकुश हो गई है और प्रशासन अपना होश-हवाश खो बैठा है कि आज वह लोगों के ऊपर इतना दमनकारी रुख अपना रखा है। यहां पर जो बयान पढ़ा गया है वह बिलकुल झूठा और गलत है। इसकी पुष्टि के लिए सच्चाई और ईमानदारी से न्याय दिलाने के लिए यह आवश्यक है कि इस घटना की न्यायिक जांच करायी जाय। उसके लिये यह जरूरी है कि वहाँ के एस0 पी0 को तत्काल स्थानांतरित कर दिया जाय और उस थाने में जितने दरोगा और सिपाही हैं उनका भी स्थानांतरण कर दिया जाय। वे उन गवाहों को धमकी देकर इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। मैं अन्त में कहना चाहता हूँ कि वे अपने देश और प्रदेश में अमन को कायम रखने के लिए पुलिस को निरंकुश न करें करना जो मान्यतायें हैं वे खतम हो जायेंगी। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

माननीय मंत्री जी ने एस0 पी0 और डी0 आई0 जी की रिपोर्ट को सेम-टु-सेम सदन के सामने रख दिया है। इस सन्दर्भ में ज्यादा कुछ कहने से पहले मैं मांग करना चाहता हूँ कि इस पूरे मुद्दे की मैजिस्ट्रीरियल जाँच होनी चाहिए सिर्फ मकसद यह है कि पूरी जाँच से सच्चाई का पता लग सकेगा मंत्री द्वारा दिया गया बयान निराधार है।

बिना सिरपैर की यह रिपोर्ट आई है और जो इनक्वायरी रिपोर्ट आई है इससे हैं समझता हूँ कि सदन संतुष्ट नहीं है। वक्तव्य में कहा गया है कि वहां के लोग बल्लम कांता और भाला लेकर पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिये। दूसरी तरफ यह कहते हैं कि पुलिस ने स्टेनगन से फायर किया। पुलिस कर्मियों के पास राइफल थी लेकिन वह अपनी रक्षा नहीं कर सके। यह रिपोर्ट गुमराह करने वाली है। इस प्रकार की घटनायें पूरे प्रदेश में हो रहीं हैं सरकार सही तथ्यों पर जानने के लिए तैयार नहीं हैं और एक तरीका अपना लिया है कि जो रिपोर्ट आजाती है उसी पर कायवाही करती है। गांवों में मासूम लोग मारे जाते हैं, डकैत लोगों को दरोगा सहारा देते हैं, थानों में जाकर डकैत अपनी बचत करते हैं तथा पुलिस दफा 25 का मुकदमा कायम करके भोलीभाली जनता को प्रताडित करती हैं। इसी तरह से कानपुर में हुआ, इसी तरह बहमयी में हुआ, जितने भी कांड हुए उसमें आपको पुलिस का हाथ रहा। इसलिए इन सारे तथ्यों की जांच करने के लिए एक मैंजिस्टीरियल इक्वायरी बैठायें उससे सही जानकारी आपके सामने आयेगी। आज प्रदेश में जिस तरह से शांति व्यवस्था की हालत चल रही है उससे जनता परेशान है। मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि दूधनाथ की जान को खतरा उत्पन्न हो गया था आप कहते हैं उसकी सुरक्षा के लिए वहां पुलिस गयी, यह बिलकुल गलत है। पुलिस की मंशा थी कि गांव में लूटपाट और डकैती की जाय उसी के लिए वह वहां गये थ। दूधनाथ तो एक स्वयं डकैत है, अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस वहां गयी लेकिन प्रदेश में इतने कांड हो रहे हैं, गरीब मारे जारहे हैं उनकी कोई सुरक्षा नहीं होती है। इस सदन में एक झूठी रिपोर्ट देकर सदन को गुमहार किया जा रहा है।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, माननीय सदस्य प्रदीपकुमार यादव जी ने कुछ घटनाओं का जिक्र किया। यह जो कुर्मी पुरवा का जो मामला है उसमें जो एफ0 आई0 आर0 है उसकी जांच करने

के लिए सी0 आई0 डी0 को मामला दिया गया है। वह तथ्यों की जांच करेगी तो जब जांच चल रही हो उस वक्त किसी तथ्य की इंगित करना जांच की कार्यवाही को प्रभावित करना है।

श्रीमन्, शासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इसे सी0 आई0 डी0 को दे दिया। दूसरा श्रीमती धन्नो ने जो जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया उसके आधार पर सब इंस्पैक्टर और सिपाही के विरुद्ध अपराध पंजीकृत कर लिया गया। माननीय सदस्यों ने 27 ता0 की घटना का जिक्र किया।

कि जुलूस पर लाठीचार्ज किया गया, तो मुझे बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि 27 तारीख की घटना की जो प्रथम रिपोर्ट हमारे भूतपूर्व विधायक श्री पांडेय जी ने कराई है, उसमें कहीं भी यह जिक्र नहीं है कि कोई लाठीचार्ज हुआ। उन्होंने यह अवश्य कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव हुआ। तो मेरा कहना है कि तथ्यों के बिलकुल विपरीत लाठीचार्ज की कल्पना कर लेना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, और मैं समझता हूं कि स्थिति का सही मूल्यांकन होना चाहिए। इसमें एक जुलूस निकाला गया, वह किसी भी राजनीतिक दल ने जुलूस बनाया हो, यह एक अलग बात है। हम भी चाहते हैं कि प्रजातन्त्र में कोई बात हो तो उसको प्रजातान्त्रिक ढंग से रखा जाए, लेकिन उस पर यह आक्षेप कर देना कि वहां पर लाठीचार्ज हुआ, सही नहीं है। जबकि वास्तविकता यह है कि 28 तारीख को जब एक सिपाही दफा 144 की घोषणा कर रहा था तो उस सिपाही को कुछ असामाजिक तत्वों ने पकड़ा और फिर पकड़ कर उसे बुरी तरह से मारा। उस पर भी एक अपराध पंजीकृत हुआ है। इन सब बातों की विवेचना भी हमने आयुक्त, फैजाबाद को दे दी है। मैंने एक उच्चस्तरीय जांच स्वयं ही स्वीकार कर दी है। तो श्रीमन्, कुर्मिनपुरवा के मामले में सी0 आई0 डी0 जांच हो रही है, धन्नो देवी ने जो डकैती का मुकदमा लिखवाया था, वह पुलिस में पंजीकृत हो चुका है और लाठीचार्ज वगैरह के लिए आयुक्त, फैजाबाद को जांच दे दी गयी है। उसमें जो सत्य उद्घाटित होगा, जो दोषी पाये जायेंगे, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मैं सदन को यह आश्वासन देता हूं।

कानपुर देहात के दस्तमपुर ग्राम में डकैती एवं हला के संबंध में वक्तव्य एवं चर्चा

हरिजन तथा समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 28 जून 1982 की रात्रि में 2 बजे थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात में इस आशय की सूचना अंकित कराई गई कि बीती रात के लगभग 11 बजे दस्यु मुस्लिम के गिरोह ने धावा बोल कर ग्राम दस्तमपुर के 10 व्यक्तियों की सामूहिक हत्या की और लूट-पाट की। इस सूचना के आधार पर उक्त थाने में धारा 396 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौकें के लिए रवाना हुई।

पंजीकृत अभियोग की विवेचना से संबंधित 12 अभियुक्त प्रकाश में आये जिसमें से 7 अभियुक्त गिरफ्तार किये जा चुके हैं और चार के विरुद्ध 82/83 जा0 फा0 की कार्यवाही की जा चुकी है। अभियुक्त मकबूल जिसने घटना में प्रमुख भूमिका निभाई, को गिरफ्तार किया जा चुका है। डकैत मुस्लिम की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। षडयंत्र रचने के संबंध में प्रकाश में आये चार अभियुक्त व डकैतों को संरक्षण देने के संबंध में 7 अन्य अभियुक्तों

की गिरफ्तारी की जा चुकी है षडयंत्र रचने के संबंध में प्रकाश में आये दो अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया। अब तक समस्त गिरफ्तार किये गये अभियुक्त न्यायिक हिरासत में हैं और उनकी जमानत नहीं हुई है। घटना में प्रयोग की गयी मैटाडोर गाड़ी भी बरामद की जा चुकी है।

डकैत मुस्लिम, कुख्यात डकैत मुस्तकीम, जो अप्रैल 1981 में ग्राम दस्तमपुर के निवासियों के सहयोग से एक पुलिस डकैत मुठभेड़ में मारा गया था, का रिश्तेदार है ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त घटना उसी सहयोग का बदला लेने के लिए घटित की गयी।

(इस समय 5 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

गांव में पुलिस चौकी स्थापित की गयी है और सुरक्षा हेतु पी0 ए0 सी0 तैयानात है। प्रत्येक मृतक के वारिस को 10,000 रु0 व दो घायलों को 2, 000 रु0 की दर से तथा एक घायल श्री सीताराम धानुक को 3, 000 रु0 की सहायता स्वीकृत की गई है। मृतक श्रीमती रामश्री की पुत्री के विवाह हेतु 5, 000 रु0 तथा मृतक श्रीमती दयावती के अवयस्क पुत्र की शिक्षा हेतु 2,000 रु0 की सहायता दी गयी है। गांव के सात व्यक्तियों को सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस प्रदान किये गये हैं तथा दो व्यक्तियों को बन्दूकें दी गयी हैं। उच्चाधिकारियों द्वारा एवं तत्कालीन मुख्य मंत्री जी द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया जा चुका है।

प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त क्षेत्र में किसी प्रकार की असुरक्षा व भय की भावना व्याप्त नहीं है।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

मान्यवर, दस्तमपुर कांड के सम्बन्ध में जो वक्तव्य सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसके सम्बन्ध में, मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। जो सूचना माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से दी गयी है, वह अधूरी है। उसमें कुछ तथ्यों को जान बूझ कर छुपायी गयी है। इस सम्बन्ध में 15 दिन पूर्व कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक श्री मेनन ने जनपद के समस्त विधायकों के पास ग्राम दस्तमपुर थाना डेरापुर में 27।28 जून, 1982 को हुयी घटना के सम्बन्ध में विवरण सहित एक आख्या अपने हस्ताक्षरों से युक्त भेजी थी। उसमें लिखा था कि घटना में एक अभियुक्त नामजद था और अभी तक कुल 25 अभियुक्त प्रकाश में आये। पर आज जो वक्तव्य माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से दिया गया है उसमें लिखा है कि पंजीकृत अभियोग की विवेचना से 12 अभियुक्त प्रकाश में आये हैं। 15 दिन पूर्व की रिपोर्ट में 25 अभियुक्त प्रकाश में आये थे और आज जो वक्तव्य सदन में आ रहा है उसमें उसमें यह संख्या 12 बतायी गयी है। इस सम्बन्ध में जो सूचना विपक्ष के माननीय नेताओं और सदस्यों की ओर से हस्ताक्षरित दी गयी थी उसमें कहा गया था कि वास्तव में मुस्तकीम डकैत पुलिस मुठभेड में नहीं मारा गया था बल्कि स्थिति यह थी कि एक दिन एक आदमी एक साधारण व्यक्ति की तरह से पैदल झोला लिए जा रहा था, उसे रास्ते में एक दरोगा और एक सिपाही मिले। उस दरोगा ने मुस्तकीम से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। इसपर तो मुस्तकीम रुका और उसने कहा कि मैं दस्तमपुर जा रहां हूँ। फिर उसने पूछा कि तुम कौन जात हो। उसने कहा कि मैं मुसलमान हूँ। फिर उसका नाम पूछने पर उसने बताया कि उसका नाम बाबू खां है। फिर दरोगा ने पूछा क्या बेहना है बे ?" इस पर मुस्तकीम ने नीचे से ऊपर तक दरोगा की ओर देखा और गला पकड़ कर उसे उठाकर पटक दिया और ठूसे मारने शुरू कर दिए। जब दरोगा के साथ सिपाही आगे बढ़ा तो मुस्तकीम के साथ जो आदमी था उसने कहा कि "खबरदार" अगर आगे बढ़ा और उसने उसकी मस्केट छीन कर गिरा दिया।

(सत्ता पक्ष की ओर से—क्या यह सूचना किसी समाचार-पत्र में छपी है)

श्री अध्यक्ष—

आप विषय से बाहर बोल रहे हैं।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव –

मान्यवर, अभी एक माननीय सदस्य उधर से कह रहे थे कि क्या यह अखबार में निकला था। मैं माननीय सदस्य को और जिस किसी की भी रुचि हो, आमंत्रित करता हूँ कि वे मेरे साथ दस्तमपुर गांव चलें और उन प्रत्येक आदमियों से मिलें जिनकी वजह से मुस्तकीम पकड़ा गया है। उस दरोगा का नाम श्रीपाल है और वे इस समय शिवराजपुर थाने में नियुक्त हैं। इसके पश्चात जब दरोगा जी ने नीचे आ गये तो सिपाही ने चिल्लाना शुरू कर दिया "बचाओ-बचाओ"।

इस पर पहला व्यक्ति गंगा चरन आया, जिसने दरोगा को बचाने के लिए मुस्तकीम को पकड़ा और उसके बाद वहाँ पर 15–20 आदमी आ गये। सबने मिल कर उसको पकड़ लिया ? जब सबने मुस्तकीम को पकड़ लिया तो सिपाही ने साथ वाले लड़के को मारना शुरू कर दिया, तब उसी लड़के ने बता दिया कि यह व्यक्ति मुस्तकीम है। इतनी देर में वहां पर 100–200 आदमी आ गये मुस्तकीम को रस्सियों से बांधा और 4 घंटे तक सैकड़ों व्यक्ति उससे बातचीत करते रहे। उसको एक टैम्पो पर बिठाल कर सड़क पर ले गये। थोड़ी दूर पर एक नाले में ले जाकर उसी दरोगा एवं सिपाही ने गोली से मार दिया इस घटना को यह कहा जाता है कि मुस्तकीम पुलिस मुठ`ड़ में मारा गया। मान्यवर, जो प्रस्ताव दिया गया है, उसमें उल्लेख किया गया है कि यह पुलिस के साथ मुठभेड़ नहीं हुई थी। वास्तव में उसे स0 दस्तमपुर के गांव वालों ने पकड़ा था और झूंठा इनकाउन्टर दिखा कर उसे मारा गया। इस तथ्य को स्वीकार न करके माननीय मुख्य मंत्री के वक्तव्य में यह आया कि डैकत मुस्तकीम ग्राम-दस्तमपुर के निवासियों के सहयोग से एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। अतएव मान्यवर, यह स्पष्ट हो जाता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने तथ्यों को छिपाया। मान्यवर, यह भी प्रस्ताव में लिखा था कि कानपुर दिहात जनपद दस्यु प्रभावी क्षेत्र घोषित है। फूलनदेवी का एक प्रेमी विक्रम मल्लाह, को भी बेहमई गांव वालों ने मारा था।

श्री प्रमोद कुमार

मान्यवर, यह फूलन देवी के प्रेमियों की लिस्ट कहां से प्राप्त हुई है ? यह मान्यवर मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

मान्यवर, बेहमई में 18 आदमियों की हत्या हुई थी, इसलिए इन्होंने उसको दस्यु प्रभावी क्षेत्र घोषित किया था। वहां का पुलिस अधीक्षक अपनी लिखित रिपोर्ट में कहता

है कि ग्राम दस्तमपुर में एक वर्ष से भी0 अधिक समय से पी0 ए0 सी0 व ए0 पी0 गार्द की व्यवस्था ग्रामवासियों की सुरक्षा के लिए लगाई गयी थी, उस समय के दौरान ग्रामवासियों से कोई भी ऐसा संकेत उपलब्ध नहीं हुआ कि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी है, क्योंकि चुनाव व्यवस्था में संवेदनशील ग्रामों में ए0 पी0 गार्द के लगने के आदेश प्राप्त हुए थे। अतः कानपुर देहात के हर फिक्स्ड गार्ड को तोड़ा गया व चुनाव व्यवस्था में सम्मिलित किया गया। ए0 पी गार्द के हटाने के पश्चात् भी गांव से खतरे के संकेत नहीं उपलब्ध हुए। कानपुर देहात जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम जिला है, उसमें ए0 पी गार्द का अभाव है। विभिन्न परिस्थितियों में जगह-जगह गारद को लगाना, फोर्स के अभाव को देखते हुए सम्भव नहीं था। जिले में स्वतंत्र रूप से रिजर्व इन्सपेक्टर अभी तक तैनात नहीं किया गया हैं, न इस जिले के पास अपनी पुलिस लाइन की व्यवस्था है। इन परिस्थितियों में समन्वय की समस्यायें उत्पन्न हो जाती हैं, तो पुलिस अधीक्षक की यह स्वीकरोक्ति कि इस जनपद में न समुचित आर्म पुलिस है, न पुलिस लाइन है और न रिजर्व इन्सपेक्टर हैं और न समुचित पुलिस व्यवस्था ही है, इस कारण पुलिस फोर्स हटाना पड़ा। इस कारण जो तथ्य हमने प्रस्तुत किये हैं, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस प्रशासन को उस गांव की रक्षा जिस प्रकार से करनी चाहिए थी, वह नहीं हुई, जिससे कि यह पूरा नरसंहार हुआ और इसका उत्तरदायित्व प्रशासन एवं शासन पर है और इसी काण्ड को लेकर माननीय तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने त्यागपत्र दिया था।

यह शासन उसे स्वीकार करे या न करे, परन्तु विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के शासन ने इसे अपनी असफलता स्वीकार की। इससे सरकार की असफलता सिद्ध हो जाती है, किन्तु यह सरकार आज पुलिस की वकालत कर रही है।

और आज उसी दल के व्यक्ति यह प्रयास कर रहे हैं कि सरकार उत्तरदायी नहीं है। इसमें सरकार असफल हुई है। इससे यह प्रशासन और यह वक्तव्य दोनों निन्दा करने योग्य है और इनकी मैं घोर निन्दा करता है। यह घटना जून में घटित हुई मई के महीने में कानपुर के डी0 आई0 जी0 जैन को मैंने एक पत्र लिखा कि नया जिला बना दिया गया है वहां पर पुलिस फोर्स नहीं है अगर डकैत आकर आपके थाने को लूटने लगे तो 3-4 सिपाही को छोड़कर वहां कोई नहीं मिलेगा। ऐसी आशंका मैंने अपने पत्र में व्यक्त की थी। डी0 आई0 जी0 ने लिखित उत्तर दिया कि आपका पत्र मिला मैं व्यवस्था करा रहा हूं। अगर मेरे पत्र पर भी डी0 आई0 जी0 महोदय और इस पुलिस प्रशासन ने समय से अपनी आंख खोल लेती तो यह घटना न घटती। बावजूद इसके यह निरन्तर सत्ता की निद्रा में मग्न है इनको इतना ध्यान नहीं है कि इन कुर्सियों पर बैठे हैं तो प्रदेश की जनता की सुरक्षा भी हमको करना है। यह सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रदेश की जनता की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। इनके प्रशासन में अधिकारी इनके आदेशों को नहीं मानते हैं। इस स्थिति में जो हमारे पास एक ही हथियार है वह है यह सदन, परन्तु इस सदन में भी यह झूठा वक्तव्य देकर सदन और प्रदेश की जनता को भ्रमित करना चाहता हैं। यह बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री का वक्तव्य देखकर हतप्रभ रह गया कि उन सारी घटनाओं को नजरन्दाज किया गया जिसकी गरिमा को देखते हुये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया था। इस घटना की जों कलंक का टीका हैं वह इस प्रदेश की सरकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के माथे पर लगा है। अप्रैल में पी0 ए0 सी0 हटाई गई। गाँव की सुरक्षा नहीं है इस बात को गंगाचरन और श्यामलाल यादव थानेदार से कहा कि गांव में खतरा है हमारे गांव में कुछ अराजकतत्व आते हैं। इससे जानमाल का खतरा है पुलिस का इन्तजाम किया जाय लेकिन दरोगा ने कोई परवाह नहीं किया और गांव के लोग थाने से आगे कहां जा सकते है ? एस0 पी0 को सूचना नहीं थी लेकिन दरोगा इस बात से इंकार नहीं कर सकता है कि उसको सूचना नहीं थी। मलखानसिंह जब मध्यप्रदेश में जाकर आत्मसमर्पण किया उस समय उसने कहा और यह बात अखबारों में भी आयी कि मुस्तकीम का भाई मुस्लिम बागी हो गया है उसने आत्मसमर्पण से इंकार इसलिए कर दिया क्योंकि उसको अपने भाई का बदला लेना है। सरकार बहुत संवेदनशील बनती है। अखबार की कटिंग भी इनके पास आती है मुस्तकीम दस्तमपुर में मारा गया था और उसके भाई को बदला लेना था। गांव वालों ने उसके पकड़ने में मदद की थी। जब गांव के लोगों ने कहा कि गांव में अराजकतत्व आ रहे हैं पी0 ए0 सी0 हटा ली गई पुलिस को व्यवस्था की जाय। लेकिन उस थानेदार ने लापरवाही किया। अखबार में यह खबर आयी की मुस्लिम बदले के लिये आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। फिर भी सरकार सोती रही। मैं एक सूचना देना चाहता हूँ जिसपर यह सरकार पर्दा डाल रही है।

[समय 5 बज कर 20 मिनट]

भोगिनीपुर थाने के दरोगा शंकर सिंह को सूचना थी कि एक मुसलमान जिसको सारा पुखरांयां जानता है उस आदमी ने सूचना दी थी कि दस्तमपुर में बहुत बड़ा कांड होने जा रहा है। तो उस दरोगा का फर्ज था कि पूरे थाने को सचेत करता। लेकिन उसने नहीं किया और शंकर सिंह दरोगा पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो फिर किसकी जिम्मेदारी है, पुलिस दरोगा को मालूम हो गया कि अराजक तत्व गांव में आ रहे हैं लेकिन उसने नहीं सुना। मुस्तकीम ने बगावत की, उसकी सूचना अखबारों में आयी लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो दरोगा भी खबर नहीं करता, पुलिस नहीं भेजता सरकार भी ध्यान नहीं देती इसलिए वहां 10 बेगुनाह लोग मारे गये। यह कलंक सरकार के माथे पर नहीं है तो किस पर है। सारे तथ्यों को सरकार छिपाती है जो रिपोर्ट चाहती है छाप कर बांट देती है। इससे देश और प्रदेश की शासन व्यवस्था बिगड़ती है और पुलिस भी अपनी लापरवाही के लिए सजा नहीं पाती है। इतना जरूर सुना है कि पुलिस के उस दरोगा जो उस वक्त था उसको मुअत्तल किया गया है किस अपराध पर किया है यह आप बतायेंगे। इस वक्तव्य में नहीं है कि मुअत्तल किया, यह तथ्य इसमें होना चाहिये था। इसके बावजूद कि यह कलंक का टीका सरकार के माथे पर लगे गया, सरकार ने जो वायदे किये थे कि इतना इतना काम करेंगे, विधवाओं को पेंशन देगें, मगर किसीको दी गई है इस वक्तव्य में नहीं लिखा है। वहां पर चार लड़के अनाथ हो गए हैं। श्याम लाल का एक लड़का और भतीजा है, दो और लड़के हैं। दो लड़के इंसपेक्टर की परीक्षा में बैठे हैं। वहां पर आई० जी0 गये थे उन्होंने कहा कि दोनों लड़कों को सबइंसपेक्टर में ले लिया जायगा और दो लड़के सरकारी नौकरी में ले लिये जांयेंगे। लेकिन उनको आज तक नौकरी में नहीं लिया गया है और न इस वक्तव्य में इसका कहीं जिक्र है। आपने कहा कि 7 बन्दूकों के लाइसेंस दिये गये हैं। मैंने नियम 301 के अन्तर्गत यह सूचना दी थी कि सरकार की इस वादा खिलाफी से इस इलाके में भीषण असंतोष है। कोई वादा कानून नहीं किया गय है। उनको लाइसेंस नहीं दिये गये हैं। कब तक वहां पुलिस रहेगी, वहां के लोगों को स्वालंबी बनाने के लिये राइफल और बन्दूकों के लाइसेंस जहां तक मेरी सूचना है आज के चार दिन पहले तक नहीं मिल पाये हैं। आप नाम बता दें किसको आपने मंजूर किया है। मार्च में वहां से पुलिस हटा ली गयी तो गांव वालों ने कहा कि हमको लाइसेंस दिये जांय।

लेकिन तहसीलदार और पुलिस ने अपनी रिपोर्ट नहीं लगायी लाइसेंस आज तक नहीं मिले हैं। इस हत्याकांड की सारी जिम्मेदारी सरकार पर है। सरकार नहीं सुनती है, अधिकारी नहीं सुनते हैं, उनके पापों पर परदा डालने के लिये सरकार बैठी है। पुखरायां के शंकर सिंह की जांच क्यों नहीं की जा रही है, पुलिस अधीक्षक को इस घटना की जानकारी थी तो उनके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की जा रही है। इन शब्दों के साथ मैं दुख के साथ कहता हूं कि सरकार अपने पापों पर परदा डालना बंद कर दे और पुलिस के लोगों को सजा दे और जो वादे करे उनका निर्वाह करे।

*श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, दस्तमपुर कांड बहुत ही दुखद कांड है। इस संबंध में मैं कुछ सफाई देने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। एक बात राम स्वरूप वर्मा जी ने कहा है कि सरकार इस पर परदा डालना चाहती है तो इस प्रदेश के ही नहीं इस देश के राजनीतिक इतिहास में . . . .

वहीं मान्यवर, इसकी तारीफ की जानी चाहिए थी कि तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इसी घटना पर अपनी पूरी, जिम्मेदारी को लेते हुए अपना त्याग-पत्र दे दिया और उसकी उस ईमानदारी और निष्ठा को बजाये सराहने के यह कहा जाता है कि सरकार इस मामले पर पर्दा डाल रही है, यह कहना गलत होगा। साथ ही यह कहा गया कि वहाँ के थानेदार को नहीं हटाया गया। मान्यवर, इस संबंध में यही कहना चाहूंगा ज्यादा न कहकर कि प्रान्त का जो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है, उस पर इस कांड की जिम्मेदारी को सौंपते ही उसे हटा दिया गया, उसके बाद भी यह कहा जाए कि यह सरकार इस मामले पर पर्दा डाल रही है। यह सिवाय मन के भ्रम के और कुछ नहीं है।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, जो वक्तव्य इस काण्ड से संबंधित दिया गया है उसकी अंतिम लाइनों को पढ़ूंगा कि "प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त क्षेत्र में किसी प्रकार की असुरक्षा व भय की भावना व्याप्त नहीं है।" इनके अनुसार अब वहाँ पर कोई डर और खौफ नहीं है, वहाँ का प्रत्येक निवासी सुख-चैन से सो रहा है उसको कोई परेशानी नहीं है। मान्यवर, यह दस्तमपुर काण्ड उत्तर प्रदेश के इतिहास में शासन की लापरवाही और पुलिस की इन-इफशियेन्सी की दूसरी मिसाल है और उसके ऊपर हम अगर यहाँ चर्चा में होते तो शासन से सबसे बड़ी मांग हमारी यही होती कि मा0 मुख्य मंत्री जी अपना स्तीफा दें। लेकिन श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, तात्कालीन मुख्य मंत्री इस घटना को लेकर स्वयं ही त्याग-पत्र देते हुए मैदान छोड़कर भाग गये। तो अब हम लोग यही कहेंगे कि इस घटना से उत्तर प्रदेश में दस्तमपुर से तो रुस्तम नहीं पैदा हुआ लेकिन उन्होंने अख्लाकी तौर एक रुस्तम जरूर उत्तर प्रदेश में पैदा कर दिया। श्रीमन्, एक तरफ तो जो दस्तमपुर काण्ड हुआ इस बारे में जैसा कि हमने पहले कहा कि शासन की लापरवाही और पुलिस की इन-इफिशियेंसी की वजह से संबंधित हैं। और जब यह खूं-ख्वार डकैतों में इंतकाम की भावना जाग्रत होती है तो क्या रूप ले लेती है। और शासन की ही लापरवाही से विक्रम काण्ड हुआ और उसके मारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाने का इनाम उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इन-काउन्टर के नाम से 5 हजार रु0 वसूल कर लिये और फिर शासन की लापरवाही से इस विक्रम काण्ड के जवाब में बेहमई काण्ड हुआ, और इस बेहमई काण्ड के जवाब में दस्तमपुर काण्ड ने जन्म लिया, जिसमें बाबा मुस्तकीम को वहां के गांव के लोगों ने घेर कर मार दिया। जिसका इंतकाम लेने के लिए उसके भाई मुस्लिम ने सरेआम एलान कर दिया था। इस पर भी सरकार ने लापरवाही का सबूत देते हुए वहां पर जो दो सिपाही मौजूद थे, उनको भी वहां से हटा लिया गया।

दूसरी तरफ दस्तमपुर से आपके शासन ने उन दो सिपाहियों को भी हटा लिया जो निशानी के तौर पर वहां बैठे थे। तीसरी बात बताऊं मैंनपुरी में एक बुनाई का कारीगर था, वह आ रहा था, इत्तफाक से उसका नाम भी मुस्लिम था। मैनपुरी की पुलिस ने उसको इनकाउण्टर करके मार दिया और कह दिया कि मुस्तकीम के भाई को मार दिया और उसका भी इनाम हासिल कर लिया। एक तरफ तो वह इनाम लेते रहे और दूसरी तरफ मुस्तकीम के भाई मुस्लिम ने 27/28 को दस्तमपुर में हमला करके बदला ले लिया। पिछला शासन तो चला गया इस्तीफा देकर। अभी आप इस बयान में मुस्लिम का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाये हैं। कहा यह जाता है कि मुस्लिम और फूलन दोनों इक्ट्ठा हो गये हैं। मुस्लिम ने जो रात को हमला बोला है कि–मुस्तकीम जिन्दाबाद ! बजरंगबली जिन्दाबाद ! और काली माई जिन्दाबाद ! गंगा चरण को खत्म करके रहेंगे।

आपने कहा कि 7 लाइसेंस मन्जूर कर दिये हैं, तो मैं रमपुरा भी गया था। उस वक्त पर तो यह एलान कराते हैं कि तुमको बन्दूक भी हम खरीदकर देंगें। लोग दरखास्त दे देते हैं, आपने लाइसेंस मन्जूर कर दिया लेकिन 4-4 हजार रु0 की बन्दूक कौन खरीद कर दे। नतीजा आज तक वे बन्दूक नहीं खरीद सके, गांव आज तक भी बिना हथियारों के है। आपकी पुलिस के सामने तो मुस्लिम मारा गया लेकिन वह अभी जिन्दा है और फूलन उसके साथ बताई जाती है। यह एक मिशाल है शासन की लापरवाही और पुलिस की इनएफिसियेन्सी की। मुख्य मंत्री जी चले गये और आपके जो डायरेक्टर जनरल-कम-इन्स-पेक्टर जनरल (पुलिस) थे, उनको भी बदल दिया गया। इससे क्या हुआ, तमाम पुलिस फोर्स में अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गयी है, हाईकोर्ट तक मुकदमे जा रहे हैं। जिस पुलिस में यह भावना उत्पन्न हो जाय कि हमारी हकतलफी हो रही है उस पुलिस की ताकत के ऊपर आप दस्तमपुर के गरीबों की हिफाजत करने का इरादा कर रहे हैं। जरा आंखें खोलिये, एक मुख्य मंत्री तो चले गये, यह बदमाश लोग कहीं आपही को किडनैप करना न शुरू कर दें गुलाब सेहरा जी। तमाम अखबारों में एडी टोरियल छप गये। इस गम्भीर घटना को लेकर आपको इस बात की स्कीम बनानी चाहिए कि जो बदमाश या डकैत हैं, वे चाहे आप लोगों से शरण पाते हों या इधर बैठे हुए लोगों से शरण पाते हों, लेकिन मुजरिम, मुजरिम है चाहे वह आपकी तरफ के लोग हों या और किसी तरफ के हों। दस्तमपुर गांव पर जब हमला हुआ तो उन्होंने मुस्तकीम की भी जय बोली, बजरंबली की भी जय बोली और काली माई की भी जय बोली।

सब एक हैं, उनके ईमान एक हैं वे न हिन्दु हैं न मुस्लिम हैं और न ईसाई हैं। जो बदमाश हैं उनके ईमान एक हैं। आपको इस बात का दृढ़ संकल्प करना चाहिये कि मुस्लिम के गैंग को दस्तमपुर के ऊपर हमला करने की हिम्मत न हो। अगर दस्तमपुर पर मुस्लिम के गैंग का हमला हो जाता है तो आपको इन एडावन्स एलान कर देना चाहिये कि हमारी सरकार तुरन्त इस्तीफा दे देगी और चली जायेगी।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, दस्तमपुर में ऐसा नर संहार हुआ कि दस्तमपुर काण्ड से द्रवित हो कर भूत पूर्व मुख्य मंत्री, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस्तीफा दे दिया। इसका विशेष महत्व हुआ क्योंकि इसके पीछे राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह का इस्तीफा है। आज हमरा दुर्भाग्य है कि आज इस समय सदन में भूतपूर्व मुख्य मंत्री को सदन में होना चाहिये था। हम लोग उन्हें सुनते कि आखिर दस्तमपुर काण्ड में उनकी क्या फीलिंग थी, उन्होंने क्या महसूस किया, क्या अहसास किया कि जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन दुर्भाग्य से न तो भूत पूर्व मुख्य मंत्री हैं और न ही वर्तमान मुख्य मंत्री सदन में मौजूद हैं। जिस काण्ड पर एक मुख्य मंत्री ने इस्तीफा दिया हो, और उस काण्ड पर चर्चा हो रही हो किन्तु वर्तमान मुख्य मंत्री सदन में मौजूद न हों तो मैं नहीं कहता कि क्या कारण है। वह इसको महत्व देते हैं या नहीं देते हैं ?

हमारे अन्य साथियों ने विस्तार से लगभग सभी बातें कही हैं। मान्यवर, आज मैं फिर वही बात दोहराता हूं कि दस्तमपुर काण्ड गृह मंत्रालय से संबंधित था। लेकिन मान्यवर, गृह मंत्रालय के कान पर जूं तक न रेंगी। आज भी मैं उसी विश्वास के साथ कहता हूं कि यदि तत्कालीन गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया होता तो भूत पूर्व मुख्य मंत्री राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह को इस्तीफा देने का विचार न करना पड़ता। लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा देने की कौन कहे मान्यवर, आज भी वे शिक्षा मंत्री है और बड़े गर्व से कहती हैं कि मैं जान देकर सेवा करूंगी, लेकिन मेरा विश्वास है कि वे सबकी जान लेकर ही सेवा करेंगी, न जाने कितनी जानें जा रही हैं।

मान्यवर, दस्तमपुर काण्ड जो हुआ यह सरकार की अदूर दर्शिता का परिणाम था सरकार की लापरवाही का परिणाम था और सरकार की अकर्मणयता का परिणाम था जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने बताया कि जब मुस्तकीम उस गांव में गांव वालों के सहयोग से मारा गया तो उसके भाई मुस्लिम ने संकल्प किया था कि वह अपने भाई की जान का बदला जरूर लेगा।

मान्यवर, इस संकल्प पर शासन की दूरदर्शिता का तकाजा था कि वह दस्तमपुर की पुलिस फोर्स को बढ़ाती और वहां के गांव वालों की रक्षा करने के लिये अपनी पुलिस फोर्स को सर्तक करती और उनकी चौकसी करती।

लेकिन शासन की तरफ से ऐसा नहीं किया गया। वल्कि आखिर में जो दो सिपाही थे वे भी हटा लिये गये। सिपाहियों के हट जाने की वजह से मुस्लिम ने आजादी के साथ उस गांव में नर संहार व हत्यायें की आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि चौकी बना दी गई है, लाइसेंस दे दिये गये। क्या यह काम पहले नहीं करना चाहिये था। आपने जो जौकी बनायी है वह इसलिये बनायी है कि उसके संकल्प का जो एक घर बचा हुआ है कहीं वह भी तहस-नहस न हो जाय। मैं नहीं जानता कि उस चौकी में कितना स्टाफ है। मैं आशा करता हूँ कि जब माननीय मंत्री जी जबाब देंगे तो कम से कम यह बतलायेंगे कि अब जो चौकी बनायी गयी है उसमें कितना स्टाफ है। अगर मुस्लिम दोबारा उस गांव में बदल लेने के लिये जाय तो वह स्टाफ उसका सामना करने के लिये क्या सक्षम होगा ? मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसको साफ करें।

श्री अध्यक्ष—

जरा संक्षेप में ही चलें। भाषण जारी रखें।

श्री मोती लाल देहलवी—

तो मान्यवर, इस घटना से लोगों में, जनता में कम से कम यह भावना पैदा हो सकती है यह भय पैदा हो सकता है कि डकैत कहीं लूटपाट करते रहें परन्तु वह पुलिस की मदद न करे। जहां जहां पर डकैती होती है वहां जनता मदद करती है। अगर इस सरकार की दूर दर्शिता है तो मैं चाहूंगा कि जहां कहीं भी इस तरह की संकल्पबद्ध घटना हो तो पुलिस फोर्स पहले से लगाये और जनता की हिफाजत करें। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मंत्री जी की तरफ से जो वक्तव्य आया है, हम उम्मीद कर रहे थे, हम आशा कर रहे थे कि सरकार ने इस काण्ड से कोई नतीजा निकाला होगा लेकिम मैंने पूरे वक्वव्य को पढ़ा इसमें कहीं पर भी इस बात का जिक्र नही है। सिर्फ यह है कि हमने चौकी बना दी है, हमने लाइसेंस दे दिया है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी की तरफ से जो वक्तव्य आया है उसमें यह चीज आनी चाहिये थी कि यह कैसे हुआ, क्यों हुआ। इतना बड़ा कण्ड हुआ जिस पर राजा विश्वनाथ प्रताप सिह को इस्तीफा देना पड़ा, तो आखिर उसका दोषी कौन है ? इसका वक्तव्य में कहीं जिक्र नहीं है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी अपने जबाब में इस बात का जिक्र करेंगे और साथ ही यह भी बतलायेंगे कि जो दोषी है उसके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी। और अगर आपने कार्यवाही नही की है। अगर दोषी को ढूंढ़ा नही है तो जानहित में मैं चाहूंगा कि राजा विश्वनाथ प्रताप सिह की तरह वर्तमान मुख्य मंत्री भी अपने पद से हट जायं।

अगर आपने ढूंढा है कि दोषी कौन है, तो इसका कहीं भी इस वक्तव्य में जिक्र नही है। मान्यवर, सरकार की गुटबन्दी से हमें कोई मतलब नहीं है। उस बारे में मैं कुछ नहीं कहता लेकिन जो जनहित का मामला हो, कम से कम उस पर तो सत्ता पक्ष की एक मत होना चाहिये ? .....

अगर ऐसे मामलों में भी एकमत नहीं होंगे तो इस प्रदेश में एक दस्तमपुर काण्ड नहीं, आए दिन दस्तमपुर काण्ड होते रहेंगे। मैं कार्यवाहक मुख्य मंत्री जी से यह अपेक्षा करूंगा कि जब वे जवाज दें, यह तो राजा विश्वनाथ प्रताप सिह के समय भी मंत्री थे, अब भी मंत्री हैं, अब इस तरह का ख्याल छोड़ दें कि किसकी जड़ें गहराई में हैं और किसकी ऊपर हैं। मैं फिर आपसे अपेक्षा करूंगा कि अगर आपमें साहस है तो राजा साहब के इस्तीफे को देखते हुए इस काण्ड के दोषी को बतायें और यह भी बतायें कि उसके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है ?

*श्री धनीराम वर्मा—

मान्यवर, दस्तमपुर काण्ड और इससे संबंधित जो माननीय मुख्य मंत्री की ओर से वक्तव्य पढ़कर सुनाया गया, उससे साफ ज़ाहिर है कि यह वक्तव्य सदन को गुमराह करने वाला और सत्य से परे है। इससे यह भी स्पष्ट है कि सरकार ने इस दस्तमपुर की घटना को बहुत हल्के-फुल्के रूप में लिया है यह ठीक है कि राजा विश्वनाथ प्रताप सिह ने इस काण्ड के होने के बाद इस्तीफा दिया लेकिन वर्तमान मंत्री-मण्डल और मुख्य मंत्री ने इस काण्ड को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। मान्यवर, जब मलखान ने सरेन्डर किया तो उसने कहा था कि उसके गिरोह में रहने वाला मुस्लिम बागी हो गया हैं, हथियार साथ में ले गया है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और वह अपने भाई का बदला लेना चाहता है, इसलिये पुलिस को सतर्क रहना चाहिए। परन्तु बड़े दुख की बात है कि इस अक्षम सरकार और कायर पुलिस ने भी उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर पुलिस को इस दस्तमपुर काण्ड की सूचना पहले से थी और जानबूझकर पुलिस ने दस्तमपुर गांव की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की।

मान्यवर, कहा गया है की दस्तमपुर और उस क्षेत्र में किसी प्रकार की असुरक्षा की भावना व्याप्त नहीं है। बड़े दुख की बात हैं कि बेहमई काण्ड हुआ तब भी यही कहा गया था कि अब उस क्षेत्र में किसी प्रकार की असुरक्षा की भावना नहीं है और उसके बाद पास में दस्तमपुर काण्ड हुआ और वही वक्तव्य फिर सदन के सामने आया। इससे ज्यादा लज्जा की बात सरकार के लिए क्या हो सकती है? क्या वह और भी बहुत से दस्तमपुर काण्ड करवाना चाहती है?

मान्यवर, औरइया पुलिस ने यह कह दिया कि मुस्लिम डकैत मारा गया। उसी के बाद दस्तमपुर की यह घटना हुई। क्या वह कब्र से उठ कर चला आया। अब यह तो औरैइया की पुलिस झूठी है यह घटना झूठी है। एक तो झूठ है ही। यह भी सत्य है कि मुस्तकीम को जब पकड़ा गया तो गांव वालों के सहयोग से ही वह मारा गया और उसी समय मुस्लिम ने यह भी घोषणा की कि वह गांव के एक एक यादव परिवार को बिना मारे छोड़ेगा नहीं।

श्री अध्यक्ष—

6 बजे इसे समाप्त होना है। आप कृपया समाप्त करें।

श्री धनीराम वर्मा—

मान्यवर, पुलिस सही लोगों को, जो अपराधी हैं, उनको गिरफ्तार नहीं करती, निर्दोष लोगों को पकड़ कर, 216 की कार्यवाही करके उनसे रुपया पैदा करती है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष (श्री भगवानदीन कुशवाहा से)

इसे 6 बजे तक समाप्त होना है, माननीय सदस्य अधिक समय कृपया न लें।

*श्री भगवानदीन कुशवाहा—

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी को तो सजा भगवान ने दे दी, मगर हमारी शेरनी को सजा भगवान ने नहीं दी। उनके ही कार्यकाल में यह दस्तमपुर वाली घटना घटी। इस घटना के बाद उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि श्रीमती स्वरूपकुमारी बख्शी को बरखास्त किया जाये। उनको हम लोग शेरनी कहते हैं क्योंकि वे बहुत बहादुर टाइप की हैं। उस घटना के बाद माननीय मुख्य मंत्री

---

* वक्त ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन इनको फिर से मंत्रि मंडल में शामिल कर लिया गया। उनको बरखास्त किया जाना चाहिये ।

मान्यवर, तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने दस्तमपुर की घटना के बाद वहां जाकर यह घोषणा की थी कि वहां पर लोगों को फ्री राइफिलें दी जायेंगी, पीड़ित लोगों के बच्चों को सर्विस में लिया जायेगा, तरह तरह की और सुविधायें दी जायेंगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई मुफ्त होगी, पर अभी तक कोई सुविधा नहीं दी गयी। मैं मांग करता हूं कि उनके बच्चों की नौकरी में प्राथमिकता दी जाये, फ्री राइफिलें दी जायें। बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो।

जहां तक मुस्तकीम के मारे जाने का सवाल है, वह मुठभेड़ में नहीं मारा गया। 4 घंटे तक हजारों लोगों ने उसको देखा।

हजारों लोगों ने देखा और गोली से मार दिया गया। मैं अपनी शेरनी से कहना चाहता हूं कि वह लिखित इस्तीफा दे दें और मैं लिखित इस्तीफा दे दूं, और इसकी जांच करा ली जाये अगर वह मुठभेड़ में मारा गया हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और अगर नहीं मारा गया होगा तो इनका इस्तीफा ले लिया जाये। मान्यवर इसकी न्यायिक जांच करा ली जाये। यह जो घटना हुई है, मुस्तकीम के मरने के बाद पी0 ए0 सी0 लगायी गयी। मान्यवर, उसको हटा लिया गया था और पेपर में जब निकला कि मुस्लिम बदला लेने के लिए दस्तमपुर पहुंच रहा है। इसकी सूचना जब इन्सपेक्टर श्रीवास्तव को मिली तो उन्होंने सूचना देने वाले को यह कहकर भगा दिया कि साले ड्रामा करते हो और घटना हो गयी। मान्यवर, उस इन्पेक्टर के खिलाफ आज तक कार्यवाही नहीं की गयी जिनकी ड्यूटी दूसरी जगह पर लगी हुई थी उनको निलम्बित कर दिया गया। मान्यवर, उसके खिलाफ आज तक कार्यवाही नहीं की गयी। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जो यहां पर आर्थिक सहयोग दिया गया वह दूसरी जगह के बनस्बत कम दिया गया है। मेरी मांग है कि 20-20 हजार रुपया प्रति मृत परिवार को आर्थिक सहायता दी जाये और यह मांग करता हूं स्वरूप कुमारी बक्शी को इसमें पूरा दोष है और इनको बरखास्त किया जाये।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त --

मान्यवर, अभी बस्तमपुर कान्ड के तथ्य सामने आये मैं उन पर नहीं जाना चाहता हूं। जो इससे तीन निर्षकर्ष निकलते हैं उनकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर एटा में डकैती हुई थी, उस समय भी मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। उस समय के आई0 जी0 का बयान काट करते हुए कहा था, एस0 पी0 डाकुओं के सामने एक जीप के नीचे छिप गये। आई0 जी ने कहा था कि हमारे पास हथियार नहीं है कि डाकुओं का सामना किया जा सके। दीक्षित जी आये तो उन्होंने प्रेस मीटिंग में कहा कि हमारे पास हथियार नहीं हैं जिससे डाकुओं का सामना कर सकें। यह घटना अपने में स्वयं सत्य है कि शासन को इस ओर असफलता मिली है। इसी कारण माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्रों जी ने इस्तीफा दिया और भी कारण उनके इस्तीफा के हो सकते हैं लेकिन उन्होंने इसका बहाना ले लिया और इस्तीफा दे दिया। दूसरी चीज यह है कि पुलिस ने जो लापरवाही की उसके लिए आप उसको क्या सजा देंगे। जिस समय थाने में सूचना मिली उसको भगा दिया गया। भोगनीपुर तक दरोगा शंकर सिह को सूचना मिल गयी थी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो वहां के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना क्यों नहीं मिल पायी। मलखान सिह का समपर्ण हुआ था, तो उसने कहा था कि कुछ लोग इसलिए रह गये हैं कि क्योंकि उन्हें अपने भाई का बदला लेना है।

तीसरा बिन्दु यह आता है कि आपको जनता का सहयोग चाहिए। डाकू उन्मूलन के काम में आपको जनता सहयोग दे रही है तो उसकी सुरक्षा के लिए आपने कौन से कदम उठाये हैं। जब तक आप इसका जवाब नहीं देंगे, जब तक आप फर्जी इन्काउन्टर दिखाते रहेंगे तब तक यह डाकुओं की समस्या वद से वदतर होती चली जायेगी। अब सम्पूर्ण प्रदेश में असुरक्षा का वातावरण व्याप्त है। इस घटना का मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है? कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इसमें एक व्यक्ति की असफलता का सवाल नहीं था, इसमें पूरे मंत्रि-मंडल की जिम्मेदारी थी। आपने ऐसे मंत्रियों को फिर से मंत्रि-मंडल में ले लिया है जिसकी वजह से जो आपके मंत्रि-मडल की साख होनी चाहिए थी वह समाप्त हो गई है। पुलिस पर से और आपकी सरकार से जनता का विश्वास उठ गया है। पूरे प्रदेश में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। मैं संक्षेप में ही अपनी बात कहते हुए आपसे यह चाहता हूं कि जो मैंने दो-तीन बिन्दु उठाये हैं और माननीय विश्वनाथ प्रताप सिह जी ने जो घोषणा की थी कि हम इस कार्य के लिए हैलीकौप्टर खरीदेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। समस्या वद से वदतर होती चली जा रही है। समस्त प्रदेश डाकुओं के आतंक से जलकर भस्म होता जा रहा हैं।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, दस्तमपुर कांड के बारे में विभिन्न दलों के माननीय सदस्यों ने अपने-अपने बिचार व्यक्त किए और विशेष रूप से दस्तमपुर काँड के बाद की गई कार्यवाहियों पर हमारे माननीय सदस्य श्री हरीकिशन श्रीवास्तव ने कहा कि जो 25 नामजद व्यक्ति थे..

श्री हरी किशन श्रीवास्तव–

मैंने यह नहीं कहा था। मैंने कहा था कि जो पुलिस अधीक्षक ने रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने कहा कि 25 व्यक्ति प्रकाश में आये और एक ही व्यक्ति नामजद था।

श्री गुलाब सेहरा—

25 व्यक्ति जो प्रकाश में आये थे उसका डिटेल इस प्रकार है कि 12 में से 7 व्यक्ति पकड़े गये 4 के खिलाफ 82-83 और एक 120 (वी) में अभियुक्त थे। दो सरेन्डर हो गए, 4 अरेस्ट हो गये एक व्यक्ति की तलाश हो रही है। धारा 216 (ए) में जितने व्यक्ति थे सब जेल चले गये। उनकी जमानत नहीं हुई है। इस प्रकार टोटल 25 थे जिनका आपने जिक्र किया कि प्रकाश में आये थे उनका मैंने व्यौरा आपको दिया। एक शंका माननीय सदस्यों द्वारा यह भी उठाई गई कि मुस्तकीम जो मारा गया, उस घटना का जिक्र किया गया। वह जो घटना हुई थी उसमें एक ही बात है कि वह एक डकैत था और उसके मरने पर ही माननीय सदस्य ऐतराज कर रहे हैं–

(व्यवधान)

दूसरी बात यह कही गई मुस्तकीम के मरने के बाद वहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। श्रीमन् 4-3-81 से लेकर 8-4-82 तक पी0 ए0 सी0 की प्लाटून उस गांव में

सुरक्षा के लिये लगी रही। इस तेरह महीने तक सुरक्षा की व्यवस्था वहां पर की गई और वह पी0 ए0 सी0 की प्लाटून तब हटाई गई जब उस गांव, उस क्षेत्र और वहां के लोगों ने यह कहा कि अब वहां कोई आवश्यकता नहीं है . . (व्यावधान)। आप सुनना ही नहीं चाहते हैं।

जब 13 महीने तक हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं तो दो चार महीने और सुरक्षा प्रदान करने में क्या हिचकिचाहट हो सकती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष –

जब तक मंत्री जी नहीं बैठेंगे, मैं आपको (श्री कुबेर भण्डारी के खड़े होने पर) इजाजत नहीं देता।

श्री धनीराम वर्मा—

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं

(व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा—

वर्मा जी ने राहत कार्यों के बारे में कहा कि जो वायदे किये थे वे पूरे नहीं किये। तो उनका डिटेल मैं जरूर देना चाहूंगा आपने बंदूक की बात की उनको पैसे नहीं दिये। तो शासन ने पैसे देने के बात नहीं की थी बल्कि लाइसेंस देने को कहा था। श्रीमन् 7 व्यक्तियों को लाईसेंस दिये गये उनके नाम इस प्रकार हैं—

1. श्री संतोष कुमार राइफल–मृतक प्यारे लाल का पुत्र,

2. श्री राम औतार राइफल–मृतक प्यारे लाल का पुत्र,

3. श्री चन्द्रपाल बंदूक–मृतक रामदुलारी का पति

4. श्री अशर्फी लाल राइफल–मृतक दयावती का पति

5. श्री शिवराज राइफल–श्रीमती रामश्री का पति

6. श्री कमलेश सिंह राइफल–मृतक श्रीमती रामश्री का पुत्र

7. श्री सूरज सिंह बंदूक—मृतक सुरेशा का पिता

इसके अलावा मैं उन राहत कार्यों का भी जिक्र करना चाहता हूं मृतक परिवार के आश्रितों को दस हजार रुपया और घायल व्यक्ति को दो दो हजार रुपया दिया गया इसके

अलावा मृतक रामश्री की पुत्री विनोदिनी के विवाह के लिए 5,000 रु, मृतक दयावती के पुत्र अशोक के लिए 2,000 रु तथा सीताराम धानुक के लिए एक हजार रु0 की सहायता दी गयी। मृतक परिवार के आश्रितों को जो सहायता दी गयी वह इस प्रकार है श्रीमती रामकुमारी मृतक प्यारे लाल की पत्नी को 10 हजार रु0 चन्द्रपाल मृतक रामदुलारी का पति, मृतक शिरोमणि का पिता-20 हजार असर्फीलाल मृतक दयावती का पति 10 हजार रु0, सूरज सिंह, मृतक सुरेश का पिता 10 हजार इस तरह से दस आदमियों को दिया गया है। श्री सीताराम धानुक को आवास निर्माण हेतु सहायता दी गयी है निर्माण कार्य आरंभ हो गयी है।

मृतक सुरेश के पिता सूरज सिंह तथा घायल सीताराम धानुक को नियमानुसार पात्र होने के कारण गांव सभा की क्रमशः 6 बीघा तथा 5 बीघा 14 विश्वा भूमि आवंटित की गई है।

श्रीमती लौंग श्री को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दाई पद पर प्रशिक्षण हेतु चयनित कर लिया गया है।

इसके अलावा निराश्रित विधवाओं को पेशन देने का कार्य मेरा विभाग करता है। जो एप्लाई करेगा उनको सह भी दी जायेगी।

मृतक रामदुलारी के पति चन्द्रपाल तथा मृतक प्यारे लाल के पुत्र इन्द्रपाल को संग्रह चपरासी के पद पर नियुक्ति हेतु आकर दिया गया जिसे उसने अस्वीकार कर दिया।

हमारे बहुत पुराने दोस्त, लोकदल के कार्यवाहक नेता, श्री देहलवी जी ने कुछ चीजें उठाई, मैं केवल आपसे इतनी बात कहना चाहता हूँ .... (व्यवधान) इस प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने — मैं वह बात कहना चाहता हूं जो विरोध पक्ष से किसी ने नहीं कही है, डकैत उन्मूलन का एक अभियान शुरू किया था, उन्होंने उसकी एक विस्तृत रूपरेखा बनाई और इस प्रदेश के 26 कुख्यात और दुर्दान्त दस्यु दलों को समाप्त किया। लेकिन मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं यह कांग्रेस की ही परम्परा रही है कि इतना काम करने के बाद, इतना उन्मूलन करने के बाद केवल एक घटना पर अपना नैतिक कर्तव्य मान कर, नैतिक आदर्श मान कर पद का त्याग कर दिया। यह आम में नहीं होगा। इस सदन में मैंने तीन वर्ष विरोध पक्ष के उप नेता के रूप में काम किया। उसमें कई ऐसे मसले आए, चाहे फतेहपुर में 14 हरिजनों को डकैतों ने मारा हो, चाहे एटा में 12 लोगों को मारा गया हो, चाहे इटावा में एक दिन में 14 लोगों को मारा हो, मैंने अपनी सरकार को नैतिक आदर्श का ध्यान कई बार दिलाया, लेकिन कभी इन लोगों ने उसका ऐहसास नहीं किया और प्रदेश की जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है।

कांग्रेस का 90 वर्ष का इतिहास है, इसने नैतिक आदर्शों के ऊपर कितने कितने बार अपने को बलिदान कर दिया है। आपके यहां यह परम्परा नहीं है। मैं एक बाद उनसे जो बड़ी तेजी से बात करते हैं, पूछना चाहता हूं, मैंने इस सदन में 3 वर्ष में 22 हरिजन हत्या काण्ड के मामले इस सदन में उठाए थे और हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आप जाकर वहां देख लीजिए, वहां के लोग त्रस्त और आतंकित हैं, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि इन्होंने उसकी कतई कभी कोई आवश्यकता नहीं समझी। उनकी ओर कभी कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि जो लोग बेसहारा हो गये, उनको हमने

गले लगा दिया है, हम उनको रोजी और रोटी दोनों दे रहे हैं। लेकिन 22 हत्याकाण्ड जनता शासनकाल में हुए, पर इनके समय में किसी भी मृतक परिवार को एक पैसा तक नहीं दिया गया। एक रुपया भी किसी को दिया हो तो हम जाने। हमारे ही जिले में 11 हरिजन पी0 ए0 सी0 द्वारा मारे गये, इन्होंने उसके लिए एक रुपया तक नहीं दिया। जब उनका दाह संस्कार हो रहा था तो हमने रामनरेश जी से कहा कि आप कम से कम शासन की ओर से संवेदना प्रकट करने को चले जाएं, लेकिन बन्दा नहीं गया। मेरा कहना केवल इतना है कि यह एक गम्भीर काण्ड है और दस्तमपुर काण्ड को हमने काफी गम्भीर माना है और उसके बाद नैतिक आदर्श के रूप में पद का त्याग किया। आप इसे समझें कि हमारी पार्टी इसे कितनी गम्भीरता से लेती है। आज इस समस्या को हल करने के लिये, डकैती उन्मूलन के लिये भाई रियासत हुसैन जी ने कहा, चाहे इधर के लोग हों चाहे उधर के, दोनों का उत्तरदायित्व है समाज को सुरक्षा देने का। उत्तरदायित्व शासन पर बहुत है तो विरोध पक्ष का भी कोई कम नहीं है। हमको और आपको इस समस्या पर विचार करना होगा।

एक विचार यह भी करना होगा कि गांव का वातावरण पार्टी बन्दी के आधार पर जो प्राकृतिक वातावरण, भाई चारे की व्यवस्था का लोप हो रहा हैं, एक दूसरे की चीजों का फैसला मारने के बाद करते हैं इस पर हमको और आप सब को गम्भीरता से विचार करना होगा। राजनीतिक दल जो राजनीति के कारण वैमनस्यता और कटुता बढ़ाते हैं, उससे गांवों में बिखराव की स्थिति पैदा हो जायेगी। यह सामाजिक बात है जिस पर हमें और आपको एक बार बिचार करना होगा। इस पर हम विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों से मदद चाहते हैं। केवल आलोचना के नाते आप आलोचना न किया करें।

डाकू उन्मूलन के सम्बन्ध में हमने जो प्रभावी तरीके अपनाये हैं, उसके सम्बन्ध में जो आपके अच्छे सुझाव होंगे उनको हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। जो भी आप गुन्डों के दमन के लिए हमें कन्सट्रक्टिव सुझाव देंगे शासन सहर्ष उनका स्वागत करेगा। हम इन अराजक तत्वों को तभी कुचल सकते हैं जब हमें आपका सहयोग मिले। राजनीति को अलग रख कर समाज में जो अलगाव की प्रवृत्ति पनप रही है, वैमनस्यता फैल रही है, भाई चारा कम हो रहा है, उसको दूर करने में आप हमारा सहयोग करें। शासन इस संकल्प को लिए हुए हैं, और इस प्रदेश के नये मुख्य मंत्री, माननीय श्रीपति मिश्र ने कहा भी है कि एक भी घटना अगर बतायी जायगी जो फर्जी हो जिसमें एनकाउन्टर दिखाया गया हो, की जांच होगी और जो भी व्यक्ति दोषी पाया जायेगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। आपसे केवल इतना ही निवेदन है कि समाज में शांति व्यवस्था बनाये रखने में आपके सहयोग की अपेक्षा है और प्रदेश में सामाजिक जीवन को शांतिमय बनाने के लिए आप हमें जो भी कन्सट्रक्टिव सुझाव देंगे, उन सबको हम सहर्ष स्वीकार करेंगे।

इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष

आज नियम 51 के अन्तर्गत 3 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त की प्रदेश में शिशुओं के अपहरण करने वाले गिरोह से उत्पन्न भय तथा आतंक

से सम्बन्धित है। दूसरी सूचना माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री की ललितपुर हड्डी मिल के चौकीदार जुम्मन खां की हत्या किए जाने के सम्बन्ध में है और तीसरी सूचना माननीय किरनपाल सिंह की जिला चिकित्सालय, बुलन्दशहर में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में है।

मैंने इन तीनों को अस्वीकार किया है।

संविधान (छियालिसवाँ संशोधन) विधेयक, १९८२

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (छियालिसवां संशोधन) विधेयक, 1982 द्वारा भारत के संविधान में किए जाने के लिए प्रस्तावित उन संशोधनों को जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड (2) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थित करने के सम्बन्ध में राज्य सभा सचिवालय से विधान सभा सचिवालय को प्राप्त पत्र की प्रतिलिपि को, उक्त विधेयक एवं तद्विषयक संसद की कार्यवाहियों सहित, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 182 (1) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (निरसन) विधेयक, १९८२

सचिव, विधान सभा—

मननीय अध्यक्ष महोदय, में आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (निरसन) विधेयक, 1982, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 1982 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 30 अगस्त, 1982 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, १९८२

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1982, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 1982 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 30 अगस्त, 1982 को वापस प्राप्त हो गया है।

[समय 6 बजकर 20 मिनट]

अफीम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक १९८२

सचिव विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि अफीम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982, विधान सभा द्वारा दिनांक 23, अगस्त, 1982 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 30 अगस्त, 1982 को वापस प्राप्त हो गया है।

श्री भीखा लाल—

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय सचिव ने कुछ सूचनाएं सदन को दिया जो इस एजेंडे में किसी भी स्थान पर नहीं हैं। मान्यवर, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि यह किस नियम के अन्तर्गत सदन को सूचना दी गयी ?

श्री अध्यक्ष —

यदि एक सदन को दूसरे सदन को सूचना देना आवश्यक हो, और सदन उठ रहा हो, तो यह सूचना देना आवश्यक होता है। इसलिए मैंने उन्हें आज्ञा दी।

बांदा जिले के अधिशाशी अभियन्ता के व्यवहार के फलस्वरूप अवर अभियन्ताओं द्वारा हड़ताल किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

***सा0 नि0 वि0 मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—**

श्री एम0 आर0 यू0 खान, अधिशाशी अभियन्ता की नियुक्ति प्रान्तीय खंड, बांदा में की गई थी क्योंकि वहां स्थान रिक्त था। श्री खान के चार्ज लेने के उपरान्त प्रान्तीय खंड में कुछ सहायक अभियन्ताओं एवं अवर अभियन्ताओं ने उनके विरोध में अपना असंतोष प्रकट किया व कुछ दिनों के लिए कुछ अधिकारी कर्मचारी छुट्टी पर चले गए। अतः शासन ने अधिशाशी अभियन्ता प्रान्तीय खंड को अस्थाई खंड, बांदा में व अधिशाशी अभियन्ता, अस्थाई खंड को प्रान्तीय खंड, बांदा में परिवर्तन के आदेश पारित कर दिए ताकि दोनो अधिशाशी अभियन्ताओं के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो जाय। इस प्रक्रिया से समस्त कर्मचारियों व अधिकारियों की समस्या का समाधान हो जाता है यह आदेश लगभग एक सप्ताह पूर्व ही पारित हुए हैं और यह आशा की जाती है। कि इस परिवर्तन से बांदा जनपद में प्रान्तीय खंड की वर्तमान स्थिति का समाधान हो जावेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री भीखा लाल --

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह अधिशाशी अभियन्ता, श्री एम0 आर0 यू0 खान जनवरी, 1979 में बांदा में नियुक्त था और एक साल के अन्दर नवम्बर, 79 में उसका तबादला हुआ था, इस बिना पर कि इसके व्यवहार से दुःखी होकर इनके अधीनस्थ अभियंताओं ने हड़ताल की थी और डी0 एम0 ने भी लिखा था कि 24 घंटे के अन्दर इसको हटाया जाय। यहां भी यही हुआ, उसके खिलाफ तमाम थाने में रिपोर्ट हुई और उसके व्यवहार से बहुत सी शिकायते हुई और असंतोष व्याप्त हुआ, तब मान्यवर, फिर बांदा इसे भेज दिया गया। मान्यवर, वहां पर इस अधिशाशी अभियंता के जाने से पुनः असंतोष फैल गया है। वहां पर बाढ़ आई हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रशासनिक रीति से उचित था कि जिस अधिशाशी अभियंता के खिलाफ इतनी बड़ी बगावत हो चुकी है, आपने उसका एक खण्ड से उठाकर दूसरे खण्ड में तबादल बांदा में ही कर दिया है, क्या इससे उस समस्या का समाधान हो गया है ? क्या इस अधिशाशी अभियंता को तुरन्त दूसरी जगह हटाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अम्मार रिज़वी—

मान्यवर, यह व्यवस्था एक खण्ड से दूसरे खण्ड में की गयी है ताकि यह देखा जा सके कि इससे स्थिति में सुधार हो सकता है कि नहीं। यदि उसमें सुधार नहीं हो सकता है, तो जैसी सिचुयेशन होगी, जो भी ऐक्शन हो सकता है, एक अधिकारी को या सारे अधिकारी को हटाने का, जो भी उचित होगा, वह किया जायगा।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, जैसा कि माननीय भीखा लाल जी ने बताया 79 में इनको 24 घंटे के अन्दर वहां से हटाया गया था, तो पुनः उसी जनपद में भेजने का क्या औचित्य था ?

श्री अम्मार रिज़वी—

मान्यवर, वहां पर स्थान रिक्त था, इस कारण वहां पर प्रशासनिक कुछ ऐसी स्थिति थी, इसलिए भेज दिया गया।

डा0 बृज किशोर मिश्र—

मान्यवर, क्या उस अधिशाशी अभियंता के अन्दर कार्यरत समस्त वह कर्मचारी जो वह यूनियन बना कर आंदोलन करना चाहते हैं, क्या उनको भी हटाने की कृपा करेंगे।

श्री अम्मार रिजवी—

समस्त अधिकारियों को क्यों किया ज ाय, जो भी ऐसी चीज करता है जिससे अनुशासन समाप्त होता है, कार्य में बाधा पड़ती है, तो उसके खिलाफ कार्यवाहा की जा सकती है।

श्री मित्रसेन—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन अवर अभियन्ता ने हड़ताल की है उनके हड़ताल का कारण क्या है और उनकी मांग क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, उन्होंने जो नोटिस दिया है उसमें हड़ताल के अन्दर व जूनियर इंजीनियर्स के खिलाफ कुछ बातें कही थी। जब यहां से अधीक्षण अभियंता जांच के लिये गये तो कुछ बातें सच पायी गई और बहुत सी वैसी पायी गयी । जो अरोप लगाया गया है उसमें एक आरोप यह भी है कि श्री खान बहुत सख्त बोलते है और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ जो भाषा इस्तेमाल करते हैं वह अपमानजनक होती है।

श्री शिव नरेश—

मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री खान को 82 में बांदा में पोस्ट किया गया और जून में उनका स्थानान्तरण कर दिया गया फैजाबाद के लिये फिर उनका स्थानान्तरण स्टे क्यों कर दिया गया।

श्री अम्मार रिजवी—

जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर किया गया ।

श्री भीखा लाल—

मैं जानना चाहता हूं 1979 में डी0 एम0 ने रिकमेन्ड किया था कि इनको तुन्रत हटाया जाय क्या इसबार भी डी0 एम0 ने जिले से बाहर भेजने के लिये रिकमेन्ड किया था ?

श्री अम्मार रिजवी—

तत्कालीन जिलाधिकारी ने लिखा था बाद में उनका स्थानान्तरण हो गया। इसके बावजूद एक विवाद यह भी था कि तत्कालीन जिलाधिकारी और श्री खान के बीच सार्वजनिक निर्माण विभाग कालोनी के आवास के सम्बन्ध में कुछ मामला था। इस सिलसिले में जब रिपोर्ट आयी तो शासन ने कार्यवाही की । कुछ लोगों ने दुबारा अनुरोध किया कि यह अच्छे कार्यकर्ता है इसलिये इनको भेजा गया।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि इक्जीक्यूटिव इंजीनियर गये तो 4 जूनियर इंजीनियर के खिलाफ आरोप पाये गये मैं उनका नाम जानना चहता हूं

श्री अम्मार रिजवी—

सबसे पहले मैं सम्मानित सदस्य को यह बता देना चाहता हूं मैंने यह नहीं कहा कि अधिशाशी अभियन्ता गये। अधीक्षण अभियन्ता गये थे उन्होंने जांच में 4 जूनियर इंजीनियर के खिलाफ आरोप पाये। उनके नाम इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री रुद्रप्रताप सिंह—

मान्यवर, यह अधिशासी अभियंता जहाँ जाते हैं वहां बवाल हो जाता है तो क्या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा जिला नहीं हैं जहां इनको रखा जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई प्रश्न नहीं है। मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि बांदा में स्थान रिक्त था इस लिये दोबारा वहां भेजा गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि उन अधिशासी अभियंता के लिये क्या बांदा में ही स्थान रह गया है क्या पूरे प्रदेश में स्थान कहीं रिक्त नहीं था ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं इसका उत्तर दे चुका हूं कि कुछ जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर उन्हें वहां भेजा गया।

श्री कुंवर बहादुर मिश्र—

मान्यवर, माननीय भीखा लाल जी कह रहे थे कि अधिशासी अभियंता ने कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया तो मैं जानना चाहता हूँ कि दुर्व्यवहार क्या चीज है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, दुर्व्यवहार की परिभाषा जो डिक्शनरी में है, तो इस प्रकार का व्यवहार जो दूसरे को पसंद न आये वह दुर्व्यवहार हो जायेगा। मान्यवर मैं अभी तो यही कह सकता हूं।

श्री बन्धन सिंह—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी उन जनप्रतिनिधियों के नाम बतायेगें जिन्होंने सिफारिश की है।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जनहित में यह उचित नहीं है कि यह बताया जाय कि किस इंजीनियर की सिफारिश किसने की है तो आप समझ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष –

अब इसको समाप्त किया जाता है।

धान खरीद १९८०–८१ के घोटाले के सम्बन्ध में वक्तव्य

(खाद्य मंत्री जी के खड़े होने पर मेजों की थपथपाहट।)

श्री अध्यक्ष—

यह बाल्टी बाबा का प्रश्न नहीं हैं जिसके लिये आप भेजें थपथपा रहे हैं। प्रत:काल माननीय सदस्यों ने एतराज किया था। माननीय मंत्री जी ने अश्वासन दिया था कि मैं अपना स्टेटमेंट दूंगा। उसके लिये मैंने उनको पुकारा है।

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री वसुदेव सिंह)

1–खरीफ वर्ष 1980-81 में राज्य सरकार द्वारा धान की खरीद मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा घोषित दरों पर की गई। राज्य सरकार के खाद्य विभाग व अन्य क्रय एजेंसियों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत कुल 5, 87,780 मी0 ट0 धान खरीदा गया। उक्त धान को प्रदेश के चावल मिलों के माध्यम से कुटवा कर तथा चावल तैयार करा कर भारतीय खाद्य निगम को सेन्ट्रल पूल के लिए दिया गया। उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ने लगभग 3, 76,000 मी0 ट0 चांवल प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा चावल की खरीद लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों व चावल मिलों पर लेवी लगाकर भी की गई। लेवी योजना के अन्तर्गत 2,00,610 मी0 ट0 चावल प्राप्त किया।

2– धान की उक्त खरीद में हानि होने की शिकायत शासन को प्राप्त हुई। हानि के कारणों की जांच तथा उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु शासन द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में खाद्य सचिव, वित्त सचिव और सतर्कता सचिव की एक उच्च, स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है।

3–खाद्य विभाग द्वारा समस्त खाद्यान्नों, बोरे तथा गोदामों आदि की खरीद, विक्रय एवम् आपूर्ति का कार्यक्रम लेखा शीर्षक "509' के अन्तर्गत चलाया जाता है। महालेखाकार द्वारा प्रस्तुत लेखा शीर्षक "509" के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में वास्तविक आंकड़ों के आधार पर 134-42 करोड़ रुपये की आय हुई है और 190-60 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है। इस प्रकार आय-व्यय का अन्तर रुपया 56, 18 करोड़ आता है। समिति के समक्ष प्रस्तुत आंकड़ों से यह विवित होता है कि इस अन्तर का मुख्य कारण दिनांक 31 मार्च, 1981 को विभाग के पास अवशेष अनिस्तारित स्टाक का रह जाना था जिसका मूल्य लगभग 58·80 करोड़ था। इस स्टाक के अधिकांश भाग का निस्तारण वर्ष 1981-82 में किया गया जिससे हुई आय वर्ष 1981-82 के दौरान लेखा-शीर्षक "509" में प्राप्त हुई।

4–उच्च-स्तरीय समिति की अब तक दो बैठकें हुई हैं और विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की जांच समिति द्वारा की जा रही है। समिति की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद

ही प्रमाणित रूप से यह कहा जा सकेगा कि धान-खरीद में कोई हानि अथवा घुटाला हुआ है अथवा नहीं।

*श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, इस सदन के बाहर हमने सचिव, खाद्य एवं रसद का बयान पढ़ा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस खरीद में लगभग डेढ़ करोड़ रु0 का घाटा हो रहा है, इसलिए भविष्य में अब उनका विभाग इस तरह की कोई खरीद नहीं करेगा यह तो हुई पहली बात और अब दूसरी बात यह है मान्यवर कि हमने पिछले बुद्धवार को एक अल्पसूचित प्रश्न किया था। उसमें मा0 मुख्य मंत्री जी ने (मा0 विश्वनाथ प्रताप सिंह) स्वयं कहा था कि इस तरह के घुटाले का कोई प्रश्न ही नहीं उठता और आज जो यह वक्तव्य मा0 मंत्री जी द्वारा प्रसारित हुआ इसमें कहा जा रहा है कि समिति जांच कर रही है इसलिए इस सम्बन्ध में यह कहना सम्भव नहीं है कि कोई हानि हुई अथवा घुटाला हुआ है या नहीं। तो इस प्रकार इनके दोनों उत्तर परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं और सचिव ने जो बयान दिया है तो इन तीनों में विशेष अन्तर दिखाई दे रहा है। इसलिए मा0 मंत्री जी से अनुरोध है कि इस मामले की साफ स्थिति से सदन को अवगत करायें कि इसमें सत्यता क्या है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने समाचार पत्रों में यह स्वीकार किया कि इसमें 55 करोड़ रु0 का घपला हुआ है, जिसको देखकर वह स्वयं दंग हैं और इस बयान का मा0 मंत्री जी द्वारा कोई खण्डन भी नहीं हुआ और अब स्थिति जो रह गयी है वह कुछ और है तो इस प्रकार प्रदेश की जनता को बयान देकर गुमराह करना है और उसके बाद जांच द्वारा लीपा-पोती करके मामले को छुपाने से काम नहीं चलने वाला है, जनता जागरूक है, उसे मामले की स्थिति स्पष्टतौर पर आपको बतानी होगी।

श्री वासुदेव सिंह–

मा0 तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने अखबार में 50 करोड़ रु0 की बात कहा और जांच से पहले उन्होंने जो भी कहा अपने निजी जानकारी पर कहा, लेकिन स्थिति तो वही सही मानी जायगी जो जांच के बाद निकली और इस मामले पर उन्हीं के द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति कायम हुई और जब यह समिति पूरे तौर पर तथ्यों की समीक्षा, विचार और विवेचना करेगी और जो भी उससे तथ्य उजागर होंगे, वह आप सब के सामने आ जायेगे। यह प्रश्न माननीय सदस्य जो बार-2 उठा रहे हैं और इससे पहले भी इन्होंने इस संबंध में–

अल्पसूचित प्रश्न पूछा था। उस दिन हंगामा मच गया, वहां तक पहुंचा नहीं मामला। मैं 25 दिसम्बर, 1980 को मंत्री बना। यह मामला 80 का है और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वयं खाद्य मंत्री थे। उन्होंने स्वयं जांच करायी। मैं क्यों दखल देता।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मा0 मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वास्तविक आंकड़ों के आधार पर 134.42 करोड़ रुपये की आय हुई है और 190.60 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है। इस प्रकार 56.18 करोड़ रुपये का घाटा आता है। इस घाटे का मुख्य कारण 58.80 करोड़

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रु0 के अनिस्तारित स्टाक का रह जाना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 1981-82 में कितना अनिस्तारित स्टाक धान का बच गया और उससे कितना घाटा हुआ ? अब कितना घाटा रह गया है ?

श्री वासुदेव सिंह—

यह नया प्रश्न है। मेरे सामने मा0 मोहन सिंह जी का प्रश्न है और मैंने उसका उत्तर दिया था।

श्री अध्यक्ष—

श्री नरेश चन्द्र के प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, वे पुनः अपना प्रश्न दोहरा दें।

श्री नरेशचन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि 134·42 करोड़ रुपये की आय हुई है, 190.60 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है और इस प्रकार 56.18 करोड़ रु0 का घाटा हुआ है और इस घाटे का मुख्य कारण यह था कि 58.80 करोड़ रु0 का अनिस्तारित स्टाक रह गया था, जिससे यह घाटा हुआ। मैं यह जानना चाहता हूं कि, 81-82 में लिखा है कि अधिकांश स्टाक निस्तारित कर दिया, जिसकी आय लेखा शीर्षक "509" में प्राप्त हुई, तो अब घाटा कितना रह गया है ?

श्री वासुदेव सिंह—

जहां तक घाटा दिखाया गया है, वह सब लाभ में बदल गया है। यह मैं अनुमान से कह रहा हूँ।

श्री रेवती रमण सिंह—

मा0 खाद्य मंत्री जी ने कहा कि 56 करोड़ का घाटा है और पूर्व मुख्य मंत्री ने भी कहा था कि 55–56 करोड़ का घोटाला है, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो समिति इसकी जांच कर रही है, उसमें कौन-कौन सदस्य हैं और उन्होंने क्या कोई अन्तरिम रिपोर्ट आपको दी है ? चूंकि इसमें बड़े-बड़े अधिकारी इन्वाल्व हैं, क्या सी0 बी0 आई0 से जांच करायेंगे ?

श्री वासदेव सिंह—

मैं पहले ही निवेदन कर चुका कि इसमें मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त सचिव, खाद्य सचिव और सतर्कता विभाग के सचिव हैं। ये 4 लोग हैं। ये इसको देख रहे हैं।

श्री अकबाल हुसैन —

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 31 मार्च, 1981 को जो धान खरीदा गया था, वह लेखा शीर्षक "509" में डाला गया था, उसका वजन कितना था ? मात्रा क्या थी ? और उस समय उसका रेट क्या था ?

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, यह जो 50 करोड़ वास्तविक आंकड़े 56.18 करोड़ का मैंने जिक्र किया है यह निरन्तर होने वाला बजेटरी डिफिसिट है ।

श्री अकबाल हुसैन—

धान की मात्रा कितनी थी ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोक पति) —

60 करोड़ या 58 करोड़ का माल था इसे 126 रुपये से भाग दे दीजिये, आपको मालूम हो जायेगा ।

श्री मित्रसेन —

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह घोटाला जो हुआ है तो क्या इसकी जानकारी तात्कालीन माननीय मुख्य मंत्री को जो हुई वह किसने कराई थी ? तात्कालीन खाद्य सचिव के खिलाफ सतर्कता जांच में क्या यह मामला शामिल है ?

श्री वासुदेव सिंह—

मैं निवेदन कर चुका कि खाद्य सचिव ने शासन का ध्यान किसी विपक्षी सदस्य के कहने से नहीं और न किसी आरोप के अन्तर्गत आकर्षित किया बल्कि शासन के स्वयं अपने विभाग से यह सवाल उठा है और उसकी जांच पड़ताल का मामला चल रहा है । सारी बातें समिति के सामने हैं । जब अन्तरिम रिपोर्ट आयेगी तब सब बातें सामने आ जायेंगी । अभी समिति की केवल दो ही बैठकें हुई हैं । अभी तो सारे काम बाकी हैं ।

श्री हुकम सिंह

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो ठीक है कि माननीय मंत्री जी ने जैसा कहा कि इस ओर शासन ने ध्यान आकर्षित किया लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जो समिति आपने बनाई हुई है जिसकी आख्या के अधार पर अपने कहा कि 1980–81 का माल 1981–82 में बेचा गया तो जो समिति की अन्तिरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है वह क्या है ?

श्री वासुदेव सिंह —

समिति की अन्तिरिम रिपोर्ट अभी नहीं आयी है । मैंने केवल माननीय सदस्यों की जिज्ञासा को शान्त करने के लिये तथा सार्वजनिक जीवन की स्वच्छता के हित में जो माननीय सदस्यों को शक था उसका निराकरण किया है । वैसे समिति द्वारा जांच चल रही है । उसकी सारी बातें सामने आयेगी और यथा सम्भव सदन को भी सूचित करूंगा ।

खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के अध्यक्ष पद पर नियुक्त श्री जगदीश मिश्र उर्फ बाल्टी बाबा के विरुद्ध लगाये गये अरोपों के विषय में दिनांक २६ अगस्त, १९८२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८ (नत्थी क) के सम्बन्ध में नियम ४९के अन्तर्गत चर्चा

श्री भीख लाल–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न यह है मान्यवर, कि जब इस प्रश्न के संबंध में चर्चा का समय निश्चित किया गया था कार्यमंत्रण समिति के द्वारा 27 तारीख निश्चित की गई थी तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सदन से अनुरोध किया था कि इसको 30 तारीख को कर दिया जाय क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री भी इसमें उपस्थित रहना चाहते हैं परन्तु वे आज भी जब इस पर चर्चा प्रारम्भ होने जा रही है तो वे सदन में मौजूद नहीं है।

*श्री हुकम सिंह –

माननीय अध्यक्ष जी, इससे पूर्व कि मैं मद संख्या 24 पर अपने संकल्प को रखूं, मैं माननीय भीखा लाल जी की बातों से अपने को सम्बद्ध करते हुए कहता हूं कि इस चर्चा पर 27 तारीख को स्थगित करा कर माननीय मुख्य मंत्री ने इस पर अपनी चिन्ता व्यक्त की थी कि 30 तारीख को इस प्रकरण को उठाया जाय जिससे कि वे भी उपस्थित हों। परन्तु वे तो आज भी उपस्थित नहीं हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आज वे क्यों नहीं हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी सदन को छोड़कर चले गये हैं।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर से कहा गया कि लो संसदीय कार्यमंत्री आ गये।)

मैं आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए उम्मीद करता हूं कि इस निष्क्रिय सरकार को आप प्रताड़ित करेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, जगदीश मिश्र उर्फ बाल्टी बाबा, अब उनके नाम का सदन में एक माहौल दूसरा बन गया लेकिन मुझे अफसोस है कि इतनी अहमियत वाले स्थान पर एक ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया गया जिसका पिछले 12, 13 वर्ष का इतिहास, ज्यादा नहीं कहूँगा तमाम उत्तर प्रदेश के समाचार पत्रों में छप चुका है, भारतवर्ष के जितने भी मुख्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्य समाचार पत्र हैं, उनमें छप चुका है। अन्य जानकारियों के अनुसार, पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, न्यायालय के आदेशों के अनुसार सभी सत्य प्रकाश में आ चुका है। ऐसे व्यक्ति को ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर बैठा देना यह दर्शाता है कि सरकार इसको हल्केपन से लेना चाहती है। मुझे चिन्ता है कि आवश्यक वस्तु नियन्त्रण निगम, जहाँ लाखों का लेन-देन होता है, क्या ऐसा व्यक्ति उस स्थान पर बैठाया जा सकता है जो जरायम पेशा हो, जिसके बारे में पुलिस रिपोर्ट में आ चुका हो जिसके ऊपर 420 का मुकदमा चल चुका हो, पुलिस की रिपोर्ट जिसके बारे में आ चुकी हो कि वह जरायमपेशा व्यक्ति है, 420 का काम करता है, चीटिंग का काम करता है, चालाक किस्म का व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को इस पद पर रखा जा सकता है ? इस बात से साफ जाहिर है कि आपके 325 व्यक्तियों में से कोई भी ऐसा नहीं रह गया है जो ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर आ सकता हो। जो ऐसी अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो उसके बारे में अधिक बतलाने की आवश्यकता नहीं है। उसमें कुछ कलाकारी हो सकती है जैसे स्मगलर चालबाज और नटवर लाल में जो कलाकारी रही है तो क्या ऐसे आदमी को ऐसे महत्वपूर्ण पद पर बिठाया जा सकता है ? माननीय मंत्री जी सदन की भावना को अच्छी तरह से समझते हैं और इसी दृष्टि से जब कुछ माननीय सदस्यों ने प्रश्न रखा था तो उन्होंने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। उनके मन से कुछ बातें निकलना चाहती थी बार-बार आपका अन्तःकरण ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ कहना चाहता था लेकिन आपके ऊपर अंकुश था जिसकी वजह से आपने अपने अन्तःकरण को दबाये रखा। मैं चाहूँगा कि इस महत्वपूर्ण पद के लिये आपकी तरफ से कोई आदेश सदन के सामने आज आवे और इस सदन में आप ऐसी महत्वपूर्ण घोषणा करें जिससे हमारा लोकतंत्र का खोता हुआ मूल्य वापस आवे और उस मूल्य में हमारा विश्वास हो सके।

हम समझते हैं कि संसदीय परम्पराओं में यदि आपका विश्वास है तो ऐसे स्थान पर कोई टेक्निकल आदमी न सही, कोई ब्यूरो क्रेसी का आदमी न सही, कभी-कभी सामाजिक कार्यकर्ता भी आते हैं। मान्यवर, सामाजिक कार्यकर्ता की परिभाषा बतलाने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम जिस व्यक्ति को आपने इस पद पर आसीन किया है, वह समाजसेवी नहीं कहा जा सकता है। बल्कि समाज का एक अभिशाप कहा जा सकता है। और ऐसे व्यक्ति को ऐसे पद पर रखना समाज को कलकित करना है और यह कलंक आप पर सदैव रहेगा यदि आज इसी समय आपने जबकि आपको इस मामले पर चर्चा करने का दोबारा मौका मिला है, ये घोषणा नहीं करते कि तुरन्त प्रभाव से इस पद से उसको हटाया जा रहा है। मैं अधिक समय नहीं लेता क्योंकि दोबारा मुझे इसमें हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। मैं केवल इतनी बात कहकर समाप्त करता हूं और एक स्पेसिफिक प्रश्न पूछता हूं कि जिस जगदीश मिश्र उर्फ बाल्टी बाबा जिनके विरुद्ध गोरखपुर की पुलिस ने, देवरिया की पुलिस ने और अन्य जनपदों की पुलिस ने भी प्रवृष्टियां की हों, उसको इस सदन से हटायेंगे या नहीं ?

अगर हम एक पुलिस कांस्टेबिल या एक चपरासी की भी नियुक्ति करते हैं तो उसका भी पुलिस वेरीफिकेशन मांगते हैं कि पुलिस रिकार्ड में उसके खिलाफ कोई प्रविष्टि है या नहीं लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण पद पर जिस आदमी को बैठाया जा रहा है उसके बारे में हमारे वरिष्ठ साथी मोहन सिंह जी ने पहले पढ़कर सुनाया था कि पुलिस रिकार्ड में उसके बारे में केवल एक ही इन्दराज है कि यह एक निहायत ही चालाक, बदनाम किस्म का आदमी है और यह कोई भी कुकृत्य कर सकता है। क्या आप ऐसे आदमी को ऐसे महत्वपूर्ण पद पर बैठाये रखेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, मैंने बहुत ध्यान से माननीय सदस्य की बात सुनी। माननीय सदस्य और उनके दल ने, जब वह शासन में थे, जो सम्मान, जो स्थान असरकारी अध्यक्षों के बारे में निश्चित किया था, उसके सम्बन्ध में थोड़ा निवेदन करूंगा। 1979 का एक सर्कुलर है। पहले कांग्रेस शासन में जो निगमों के अध्यक्ष होते थे उनको मोटर और बहुत सी सुविधायें दी जाती थीं। जनता पार्टी के शासन ने उन सारी सुविधाओं के स्थान पर उनके लिए 1000 रुपया मासिक वेतन, 300 रुपया मोटर और 300 रुपया घर के लिए अनुमन्य किया। हमने सोचा कि जनता पार्टी की हुकूमत थी तो उसने निःशुल्क आवास की व्यवस्था श्री जगदीश मिश्र उर्फ बाल्टी बाबा के लिए की तो खाद्य मंत्री होने के नाते मैं उसके खाने की ही व्यवस्था कर दूं।

श्री मोती लाल देहलवी –

मान्यवर, 26 अगस्त को जब यह प्रश्न आया था तो माननीय खाद्य मंत्री जी ने जिस दृढ़ता और निडरता के साथ सत्य को स्वीकार किया था, मैं आज उनको इसके लिये सदन में बधाई देता हूं, इस अपेक्षा के साथ -

श्री अध्यक्ष —

माननीय देहलवी जी, आप भाषण नहीं करेंगे, स्पष्टीकरण मांगिये।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, जैसा कि माननीय खाद्य मंत्री जी ने उस दिन कहा था कि बाल्टी बाबा की जड़ें बड़ी गहराई में हैं, मुझे खुशी हुई जिस तरफ उन्होंने इशारा किया था। हम सब लोगों ने उसको समझा, पूरे प्रदेश की जनता ने समझ लिया है। आज माननीय मंत्री जी की अन्तरात्मा की अग्निपरीक्षा है। उस अग्निपरीक्षा के नाते मैं सोच रहा हूं कि डा0 लोहिया की आत्मा उनमें काम कर रही होगी। मैं आज मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनकी अन्तरात्मा के विपरीत जो व्यक्ति इतने महत्वपूर्ण पद पर आसीन है, क्या माननीय मंत्री जी उसको तत्काल उससे हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

जो डा0 लोहिया की बात कही जाती है वह वहां (विरोध पक्ष में) लुप्त हो चुकी है और यहां उदय हुई है। (हंसी) माननीय सदस्य स्वयं विचार करें कि जिन आरोपों में श्री मिश्र स्वतः बरी हो चुके हैं उन आरोपों के आधार पर उनको कैसे हटाया जा सकता है। वैसे मैं नहीं कहता कि मैं हटाऊंगा या नहीं। माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी को उनके बारे में जांच की अपने ढंग से की, उन्होंने भी उसके खिलाफ कुछ पाया नहीं। तो गलत मुद्दे पर कैसे हटाया जा सकता है। जो गहराई की बात कही गयी वह जनता पार्टी

है जिसने उसको इतना सम्मान दिया रेस्पेक्टबिलटी दी। (व्यवधान) अगर गलत बोलने की आजादी है तो मानना पड़ेगा की भी आजादी है (हंसी)

श्री सुग्रीव सिंह—

मान्यवर, मेरठ जिले में नकली सी0 आई0 डी0 बनकर एक बार यह लोनीपुर थाने पर गये जिसके कारण वे जेल में रहे। एक बार नकली चेक भुनाने के 420 के जुर्म में गोरख पुर की जेल में यह बालटी बाबा बन्द रहे। क्या सरकार इसकी जांच करायेगी

श्री वासुदेव सिंह—

इसके बारे में रिपोर्ट मंगा लेंगे। अगर सही बात होगी तो देखेंगे।

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर, माननीय खाद्य मंत्री जी का यह उत्तर प्रदेश में आने वाली नस्ल को कोई अच्छा राश्ता नहीं दे पायेगी। अगर जनता पार्टी अच्छा काम करत तो उधर कैसे बैठती। उनकी नीतियां घातक थीं, इसीलिये जनता ने उनको उधर बिठाया। जनता ने उनको सजा दी। यह सही है कि जो भी यह बाल्टी वाबा या लोटा बाबा हैं, इनके विरुद्ध कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। यह ठीक है कि माननीय बनारसी दास और चौधरी चरण सिंह ने उनको कोई स्थान दिया, लूटने की कोई जगह दी, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि हम भी उनके किये हुये गलत काम को सराहें मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी इसकी गम्भीरता को लें, इस पर विचार करें। अगर वास्तव में वह ऐसे जिम्मेदार पद पर रहने योग्य नहीं है तो उसे हटा देना चाहिये।

श्री वासुदेव सिंह—

जैसा माननीय सदस्य ने कहा अगर कोई लूटता है तो उसके लूटने की शक्ति को हमने सीमित कर दिया है (हंसी)

श्री भीखा लाल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय खाद्य मंत्री जी जो भी उत्तर देते हैं वह काफी घुमाफिरा कर देते हैं। मान्यवर, सदन में दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि बाल्टी बाबा अपराधी प्रवृत्ति के आदमी हैं लेकिन आज उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है। इस कारण बाल्टी बाबा ने देवरिया जिले की एक जमीन पर कब्जा कर लिया। देवरिया में राम प्रसाद का एक ईट का भट्ठा बाल्टी बाबा ने 200 आदमी लेकर उसकी ईटो को उठवा लिया। जब थाने पर शिकायत हुई तो उसे थाने से भगा दिया गया और थाने वालों ने उससे 200 रुपया भी ले लिया। अब उसको धमकी दी जा रही है। कि जान से मार दिया जायगा सभी जगह वह अपनी सुरक्षा की मांग कर रहा है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से उसका प्रार्थना-पत्र मा0 मुख्य मंत्री जी के पास भेजकर अनुरोध कर रहा हूं कि इसे जांच कराकर क्या उसकी बरखास्त करके जेल में डालेगे ?

मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

चूंकि मैं सदन में अभी आया हूं। इस पर आधे घन्टे की चर्चा थी और प्रश्नोत्तर

हो रहा है। मैं अवगत होना चाहता हूं कि चर्चा चल रही है कि प्रश्नोत्तर हो रहा है तब मैं इस सम्बन्ध में बता सकूंगा कि क्या होना है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, चर्चा हो रही है।

श्री श्रीपति मिश्र —

अगर चर्चा हो रही है तो अब यह समाप्त हो चुकी।

श्री अध्यक्ष—

आधा घन्टे की नियम 49 में चर्चा हो रही है। माननीय श्री हुकम सिंह जी बोल चुके हैं और उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है। माननीय खाद्य मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है। इस पर आधा घन्टा निर्धारित हुआ है।

श्री मोहन सिंह—

नियम, 49 की चर्चा प्रश्नोत्तर के रूप में होती है यह तो उस पीठ के पारंगत हैं, उतरते ही भूल गये। इसका मुझे खेद है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बाल्टी बाबा की समाजिक कार्य कर्त्ता के रूप में क्या उपलब्धि रही है जिसके कारण उनको इतना महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त कर दिया गया।

श्री वासुदेव सिंह—

इस प्रश्न का उत्तर मैंने बड़ी अच्छी प्रकार से दे दिया है आवरणीयता जब किसी दल में मिल जाती है, पैसा हमने नहीं दिया प्रश्न यह है कि हम कैसे माने। मोहन सिंह जी हैं देहलवी जी हैं वह अगर इस ओर चले आवे तो मैं उन्हें मंत्री नहीं बनाऊं। जरूर बनाऊंगा।

(हंसी)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, चर्चा बहुत हो चुकी है। उस दिन भी चर्चा हुई थी और बाल्टी बाबा के राजनैतिक जीवन पर कलंक सावित कर दिया। यह चर्चा चालू हुई थी माननीय मुख्य मंत्री जी के आगमन की प्रतीक्षा में मैं केवल एक सवाल करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी बाल्टी बाबा को बरखास्त करने जा रहे हैं या नहीं, मैं यह साफ आश्वासन चाहता हूं।

श्री श्रीपति मिश्र—

मेरी जो सूचना है, कृपया आप उसको सुन लें।

जगदीश मिश्र ....

श्री मोहन सिंह—उर्फ श्रीपति मिश्र

एक सदस्य— उर्फ मोहन सिंह.. ..

श्री श्रीपति मिश्र —

नहीं, मैं मोहन सिंह जी के साथ कोई उर्फियत नहीं जोड़ना चाहता हूं। श्री जगदीश मिश्र की नियुक्ति की गई चेयरमैन के पद पर। बाल्टी बाबा का नाम यहां पर प्रश्नोत्तर में आया। लेकिन जो उनकी नियुक्ति हुई है वह जगदीश मिश्र के नाम से हुई है। चूंकि बाल्टी बाबा के रूप में कह कर प्रश्न में भेजा गया इसलिये उत्तर में भी जगदीश मिश्र उर्फ बाल्टी बाबा का संदर्भ इसमें आया।

इस सम्बन्ध में जो सूचनायें आयी हैं जिनका उत्तर आपको दिया जा चुका है। उनके ऊपर तीन मुकदमें बताये गए। पहला तो 1970 में इनके ऊपर मुकदमा 420 और 471 का चला था। उस वक्त वे वर्क चार्ज थे। वर्क चार्ज में जो होता है उसकी न तो चरित्र पंजिका होती है क्योंकि वह डेली वेजेज पर कर्मचारी होता है उस समय वह मुकदमा चला था। उसके बाद सन् 74 में उस मुकदमें से वे बरी हो गये छूट गये थे। उमके बाद 107 का मुकदमा उनके खिलाफ कायम हुआ और वह आपसी झगडे के फलस्वरूप हुआ था जिसमें मजिस्ट्रेट के यहां से बरी हो गये थे और उसके पश्चात् वह समाप्त हो गया। तीसरा मुकदमा उनके खिलाफ 145 का सम्पत्ति के सम्बन्ध में चल रहा है। वह जमीन और कुर्की का है। जिसमें उनके पक्ष में निचली अदालत से निर्णय हो गया और सत्र अदालत में पैंडिग है। इस तरह से जो तीन मुकदमें चल रहे थे, उनमें से एक 145 धारा का सम्पत्ति का मुकदमा चल रहा है। बाकी कोई मुकदमा उनके खिलाफ किसी अन्य धारा का शासन की जानकारी में नहीं चल रहा है और कोई मुकदमा उनके खिलाफ नहीं है। अभी आज अब तक विरोध पक्ष से या इस पक्ष से किसी तरह की कोई स्पेसिफिक यह सूचना नहीं आयी है कि उनके ऊपर किसी अदालत में कहीं कोई मुकदमा चल रहा है।

अब जिन सदस्यों ने यह कहा है कि उनके ऊपर फलां-फलां जगह ये-ये मुकदमें चल रहे थे उसकी सूचना यदि वे पहले दिए होते तो उसके सम्बन्ध में जानकारी हासिल कर ली जाती और उसे हम सदन के समक्ष रख देते। जो भी सूचना इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने अभी दी है उसके सम्बन्ध में उसकी पूरी जांच करायी जायेगी और अगर कोई उस मुकदमें मैं भारल टरपीच्यूड इन्वोल्व होना पाया जायेगा तो निश्चित ही उनके खिलाफ कार्यवाही करके उनको अलग किया जायेगा और अगर ऐसी कोई बात नहीं होगी और मात्र 145 के सम्पत्ति के मुकदमें पर अदालत से बरी होने की दशा में उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। वैसे जिसकी नियुक्ति की जाती है यदि उसकी उपयोगिता यह महसूस होती है कि वह ठीक नही है तो शासन ऐसे व्यक्ति को किसी भी समय हटा सकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण के बड़ी निराशा हुई (व्यवधान) इसलिए इसके विरोध में हमारी पार्टी इसका बहिष्कार करती है।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल सहित त्याग कर चले गये।)

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अपना बयान दिया हैं जिससे इस प्रदेश में एक अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को संरक्षण मिलने की संभावना है। मुझको अफसोस है कि उनकी पार्टी के चार विधायकों ने जिसमें श्री सुग्रीव सिंह जी भी हैं ने समाचार पत्रों में सूचनायें दी और वक्तव्य के जरिये से इसे उजागर किया। शासन समाचार पत्रों के जरिये से जो सूचनायें मिलती हैं उसको नहीं लेता है बल्कि जो सदन में सूचना दी जाती है उसी को लेता है। इनकी पार्टी के चार विधायकों ने बताया है कि इनका अपराधिक प्रवृत्ति का इतिहास रहा है गोरखपुर और गजियाबाद के सम्बन्ध में बातें कहीं उसकी कोई इनक्वायरी नहीं कराई गयी।

दूसरी बात यह कि आज प्रतिष्ठा के पद पर पहुंच कर यह अपने विरोधियों के खिलाफ दबाव डाल रहे हैं जो 145 का मुकदमा चल रहा है उसमें पुलिस की मदद से अपने विरोधियों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। यह ठीक है कि 420 और 471 में इनके विरूद्ध मुकदमे मुंसिफ कोर्ट से खारिज हो गये लेकिन उन लोगों ने फिर अपील नहीं की। चूंकि वह कोर्ट का मामला है और कटेम्पट का मामला आ जाता है इसलिए इस विषय को यहां उठाना ठीक नहीं है। इनके पूरे इतिहास की जानकारी थी उसके बाद भी इतने बड़े पद पर मुकरर्र किया और माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोई इस पर अश्वासन नहीं दिया इसलिए इसके विरोध में हमारा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री मोहन सिंह अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार यह समझती है कि बाल्टी बाबा को अगर हटा दिया गया तो सरकार का पतन हो जायेगा इसी खतरे की वजह से नहीं हटा रहे हैं क्या यह सही ?

श्री श्रीपति मिश्र—

मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि एक भी सूचना, एक भी आरोप इस बात का कि यह अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और यह मुकदमा चल रहा है बता दें, ऐसी कोई सूचना नहीं दी गयी है। अगर दिया गया होता तो उसकी जांच होती। आज जो सूचनायें दी गयी हैं उन पर जांच होगी। कोई सूचना कि यह इस जेल में रहे हैं, या कहीं पर मुकदमा चल रहा

है चाहे इधर के सदस्यों की तरफ से या उधर के सदस्यों की तरफ से दी जायेगी तो निश्चित रूप से कार्यवाही होगी। केवल राय व्यक्त कर देने से निर्णय नहीं होगा। कोई तथ्य सामने आयेगा और अदालत से सजा मिली होगी तो कभी भी ऐसे आदमी को नहीं रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष (श्री भीखा लाल के खड़े होने पर)—

मैंने आपको नहीं पुकारा है मैंने श्री फखरे आलम को बुलाया है।

श्री भीखा लाल—

माननीय अध्यक्ष जी यह न जो वक्तव्य दिया है उससे असहमति व्यक्त करते हुए (व्यवधान) ऐसे व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण पद दिया गया है। (व्यवधान) इसके विरोध में हमारा दल सदन का त्याग करता है।

(श्री भीखा लाल अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री श्रीपति मिश्र—

एक भी उदाहरण दे दीजिये।

श्री फखरे आलम—

माननीय मुख्य मंत्री सदस्यों के भाषण सुनने के बाद में समझ रहा था कि वह घोषणा करेंगे कि उसे हटा दिया गया है मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से सिर्फ एक प्रश्न करना चाहता हूं यह बात आपके सामने आयगी है कि उनके उपर 420 का मुकदमा चला और वह उनके मुलजिम रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार—

एक भी उदाहरण दे दीजिये।

[समय 7 बजकर 20 मिनट]

(व्यवधान—घोर व्यवधान)

श्री फखरे आलम—

मैं मुख्य मंत्री जी से यह सवाल करना चाहता हूं कि जब उनके खिलाफ इतने बड़े आरोप रह चुके हैं, तो इसके बावजूद आप उनको हटाने के लिए तैयार नहीं हैं और इधर उधर की बात कर रहे हैं जो इस तरह से साईड टेकिंग कर रहे हैं.. ..

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

यह सदन छोड़ने की धौंस दे रहे हैं।..... (व्यवधान)

श्री वासुदेव सिंह—

जो सदस्यों ने कहा, मैं खाद्य मंत्री हूं उनकी नियुक्ति की गई है। यदि उन्हें खाद्य विभाग के नियमों के विपरीत कार्य करते हुए पाया जएगा, तो उनको निकाला जा सकता हैं तभी, पहले नहीं। (व्यवधान)

श्री फखरे आलम—

इतने बड़े इल्जामात इन पर हैं, आप इसका क्यों प्रस्टीज का प्रश्न बना रहे हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

मैं तो केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं-"बद अच्छा बदनाम बुरा" बाल्टी बाबा के बारे में जो इतनी चर्चा इस सदन में हुई है उनको उनके पद से न हटाना शोभनीय नहीं है। उनको उनके पद से जरूर हटा देना चाहिए था लेकिन सरकार उनको न हटाने के लिए दृढ़ हठ पर डटी है। शासन उन्हें नहीं हटा रहा हैं, इसके विरोध में मैं इस सदन का त्याग करता हूँ। (व्यवधान)

(श्री रामस्वरूप वर्मा सदन त्याग कर चले गये।)

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, जगदीश मिश्र के ऊपर जो तारांकित प्रश्न पूछा गया था, उस पर उस दिन भीखा लाल जी ने यह बातें कहीं थी माननीय मुख्य मंत्री जी से कि क्या यह वही बाल्टी बाबा हैं जिन्होंने श्री बहुगुणा के चुनाव में शराब भेजी उनको हरवाने के लिए तन्त्र करके लड़की भेजी, मुर्गे भेजे।.....

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके इसको न दोहरायें, इसके पहले यह बातें सदन में काफी आ चुकी हैं।

श्री सत्यपाल सिंह—

माननीय मंत्री ने इसके उत्तर में कहा था कि मैं नहीं कह सकता कि यह बात सही ही या गलत है, लेकिन यह वही बाल्टी बाबा हैं, जिनके विषय में यह अखबारों में निकला था तो मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे व्यक्ति को, जो नैतिकता की दृष्टि से इतना गिरा हुआ कार्य करता है, जिसने किया है और जिसको

मंत्री जी ने स्वीकार किया है, जिसके ऊपर मुकदमे चले, जो मारल टारमीट्यूड का मुलजिम हो, उसको हटाने में अब मुख्य मंत्री जी को क्या कठिनाई है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

अखबार में क्या छपता है यह अलग बात है । अखबार में, जिसे अखबार समझता है समाचार है वह उसे छाप देता है और अखबार की खबर को लेकर ही किसी बात की जांच तो की जा सकती है और उस जांच का जो निष्कर्ष निकले, उस पर कार्यवाही की जा सकती है और माननीय सदस्य अवगत होंगे ? (व्यवधान) इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं और अपने ऐडवोकेट सदस्य से निवेदन कर रहा हूं कि वह कोई उदाहरण बता दें कि जब अखबार में छपी किसी खबर को लेकर उसके अधार पर उन्होंने मुकदमे को साबित कर दिया हो, उनको केस में कामयाबी मिल गई हो । . . (व्यवधान) अखबार में जो छपा है, उसको खबर मानकर उसकी जांच-पड़ताल करके, तभी उस पर कोई कार्यवाही की जा सकती है । दूसरी बात, इससे स्पष्ट में कुछ नहीं कह सकता हूं, मैंने यह खुल्लम खुल्ला चुनौती दी है कि कोई भी सदस्य उनके खिलाफ किसी भी ऐसे मुकदमे में जो मारेल टारपीट्यूड हो, जिसमें नैतिकता का प्रश्न उठता हो, कार्यवाही की कोई भी सूचना देंगे तो उस पर कार्यवाही की जाएगी । आज तक ऐसी कोई सूचना मुझे नहीं मिली है ।

श्री अध्यक्ष—

अब इस चर्चा का समय समाप्त हुआ ।

गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा, चन्द्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड तथा उ० प्र० महिला संस्था तथा बाल संस्था के प्रशासनिक बोर्ड में सदस्यों के निर्वाचन कार्य क्रम को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

यह सदन निश्चय करता है कि दिनांक 24 अगस्त, 1982 तथा 25 अगस्त, 1982 को सदन द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों के अनुसार अध्यक्ष महोदय द्वारा—(1) गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा के लिए पांच सदस्यों, (2) चन्द्रशेखर अज़ाद कृषि एव प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड पर कार्य करने के लिए दो सदस्यों और (3) उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था के प्रशासकीय बोर्ड में तीन सदस्यों जिनमें एक महिला सदस्य भी होंगीं, के निर्वाचन हेतु जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है उसे निरस्त करते हुए अध्यक्ष महोदय उक्त निर्वाचनों हेतु कार्यक्रम पुनः निर्धारित करें ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन निश्चय करता है कि दिनांक 24 अगस्त, 1982 तथा 25 अगस्त 1982 को सदन द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों के अनुसार अध्यक्ष महोदय द्वारा (1) गढवाल विश्वविद्यालय की सभा के लिए पांच सदस्यों, (2) चन्द्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड पर कार्य करने के लिए दो सदस्यों और (3) उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था के प्रशासकीय बोर्ड में तीन सदस्यों जिनमें एक महिला सदस्य भी होगी, के निर्वाचन हेतु जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है उसे निरस्त करते हुए अध्यक्ष महोदय उक्त निर्वाचनों हेतु कार्यक्रम पुनः निर्धारित करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कानपुर जनपद के थाना चौबेपुर के ग्राम मनुटला में भीषण वर्षा से क्षति तथा ७० व्यक्तियों की मृत्यु व प्रदेश के विभिन्न भागों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)—

मान्यवर, कुछ गावों के सम्बन्ध में सीमित सूचना है जिसके बारे में मैं वयक्त की तो पूरे प्रदेश की बाढ़ के सम्बन्ध में एक वक्तव्य बाद में दूंगा ।

मा0 सदस्य सर्व श्री रियासत हुसेन, राम गोविन्द चौधरी एवं अकबर हुसेन ने दिनांक 27-8-82 को मा0 सदन को नियम 51 के अन्तर्गत जनपद कानपुर देहात के थाना चौबेपुर के ग्राम मनुटला में एक मकान के गिर जाने से बच्चों और औरतों की मिला कर कुल सात व्यक्तियों की मृत्यु होने और लगभग एक दर्जन व्यक्तियों के जख्मी होने की सूचना दी । इस संबंध में जिलाधिकारी कानपुर देहात से प्राप्त सूचनानुसार उक्त थाना चौबेपुर में मनुटला नामक ग्राम नही है बल्कि एक ग्राम मनोहकला नाम का है । इस ग्राम मनोहकला में परगनाधिकारी, बिल्हौर एवं क्षेत्राधिकारी पुलिस, बिल्हौर को भेज कर जांच कराई गई तो ज्ञात हुआ कि उक्त ग्राम में मकान के गिरने की कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है । अतः किसी की मृत्यु होने अथवा किसी के घायल होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र सजेती में भी एक मकान के गिरने से एक व्यक्ति के मरने तथा एक दर्जन व्यक्तियों के घायल होने की सूचना को भी निराधार पाया गया । बा-

स्तव में इस क्षेत्र सजेती, तहसील घाटमपुर में ग्राम कादर में 25-8-1982 को दो बच्चे नहाते हुए बह गए।

जनपद कानपुर देहात से प्राप्त सूचनानुसार गत सप्ताह में भीषण वर्षा हुई। दिनांक 22-8-82 से 28-8-82 तक जनपद की वर्षा के आंकड़े संलग्न तालिका--1 में दिये गए हैं। अतिवृष्टि से जनपद के लगभग 453 गांव जलभराव से तथा 52 गांव नदियों की बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। गत दो दिनों में वर्षा हलकी होने से स्थिति में सुधार हो रहा है तथा नदियों का जलस्तर भी घट रहा है।

मा0 सदस्यगणों की सूचना में यह भी कहा गया है कि उक्त ग्रामों में लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आये हैं, परन्तु शासन की ओर से इस विषय में कोई राहत नहीं मिली है जिसकी वजह से मकानों के गिरने की संख्या और उनसे आदमियों के मरने, बच्चों के मरने तथा आदमियों के जख्मी होने की सूरत बढ़ती चली जा रही और कानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से भय, असुरक्षा, अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गई है।

प्राप्त सूचनानुसार केवल उन मजरों के निवासियों, जो यमुना नदी तथा सेंगर नदी के किनारे स्थित है, और जो नदी के बाढ़ के पानी से घिर गए थे उन्हें राहत केन्द्रों पर पहुंचा दिया गया है। अन्य कोई भी अपने घर को छोड़कर नहीं गए हैं।

जनपद कानपुर देहात के मकानों, फसलों तथा मनुष्यों अथवा पशुओं को मृत्यु तथा इस संबंध में दी गई सहायता का विवरण संलग्न तालिका--2 में दिया हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि जिला प्रशासन राहत कार्यों के प्रति जागरूक एवं सकिय है। जिन लोगों को राहत केन्द्रों पर ले जाया गया है, उनके वहाँ ठहरने आदि की समुचित व्यवस्था की गई है तथा दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

इस प्रसंग में यह स्पष्ट करना असंगत न होगा कि जनपद कानपुर देहात के अधिकतर क्षेत्रों में समस्या नदियों में बाढ़ आने की न होकर वर्षा के कारण निचले क्षेत्रो में जलभराव की है।

प्राप्त सूचनानुसार जनपद मुख्यालय तथा सभी तहसीलों के मुख्यालयों पर बाढ़ नियंत्रण केन्द्र खोल दिए गए हैं तथा अन्य सभी संबंधित विभागों से निरन्तर सम्पर्क तथा समन्वय रक्खा जा रहा है। बाढ़ केन्द्र (फ्लड सेन्टर) भी पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को भी समुचित निरोधात्मक कार्यवाही (प्रिवेन्टिव मेजरर्स) करने हेतु आदेश दे दिये गये हैं।

(तालिकाओं के लिये देखिये नत्थी (ठ) आगे पृष्ठ 1467 पर।)

राजस्वमंत्री श्री बैजनाथ कुरील

वर्ष 1982 की बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रदेश के कुल 28 जनपदों को क्षति हुई। इनमें 3,526 ग्राम, 19,27,669 जनसंख्या, 4,95,805 हेक्टेयर क्षेत्रफल तथा 3,08,406 हेक्टेयर कृषिगत क्षेत्रफल प्रभावित हुआ। 9,238 मकान क्षतिग्रस्त हुए एवं 39 मनुष्यों तथा 22 पशुओं की क्षति हुई।

प्रदेश में कुल राहत कार्यों के लिए आज तक 3,77,00,000 रुपये का अवंटन जिलों को किया गया है। इसके अतिरिक्त आपदा तकाबी मद से 1,14,00,000/- का वितरण किया गया है।

प्रदेश में कुल 79 मोटर वोटें, 29 मोटर लान्चें तथा 10,000 देशी नावें उपलब्ध हैं जिनमें से 10 मोटर वोटें, 5 मोटर लान्चें तथा 1799 देशी नावें कार्य कर रही हैं।

बाढ़ में जिला प्रशासन की सहायता के लिए बांदा, हमीरपुर, गाजीपुर एवं बरेली में पी0ए0सी0 लगाई गई हैं। सेना की भी सहायता बांदा व हमीरपुर में ली जा रही हैं।

प्रदेश में बाढ़, वर्षा तथा भू-संकलन से हुई क्षति की जिलेवार सूची संलग्न है।

जिन जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक फसलों को क्षति हुई है वहां कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दी गई है अन्य जगहों पर जहां 50 प्रतिशत से कम क्षति हुई है वहां भी वसूली में सख्ती करने की मनाही कर दी गयी है।

(विवरण के मिलए देखिये नत्थी (ड) आगे पृष्ठ 1469 पर)

*श्री रूप राम—

माननीय, यह जो आपने वक्तव्य पढ़ा, इसमें जिला बरेली पांचवें नम्बर पर है और हरदोई 25वें नम्बर पर है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि बरेली और हरदोई के बीच शाहजहांपुर जनपद में जो नदियां गुजरती हैं, उनका पानी कहां से निकलता है? क्या जनपद शाहजहांपुर से यह बाढ़ नहीं आती है?

श्री बैजनाथ कुरील—

मैंने यह नहीं कहा कि नदियों के कारण से बाढ़ नहीं आती है। मैंने यह कहा कि जलभराव से बाढ़ आती है, बाकी नदियों से भी आती है।

श्री मोतीलाल देहलवी—

माननीय, माननीय मंत्री जी ने जो बाढ़ के नुकसान से संबंधित वक्तव्य पढ़ा, उसमें कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है कि बाढ़ से मौतें भी हुई हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी की सरकार की नजर में प्रदेश में बाढ़ से मौतें नहीं हुई हैं? अगर हुई हैं, तो कुल कितनी मौतें हुई हैं?

श्री बैजनाथ कुरील—

मैंने बताया कि 39 मौतें हुई हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राधेश्याम पटेल—

मैं जानना चाहता हूँ कि इलाहाबाद की कौन-2 सी तहसील बाढ़ से प्रभावित है।

श्री बैजनाथ कुरील—

मेरे पास जो सूचना है उसमें किस तहसील में कितने गांव प्रभावित है ऐसा नहीं है किस जिले में कितने गांव प्रभावित हैं यह है।

श्री दलगंजन सिंह—

हम पानी से घिरे हैं पहली बार खड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष —

आप बैठें।

श्री दलगंजन सिंह—

नहीं बैठूंगा।

*श्री सत्यपाल सिंह—

अभी हमारे जनपद के माननीय सदस्य रूपराम जी ने प्रश्न किया उनका प्रश्न अपनी जगह उचित था। मान्यवर बरेली से बेहगुल और रामगंगा नदी गुजरती है। आपने 5वें नम्बर पर नुकसान में रखा है इसके कारण यह हो सकते हैं कि माननीय मंत्री जी वहां से आते हैं। परसों 28 तारीख के 4 बजे से बेहगुल नदी में भीषण बाढ़ आयी है। शाहजहांपुर से बरेली से बीच में 5 जगह सड़क पर पानी भरा है तिसुआ रेलवे स्टेशन की पटरी पर पानी भरा है। शाहजहांपुर में जलालाबाद और तिलहर तहसील के काफी गांव जलमग्न है मैं वहां गया था। छप्पर की ढलान तक पानी है। नावें चल रही हैं जिलाधिकारी और एस0पी0 बड़ी मुश्किल से नाव से थाने के प्रांगण तक पहुँच पाये हैं। इतनी बड़ी बाढ़ 50 सालों से शाहजहांपुर में नहीं आयी थी। इतनी बाढ़ के बावजूद वहां पर उम लोगों के रहने के लिए एक भी रावटी नहीं लगाई गई है। पशुओं के लिए चारा नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है एक भी खाने का पैकेट नहीं दिया गया है क्या माननीय मंत्री जहां पर आपका सम्पर्क टूटा है और जानकारी नहीं मिल पा रही कि कितने व्यक्ति मर चुके हैं। तत्काल रहने हेतु रावटी की व्यवस्था, खाने के लिए भोजन की व्यवस्था और पशुओं के जाने की व्यवस्था . . . .

तथा टूटे हुये संपर्क को जोड़ने के लिये मोटा वोट की व्यवस्था करवाने की कृपा करेंगे। दूसरे मान्यवर, जो बेहगुल नदी में बाढ़ आयी है उसका कारण यह है कि उसमें 4041 क्यूसेक पानी नानक सागर से छोड़ा गया है। अधिकारियों को इसकी जानकारी होगी तो उन्होंने राजनैतिक लोगों को तथा जो नदी के किनारे लोग रहते हैं उनको इसकी सूचना क्यों नहीं दी। क्या बाढ़ पीड़ित लोगों के संबंध में आप पूरी व्यवस्था करवाने की कृपा करेंगे?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, जहां पर इस तरह की गंभीर स्थिति है, वैसे तो पूरे प्रदेश में जिला प्रशासन को एलर्ट कर दिया गया है, युद्ध स्तर पर इसका मुकाबला करने के लिए, लेकिन जहां इस तरह की गंभीर स्थिति है तो जैसा माननीय सदस्य ने बताया उसके लिए तुरन्त नोटिस ली जायगी और तुरन्त यह कार्य कराये जायेंगे जो उन्होंने मेंशन किया है।

*श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, यह जो 28 जिलों की लिस्ट मंत्री जी ने दी है इसमें जालौन जिले का नाम नहीं है। आज सबेरे ही मैंने कार्य स्थगत इसी संबंध में दिया था कि हमारे यहां बाढ़ की स्थिति भयंकर है। कालपी शहर में नावें चल रही हैं। बुन्देलखंड में, बांदा, हमीरपुर, जालौन आदि का संपर्क मुख्य मार्ग से कट चुका है। सन् 78 में बाढ़ आयी थी उस वक्त का तजुर्बा है। हमारे यहां बहुत वर्षा हुयी है ऐसी बात नहीं है। बुंदेलखंड के ऊपर जो नदियां हैं उन पर जो बंधे हैं उनका पानी खोला जाता है जिससे बाढ़ आ जाती है। जैसे बेतवा नदी पर जो बंधे बने हैं, यमुना और चंबल पर जो बंधे बने हैं उनका पानी खोले जाने यह बाढ़ बुंदेलखंड में आयी है। दूसरी बात अगर बंधे खोले गये उनके खोलने की जानकारी जिला प्रशासन ने गांवों को नहीं पहुँचाई। बेतवा और यमुना नदी के किनारे पचासों गांव एसे हैं जो पिछली बार के बाढ़ में ध्वस्त हो गये थे और अब पुनः ध्वस्त हो गये हैं। मंत्री जी की लिस्ट में जब जालौन का नाम नहीं है तो गांवों की बात बहुत दूर की होती है।

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, जालौन जिला हमारी लिस्ट में नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि वहां पर कोई काम नहीं होगा। अगर वह क्षेत्र प्रभावित हुआ है तो वहां जरूर राहत का काम होगा इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री शंकर सिंह—

जब आपके पास वहां बाढ़ आने की सूचना नहीं आयी है तो क्या काम हो रहा होगा इससे आप अंदाजा लगालें।

श्री हरदेव—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि राहत सहायता जो जिलों में पहुंचायी जाती है उसको सचमुच उन लोगों तक पहुँचाया जा रहा है इसके लिये कोई उच्च अधिकारी की व्यवस्था करेंगे ? दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने शासन को गलत रिपोर्ट भेजी है उनको दंडित करने की कार्यवाही करेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

इससे कोई प्रश्न उठता नहीं है। मैं इसकी आज्ञा नहीं देता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री दलगंजन सिंह—

मा0 मंत्री जी यदि अपने लेखपाल से ऊपर उठकर मेरी जानकारी को सही मानते हुए और मा0 शंकर सिंह जी ने जो जनपद जालौन के रहने वाले हैं, जो स्थिति स्पष्ट की है, उसको सही मानते हुए और पंचनदा नदी का नाम शायद मा0 मंत्री जी ने भी अवश्य सुना होगा। जहाँ पर आकर कंजौसा के पास पांच नदियां मिलती हैं। यह कंजौसा क्षेत्र हमारे यहां का ही है, आज वहां की स्थिति बहुत ही भयानक है और यही नहीं कालपी जो जमुना गांव के पास बसा हुआ है जो चारों तरफ से पानी से बुरी तरह घिरा हुआ है, जिसमें जगमनपुर गाँव की स्थिति बहुत नाजुक है। मान्यवर, नवपुरा और कजौसा के आस-पास कोई भी सहायता अब तक नहीं पहुँचायी गयी है। यह गांव बुरी तरह दसियों कि0मी0 दूर तक पानी से घिरे हुए हैं, जहाँ का एक आदमी भी बाहर निकलने के लिये तरस रहा है और उसके निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। जानवरों के लिए चारा नहीं है, आदमियों को टट्टी जाने तक का स्थान नहीं है और मान्यवर, वहां की इतनी भयावह स्थिति होने के बावजूद जो गुस्ताखी वहाँ के जिलाधीश ने कही है उसका कोई मिसाल नहीं कि उन्होंने अभी तक उसकी कोई सूचना शासन को नहीं दी।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें आप तो भाषण कर रहे हैं।

श्री दलगंजन सिंह—

मान्यवर, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है वहाँ की स्थिति को बताने की। मा0 मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि हमने जो उन्हें जानकारी दी है, उस जानकारी के संबंध में जिलाधिकारी से तुरन्त आख्या मंगाकर वहां पर रहत कार्य के लिए निर्देश जारी करेंगे? और वहाँ की वसूली को माफ करने की कृपा करेंगे?

श्री बैजनाथ कुरील—

यह स्वाभाविक है कि जहां पर 5-5 नदियां होंगी वहां की स्थिति कितनी गम्भीर होगी, जैसा कि मा0 सदस्य ने वहां के जिलाधीश से जानकारी के लिए कहा है, मैं इसके लिए वहां के जिलाधिकारी को निर्देशित कर दूंगा और जो भी राहत कार्य के लिए वह संस्तुति करेंगे, अवश्य की जायेगी।

*श्री कुंवर बहादुर मिश्र—

मान्यवर, जिस जगह पर जमुना- बेतवा, चन्द्रावल, धसान, केन, बरमा और उर्मल नदियां बहती हों, वहां पर यह सूचना दी जाए कि बाढ़ से केवल वहां पर 69 गांव ही प्रभावित हुए हैं।। क्या माननीय मंत्री जी यह सूचना देने की कृपा करेंगे कि यह सूचना जो सही प्रतीत नहीं होती, उसको सही कराने की कृपा करेंगे दूसरी बात वहाँ पर बाढ़ से पीड़ित लोगों को जब सहायता पहुँचाने की बात की जाती है तो वहां के अधिकारी गण कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो क्या मा0 मंत्री जी वहां की स्थिति की जान-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कारी कराकर शीघ्र ही कोई आर्थिक सहायता पहुँचाए जाने की व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि इनके जिले से संबंधित जो सूचना है और इससे संबंधित जो आंकड़े दिये गये हैं, वह सही नही हैं।

श्री बैजनाथ कुरील—

आंकड़े अगर सही नहीं हैं, तो यह तो बदलते रहते हैं, इनको ठीक किया जायगा, इससे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। जहां तक आंकड़ों की स्थिति है 1·70 करोड़ की सहायता भेजी, 5·50 करोड़ रु0 गृह अनुदान एवं 65 लाख रु0 की विशेष सहायता भेजी गयी है।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

जो यह आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं, इसकी सच्चाई की गहराई में तो जाने की आवश्यकता है। मैं केवल एक ही सत्य कहता हूं कि यदि आपके अधिकारियों ने इस प्रकार की जानकारी दी तो यह बाढ़ क्षेत्र के अधिकारी हैं, ये सम्पूर्ण शासन को एक बूंद पानी में डुबो देंगे। ये आंकड़े जो अधिकारियों द्वारा भेजे गये हैं, वह सही बाढ़ की स्थिति को प्रदर्शित नहीं करते है, इसलिये मैं इनको "फर्जी" कह रहा हूं। बाढ़ क्षेत्रों में जो भी सहा- प्रदान कर रहे हैं शासन की ओर से क्या उसमें विद्यार्थियों की फीस की सहायता दी गयी है ? बाढ़ से जो गांव उजड़ गये हैं, उनको बसाने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ? जो आज बाढ़ के कारण हजारों की संख्या में, जो आपके रिकार्ड में नहीं हैं, कच्चे मकान गिर गये हैं, उनको पुनः बसाने के लिये जिलाधिकारियों को कितना धन आबंटित किया गया है ? और कितनी राशि इनको देने वाले हैं ? और जिनकी इस बाढ़ से मृत्यु हो गयी है .. ..

श्री अध्यक्ष—

आप एक साथ 4–4 सवाल कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, यह आखिरी है।

जिनकी मृत्यु हो गयी है और वह आपके शासन की अक्षमता से हुई है, समय से आपके अधिकारियों ने सूचना नहीं दी, बंधा खोल दिया गया, ऐसे अधिकारियों के दोष के कारण जो मृत्यु हुई हैं चाहे वह मनुष्यों की हों या पशुओं की हों, उनको अनुदान के रूप में आप क्या दे रहे हैं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बैजनाथ कुरील--

मैं मा0 सदस्य के आखिरी प्रश्न से शुरू करता हूं। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों की मृत्यु हो गयी है, उनको क्या कोई अनुदान वगैरह दिया जायगा। शासन के यह आदेश हैं कि जिस परिवार का कोई व्यक्ति इन दैवी आपदाओं के कारण मर गया हो, उस परिवार को 1000/ रु0 दिया जायगा और जहां जहां ऐसी बात हुई है, दिया जा रहा है।

जो आपने कहा कि पूरे प्रदेश में कोई धन भेजा गया है, तो वह 5 करोड़ रु0 के लगभग भेजा गया है, तकाबी सहित।

जो आंकड़ों की बात कही है.....

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, साफ/उत्तर नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री बैजनाथ कुरील--

जहां तक आंकड़ों की बात है, ये आंकड़े जिलों से आये हैं। अब ये जो ऐसी स्थिति है बाढ़ की, हो सकता है कि कुछ गांव उनकी नोटिस में न आये हों, मैं इसको स्वीकार करता हूं। आंकड़े शतप्रतिशत पूर्ण नहीं हो सकते क्योंकि रोज स्थिति बदलती रहती है। हो सकता है कि अधिकारी इण्टीरियर में न जा पाये हों और दूसरों से जानकारी ली हो, आंकड़े गलत भी हो सकते हैं।

*धनीराम वर्मा--

मान्यवर, इस तालिका में इटावा जनपद का नाम दिया हुआ है और लिखा है कि इसमें केवल 40 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और एक हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित नहीं है और कृषि को कोई नुकसान नहीं हुआ है और न कोई मकान ही गिरा है।

मान्यवर, मेरी निजी जानकारी है कि इटावा जनपद के गांव कम से कम एक हजार ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हैं क्योंकि इटावा जनपद को 9 नदियां घेरे हुए हैं और इटावा जनपद की 10 हजार हेक्टेयर भूमि की खड़ी फसल पूर्ण रूप से क्षति ग्रस्त हो गयी है। मैं केवल चार गांव के नाम ले रहा हूं और माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी तहसील जूना, आशा का पुरवा औरेया तथा मुखड़ा में मंत्री जी जो वहां कांग्रेस (आई0) के विधायक हैं, उनको वहां भेज कर दिखवा लें कि जो मैं कह रहा हूं वह सत्य है कि नहीं ? यदि मेरा कहना गलत हो तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। यह जो आंकड़े दिए हुए हैं, इन आंकड़ों की सत्यता की जानकारी वे उन्हें वह भेज कर करा लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, अभी जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि कांग्रेस (आई०) के विधायकों को वहां भेज कर दिखा लें तो उन्होंने जो कहा है मैं उसी को सत्य मानता हूं। मेरे पास जो आंकड़े हैं उसमें कितनी फसल नष्ट हो गयी, उसकी जिक्र नहीं है परन्तु इसमें कोई चिन्ता की बात नहीं है, उसका ब्यौरा आ जायेगा।

*श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मुझे लग रहा है कि माननीय राजस्व मंत्री जी के पास जो आंकड़े हैं वह तीन दिन पहिले के हैं। आज प्रदेश में जो स्थिति है और शासन जिस तरह से उसे ले रहा है उससे मुझे नहीं लगता कि यह जनता को कोई तत्काल राहत दे पायेगा। इलाहाबाद में 9 तहसीलें हैं जिसमें से आज 8 तहसीलों में बाढ़ आई हुई है मिजकिछन के इलाके में 3 आदमियों की जानें गयी हैं। टिकरु में जो कि एक गांव है उसमें एक बारह वर्ष की लड़की डूब गयी और मर गयी। मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी कि जो अनुदान आप बांट रहे हैं वह प्रति व्यक्ति 20–20 रुपया भी नही आ रहा है। कम से कम उसे आप 500 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति परिवार जिनके गांव बाढ़ से डूब गये हैं और जिनके मकान गिर गये हैं, उनको देने का कष्ट करें।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, जहाँ बाढ़ आयी हुई है वहां राहत कार्य तत्काल ढिलाने की व्यवस्था करेंगे। जहाँ जहाँ बाढ़ का पानी घुस गया है वहां पर दवाई बंटवाने की व्यवस्था करेंगे जिससे कि महामारी फैलने की जो आशंका है, वह समाप्त हो जाय।

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, अभी जो माननीय सदस्य ने कहा है गृह अनुदान के बारे में तो वह अभ शुरू नहीं हुआ है क्योंकि कुछ पैसा तो गया है किन्तु अभी सर्वेक्षण नहीं हुआ है। किन्तु सर्वेक्षण के बाद जब मकानों के गिरने की सूचना ठीक प्रकार से आ जायेगी तो गृह अनुदान दिया जायेगा। लेकिन जो राहत कार्य के बारे में बात कही है तो जो गांव बाढ़ से प्रभावित हैं वहाँ राहत कार्य के लिये प्रबन्ध किया गया है और यह आदेश दे दिये गये हैं कि यह कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो। साथ ही जिलाधिकारियों को भी आदेश दिये गए हैं कि जहां भी इस काम में ढिलाई पायें तो उनके विरुद्ध दण्डित करने की कार्यवाही जरूर की जाएगी।

*श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या यह सही है कि पहाड़ों में जो क्षतिग्रस्त मकान हो जाते थे अतिवृष्टि की वजह से, पहले करीब 1 हजार रुपये सहायता के रूप में मिलता था, जिसे घटा कर अब 200 रुपया कर दिया गया है, तो क्या माननीय मंत्री जी वहां की स्थिति को देखते हुए कि वहां पक्के मकान होते हैं, पहले की भांति 200 रुपए की बजाय 1000 रुपए करने की कृपा करेंगे?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बैजनाथ कुरील—

माननीय, यह गृह अनुदान का प्रश्न है, पक्के मकान होते हैं, कच्चे मकान होते हैं, इस पर मंत्रिपरिषद् कोई निर्णय लेगा। मैं यहां इस बारे में कोई घोषणा नहीं कर सकता हूँ।

*श्री जयदीप सिंह—

माननीय, मैं आज ही अपने क्षेत्र से आया हूं। आज वहां जो बाढ़ की स्थिति है, महमदगंज, पीपरिया, मंडनपुर आदि आदि गांव जो रामगंगा के किनारे हैं, वहां टापू सा बन गया है, वहां न तो कोई राहत कार्य हो रहा है और न वहां नावें ही हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बतलाया है कि 79 मोटर बोटों में से 10 मोटरबोटें, और 29 मोटर लांच में से 5 मोटर लांचेज काम कर रही हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये जो तमाम बाकी मोटर बोट्स काम नहीं कर रहे हैं इसका क्या कारण है और क्या इन बाकी मोटर बोटों को राहत कार्य के लिए 24 घंटे के भीतर मरम्मत करा कर वहां भेजने की सुनिश्चित कार्यवाही करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जो साधन उपलब्ध हैं वे तमाम वहां भेज दिए गये हैं अगर वहां कोई साधन नहीं है तो जरूर भेज दिए जायेंगे, ऐसा आदेश है।

*श्री अकबाल हुसैन—

माननीय, मैं कल ही जिलाधिकारी गोंडा से मिला था, उन्होंने कहा कि जिले में कोई आवंटन नहीं मिला है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 3 करोड़ 77 लाख रुपए का आवंटन हुआ है, तो माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह आवंटन तमाम कुल राहत कार्य सूखा ग्रस्त और बाढ़ ग्रस्त के लिए हुआ है और इनमें से गोंडा के लिए कितना रुपया और कब आवंटन हुआ है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

पूरे गोंडा जिले को 7 लाख 90 हजार अहेतुक सहायता के लिए और ढाई लाख रुपया तकावी के लिए भेजा जा चुका है।

*श्री माताप्रसाद पांडेय—

बाढ़ आने पर दो प्रकार के लोगों को सहायता दी जाती है। एक तो बाढ़ आने पर गांव के घिर जाने पर, और दूसरा क्षतिग्रस्त के रूप में।..

माननीय, पिछले वर्ष जब भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी बस्ती जिले में गये थे तो हम लोगों ने उनसे मांग की थी जो गांव के चारों तरफ से घिर जाते हैं उनमें छोटे और बड़े

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काश्तकार का भेद न करके सबको समान रूप से अहेतुक सहायता दिलायें। उन्होंने हमारी बात मान ली थी और आदेश भी जारी कर दिये थे और हमारे यहां सबको समान रूप से सहायता दी गई। तो क्या उसी प्रक्रिया के अनुसार इस बार भी बाढ़ से घिरे सभी गांवों के लोगों को सहायता देने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, हमारे लिये तो सब बराबर हैं, जो भी प्रभावित हैं, सबको मिलेगा।

*श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने जो सूची बाढ़ग्रस्त जिलों की पेश की है उसमें टिहरी जिले का कहीं नाम नहीं है। टिहरी जिले में बडियारगढ़ की जमीन बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है और बहुत से पशु मर गए हैं। दानकोट और किमाणा में एक किलोमीटर ऊंचाई और 2 किलोमीटर लम्बाई में भूरक्षण हो रहा है। बाढ़ भी खत्म हो जाएगी लेकिन उसके बाद वहां मलवा गिरना शुरू हो जाता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार से हमने यह फैसला करवाया था कि पहाड़ में कोई मकान क्षतिग्रस्त होता है तो उसके बदले में आप 1000 रुपया देंगे। अब आप कहते हैं कि कैबिनेट इसके ऊपर फैसला करेगी। तो क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार द्वारा लिये गये निर्णय आपको मान्य नहीं हैं ? अगर मान्य हैं तो क्या आप यह 1000 रुपये की राशि प्रभावित लोगों को देंगे ? जानवरों का जो नुकसान हुआ है उसके लिये भी सहायता देंगे ? दानकोट और किमाणा में एक किलोमीटर ऊंचाई और दो किलोमीटर लम्बाई में जो भूक्षरण हो रहा है उसको रोकने के लिये क्या सरकार कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है कि वहां भूक्षरण हो रहा है और जमीन धंस रही है उसको हम दिखवायेंगे और उसकी व्यवस्था करेंगे। उन्होंने गृह अनुदादन के लिए कहा कि क्या हम पहले वाले आदेशों को नहीं मानते ? तो पहले वाले आदेशों में संशोधन हो गया है, अगर हम उसको बढ़ायेंगे तो फिर से वह मंत्री-परिषद के सामने जाएगा। यह बात मैंने कही है।

श्री भगबती सिंह बिशारद—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि गंगा नदी में जब पानी बढ़ता है तो उसकी सूचना नरौरा से सचिवालय भेजी जाती है और सचिवालय से फिर संबंधित जिलों को भेजी जाती हैं ? क्या वे इस पद्धति में परिवर्तन करके नरौरा से सीधे संबंधित जिलों को सूचना भिजवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

यह ऐसा सुझाव है जिसके ऊपर जरूर गौर किया जाएगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम कुमार भार्गव—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के विद्यार्थी हैं, क्या उनकी पूरी फीस माफ करने के आदेश आपने दिये हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मैंने शिक्षा मंत्री जी को इस संबंध में लिख दिया है। पहले भी जब दैवी आपदायें आती रही हैं तो लिखा जाता रहा है और वह करते रहे हैं मैं यह मानकर चलता हूं कि जरूर फीस माफ होगी।

श्री अध्यक्ष—

अब इसमें काफी प्रश्न हो गए हैं। इसके बाद भी यदि किसी को शिकायत हो या अपने-अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहते हों तो वे कृपा करके मंत्री जी को लिखकर भेज दें।

उत्तर प्रदेश खादी ग्रमोद्योग बोर्ड (संसोधन, विधयेक) १९८२

सचिव, विधान सभा—

मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1982, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

सदन के अनिश्चित काल के स्थगन का प्रस्ताव

संसदीप कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन सायंकाल 8 बजकर 10 मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
30 अगस्त
1982

सत्य प्रिय सिंह
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0 एस0 यू0 पी0—एल0 272 वि0 सभा (467)—1979—1,000।

नत्थी "क"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या—10 के उत्तर पीछे पृष्ठ 1246 पर)

44 आरोपों का विवरण

1—जनपद देवरिया में जिला कृषि अधिकारी, देवरिया के पद के कार्यकाल में अनुचित तरीकों से लाखों रुपया अर्जित करना तथा गुप्तचर विभाग की जांच को अपने पक्ष में कराने की चर्चा।

2—उप कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण) शारदा सहायक, मिर्जापुर तथा वाराणसी के कार्यकाल में लाखों रुपये का घोटाला करना जिसकी गुप्तचर विभाग से जांच कराने की मांग।

3—छटनी शुदा कर्मचारियों (तकावी अमीन एवं चपरासी) को नियुक्त न करके सीधी भर्ती से नियुक्तियां करके अनुचित धन कमाना।

4—उप कृषि निदेशक, गोरखपुर के 14 वर्ष पुराने भवन जिसका किराया रु0 475/- प्रतिमाह था, को न्यायालय के शासन के पक्ष में निर्णय होने के उपरान्त भी छोड़कर रु0 3000/- प्रतिमाह की दर पर नया भवन लेकर अनुचित धन कमाना।

5—श्री रामदेव सिंह, सहायक कृषि निरीक्षक को गृहजनपद गोरखपुर में दलाली करने हेतु अपने कार्यालय से सम्बद्ध करना। इनके विरुद्ध चल रही जांच में पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाना।

6—श्री फतह बहादुर सिंह, सहायक कृषि निरीक्षक, बस्ती द्वारा रुपया 80,000/- का घोटाला किया जाना। मामले की जांच में अनुचित धन कमाकर आरोपों से मुक्त करना।

7— उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करके अनुचित धन कमाने के प्रयोजन से ज्येष्ठ लिपिकों की पदोन्नति सहायक लेखाकार के पद पर अनियमित रूप से करना।

8—श्री अवधेश नाथ त्रिपाठी, सहायक कृषि निरीक्षक, बरहटा से श्री भगौती सिंह गोडाऊन मैन तथा श्री अमरदेव सिंह अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी, महाराजगंज से साठ गांठ करके शासकीय धन का गबन कराना तथा गबन प्रकाश में आने पर श्री भगौती सिंह को बचाने हेतु उनका स्थानान्तरण करना।

9—गोरखपुर एवं बस्ती जनपदों का निर्माण कार्य लगभग पांच लाख रुपये के अपने स्तर से टेन्डर काल करके कार्य कराना तथा अनुचित धन कमाना।

10 श्री ईश्वर शरन लाल श्रीवास्तव, लेखाकार तथा श्री अब्दुल रसीद अंसारी, वरिष्ठ लिपिक की यात्रायें निरस्त करना तथा बाद में पुनः अनुचित धन लेकर पूर्व में पारित आदेश को निरस्त करना। इसी प्रकार दो लेखाकारों के काउन्टरों का चार्ज बदलने के आदेश प्रसारित करना जिनहें पुनः अनुचित लाभ प्राप्त करके निरस्त कर देना।

11 —श्री अनुग्रह नारायण सिंह, सहायक कृषि निरीक्षक जिन्होंने पुर्व में लाखों का गोलमाल किया था, से अनुचित धन लेकर बीज भण्डार पर बने रहने की अनुमति देना।

12—चपरासियों को अपने रिश्तेदार अतिरिक्त जज के यहां तैनात करना तथा चपरासियों की कमी पूरी करने हेतु एक कामदार को सम्बद्ध करना।

13—श्री विन्ध्याचल प्रसाद मौर्य वर्ग-2 को कृषि निदेशक, उ0प्र0 द्वारा पदोन्नति किये जाने के बावजूद अनुचित धन न प्राप्त होने पर रिवर्ट करना।

14—26,000 बोरों की डिलीवरी में से 400 बोरा का गोलमाल कराना।

15—बनारस से प्राप्त डी0ए0पी0 खाद में मिलावट कराना। शिकायत छपने पर स्टाक को सील करके दायित्यों का निर्वाह न कर मिलावट में सहयोग देना और धन कमाना।

16—श्री लौहर सिंह, सहायक लेखाकार की शिकायती जांच में उन्हें दोष मुक्त करना क्योंकि श्री शहजाद सिंह श्री लौहर सिंह के ससुर हैं।

17—श्री यशवन्त कुमार सिंह, सहायक कृषि निरीक्षक जनपद आजमगढ़ द्वारा लगभग 10,000/- रुपये गबन की वसूली को स्थगित करना।

18 राजकीय कृषि विद्यालय, चिरगांव पर कृषि डिप्लोमा में भरती में कम नम्बर पाने वाले विद्यार्थियों का चयन धन कमाने के लिये करना।

19 पूरे मण्डल के बीजों के स्टाक को अपने स्तर से मंगा कर परिवहन बिलों का भुगतान करना। राजस्थान से ढुलाये गये चने के स्टाक पर लगभग 42,000/- के अधिक बिलों का भुगतान करना।

20—बनारस में ढुलाई गई यूरिया के ढुलाई का भुगतान बनारस की दर पर करने की स्वीकृति देकर अधिकार का दुरुपयोग।

21—श्री रविप्रताप मिश्रा, कनिष्ठ लिपिक देवरिया को मण्डलीय कार्यालय में अनुचित सांठ-गांठ करके उर्वरक की सर्वे रिपोर्ट का कार्य दिया जाना।

22—श्री महेश नारायन दूबे सहायक विकास अधिकारी (कृषि) मेहदावल बस्ती को निलम्बित करके पुनः निलम्बन आदेश अनुचित लाभ प्राप्त कर निरस्त करना।

23—श्री जे0पी0 गुप्ता, सहायक लेखाकार जनपद देवरिया को उनसे आंशिक लाभ प्राप्त कर पूर्व में स्थानान्तरण आदेशों को निरस्त/स्थागित करके पुनः देवरिया जनपद में ही नियुक्त करना।

24—सरकारी जीप का दुरुपयोग।

25—चौधरी रणवीर सिंह बाढ़ आयुक्त के सदस्य को बस्ती में रिसीव करना लेकिन जीप की लागबुक में अन्य स्थानों का दौरा दिखाना।

26 जनपद बस्ती में लगभग रु0 50,000/- के उर्वरकों की नये दरों पर बिक्री करना एवं पुरानी दरों पर लेखा बन्द करने की शिकायत की जांच में क्षति पर परदा डालकर दोषमुक्त करना। साथ ही साथ सदर बीज भण्डार, बस्ती के सील गोदाम को सील तोड़कर खोल देना।

27—जनपद देवरिया के कैशियर को जिला कृषि अधिकारी द्वारा कैश काउन्टर से हटाने पर कैशियर को उनसे सांठ-गांठ करके कैशियर के पद पर बने रहने हेतु जिला कृषि अधिकारी को बाध्य करना। जनपद देवरिया के दो सहायक लेखाकारों को कार्यों का बंटवारा अपने स्तर से करना।

28—जनपद बस्ती में बिना स्वीकृत पदों के 6 अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी के स्थान पर 7 की नियुक्ति करना।

29 वर्ग-3 के सदस्यों का स्थानान्तरण करने के उपरान्त प्रभारियों से अनुचित धन लेकर स्थानान्तरण आदेश स्थगित करना।

30—श्री एनुद्दीन अन्सारी, प्रभारी खलीलाबाद को अनुचित सांठ-गांठ करके दोषमुक्त करना।

31—श्री रामगोपाल चौधरी, सहायक कृषि निरीक्षक, देवरिया से सांठ-गांठ करके अनुचित धन पाकर दोषमुक्त करना।

32—लिपिको को निलम्बित करने के उपरान्त उनसे लाभ पाने के उपरान्त आदेश निरस्त करना। धन न प्राप्त होने पर आदेश तामील करा देना।

33—श्री अब्दुल अहद, कनिष्ठ लिपिक, देवरिया को व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा न होने के कारण स्थानान्तरण कर देना।

34—श्री परामात्मा शरण, उपाध्याय, सहायक कृषि निरीक्षक, सेवरही का स्थानान्तरण आदेश अनुचित लाभ लेकर स्थगित करना।

35—सहायक कृषि निरीक्षक, लक्ष्मीगंज जनपद देवरिया को अनुचित संरक्षण देते हुए बीज भण्डार पर बनाये रखना।

36—असंसदीय भाषा का प्रयोग करना।

37—आशुलिपिक के माध्यम से कार्य कराना ताकि कोई रुकावट न हो।

38—किराये पर मकान न लेना और मकान किराये का फर्जी भुगतान प्राप्त करना कार्यालय भवन के स्वामी द्वारा इन्हें बिना किराये का आवास उपलब्ध कराना।

39—जिला कृषि अधिकारी, देवरिया के कार्यकाल में रु0,8000/—की चोरी की वसूली कार्यवाही की मांग। लाखो रुपये की फर्जी "ट्रान्जिट लासेस" के मामलों में राइट आफ करने की संस्तुति देना।

40—बस्ती में बीज विधान हेतु प्रतिदिन की मजदूरी में वृद्धि करना।

41—बीज विधासन के सम्बन्ध में परियोजना अधिकारी द्वारा स्वीकृत दरों से अधिक दरों की स्वीकृति देना।

42 अपने मकान बनवाने की सूचना उच्च अधिकारियों को न देकर राज्य कर्मचारी आचार संहिता का उल्लंघन करना।

43—प्रक्षेत्रों पर अनुचित लाभ लेकर अपने स्तर से नियुक्तियां करना।

44—श्री शुन्ना, हलवाहा को अपने घर खेती के कार्य हेतु भेजना।

नत्थी "ख"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या— 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1215 पर ।)

बलवन्त विद्यापीठ रूरल इन्स्टीट्यूट, विचपुरी (आगरा) के वर्ष 1979-80 से 80—81 के आंशिक विभागीय आडिट में पायी गयी मुख्य-मुख्य आपत्तियों का संक्षिप्त विवरण

1—प्रभूति से वर्ष 1979—80 के अनुरक्षण कोष को रोकड़ बही में कोई आय जमा नहीं पायी गयी ।

2—वर्ष 1979—80 एवं 80—81 में विकास कोष से कुल मिलाकर रु0 48,000—00 वेतन वितरण के लिए ऋण दिया गया था और रु0 504—00 ऐसे मदों पर व्योहरित किया गया था जो इस कोष से संबंधित नहीं थे । इस प्रकार विकास कोष की आय से प्रबन्धतंत्र ने अपने उत्तरदायित्व की परिपूर्ति की है जिसकी वापिसी अपेक्षित है ।

3—वर्ष 1979—80 में अनुरक्षण कोष से रु0 4,656—50 जीप का किराया भुगतान किया गया । यह जीप महाविद्यालय की सम्पत्ति है और इसका प्रयोग प्राचार्य की यात्राओं के लिए किया गया था इसलिए इसका किराया महाविद्यालय को नियमित आय से भुगतान करके अनुरक्षण कोष का दुरुपयोग किया गया है ।

4—वर्ष 1979—80 में अनुरक्षण कोष से कुल मिलाकर रु0, 2,132—00 मुकदमें पर व्यय किया गया जो अनुरक्षण कोष की आय का दुरुपयोग है ।

5—वर्ष 1979—80 तथा 80—81 में क्रीड़ा कोष से रु0 480—00 श्री जी0 सी0 तोमर, कम्पाउन्डर को भत्ता भुगतान किया गया जबकि श्री तोमर महाविद्यालय के वैतनिक एवं पूर्ण कालिके कर्मचारी है और क्रीड़ा कोष का कार्य करने हेतु उन्हें किसी प्रकार कार्मत्ता नहीं दिया जाना चाहिए ।

6—वर्ष 1979—80 से 80—81 तक चिकित्सा निधि के अभिलेखों में रु0 3, 334—22 पैसे की दवायें क्रय की गयी अंकित थी किन्तु इनके क्रय तथा उपभोग से संबंधित कोई पत्रजात आडित में प्रस्तुत नहीं किए गये जिनके अभाव में प्रसंगिक व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है ।

7—अगरा विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण एवं छात्र परिषद शीर्षकों के अंतर्गत कमशः रु0 1/- तथा 1/- प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से शुल्क निर्धारित है किन्तु महाविद्यालय द्वारा इसके प्रतिकूल रु0 2/-तथा 2/ की दर से शुल्क वसूल किया गया था जो अनियमित है ।

8—वर्स 1979—80 एवं 80—81 में छात्रों को निर्धारित सीमा से अधिक संख्या में शुल्क मुक्ति स्वीकृत किए जाने के कारण कुल मिलाकर रु0 1,938—00 के शुल्काय की क्षति विद्यालय को हुई जिसकी क्षतिपूर्ति उत्तरदायी अधिकारी से अपेक्षित है ।

नत्थी "ग"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या—23 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1270 पर)

संख्या 9/1747/पन्द्रह—2007(8)—1972

प्रेषक,

श्री प्रभा कान्त शुक्ल,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश सरकार।

सेवा में

अतिरिक्त शिक्षा निदेशक,

उत्तर प्रदेश,

इलाहाबाद।

लखनऊ 226001, दिनांक अप्रैल 28, 1973

विषय –अक्तूबर 1, 1964 के पूर्व सेवा निवृत्त राज सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुग्रह पेन्शन।

महोदय,

आपके अर्द्ध शासकीय पत्रांक अर्थ–10540/10-19-72-73, दिनांक सितम्बर, 8, 1972 पर अवलम्बित पत्र-व्यवहार के सन्दर्व में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजाज्ञा संख्या ए-5355/15-3-133-1962, दिनांक दिसम्बर 17, 1965 के साथ प्रसारित लाभत्रयी योजना के अधीन राज सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के उन अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को पेन्शन देने की व्यवस्था है जो सितम्बर 30, 1964 के पश्चात् सेवा निवृत्त हुये हैं अथवा होगें। अब शासन ने यह निर्णय लिया है कि उक्त संस्थाओं के अक्तूबर 1, 1964 के पूर्व सेवा निवृत्त जीवित अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को भी कुछ अनुग्रह पेन्शन स्वीकृत कर दी जाय ताकि उनके आर्थिक संकट का कुछ सीमा तक निवारण हो सके। अतः राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा यह आदेश देते हैं कि राज सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के अक्तूबर 1, 1964 के पूर्व सेवा निवृत्त उसी श्रेणी के जीवित अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को, जो लाभत्रयी योजना के अन्तर्गत पेन्शन हेतु अर्ह हैं, उनके अन्तिम आहरित वेतन के 1/5 भाग के बराबर मासिक अनुग्रह पेन्शन इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाय कि पेन्शन की धनरशि किसी भी दशा में उस अधिकतम सीमा से अधिक न हो जो उनके समकक्षीय अध्यापकों अथवा अन्य कर्मचारियों के लिये लाभत्रयी योजना के परिशिष्ट 'क' में निर्धारित है। अध्यापकों के अन्तर्गत विद्यालयों के प्रधानाध्यापक अथवा प्रधानाचार्य भी सम्मिलित हैं।

2—इस योजना के अधीन पेन्शन नवम्बर 1, 1972 से देय होगी।

3—यह योजना निम्नलिखित श्रेणियों की उन राज सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में काम करने वाले स्थायी कर्मचारियों पर लागू होगी जो किसी स्थानीय निकाय या गैर-सरकारी प्रबन्धकों द्वारा चलायी जाती हों और अनुरक्षण अनुदान के भुगतान के प्रयोजनों के लिये किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस रूप में मान्य हो :—

(1) प्राइमरी स्कूल,

(2) जूनियर हाई स्कूल,

(3) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (हायर सेकेन्डरी स्कूल),

(4) डिग्री कालेज,

(5) ट्रेनिंग कालेज।

4—पेन्शन स्वीकृत करने के लिये इस बात का सत्यापन आवश्यक होगा कि सम्बन्धित अध्यापक/कर्मचारी का अन्तिम आहरित वेतन क्या था और वह अनुच्छेद 3 की अपेक्षाओं की पूर्ति करता है। यह सत्यापन स्थानीय निकायों द्वारा संचालित संस्थाओं के अध्यापकों/कर्मचारियों के लिये स्थिति के अनुसार उप विद्यालय निरीक्षक/शिक्षा अधीक्षक/शिक्षा से सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी तथा अन्य संस्थाओं के लिये उनके वर्तमान प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

5—विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की पेन्शन उचित रूप में प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर निम्नलिखित प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

(1) डिग्री कालेजों के अध्यपकों/ कर्मचारियों के लिये शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा),

(2) उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा एल0 टी0 प्रशिक्षण महा विद्यालयों के अध्यापकों/कर्मचारियों के लिये शिक्षा निदेश (माध्यमिक) की ओर से उस जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक जहां से अध्यापक/कर्मचारी ने अवकाश ग्रहण किया था।

(3) प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों/कर्मचारियों के लिये शिक्षा निदेशक (बेसिक) की ओर से उस जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जहां से अध्यापक/कर्मचारी ने अवकाश ग्रहण किया था।

6—मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि इस योजना के अधीन देय पेन्शन की धनराशि पेन्शन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारियों द्वारा अनुदान देयकों पर सम्बन्धित राजकोष से आहरित की जायेगी और सम्बन्धित अध्यापकों/कर्मचारियों को त्रैमासिक किस्तों में अप्रैल, जुलाई, अक्तूबर तथा जनवरी मास में उनकी सुविधा नुसार बैंक ड्राफ्ट अथवा मनी-आर्डर द्वारा अथवा नगद भुगतान की जायगी/मनी-आर्डर की स्थिति में डाक व्यय की धनराशि देय पेन्शन से काट ली जायगी। पेन्शन भोगी को वर्ष में एक बार अपने को पेन्शन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के समक्ष अपनी प्रत्यक्ष जाँच के लिये उपस्थित होना पड़ेगा अथवा अपने जीवित होने के प्रमाण-पत्र किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से सत्यापित कराकर प्रेषित करना होगा। स्वीकृति देने वाले प्राधिकारियों को पेन्शन स्वीकृत करने में पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिये तथा उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि अन्तिम रूप से पेन्शन स्वीकृत करने के पूर्व सभी सम्बन्धित पत्रजात की जांच समुचित रूप से कर ली गई है।

7—पेन्शन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी स्वीकृत तथा भुगतान की गई पेन्शन का पूर्ण अभिलेख रखेंगे जो अंकेक्षणीय होगा।

8—चूंकि चालू वित्तीय वर्ष (1973-74) के आय-व्ययक में इस निमित्त कोई प्राविधान नहीं है तथा व्यय अपरिहार्य है और इसे स्थगित करना सम्भव नहीं है अतः

राज्यपाल महोदय राज्य आकस्मिकता निधि से 10,000 रु० का अग्रिम लिये जाने की स्वीकृति भी प्रदान करते हैं।

9—इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही तुरन्त की जाय।

10—यह व्यय प्रथमतः राज्य आकस्मिक निधि के नामे डाला जायगा तथा इसका विकलन 1973-74 के आय-व्ययक के लेखा शीर्षक "28—शिक्षा आयोजनेतर—ख—माध्यमिक—(ख) अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को प्रत्यक्ष अनुदान" के अन्तर्गत नयी खोली जाने वाली प्राथमिक इकाई से विकलित होगा।

भवदीय,

प्रभा कान्त शुक्ल,

उप सचिव।

वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-11

सं० रा० आ० नि०/76—10—1973

प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

लक्ष्मीकान्त श्रीवास्तव,

अनु सचिव।

शिक्षा विभाग

संख्या 9/1747 (1) /पन्द्रह—200(8)/1972

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) शिक्षा निदेशक (उच्च) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(3) समस्त मण्डलीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तर प्रदेश।

(4) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

(5) समस्त मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकायें, उत्तर प्रदेश।

(6) समस्त जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिकायें, उत्तर प्रदेश।

(7) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(8) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(9) उत्तर प्रदेश की नगर महापालिकाओं के समस्त मुख्य नगर अधिकारी।

(10) उत्तर प्रदेश की नगर पालिकाओं के समस्त अध्यक्ष/प्रशासक।

(11) उत्तर प्रदेश की समस्त जिला परिषदों के अध्यक्ष।

(12) उत्तर प्रदेश की टाउन एरिया कमेटियों के समस्त चेयरमैन।

(13) परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(14) स्वायत्त शासन विभाग के समस्त अनुभाग।

(15) पंचायती राज अनुभाग।

(16) शिक्षा सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।

(17) शिक्षाधिकारी, सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(18) वित्त विभाग के समस्त अनुभाग।

(19) सामान्य प्रशासन अनुभाग।

(20) समस्त बेसिक शिक्षाअधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(21) श्री श्री नरायण तिवारी, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अवकाश प्राप्त अध्यापक संघ, रामजस बिल्डिंग, 4-ए, पार्क रोड, लखनऊ।

आज्ञा से,

प्रभा कान्त शुक्ल,

उप सचिव।

पी0 एस0 यू0 पी0-एल0 39 जनरल (एजू0)—1973—2,000

नत्थी "घ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या—27 का उत्तर पीछे पृष्ठ .12.7.1 पर)

वर्ष 1981–82 में हरिजन पेयजल वार्षिक योजनान्तर्गत पेयजल कूप निर्माण

जनपद—मीरजापुर

क्रमांक	विकास खड	लक्ष्य	प्रगति				
			100/%	90%	50%	25%	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नरायनपुर	2	2	—	—	—	2
2	सीखड़	2	1	1	—	—	2
3	जमालपुर	2	—	2	—	—	2
4	राजगढ़	2	—	2	—	—	2
5	घोरावल	3	—	3	—	—	3
	योग	11	3	8	—	—	11

उत्तर प्रदेश विधान सभा

निर्बल वर्ग आवास निर्माण की प्रगति रिपोट जनपद–मीरजापुर

क्रमांक	नाम वि0 खंड	वर्ष 81–82 में निर्बल वर्ग आवास निर्माण			क्रमांक	नाम वि0 खंड	वर्ष 81–82 निर्बल वर्ग आवास निर्माण (स्पेशल कम्पोनेंट योजनान्तर्गत)		
		लक्ष्य	निर्माणाधीन	पूर्ण			लक्ष्य	निर्माणाधीन	पूर्ण
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	नरायनपुर	5		5	1	नरायनपुर	5		3
2	सीखड़	5		5	2	सीखड़	3	—	3
3	जमालपुर	10	—	10	3	जमालपुर	3	—	3
4	राजगढ़	7		7	4	राजगढ़	5	—	5
5	घोरावल	9	9	—	5	घोरावल	5	5	—
	योग	36	9	27			19	5	14

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वर्ष 1982—83 हरिजन पेयजल वार्षिक योजनान्तर्गत

हरिजन पेयजल कूप निर्माण हेतु विकास खंडवार

लक्ष्य जनपद मीरजापुर

क्रमांक	विकास खंड का नाम	लक्ष्य
1	2	3
1	नरायनपुर	2
2	सीखड़	2
3	जमालपुर	2
4	राजगढ़	3
5	घोरावल	3
	योग	12

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वर्ष 1982—83 के लिए निर्बल वर्ग आवास निर्माण हेतु
निर्धारित विकास खंडवार लक्ष्य
जनपद—मीरजापुर

क्रमांक	विकास खंड	निर्बल वर्ग आवास निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य	
		सामान्य योजनान्तर्गत	स्पेशल कम्पोनेंट योजनान्तगर्त
1	2	3	4
1	नरायनपुर	1	5
2	सीखड़	1	4
3	जमालपुर	1	5
4	राजगढ़	1	5
5	घोरावल	1	5
	योग	5	24

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ङ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–96 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1295 पर।)

श्री जगन्नाथ राम जिला कृषि एवं परियोजनाधिकारी फैजाबाद के विरुद्ध श्री प्रदीप कुमार यादव विधायक के पत्र दिनांक 4–5–82 के साथ संलग्न शिकायतों की संक्षिप्त सूची

1—दो वर्षों में 5 से 12 लाख कमाना, बनारस में बैंक में एकाउन्ट्स रखना, एस0 डी0 यम0 (विकास) श्री लवानिमा द्वारा सत्यनिष्ठा का रोका जाना, उप कृषि निदेशक फैजाबाद द्वारा चार्जशीट कृषि निदेशक को भेजा जाना आदि।

2—श्री मुहम्मद अहमद उर्वरक लिपिक की वर्ष 1979–80 में लाइसेन्स के 158 मामलों में दोषी पाये जाने पर श्री हरीकिशन तत्कालीन उप कृषि निदेशक फैजाबाद द्वारा सत्यनिष्ठा रोके जाने तथा प्रतिकूल प्रविष्टि आदि के बावजूद भी पैसे के बल पर उसे स्थायी कर देना।

3—उर्वरक बिक्री के 600 पुराने लाइसेन्सों के 100 रु0 प्रति की दर से तथा नये लाइसेन्सों के लिए 200/–रू0 प्रति तथा होल सेल के 50 दुकानदारों से 500 रू0 प्रत्येक से दो वर्षों से वसूलते रहना।

4—बीज भण्डार राजे सुल्तानपुर के इन्चार्ज से 22–23 हजार रूपया छीन कर ले आना।

5—उपर्युक्त घटना के भण्डाफोड़ होने पर उर्वरक निरीक्षक के पीछे पड़ जाना तथा उसके टी0 ए0 क्लेम व वेतन रोक देना।

6—वर्ष फरवरी 81 में लाखों रूपये का अवशेष बीज फर्जी नीलामी द्वारा बेच देना।

7—बीज भण्डार राजेपुर, राजे सुल्तानपुर, जलालपुर तथा रामनगर में भारी गबन करवाना।

8—बीज खाद की ढुलाई में विभागीय ठेकेदार से 15% प्रति बिल पर कमीशन लेना।

9—फरीदपुर कार्य के फेंसिग का बिल 6 माह तक रोका जाना। जमानत की धनराशि कमीशन के कारण अब तक नहीं लौटाया गया।

10—अक्टूबर 81 में सूरतगढ़ राजस्थान से 429 क्विटंल चना ठेकेदार से न ढुलवाकर इन्चार्ज बीज भण्डार अकबरपुर से ढुलवाना तथा 5000/– कमीशन न मिलने पर बिल 31 मार्च तक रोके रहना।

11—रबी 81–82 में 429 क्विन्टल बीज (मटर, चना बो दिया आदि) किसानों को न देना अपितु व्यापारियों को बेच देना।

12—श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी छटनी शुदा कर्मचारी की नियुक्ति न कर 200/ रू0 लेकर कामदार प्रोन्नति क्लर्क के पद पर करना।

13—श्री राजेन्द्र सिंह दोषी इन्चार्ज को 5000/–रू0 लेकर भीटी स्टोर पर तैनात रखना तथा अकबरपुर के इन्चार्ज श्री रामजी दुबे को अयोग्य घोषित होने पर भी उन्हें बीज भन्डार पर रखना।

14—डीलरों की फर्मों से पैसा लेकर उनके विरुद्ध आरोप रहते हुये भी वैधानिक कार्यवाही न करना तथा उन्हें उसी नाम से या अन्य नाम से लाइसेन्स दे देना।

15—बीज भण्डार मासूमगंज के कामदार/चौकीदार से भय दिखाकर चाभी छीन छीन कर रू0 310–00 उठा ले जाना।

नत्थी "च"
(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या—117 का उत्तर
वर्ष 1980—81 में विक्रय किये गये उर्वरकों का

क्रमांक	नाम उर्वरक	कृषि				सहकारिता वर्ष 80–81		एग्रो	
		दि0 1-4-80 से 7-6-80 तक		8-6-80 से 31-3-81तक		1-7-80 से 30-6-81 तक		1–4–80 से 17–6–80 तक	
		विक्रय दर प्रति मैं	विक्रय की मात्रा मैं	विक्रय दर	विक्रय की मात्रा मैं	विक्रय दर प्रति मैं0	विक्रय की मात्रा मैं0	विक्रय प्रति मैं0	विक्रय मात्रा
1	यूरिया	1508=00	400·000	2080	3123	2075=40	14191	1508	696
2	डी0 ए0 पी0	2288=00	200·000	3172	2205	3166=40	2666	2288	128
3	एम0 ओ0 पी0	837=20	50=000	1144	538	1140=80	1	837=20	64
4	एन0 पी0 के0 15 : 15 : 15	—	—	1872	8	1871=56	31	—	—
5	ए0 एन0 पी0 24 : 24 : 24	—	—	2704	5	—	—	—	—
6	ए0 यन0 पी0 20 : 20 : 0	—	—	2132	4	2131=52	478	—	—
7	सुपर फास्फेट	—	—	—	—	1028=00	54	—	—
8	सी0 ए0 एन0	—	—	—	—	1725=83	267	1080	4
9	एन0 पी0 के0 12 : 32 : 16	—	—	—	—	2854=60	2409	—	—
10	एन0 पी0 के0 15 : 15 : 7-1/2	—	—	—	—	1700=00	136	—	—
11	अमो0 सल्फेट	—	—	—	—	1725=62	22	936	42
12	अमो0 क्लो0	—	—	—	—	—	—	—	—

टिप्पणी :—उपरोक्त विक्रय दर में बिक्रीकर सम्मिलित है।

पीछे पृष्ठ 1305 पर।)

विवरण जनपद गोरखपुर (मैं0 टन में)

गन्ना				निजी			
8–6–80 से 31–3–81 तक		1–4–80 से 7–6–80 तक		8–6–80 से 31–3–81 तक		1-4-80 से 7-6-80 तक		8-6-80 से 31-3-81 तक	
विक्रय दर मैं0	विक्रय मात्रा मैं0	विकय दर प्रति मैं0	विक्रय मात्रा मैं0	विक्रय दर प्रति मैं0	विक्रय मात्रा मैं0	विक्रय दर प्रति मैं0	विक्रय मात्रा मैं0	विक्रय दर प्रति मैं0	विक्रय की मात्रा मैं0
2080	17361	1504	697	2076	2007	1508	13	2080	19120
3172	505	2283	31	3166·40	197	2288	340	3172	500
1144	16	837=20	5	1140	64	837=20	350	1144	670
—	—	1347=40	4	1868	341	352	45	1872	410
—	—	—	—	—	—	1976	310	2704	510
—	—	1555=40	21	2125=00	—	1507	432	2132	900
997=36	86	894=20	16	912	161	—	—	997=36	780
1725=60	15	1076	45	1721·60	53	—	—	1725=60	1520
—	—	2075	263	2860	800	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	936	1	1725=62	15	936	1650	—	—
—	—	1024	4	1909	2	—	—	—	—

नत्थी "छ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 123 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1307 पर।)

"क"

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्यों की प्रगति—ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, बस्ती

क्र0 सं0	विधायक का नाम	विकास खण्ड का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई कि0मी0	अनुमानित लागत	प्रति0लागत (लाख में)	संशोधित लागत	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति (लाख में)	अन्य विणरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ	डुमरियागंज	1—धनखरपुर भानुपुर रानी (पुलिया)	1,000	40,000	—	--	4 पूर्ण	0-40	—
			2—महुवारी बगडीहवा मार्ग पर बगडीहवा ग्राम के निकट बने पुलिया पर स्लेप लगाना।		6,000	—	--	पूर्ण	0-06	—
			3—बस्ती डुमरियागंज मार्ग पर हल्लौर सड़क के हाई स्कूल होते कस्बे के अंदर तक (मिट्टी का कार्य)	1,000	20,000	1,000	--	—	—	—

	4—अगौना भागोभार सड़क पर आमी नदी के कटाव को बचाने के लिए अमीना के निकट (बड़ी) (पुलिया) पुलिया	—	15,000	0-45	—	—	—	—	
भनवापुर	1—भनवापुर मरवटिया (खाड़ंजा पुलिया)	2-750	1,80,000		—	1—75 कि0 मी0 खाडंजा तथा पुलिया पूर्ण	1-34	—	
	2—डुमरियागंज बढ़नी मार्ग को ग्राम चौखड़ा से महतिनिया के आगे भनवापुर मरवटिया मार्ग से मिलाना	2-500	50,000	—	—	—	—	—	
	3 - शाहपुर सिगार जोत रोड पर पड़ारी धनखारी ग्राम के बीच एक बड़े पुल का निर्माण	—	20,000	1-30	—	—	—	—	
			3,31,000	2—75 लाख		6—06	1—80लाख		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ज"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या—132 का उत्तर पीछे पृष्ठ 311 पर।)

बाल विद्या मंदिर चारबाग, लखनऊ के कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र दिनांक 5–11–81 में उल्लिखित समस्यायें

1—यहाँ के टीचर स्टाफ के अलग-अलग दो कानून बनाये गये हैं, पहला बोर्डिंग में रहने वाले तथा दूसरा डे स्कालर। साथ ही उनकी सुविधाओं में भी मतभेद है।

2—जो भी कर्मचारी है चाहे वह जिस श्रेणी का सब पर मालिक का अलग अलग कानून है। जैसे हाउस कीपर को आवास सुविधा, सप्ताह में एक दिन का अवकाश, खाने नास्ते तथा चिकित्सा आदि की सुविधा दी जाती है जबकि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की न तो आवास एवं अवकाश की सुविधा दी गई और न ही उस स्तर का खाना ही दिया जाता।

3—कर्मचारियों के संबंधित रजिस्टर तथा कागजात भी एक समान नहीं है जैसे (क) पिछले 19 वर्ष पुराने रजिस्टर देखने से विदित होगा कि उस समय पूरे स्टाफ के हाजिरी रजिस्टर तो गये थे किन्तु पेमेन्ट रजिस्टर केवल एक ही होता था चाहे वह प्रथम श्रोणी का हो चाहे वह चतुर्थ श्रेणी का हो। (ख) पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो को कोई वेतनमान न देकर एक मुश्त धनराशि दिया जाता था। (ग) अब उन्होंने केवल 38 कर्मचारियों को जुलाई 1981 से वेतनमान दिवाकर वेतन तथा मंहगाई भत्ता देना आरंभ कर दिया है जबकि 42 अन्य कर्मचारियों को अभी भी बिना वेतनमान व मंहगाई भत्ते के एक मुश्त धनराशि ही भुगतान किया जा रहा है जो स्वतः अन्याय पूर्ण प्रतीत होता है। इस अनियमितता के संबंध में पूछे जाने पर सेवा से निकाल दिये जाने की धमकी दी जाती है।

4—चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थाई करण किये जाने का कोई भी आधार नहीं है क्योंकि केवल 38 कर्मचारियों का ही स्थाई करण किया गया है जबकि 42 कर्मचारियों को अभी भी अपनी रोटी-रोजी के लिए हर समय परेशानी का खतरा बना रहता है।

5—कर्मचारियों को छुट्टी (अवकाश) के दिनों में कार्य करने के अलग-अलग नियम है।

6—स्कूल में कर्मचारियों के वेलफेयर हेतु एक फंड है जिसके अंतर्गत टीचर स्टाफ को उनकी लड़की की शादी अथवा आकस्मिक समय में रु0 500/– से रु0 1000/– तक अनुदान दिया जाता है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 100/– से 200/– तक दिया जाता है जो स्कूल के कर्मचारी नही है उन्हें यह सुविधा नहीं दी जाती है।

7—उपरोक्त सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को यह भी नहीं मालूम हो पाता है कि उनकी सेवा शर्तें क्या हैं और स्कूल के अधिकारीगण अपनी मनमानी जो चाहे करते रहते हैं। 19 वर्ष बाद जब सरकार द्वारा पूछताछ शुरू हुई तब जुलाई 1981 में केवल 38 कर्मचारियों को केवल वेतनमान व भत्ता दिखाया गया है किन्तु सेवा की शर्तों के बारे में वे अभी भी अनभिज्ञ हैं। शेष 42 कर्मचारियों के बारे में तो सोचना भी बेकार है जो गरीब कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय है।

8—कर्मचारियों में केवल टीचरस्टाफ तथा हाउस कीपर को इस वर्ष 200/–रु0 दिया गया है और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कुछ भी नहीं दिया गया है जबकि ये सभी हाउस कीपर के समान ही पिछले वर्षों में मिलता रहा।

नत्थी "म"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या—138 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1347 पर।)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित श्री राम कृष्ण महेश्वरी द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 138 के उत्तर क। संलग्नक

राजकीय जूनियर ट्रेनिंग कालेज, कांठ (मुरादाबाद) में विभिन्न मदों पर वर्ष 1979-80 से 1981-82 के मध्य हुए व्यय का मदवार विवरण

वर्ष	वेतन	मंहगाई भत्ता	अन्तरिम सहायता	अतिरिक्त अन्तरिम सहायता	यात्रा-भत्ता	अन्य भत्ता	कार्यालय व्यय	पुस्तक अनुदान	भवन मरम्मत अनुदान	माडल स्कूल आकस्मिक व्यय	छात्रावृत्ति	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1979-80	105569=62	75844=43	—		5492=00		3954=15	736=25	995=50	793=83	3466=00	196851=78
1980-81	129641=62	105320=70	8976=68	—	5748=80	—	6154=78	709=80	999=00	—	2706=35	259955=73
फरवरी 82 तक	110104=95	97894=42	6440=33	8663=00	1750=10	44=95	3748=89	100=00	998=00	—	737=40	230082=0
योग	345316=19,	279059=55,	15120=01,	8663=00,	12590=90	44=95	13857=82,	1546=05	2992=50,	793=83	6904=75	686889=55

नत्थी "अ"

(देखिये अतरांकित प्रश्न संख्या---142 का उत्तर पीछे पृष्ठ पर 1316।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के दूसरे सोमवार के लिये निर्धारित श्री मित्रसेन यादव द्वारा पूछे गये अतारांकित

शिकायतें	प्रश्न संख्या –142 के उत्तर का संलग्नक	उन पर की गयी कार्यवाही
1—फार्मों पर कई कर्मचारी ऐसे हैं जो मजदूरों का शोषण और उत्पीड़न करते हैं तथा अनियमित रूप से उपस्थितिति पंजिका भरते रहते हैं, गलतगलत भुगतान लेते हैं, मजदूरों की मजदूरी से भी कटौती करते हैं। ऐसा न करने पर मजदूरों को नेता, बदमाश, अनुशासनहीन काम न करने वाला कहकर निकाल देते हैं और अपने अधिकारियों को भी इसी प्रकार से विश्वस्त करते हैं। कोई भी मजदूरों के काम की जांच उनकी शिकायत और उनका पक्ष नहीं सुनता है।	1—आरोप की पुष्टिनहीं हो सकी।	उनपर की गयी कार्यवाही
2—विश्वविद्याल में दैनिक मजदूरों मेंजो वातावरण फार्म कर्मचारियों केद्वारा पैदा किया जा रहा है उसको जानकारी से आपबो वांछित रखा जा रहा है। इतना ही नहीं कुछ कर्मचारी मजदूरों के प्रति इतनी हीन भावना या घृणा रखते हैं कि मजदूरों को मात्र कुत्ता जैसा व्यवहार या भूखे पेट या रोटी का गुलाम समझ करपेश आते हैं।	2—इस आरोप में भी वास्तविकता नहीं पायी गयी।	
3—मैंने मजदूरों की समस्याओं कों सदा के लिये सुलझाने के संबंध में कई सुझाव दिये हैं। जिससे आप भी और आपके डीन भी सहमत होते हुए भी उसका न तो पालन हो रहा है और न कृत कार्यवाही से हम लोगों कोअवगत ही कराया जा रहा।	3—जो भी सुझाव कार्य रूप में परिणत करने योग्य थी उन्हें लागू करने का प्रयास किया जा रहा है।	

4—आपसे अपेक्षा है कि आप दैनिक वेतन भोगी मजदूरों के साथ होने वाले उत्पीड़न और शोषण तथा अनियमितताओं को अवश्य रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही करेंगे। मजदूरों से अमानवीय व्यवहार करने वाले कर्मचारी पर नगर रख उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

4—दैनिक वेतन भोगी मजदूरों की समस्याओं के निवारण हेतु कुलपति ने श्रमिकों के प्रतिनिधियों तथा विश्वविद्यालय के संबंधित अधिकारियों की एक समिति गठित को है जिसकी बैठक प्रायः समस्याओं के समाधान के लिये ही हर माह होती है। अन्य आरोपों के विषय में जांच की गयी किन्तु उनकी पुष्टि नहीं हो सकी।

5—मेरी जानकारी में आया है कि श्री रघुवीर यादव, निरीक्षक, पिछला फार्म नं0 3 पर मजदूरों के साथ गढ़ा ही अनियमितता कर रहे हैं और उनके अनियमितता तथा गलत तौरतरीके की शिकायत पर उन्होंने पूरा काम बन्द कर दिया है। लगभग 36मजदूरों को सड़क पर रहने की धमकी और अब काम न मिलने की धमकी दी है।

5—आरोप तथ्यहीन है।

नत्थी "ट"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या—167 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1325 पर)

वर्ष 1977 से पूर्व स्थायी मान्यता प्राप्त असहायिक विद्यालय की सूची

क्रमांक	विद्यालय का नाम
1—	देवकी जनकल्याण जू0 हा0 स्कूल रामपुर तिमरा
2—	राष्ट्रीय पू0 मा0 वि0 मुखलालगंज जौनपुर
3—	भारतीय पू0 मा0 वि0 सुल्तानपुर दरियागंज
4—	जगतगंज पू0 मा0 वि0 जगतगंज जौनपुर
5—	सार्वजनिक पू0 मा0 वि० डालूपुर, जौनपुर
6—	जनता जनार्दन पू0 मा0 वि0 धर्मापुर
7—	जनता जू0 हा0 स्कूल सराय यूसूफ
8—	महात्मा गांधी पू0 मा0 वि0 जपटापुर
9—	संत परमहंस जू0 हा0 स्कूल ओंका, जौनपुर
10—	सिराजे हिन्द पू0मा0 वि0 मुर्की, जौनपुर
11—	बसंत विद्यापीठ ककोपि, जौनपुर
12—	जनता जनार्दन पू0 मा0 वि0 अर्गपुर कला, जौनपुर
13—	सर्वोदय विद्या मंदिर मझगांवा, जौनपुर
14—	हरगोविन्द पू0 मा0 वि0 जफराबाद, जौनपुर
15—	भारत भारतीय साधनापीठ पतौरा बलहरी, जौनपुर
16—	कृषक पू0 मा0 वि0 ममरी

नत्थी "ठ"

(देखिए पीछे पृष्ठ 1424पर)

तालिका 1

वर्षा का विवरण, जनपद कानपुर देहात

तिथि	वर्षा
22-8-82	101·3 मि0 मी0
23-8-82	50·2 मि0 मी0
24-8-82	58·6 मि0 मी0
25-8-82	16·2 मि0 मी0
26-8-82	68·0 मि0 मी0
27-8-82	73·2 मि0 मी0
28-8-82	19·8 मि0 मी0

नोट :—दिनांक 29-8-82 को वर्षा की रीडिंग नहीं प्राप्त हुई है किन्तु ज्ञात हुआ है कि वर्षा नहीं हुई है।

तालिका—2

जनपद कानपुर देहात

बाढ़ व जलप्लावन से हानि का विवरण

क्रमांक	सूचना का विवरण	क्षति का विवरण
1—	प्रभावित ग्रामों की संख्या :—	
	बाढ़ से :—	52
	जल प्लावन से :—	454
	कुल योग	505
2—	प्रभावित जनसंख्या	3·50 लाख
3—	प्रभावित क्षेत्रफल	98,000 हे0
4—	प्रभावित बोया हुआ क्षेत्रफल	72,000 हे0
5—	मृत्यु का विवरण :—	
	जन	7
	पशु	2
6—	बाढ़ केन्द्र	27
7—	राहत केन्द्र	6
8—	नावों की संख्या	39
9—	जनसंख्या जो निकाली गई	897
10—	जानवर जो निकाले गये	995
11—	गिरे हुये मकानों की संख्या	1979
12—	सहायता जो दी गई	आवश्यक वस्तुएं वितरित की गई तथा सहायता कार्य जारी है।

नोट :—दैवी आपदा के मृतकों के परिवारों को एक हजार रुपया नियमानुसार सहायता (एक्स ग्रेसिया) स्वीकृत की गई।

नत्थी 4 "ङ"
(देखिये पीछे पृष्ठ 1634 पर)

प्रदेश में बाढ़ तथा वर्षा से क्षति का विवरण-- दिनांक 30-8-82 तक

क्रम सं0	जिले का नाम	प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित जनसंख्या	प्रभावित क्षेत्रफल (हे0में)	प्रभावित कृषिगत क्षेत्रफल (हे0में)	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	मानव क्षति	पशु क्षति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	मेरठ	18	—	471	331	—	—	—
2-	बिजनौर	36	11146	1434	1434	143	2	—
3-	मैनपुरी	—	—	—	—	1	3	—
4-	एटा	—	—	—	—	—	5	—
5-	बरेली	331	236972	44198	44198	197	2	—
6-	इटावा	40	50000	—	—	—	4	5
7-	कानपुर देहात	505	350000	98000	72000	1980	6	2
8-	फतेहपुर	43	10530	—	—	530	—	—

नत्थियां 1469

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9-	इलाहाबाद	252	47680	25702	—	—	—	—
10-	बांदा	94	45260	33047	13421	571	—	—
11-	हमीरपुर	69	80956	3075	1246	5236	—	—
12-	झांसी	22	—	—	—	—	—	—
13-	ललितपुर	—	—	—	—	18	—	—
14-	वाराणसी	311	85723	38620	21140	—	—	—
15-	मिर्जापुर	425	307880	38562	25561	240	2	—
16-	गाजीपुर	245	133820	17906	3176	—	—	—
17-	बलिया	346	100880	13121	11661	79	—	—
18-	बस्ती	171	33140	9441	4684	—	—	—
19-	देवरिया	26	22000	453	2047	9	—	—
20-	नैनीताल	1	1400	—	—	11	—	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा